श माला, खंड 7, अंक 37

मंगलवार, 16 मई, 2000
26 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 37, मंगलवार, 16 मई, 2000/26 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 702 से 704, 708, 710, 713 और 714	1-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 701, 705 से 707, 709, 711, 712 और 715 से 720	36-74
अतारांकित प्रश्न संख्या 7643 से 7872	74-332
किसी मंत्री की ओर से दूसरे मंत्री द्वारा उत्तर देने के मुद्दे के बारे में.	333-335
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	335-348
राज्य सभा से संदेश.	348-349
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
चौथे से आठवां प्रतिवेदन	349-350
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	350-353
मंत्री द्वारा वक्तव्य.	353-357
(एक) चेन्नई में कम्पनी विधि बोर्ड की एक अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ की स्थापना करना	
श्री राम जेठमलानी	353
(दो) कम्पनी विधि निपटान योजना, 2000	
श्री राम जेठमलानी	354-357
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना.	357-379
(एक) कृषि क्षेत्र से संबंधित विशेषकर ऋण/समर्थन मूल्यों के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने आ रही कठिनाइयां	
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	357
श्री सुन्दरलाल पटवा	357

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन और फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया की कुछ इकाइयों के बंद होने और कतिपय उर्वरक कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई अधिशेष राजसहायता की वसूली न किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री बसुदेव आचार्य	366
श्री सुरेश प्रभु	366
श्री लक्ष्मण सेठ	372
सिएरा लिओन में भारतीय शांति सेना के बारे में.	379–382
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	379
श्री जसवंत सिंह	380
सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक..	388–434
विचार करने के लिए प्रस्ताव	388
श्री सुबोध मोहिते	388
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	392
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	397
श्री संतोष मोहन देव	399
श्री चन्द्रनाथ सिंह	402
श्री बालकृष्ण चौहान	403
श्री वी. वेत्रिसेलवन	404
श्री पी.सी. थामस	406
श्री प्रमोद महाजन	408
खण्ड 2 से 93 और खण्ड 1	420
पारित करने के लिए प्रस्ताव	422
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	434–435
विचार करने के लिए प्रस्ताव	434
श्री प्रमोद महाजन	434
खण्ड 2 से 5 और खण्ड 1	435
पारित करने के लिए प्रस्ताव	435

विषय	कालम

संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन विधेयक 435–436

विचार करने के लिए प्रस्ताव 435

श्री प्रमोद महाजन 435

खण्ड 2 से 6 और खण्ड 1 436

पारित करने के लिए प्रस्ताव 436

नियम 377 के अधीन मामले... 436–444

(एक) गुजरात के उधाना और भुसावल के बीच रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री मान सिंह पटेल 436

(दो) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लालकार्ड का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट और मल्कानगिरी जिलों में तथ्यान्वेषी दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी 437

(तीन) मुम्बई में कंजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया 438

(चार) नई दिल्ली-मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस को वापी में रोकने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल 438

(पांच) उड़ीसा में गोपालपुर और मध्य प्रदेश में रायपुर के बीच मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव 439

(छः) भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और अन्य आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के पेंशन भोगियों के समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव 439

(सात) देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव 440

(आठ) नीलांचल एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से होकर प्रतिदिन चलाए जाने और उसे वहां पर रोकने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह 441

(नौ) महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल 442

विषय — कालम

(दस) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू किए जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 442

(ग्यारह) तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्व तट पर भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 443

(बारह) हरियाणा में सिरसा और डबवाली नगरों में रेलवे फाटकों पर उपरिपुलों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा 444

डाक और दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प 444–468

श्री राम विलास पासवान 445

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 447

श्री सुरेश कुरूप 449

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 450

श्री खारबेल स्वाइं 452

श्री जी.एम. बनातवाला 454

श्री पी.एच. पांडियन 458

महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 468–506

विचार करने के लिए प्रस्ताव 468

श्री राजनाथ सिंह 468

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 472

श्री पी.एस. गढ़वी 477

श्री लक्ष्मण सेठ 479

श्री गिरधारी लाल भार्गव 482

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 483

श्री प्रभात सामन्तराय 485

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 487

श्री जी.एम. बनातवाला 491

श्री पी.सी. थामस 493

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 16 मई, 2000/26 वैशाख, 1922 (शक)
का
शुद्धि - पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
415	20	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री
444	6	हरियाणा में सिरसा और डबवाली नगर में उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता	हरियाणा में सिरसा और डबवाली नगरों में रेलवे फाटकों पर उपरिपुलों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता

लोक सभा

मंगलवार, 16 मई, 2000/26 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, रेल मंत्री भड़काने वाले भाषण दे रही हैं और पश्चिम बंगाल राज्य में लोगों को हथियार उठाने तक हिंसा करने के लिए उकसा रही हैं। वह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 701 – अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 702 – श्री राशिद अलवी

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गर्भावस्था से संबंधित मौतें

*702. **श्री राशिद अलवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्भावस्था धारण से संबंधित मौतें प्रतिवर्ष सबसे अधिक होती हैं;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के राज्यवार, आंकड़े क्या हैं; और

(घ) ऐसी मौतों की संख्या में कमी लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यद्यपि भारत में गर्भधारण से जुड़ी मौतों की संख्या अधिक है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगटन द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1999 में वर्ष 1990 में विभिन्न देशों के बारे में मातृ मृत्यु अनुपात के अनुमान दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 570 था। इसी अवधि में अन्य पड़ौसी देशों में मातृ मृत्यु अनुपात बांगलादेश में 850, नेपाल में 1500 और भूटान में 1600 थे

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1992-93 में भारत में उस समय मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 437 होने का अनुमान है। भारत के महारजिस्ट्रार की 1997 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 408 है।

(ख) गर्भधारण से जुड़ी ऐसी मौतों के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

- प्रत्यक्ष कारण: रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भपात, एक्लेम्प्सिया और बाधित प्रसव
- अप्रत्यक्ष कारण : रक्ताल्पता, विषाणुज यकृतशोध क्षय रोग और मलेरिया
- सामाजिक-आर्थिक कारण: कम आयु में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण, महिलाओं का निम्नस्तर, महिला साक्षरता का निम्नस्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, लिंग पूर्वाग्रह और आर्थिक निर्भरता

(ग) पिछले तीन वर्षों के मातृ मृत्यु अनुपात के आंकड़े वार्षिक आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। भारत के महारजिस्ट्रार की 1997 की रिपोर्ट के अनुसार 15 बड़े राज्यों के राज्यवार आंकड़े अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

(घ) मातृ स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोषणिक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और टेटनस टीकाकरण कार्यक्रम जैसे कई वर्टिकल कार्यकलाप परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं। वर्ष 1992 में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल कार्यकलापों को एकीकृत करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रव्यापी शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (1992-97) चलाया गया था। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे 1997 में पांच वर्ष के लिए चलाया गया था, अभी भी शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के कार्यकलापों को सुदृढ़ करके तथा कुछ नए कार्यक्रमों के साथ जारी रखा गया है। प्रमुख प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. अनिवार्य प्रासविक परिचर्या
2. आपाती प्रासविक परिचर्या
3. संवेदनाहरण विज्ञानी, प्रसूति रोग विज्ञानी, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं तथा प्रयोगशाला तकनीशियन, जन स्वास्थ्य नर्सों आदि जैसे तकनीकी कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर अथवा अंशकालिक नियुक्ति की व्यवस्था।
4. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल यूनिटों में मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधियों और उपस्करों की व्यवस्था।
5. चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे प्रसव सेवाओं की योजना।
6. पिछड़े जिलों के लिए अतिरिक्त ए.एन.एम.।
7. आठ पिछड़े राज्यों में गर्भवती महिलाओं को लाने-ले-जाने के लिए परिवहन (रेफरल ट्रांसपोर्ट) की सुविधा।
8. सुरक्षित गर्भपातों के लिए चिकित्सीय गर्भसमापन हेतु सुविधाएं एवं प्रशिक्षण।
9. प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित रोग संक्रमण का निवारण, उपचार और नियंत्रण।
10. जन प्रचार के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों में तेजी लाना तथा निचले स्तर पर विकेन्द्रीकृत स्थान-विशिष्ट कार्यकलाप।
11. जहां पर सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, वहां पर गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके जागरूकता पैदा करना और सेवाएं प्रदान करना।
12. चिकित्सीय/पराचिकित्सीय और अन्य सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षण।
13. दाइयों को प्रशिक्षण।

हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में मातृ मृत्यु अनुपात में पर्याप्त कमी लाए जाने तथा आम तौर पर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया है। इस नीति में निचले स्तर पर समग्र अन्तर क्षेत्रीय समन्वय करने के बारे में समग्र कार्यनीति और मातृ मृत्यु अनुपात तथा शिशु मृत्यु अनुपात में कमी लाने के लिए गैर-सरकारी संगठन, नागरिक (सिविल) समाज, पंचायती राज संस्थाओं और महिला समूहों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

अनुबंध

मातृ मृत्यु अनुपात

(प्रति 100,000 जीवित जन्म)

भारत और बड़े राज्य, 1997

स्थान	मातृ मृत्यु अनुपात
भारत	408
आंध्र प्रदेश	154
असम	401
बिहार	451
गुजरात	29
हरियाणा	105
कर्नाटक	195
केरल	195
मध्य प्रदेश	498
महाराष्ट्र	135
उड़ीसा	361
पंजाब	196
राजस्थान	677
तमिलनाडु	76
उत्तर प्रदेश	707
पश्चिम बंगाल	264

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली, भारत के महारजिस्ट्रार

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष जी, 1986 में हैल्थ फॉर ऑल, 20 पाइंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सरकार ने चलाया, जिसके मुतल्लिक यह उम्मीद की गई थी कि सन् 2000 तक इस देश के अन्दर सारे लोग सेहतमंद रहेंगे, सब की हैल्थ ठीक रहेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि–

[अनुवाद]

14 मार्च को दी टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार

[हिन्दी]

जो इस देश के अन्दर प्रिगनेंसी डैथ है, उसमें पूरी दुनिया के अन्दर हमारा कौन सा नम्बर है और एशिया के अन्दर हमारा कौन सा नम्बर है? मंत्री जी ने अपने जवाब में स्टेटवाइज डाटा भी दिया है और यह भी कहा है कि हमारे पड़ोस के देशों में बंगलादेश और नेपाल के अन्दर डैथ्स हमसे ज्यादा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यूरोप और अमेरिका में हमारे मुकाबले में प्रिगनैंसी डैथ्स की दर कम है, उनसे हम अपना कम्पेरीजन क्यों नहीं करते? सरकार के अन्दर जो गड़बड़ होती है, उसमें बंगलादेश और पाकिस्तान की मिसाल ही क्यों दी जाती है, अमेरिका और यूरोप की मिसाल क्यों नहीं दी जाती। नीचे क्यों देखा जाता है, ऊपर क्यों नहीं देखा जाता? इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि प्रिगनेंसी डैथ्स रूरल एरियाज़ में कितनी है और अर्बन एरियाज के अन्दर कितनी है?

श्री सुरेश प्रभु : यह बिल्कुल सही है, जो मेटनरल मोर्टेलिटी रेट के बारे में सम्माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, उसके जवाब में हमने कहा है - आपने सवाल में पूछा था कि क्या यह बात सही है कि भारत सबसे कम विश्व के ऐसे देशों में है कि जहां इस तरह की मोर्टेलिटी रेट की ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अध्यक्ष पीठ से कोई अनुमति ली है?

श्री सुरेश प्रभु : मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से कोई अनुमति ली है?

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं उन्होंने अध्यक्षपीठ से कोई अनुमति नहीं ली है।

श्री सुरेश प्रभु : उन्होंने पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या 703 - डा. सुशील कुमार इन्दौरा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी अनुमति के बिना मंत्री जी प्रश्न काल के दौरान कैसे अनुपस्थित रह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित प्रथा नहीं है। मैं मंत्री जी को भी सलाह दे रहा हूं। यह उचित प्रथा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बता रहा हूं। यह क्या है? यह उचित प्रथा नहीं है। मंत्री जी को भी अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह सरकार कैसे कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 703 डा. सुशील कुमार इन्दौरा।

[हिन्दी]

शैक्षिक योजनायें

***703. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कोठारी आयोग और राममूर्ति समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु 1964 में प्रो. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दूरगामी सुधारों का उल्लेख है, यथा निरक्षरता उन्मूलन, 10 + 2 + 3 प्रणाली वाला एक समान शिक्षा ढांचा, सैकेण्ड्री शिक्षा का व्यावसायीकरण, पढ़ाई के प्रथम 10 वर्षों के दौरान विज्ञान और गणित का अनिवार्य शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र, दूरस्थ और अंशकालिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, उत्कृष्टता केन्द्रों का संवर्धन और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि ताकि यह राष्ट्रीय आय के 6% तक पहुंच सके। कोठारी आयोग की रिपोर्ट संसद द्वारा 1968 में पारित प्रथम राष्ट्रीय नीति संकल्प का आधार बनी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए मई, 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। दिसंबर, 1990 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना, प्रारंभिक शिशु देखरेख और शिक्षा को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना, स्कूलों में औपचारिक शिक्षा का अनौपचारीकरण, मुख्य पाठ्यचर्या के साथ व्यावसायीकरण का एकीकरण, परीक्षा सुधार आयोग का गठन, शिक्षकों और छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों के शैक्षिक विकास संबंधी रणनीतियां/राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना, 1992 में इन सिफारिशों को यथोचित रूप में समाविष्ट किया गया है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा संपूर्ण साक्षरता अभियान, आपरेशन ब्लैक-बोर्ड, मध्याह्न भोजन, अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि शुरू की गई हैं। नीति निर्देशों को लागू करने के लिए एक समान शिक्षा ढांचा (10+2+3), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, त्रिभाषा सूत्र और शिक्षा के लिए आबंटन में बढ़ोत्तरी जैसे कदम भी उठाए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक भी 1997 में संसद में पेश किया गया है।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : आज देश के वातावरण में शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा के माध्यम से न केवल समाज के चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि देश भी हर तरफ आगे बढ़ता है और देश का विकास होता है। 1960 के दशक में कोठारी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसके साथ-साथ और बहुत सी रिकमंडेशंस कोठारी कमीशन ने दी थीं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन ने सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, यह जो सिफारिश की थी, क्या उतना खर्च हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण बताएं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह बात सच है कि कोठारी कमीशन ने ही नहीं, बल्कि सभी कमीशनों ने इस बारे में सिफारिश की है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत खर्च होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज सरकार का खर्चा छः प्रतिशत नहीं है। यह खर्चा 3.8 प्रतिशत के आसपास ही घूमता रहा है। लेकिन सरकारी खर्चे के अलावा जो सामुदायिक खर्चा है, उसे मिलाकर 5.8 प्रतिशत यानी लगभग छः प्रतिशत तक हम पहुंच रहे हैं। जरूरत इससे भी अधिक खर्च करने की है, क्योंकि जो विकसित देश हैं, जहां शिक्षा की दर 90 प्रतिशत तक पहुंची है और क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, उन देशों में 9-10 प्रतिशत खर्चा शिक्षा पर किया जा रहा है। मैं बार-बार सदन में यह बात दोहरा चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर अधिक व्यय की आवश्यकता है। देश के जितने संसाधन हैं, अभी तक उतना ही खर्चा नहीं हो पाया है।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : क्यों नहीं हो पाया है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : नहीं हो पाया है, 50 सालों में नहीं हो पाया है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : कारण बताएं कि क्यों नहीं हो पा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा पूरक प्रश्न पूछें।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : पहले का जवाब तो आ जाने दें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : देश में साधन नहीं थे। सीधी सी बात है देश की आय जितनी बढ़नी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ी। शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। प्लान्स में लगातार शिक्षा पर खर्च घटता चला गया। हमने आकर शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की चेष्टा की है। दो वर्षों में इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : आज सरकार क्या प्रयास कर रही है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आज सरकार शिक्षा पर बढ़ा कर व्यय कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार जहां अन्य सारे विभागों के बजट में कटौतियां हुई हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का बजट 24 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के अनुसार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, वह तीसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उनका दूसरा प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इंदौरा जी, यह क्या है? कृपया अपना दूसरा प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री नहीं है, दूसरा है। संविधान के अनुसार हर एक को समान शिक्षा का मौलिक अधिकार चाहे गरीब हो या अमीर हो उसे समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट 1990 में आयी थी और उन्होंने सिफारिश की थी कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, उसमें समान शिक्षा का जो ढांचा दिखाया गया है, 10+2+3 शिक्षा का ढांचा है और वह चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, जिनके बच्चे ऐसे-ऐसे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं जहां शिक्षा नाममात्र है और ऐसे-ऐसे स्कूल भी हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, डी.पी.एस. आदि निजी स्कूल हैं जहां शिक्षा पर ज्यादा व्यय किया जाता है और आज के कम्पीटिशन के जमाने में जो शिक्षा का स्तर है, वह स्तर ऊंचे लोगों के लिए अलग है और गरीब आदमी के लिए दूसरा स्तर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी नीति या प्रावधान होगा जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसके 10-12 कि.मी. के एरिया में जो लोग रहते हैं, चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, उसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूं। क्या शिक्षा में समानता इस तरह से लाई जाएगी कि एक ही दायरे में जो बच्चे या जो लोग रहते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब एक ही समान शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्या ऐसा कोई प्रावधान करने का विचार है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश की आजादी के बाद से आज तक बराबर इस प्रश्न पर देश ने विचार किया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का दायित्व है, हम विद्यालय नहीं चलाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाएं सभी कर्मचारियों के लिए समान हैं लेकिन अभी तक यह संभव नहीं है कि हम प्रारम्भिक विद्यालय जो सार्वजनिक हैं अथवा निजी क्षेत्र के हैं, वे एक से हो। अभी तक मौलिक अधिकार का भी कानून ठीक से नहीं बन पाया है। हम यह चाहते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार का कानून बन जाये और उसके संबंध में मसौदे पर विचार चल रहा है। यह भी विचार चल रहा है कि एक सैन्ट्रल एजुकेशन बिल बन जाये जिसमें तरह-तरह की समस्याओं पर विचार किया जाए। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इन समस्याओं पर हम विचार करेंगे। यह जटिल समस्या है, यह एक संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या भी है। इसका दो टूक जवाब नहीं दिया जा सकता कि हम कल से सारे विद्यालयों में एक समान शिक्षा कर देंगे।

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद अनेकों कमीशन बने, अनेकों कमेटीज बनीं, उनकी सिफारिशें भी आईं और माननीय मंत्री जी ने चिंता प्रकट की है तथा हमेशा से यह कहते रहे हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसे टाइम बाउंड करके समान शिक्षा की बात की जाती है, इस तरह की अनेक बातें कही जाती हैं। लेकिन बजट में जितना पैसा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, वह बहुत कम है। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए हम बजट में किसी भी तरह से कटौती करे, जैसे जब डिफेंस की आवश्यकता पड़ी तो हमने कटौती करके डिफेंस में ज्यादा पैसा दिया है, उसी तरह शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षा के ऊपर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगले

सैशन, में क्या जो 6 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश कोठारी कमीशन ने की है, उसे करवाने के लिए योजनाएं बनाएंगे, क्या इसके बारे में वे बताने का कष्ट करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं इस बात से सहमत हूं और हमने बार-बार कहा है कि शिक्षा पर सरकारी व्यय 6 प्रतिशत तक किये जाने की आवश्यकता है लेकिन जितने देश के साधन हैं, उनके अनुसार हम कोशिश यह करते हैं कि शिक्षा में वृद्धि की जाये। इस बार भी शिक्षा के बजट में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षा के लिए एक अलग से सैस लगाने की जरूरत है, वह भी लगाया जाये जिससे हम शिक्षा की असमानताओं और विषमताओं को दूर कर सकें। बिना 6 प्रतिशत सरकारी खर्च के, सामाजिक खर्चे के, शिक्षा का विकास और शिक्षा की क्वॉलिटी को हम ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि शिक्षा के बारे में, बजट आबंटन के प्रश्न पर वे मेरा पूरा समर्थन कर रहे हैं, मैं इसके लिए अपना आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस समर्थन का परिणाम जरूर मिलेगा।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : अध्यक्ष महोदय, कोठारी आयोग ने परीक्षा सुधारों की सिफारिश की है। हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षोन्मुखी है और अंक पद्धति प्रायः विषय परक है। वास्तव में, ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय के आचार्य तीन घंटे के उत्तर पत्रों की जांच तीन मिनट में करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ग्रेड देने अथवा आंकलन पद्धति अपनाने के लिए अंक पद्धति को बदलने के लिए विचार कर रही है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : सी.बी.एस.सी. ने, इस बार सी.बी.एस.सी. द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं, उनमें ग्रेड सिस्टम की सिफारिश की थी और अगले साल से कक्षा 12 में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव किया था। हम राज्यों के विभिन्न बोर्डों को लिख रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि वे भी ग्रेड प्रणाली को काम में लायें। हमारी दृष्टि से यह जरूरी है जिससे बच्चों के मन में जो फेल होने का तनाव रहता है या हीनता की भावना रहती है, वह नष्ट हो। राष्ट्र की मानव शक्ति और श्रम शक्ति भी जाया होने से बच सके, हम इसके समर्थक हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो चिंता प्रकट की और यह भी स्वीकार किया था कि आजादी के बाद लगातार समान शिक्षा की बात उठाई जा रही है, हम यह जानना चाहते हैं और पूरा सदन भी जानना चाहता है – ये तीन बातें हैं, एक तो हमारे यहां तीन पब्लिक स्कूल हैं, एक शिमला का, दूसरा देहरादून का दून स्कूल और तीसरा नैनीताल का – इन विद्यालय के कक्षा एक में प्रति छात्र कितना खर्च हो रहा है, वहीं पर कक्षा 6 व कक्षा 9 व 11 में प्रति छात्र प्रतिमाह कितना खर्च हो रहा है? चाहे वह संस्था के माध्यम से चलता हो? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों में आपके कक्षा 6 और 9 व कक्षा 11 में प्रति छात्र प्रतिमाह कितना खर्च हो रहा है और एक प्राइमरी स्कूल जो गांव का है, वहां प्रति छात्र कितना खर्च किया जा रहा है तथा वहीं पर जूनियर हाईस्कूल या इंटर कॉलेज में भी कक्षा 6 या 9 व कक्षा 11 में प्रति छात्र कितना खर्च किया जा रहा है? यह आप प्रस्तुत कर दें या यहां बता दें तो कम से कम पूरे सदन में आपका समर्थन तो हम करेंगे ही कि शिक्षा पर और ज्यादा बजट बढ़ाया जाये और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्हें भी इसमें पूरी मदद करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम ज्यादा सवाल कहां करते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि जो तीन साल का ग्रेजुएशन के लिए समय रखा गया है, क्या उसे हटाने के बारे में आप विचार करेंगे? आप और हम पढ़े हैं, हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन दो-दो साल में किया है। बड़े-बड़े विद्वान इस देश में हुए हैं, राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधान मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने दो-दो साल में ग्रेजुएशन किया है फिर यह तीन साल का समय ग्रेजुएशन के लिए रखने का क्या औचित्य है, एक साल का समय और धन क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या इस पुनर्विचार करके ग्रेजुएशन का समय दो साल करेंगे? अगर आपके पास इस समय आंकड़े नहीं हैं तो कृपया लिखकर भेजने का कष्ट करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : पहले प्रश्न के जवाब के लिए सूचना चाहिए, उसके अनुसार मैं जवाब दे दूंगा लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, उसमें मेरा यह कहना है कि 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश कोठारी कमीशन ने की थी और जो विश्व भर में जो प्रणाली प्रचलित है, उसी के आधार पर उन्होंने सिफारिश की थी। ज्ञान का बहुत विस्तार हो रहा है और धीरे-धीरे स्थिति यह आ रही है कि ग्रेजुएट्स की क्वॉलिटी घट रही है और जो विषय हम पढ़ाना चाहते हैं, जो ज्ञान हम देना चाहते हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी बन सकें, उसके लिए समय की कमी थी फिर साथ ही साथ माध्यमिक कक्षाओं से, सारे विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण देश के लोग आते हैं, माध्यमिक विद्यालय का स्तर भी ठीक नहीं था, कोठारी कमीशन की सिफारिश के आधार पर 10+2+3 प्रणाली को सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और मुख्य

मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया और यह प्रणाली बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आज सरकार के सामने 10+2+2 करने का कोई विचार नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कोर्स तो नहीं बदला है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अधिकांश विश्वविद्यालयों में कोर्स बदल गया है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, वह पूरा है अथवा नहीं। वह इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जैसे ठीक ही कहा गया है, यहां बड़ी संख्या में आयोग हैं, मुधलियार आयोग से लेकर कोठारी आयोग तक। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने आयोग गठित करने की इस प्रणाली को समाप्त किया, यद्यपि उन्होंने अच्छी रिपोर्टें दी थी, जिसने काफी हद तक राष्ट्र की सहायता की थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र के मनीषियों को सम्मिलित करके शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसकी प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। पांच वर्ष पूरे किए बिना ही, जैसा कि सिफारिश की गई थी, तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति की नियुक्ति की। निःसंदेह वह गांधीवादी, महान व्यक्ति हैं और उनकी नेकनीयती पर किसी को शंका नहीं है। किन्तु यह महसूस किया गया कि उस नीति को, जैसा श्री राजीव गांधी ने सुझाव रखा था, को मूल रूप से बदला जायेगा। इसलिए, एक अन्य समिति की नियुक्ति की गई।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, और भी सदस्य हैं, जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : अन्तिम समिति की सिफारिशें क्या हैं? आप कौन सी चीजें इस देश में शुरू करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, आचार्य राममूर्ति कमेटी के पश्चात् एक रिव्यु कमेटी श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसका उल्लेख इस उत्तर में नहीं है, क्योंकि हमने 1992 की संशोधित नीति में उन सब का समावेश किया हुआ है। 1992 में जब संशोधित नीति आई, तो उसमें श्री जर्नादन रेड्डी की कमेटी के समस्त तत्वों का समावेश किया जा चुका था। उसने भी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं और उन सिफारिशों में आचार्य राममूर्ति की सिफारिशों को लगभग माना ही नहीं गया है, बल्कि उन्होंने कुछ और भी सिफारिशें दी थीं। शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में उनमें से अधिकांश सिफारिशें मान ली गई हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक 6 वर्ष और 14 वर्ष के मध्य के आयु समूह वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार देने के लिए 1997 में संसद में लाया गया था। यह वास्तविक तथ्य है। किन्तु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार निरंतर संसद के बाहर इसका पक्ष लेती रही है किन्तु इसे लेकर संसद में नहीं आ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी सरकार है किन्तु वह अभी भी हमें यह विश्वास दिलाने की स्थिति में नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन विधेयक सभा में कब पेश किया जाएगा। हम मंत्री जी से दो टूक उत्तर चाहते हैं। कल इस सत्र का अन्तिम दिन है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या अगले सत्र में, सरकार इस विधेयक को लाएगी और पारित करेगी भी अथवा नहीं। हम मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1997 में एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद शिक्षा से संबंधित स्थायी समिति ने सिफारिशें कीं। उन सिफारिशों पर हमने विभिन्न मंत्रालयों में, राज्यों में और विधि मंत्रालय में चर्चा कर ली है। उसके पश्चात् एक विधेयक का प्रारूप बनाकर कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसे अभी एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स देख रहे हैं। शीघ्र ही वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात् हम विधेयक सदन में लायेंगे।

डी.डी.टी. की खपत

***704. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हमारे देश में डी.डी.टी. की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने डी.डी.टी. के अवशिष्ट भाग का मानव शरीर, खाद्य पदार्थों और अन्य पोषक तत्वों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या विदेशों में डी.डी.टी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में कृषि में डी.डी.टी. के इस्तेमाल पर 1989 से प्रतिबंध है। तथापि, मलेरिया और काला आजार के नियंत्रण के लिए जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन सीमित मात्रा में डी.डी.टी. का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन इस्तेमाल की गई डी.डी.टी. 50% डब्ल्यू.डी.पी. की मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)
1997-98	8542
1998-99	6800
1999-2000	7500

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार भारत में कच्चे खाद्य पदार्थों, सब्जियों, बोविन दूध आदि में डी.डी.टी. के अवशेषों सहित नाशक जीवनाशियों के अवशेषों का पता चला है। तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ऐसे भोजन को खाने के बाद रोग की घटना का उल्लेख हो। मानव स्वास्थ्य और खाद्य पोषकों पर डी.डी.टी. के प्रभाव के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व में कम से कम 23 देशों में रोग वाहक (वैक्टर) जनित रोग के नियंत्रण के लिए जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन अभी भी डी.डी.टी. का इस्तेमाल किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की दिनांक 17.3.2000 की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार डी.डी.टी. के स्थान पर कम प्रभावी अथवा अधिक महंगे विकल्पों के इस्तेमाल के लिए असामयिक परिवर्तन अवहनीय होने की संभाव्यता है। देशों को उन विकल्पों, जो स्थानीय रूप से उपयुक्त हैं और जिनका इस्तेमाल वहनीय है, का मूल्यांकन और चयन करने के लिए समय और साधनों की आवश्यकता है। इसी बीच, उन्हें पुन: यह आश्वासन भी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर मानव जीवनों को बचाने के लिए डी.डी.टी. का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

भारत में घरों में अवशिष्ट (रेजिड्यूअल) छिड़काव करके मलेरिया और काला आजार के नियंत्रण के लिए डी.डी.टी. का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक डी.डी.टी. का कोई अन्य प्रभावकारी और लागत-प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक उन क्षेत्रों में जहां रोग वाहक अभी भी डी.डी.टी. के प्रति अतिसंवेदनशील हैं, रोग के नियंत्रण के लिए डी.डी.टी. का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। मलेरिया और काला आजार के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा का निर्धारण करने के लिए 1997 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया है जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्र मिला है, जिसमें श्री सुरेश प्रभु, रसायन और उर्वरक मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं मंत्री जी को अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य यह नहीं चाहते तो, हम इसे स्थगित कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से सदन चल रहा है तब से एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें। क्या यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है?

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय यह ठीक नहीं है। यह कोई मामूली मामला नहीं है। हम इसे हल्के रूप में नहीं ले सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया, जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें मानव जीवन से संबंधित तथा मनुष्य के उपयोग में आने वाली सब्जियों और अन्य पदार्थों पर डी.डी.टी. का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी चाही है। मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि मानव स्वास्थ्य और खाद्य पोषकों पर डी.डी.टी. के प्रभाव के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अध्ययन करने के बारे में कोई प्रस्ताव आपके विचाराधीन है? इसमें बताया गया है कि जो सब्जियां मनुष्य उपयोग में लाता है उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो अब तक इसके अध्ययन न करने के कारण क्या हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय 1989 में डी.डी.टी. का कृषि फसल पर कीटनाशक के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिये, मैंने मंत्री जी को अनुमति प्रक्रिया के अनुसार ही दी है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, उन खुले क्षेत्रों में जहां कृषि उत्पादन होता है 1989 से वहां डी.डी.टी. के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथापि डी.डी.टी. के प्रयोग को केवल घर की चारदीवारी के भीतर तक सीमित किया गया है, जहां मच्छरों से संक्रमण बहुत अधिक है। अर्थात् जहां इसका सही ढंग से प्रयोग किया गया है। अतः जनता के स्वास्थ्य पर डी.डी.टी. के प्रयोग के बुरे प्रभाव को काफी हद तक न्यूनतम किया गया है। तथापि, जैसा कि माननीय सदस्यों ने सिफारिश की है, हम खाद्यान्नों और अन्य मदों पर इसके बुरे प्रभावों का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा अध्ययन कराने पर भी विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार, मैंने मंत्री जी को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि डी.डी.टी. का प्रयोग विश्व के कई देशों में बंद कर दिया गया है या प्रतिबंधित है। आपने लिखा है कि 23 देशों में इसका प्रयोग चालू है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन देशों ने इसे बंद किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, आप माननीय सदस्यों की बात सुन लीजिए तो सदन शांत हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : महोदय, इसकी जो रोग वाहकों के प्रति रोग निरोधक क्षमता है, उस दृष्टि से क्या आपने कोई अन्य वैकल्पिक द्रव्य खोजा है, जो कम लागत का हो और इसी के समान प्रभावकारी उपयोग का भी हो। ...*(व्यवधान)* जैसा आपने बताया कि कालाजार तथा मलेरिया में इसका उपयोग हो रहा है, क्या उसके स्थान पर किसी अन्य द्रव्य के उपयोग के बारे में आपका कोई विचार है? आपने बताया कि 1997 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया है, उस समूह ने आज तक अपनी कोई रिपोर्ट दी है अथवा कोई संस्तुति की है कि इस प्रकार के रोग वाहकों को प्रतिरोधक क्षमता वाला कोई अन्य द्रव्य उपयोग किया जा सकता है या नहीं, जैसे कि अन्य देशों में किया गया है क्योंकि वहां डी.डी.टी. पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या इस प्रकार का विचार सरकार के सामने है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे क्षेत्रों और देशों में जहां मलेरिया का संक्रमण काफी अधिक है, पहले से ही यह सिफारिश की है कि वहां डी.डी.टी. का उपयोग करने की वास्तव में आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुये कि ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए हैं, हमने इसका उपयोग पहले से ही कम कर दिया है और अब हम इसका उपयोग इस प्रकार करेंगे कि इससे जन स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, अब बहुत हो चुका। प्रक्रिया के अनुसार ही मैंने मंत्री महोदय को प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, 1997 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था, क्या उसकी कोई संस्तुति या रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है। अगर हुई है तो वह क्या है?

श्री सुरेश प्रभु : वही रिपोर्ट लाने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : 1997 में आपने अध्ययन दल का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट क्या है? अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कोई रिपोर्ट है भी या नहीं, कृपया इसका जवाब दें? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कुंवर अखिलेश सिंह, बस, बहुत हो चुका। यह सब क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं समझ सकता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री संभवत: यह नहीं मानते होंगे कि डी.डी.टी. क्या है और इसीलिए, श्री सुरेश प्रभु, जिनकी सभा में उत्तर देने की योग्यता से मैं भलीभांति परिचित हूं, को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ठीक ही कहा गया है। मैं केवल यह आशा करता हूं कि अगले सत्र में हम लोग जब मिलेंगे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे व्यक्ति होंगे जो सभा में प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने डी.डी.टी. के स्थान पर उपयोग करने के लिए कौन-कौन से विकल्प रखे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि विभिन्न एजेंसियां घर-घर जाकर आवश्यक छिड़काव करें। सरकार स्थानीय निकायों, विशेष रूप से पंचायतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांवों में भी छिड़काव कार्य किया जाये, कितनी धनराशि दे रही है?

श्री सुरेश प्रभु : भारत में केवल 40 मिलियन लोगों के लिए ही डी.डी.टी. का उपयोग किया जाता है। 38 मिलियन लोगों के लिए डी.डी.टी. के एक अन्य विकल्प, मेलाथियन का उपयोग किया जाता है। लगभग 48 मिलियन लोगों के लिए सिंथेटिक पाइरोथिराइड का उपयोग किया जाता है जो डी.डी.टी. का एक और विकल्प है। ऐसे अनेक वैकल्पिक तरीके हैं जिनका भारत में उपयोग और परीक्षण किया गया है। इनका उपयोग 35 मिलियन लोगों के लिए किया जाता है ताकि ऐसे स्थानों पर, जहां मलेरिया का संक्रमण काफी अधिक है, कुल 161 मिलियन लोगों को उससे बचाया जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के 161 मिलियन लोगों की मलेरिया से प्रभावित होने की संभावना है और इसलिए वहां मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न भागों में उन विभिन्न विकल्पों का उपयोग किया जाता है जिनका मैंने अभी-अभी जिक्र किया है।

मैं इस संबंध में तुरंत यह जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि छिड़काव कार्यों के लिए पंचायतों को कितनी धनराशि दी जाती है क्योंकि यह मुख्य प्रश्न का भाग नहीं है। तथापि, जैसाकि माननीय सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूंछा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से यह आश्वासन दूंगा कि यह जानकारी उन्हें यथाशीघ्र भेज दी जायेगी।

घुसपैठ

*708. **श्री[+] के.पी. सिंह देव :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद भारत में पड़ोसी देशों से उग्रवादियों सहित अवैध प्रवासियों की घुसपैठ बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसे घुसपैठियों की संख्या का कोई सटीक अनुमान है;

(ग) क्या ये अवैध प्रवासी देश में कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि भारत में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ में वृद्धि हो रही है।

(ख) घुसपैठियों की संख्या का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छुपे आते हैं और जातीय और भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता में आसानी से घुलमिल जाते हैं।

(ग) अवैध घुसपैठ के कारण आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याएं होती हैं और अनेक सामाजिक आर्थिक कठिनाईयां भी पैदा होती हैं।

(घ) घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सड़कों का निर्माण/सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करना, भूमि और नदी तटीय और तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त गहन करना, सीमा बुर्जों की संख्या बढ़ाना, सीमा पर तैनात टुकड़ियों को निगरानी उपकरण और नाईट विजन डिवाईसिस तथा भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील भागों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना शामिल है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी अनुदेश जारी किए गए हैं। अनेक राजनयिक पहलें भी की गयी हैं। स्थिति का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जाता है।

श्री के.पी. सिंह देव : प्रश्न के भाग (क) के बहुत बढ़िया उत्तर कि इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि भारत में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ में वृद्धि हो रही है, के बाद मेरा पहला प्रश्न यह होगा कि क्या उनकी घुसपैठ बढ़ रही है या कम हो रही है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह, आज तक की स्थिति के अनुसार यह स्पष्ट है कि भारत में घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ जारी है लेकिन ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि भारत में आप्रवासियों द्वारा अवैध रूप से प्रवेश करने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

श्री के.पी. सिंह देव : मुझे इसका उत्तर समझ में नहीं आया। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। क्या यह बढ़ रही है अथवा कम हो रही है? क्या उन्हें कोई जानकारी है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : यह जारी है। ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है जो यह बताये कि आजकल अवैध रूप से प्रवेश करने वाले आप्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. सुशील कुमार इन्दौरा, मैंने श्री सिंह देव को बोलने के लिए आमंत्रित किया है, आपको नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री के.पी. सिंह देव : अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। चूंकि माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है या कमी, इसलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा। उत्तर के भाग (घ) में यह बताया गया है कि घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। ये विभिन्न उपाय किस जानकारी पर आधारित हैं? किसी विश्वसनीय जानकारी के बिना आप किस प्रकार कोई आयोजना बना सकते हैं? अतः घुसपैठ को रोकने के लिए ये सभी उपाय किस आधार पर किए गए हैं?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष जी, यह सब को जानकारी है कि हमारी सीमाएं कई स्थानों पर बहुत पोरस हैं और खास करके बंगलादेश की ओर से लगातार इल्लिगल इम्मिग्रैंट्स द्वारा इनफिलट्रेशन होता रहा है लेकिन जितने अनुमान होते हैं, वे बिल्कुल मोटे-मोटे अन्दाज होते हैं और वे इस आधार पर होते हैं कि बॉर्डर पर खड़ी बी.एस.एफ. जैसा हमें बताती है कि एक साल में इतने लोगों को वापस भेज दिया, इतने लोग घुस आए। यदि मैं उस आधार पर जवाब दूं तो शायद कहना पड़ेगा कि जितनी कॉन्क्रीट इनफर्मेशन आई, उसके आधार पर पिछले दो-तीन साल में इनफिलट्रेशन घटा है जबकि मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता। सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वह घटा है या बढ़ा है? वह केवल यह कह सकती है कि वह जारी है। यदि जारी है तो उसके लिए उपाय होना चाहिए। उस उपाय योजना क उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में किया है। यह कहन कि पता नहीं वह घटा है या बढ़ा है तो उपाय योजना का क्या मतलब - यह सही बात नहीं है। हम मानते हैं कि इनफिलट्रेशन हो रहा है और इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिएं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने खास प्रश्न पूछा था। इन सभी उपायों के संबंध में आयोजना किस आधार पर की गई थी? उत्तर के भाग (घ) में कई उपायों का उल्लेख किया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आयोजना का आधार यही है कि ऐसा अभी भी हो रहा है। इसी आधार पर यह किया गया था।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत : मान्यवर, हमारे देश में अवैध घुसपैठ बंगलादेश की सीमा से अथवा पाकिस्तान की तरफ से निरन्तर होती रहती है, विशेष कर राजस्थान की 700 किलोमीटर लम्बी सीमा पर बहुत से पाकिस्तानी घुसपैठिए पाए गए। कश्मीर में उनकी गतिविधियां निरन्तर बढ़ी हैं। वहां कल सड़क के नीचे सुरंग बिछा कर एक मंत्री की हत्या की गई। वहां ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, गृह मंत्री जी द्वारा बार-बार टास्क फोर्स बनाने और सैन्य बलों तथा अर्द्ध सैन्य बलों की कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने के बावजूद, आप इन घुसपैठियों की समस्या पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार इस सम्बन्ध में कौन से कड़े कदम उठाने जा रही है? उनसे बातचीत करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है और आतंकवादियों और उनको पनाह देने वालों को छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इससे उनकी शक्ति में वृद्धि तो नहीं हो रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, घुसपैठियों को छोड़ने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जिन लोगों को रिहा किया गया है, वे घुसपैठिए नहीं, वे हमारे देश के लोग हैं। जिस स्टेज पर सरकार ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान से इस विषय में तब तक चर्चा नहीं करेंगे जब तक वह अपना क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म बंद नहीं करता, उसी समय यह उपयुक्त माना गया कि हम चाहे पाकिस्तान से चर्चा न करें लेकिन घर में यदि कोई लोग गलत रास्ते पर चले गए हैं, वे अगर बात करना चाहें तो हम बात करने को तैयार होंगे, हमारा यह दृष्टिकोण है।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं। हमारे देश में अवैध रूप से आये आप्रवासी अथवा विदेशी नागरिकों की कुल संख्या क्या है जिनका अभी तक पता लगाया गया है, पहचान की गई है और जिन्हें संबंधित देशों को, विशेष रूप से असम और कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों से वापस भेजा गया है?

यहां तक कि श्री प्रफुल्ल कुमार महंत, जो 15 अगस्त, 1985 को असम समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे, के नेतृत्व में गठित वर्तमान राज्य सरकार विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए कुछ न कर सकी। हम जानना चाहेंगे कि कितने विदेशी नागरिकों का पता लगाया है और कितनों को असम से बाहर निकाला गया है? हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि असम सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विदेशी नागरिकों के अबाधित प्रवेश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसके परिणामस्वरूप देश के लोगों की जातीय पहचान उनके स्वशासन के सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार अत्यधिक संकटग्रस्त हो गये हैं। ऐसी चिंताजनक स्थिति और अनेक कारकों ने हमें सरकार पर लोकतांत्रिक दबाव डालने के लिए मजबूर कर दिया है कि वह बोडोलैंड को बिना किसी और विलंब के एक पृथक राज्य बनाने के संबंध में हमारी लम्बे समय से की जा रही और उचित मांग को स्वीकार करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : संविधान के अनुसार अवैध रूप से आये आप्रवासियों को पकड़ने के लिए और उन्हें वापस भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह राज्य का विषय है। तथापि वर्ष 1998 के दौरान 7891 विदेशी देश से बाहर निकाले गये थे। जिसमें से 7584 आप्रवासी बंगलादेश के थे, 99 आप्रवासी म्यांमार के थे और 81 आप्रवासी श्रीलंका के थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैं देश से बाहर निकाले गये विदेशियों का देशवार ब्यौरा सभापटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने यह स्वीकार किया है कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले आप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। मैं इसके लिए गृह मंत्री जी को अवश्य बधाई दूंगा। जब आपके नेता असम जाते हैं तो वे कहते हैं कि वहां 30 लाख; 20 लाख और इसी तरह और कितने ही घुसपैठिए हैं। असम भारत का एक अंग है। क्या ऐसा नहीं है? आपने स्वीकार किया है कि वास्तविकता यही है।

दूसरी बात, यहां उत्तर के भाग (घ) में आपने कहा है कि सीमांत क्षेत्रों में सड़क बनाने, बाड़ लगाने और अन्य आवश्यक कार्य करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। क्या सीमांत क्षेत्रों के संसद सदस्यों को सरकारी तंत्र विश्वास में लेता है जिसका कार्य इस बात का पता लगाना है कि सबसे पहले कौन सी सड़क बनाई जाये, सबसे पहले कौन से पुल का निर्माण किया जाये आदि? बाड़ लगाने के संबंध में, कुछ क्षेत्र बाड़ लगाने हेतु बंगलादेश को यह कहकर दिए गए थे कि हमारे लिए वहां बाड़ लगाना संभव नहीं है। ऐसा करके आप कुछ भारतीयों को विदेशी नागरिक बना रहे हैं। वे अपने-अपने घरों को छोड़कर उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते।

जब हमारी सरकार थी तो घुसपैठ रोकने के लिए फेन्सिंग लगायी गयी थी तथा प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। अब, ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको पत्र लिखा है। करीमगंज में हाल ही में ऐसा हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या संबंधित संसद सदस्य, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित हो, को निर्माण किए जाने वाली सड़कों और पुलों का पता लगाने में विश्वास में लिया जाता है? दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं कि मान लू कि क्या आपकी सरकार आने के बाद असम में घुसपैठ पूर्णतया बन्द हो गया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुख्य प्रश्न के उत्तर में, मैंने कहा था कि घुसपैठ या अवैध आप्रवास बन्द हो गया है, यह दावा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, यह कहा गया था कि यह जारी है किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह बढ़ गया है? इसके लिए, उत्तर यह था कि यह कहना संभव नहीं है कि क्या यह बढ़ गया है। जो कहा गया था वह यह है कि यह जारी है और इस संबंध में कदम उठाये गए हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, जहां भी कांटेदार तारों वाली बाड़ लगायी जाती है, उदाहरण के तौर पर पंजाब और राजस्थान में, राज्य सरकारों को पूर्ण विश्वास में लिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी जो कुछ थोड़ा बहुत किया गया है, राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है। एक सुझाव दिया गया है कि सभी क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। सरकार इस सुझाव को नोट करती है।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मूल प्रश्न को टाल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि घुसपैठ बढ़ी है, जिसके कारण कल ही एक बड़ी अफसोसनाक घटना जम्मू-कश्मीर में हुई है जिसमें वहां के पावर मिनिस्टर को कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है। यह सारे देश के लिए एक अफसोस का मौका है। इसके पहले छत्तीसिंह पुरा में जो कांड हुआ और उसके बाद बी.एस.एफ. के कैम्पों पर और फौज पर अटैक हो रहे हैं, यह सब बाहर से इनफिल्ट्रेशन बढ़ने के कारण हो रहा है। क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म के तहत पाकिस्तान में जो कैम्प चल रहे हैं, वहां होने वाली ट्रेनिंग की वजह से सैकड़ों की तादाद में मिलिटेन्टस भारत में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठ कम हो रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यह नहीं कहा कि कम हो रही है।

श्री जे.एस. बराड़ : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद क्या आपके पास कोई विजन या पालिसी है कि क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म को आप देश में काउन्टर कर सकें। हम आप में सरदार पटेल का रूप देखते हैं, लेकिन इस मौके पर आप मूल प्रश्न को ही टाल रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है, खास तौर पर कल जम्मू-कश्मीर में जो नृशंस हत्या हुई है, उसके कारण यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, जो मेरी समझ में आती है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार इस बारे में सतर्क है और वहां की प्रदेश सरकार के सहयोग मे सब आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, असम का करीमगंज हिन्दुस्तान और बंगलादेश के बॉर्डर पर है और करीमगंज का विभाजन रिवर से हुआ है, उसका एक पार्ट बंगलादेश में है और एक पार्ट असम यानी हिंदुस्तान में है। करीमगंज के निवासियों के वहां रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। रोजाना हजारों लोग करीमगंज, बंगलादेश से करीमगंज असम हिंदुस्तान में आते हैं। वहां सबसे ज्यादा

घुसपैठिये करीमगंज से असम में हैं जो असम से सारे हिंदुस्तान में जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? यदि जानकारी है तो उन्हें सीमा पर रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : असम भी उन प्रदेशों में है जहां इल्लीगल इमीग्रेशन बहुत है। लेकिन अन्यान्य प्रदेशों में जहां डीपोर्टेशन फॉरेनर एक्ट के अधीन होता है, जिसमें सरकार को ज्यादा कदम उठाने की गुंजाइश होती है, उसके बजाय असम में कठिनाई है, क्योंकि वहां के लोगों के लिए एक स्पेशल कानून आई.एम.डी.टी. बनाया गया है, जिसके अधीन डीपोर्टेशन में दिक्कत है। इसलिए वहां बहुत सारे लोगों की मांग है कि शेष भारत में फॉरेनर एक्ट के अधीन कार्रवाई होती है, वैसे ही यहां हो। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी जैसा भी कानून है, उस कानून के सहारे हम करीमगंज या असम के बाकी भागों में जो भी कदम उठा सकते हैं, उठाते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 709 - अनुपस्थित।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की भर्ती

*710. **श्रीमती कैलाशो देवी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति के निर्देशों को बदलने अथवा संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो रीडरों और प्रोफेसरों की भर्ती के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये परिवर्तनों के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) वास्तव में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए आरक्षण नीति से संबंधित राष्ट्रपति के कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिशा-निर्देश हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त संगठन होने के कारण शिक्षणेत्तर पदों के लिए सरकार की आरक्षण नीति कार्यान्वित करते रहे हैं। शिक्षण पदों के लिए इस प्रकार की आरक्षण नीति का अनुपालन अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लेक्चरर स्तर तक किया गया है।

श्रीमती कैलाशो देवी : अध्यक्ष महोदय, क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफसर्स और रीडर्स के पदों पर रिक्रूटमैंट का एडवरटाइजमैंट अखबारों में निकालना आवश्यक है या बैकडोर से हो जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह जरूरी है या नहीं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो पद सृजित हैं, जो यू.जी.सी. के द्वारा सैंक्शंड हैं, जिन पर हम डायरेक्ट रिक्रूटमैंट यानी सीधी भर्ती के द्वारा भर्ती करते हैं, लेकिन उन सबके लिए विज्ञापन देना अनिवार्य है और उसके नियम भी हैं और अनेक विश्वविद्यालय उन नियमों का पालन हमेशा करते रहते हैं। राज्यों के स्तर पर भी यही नियम लागू होते हैं और ऐसे पदों के लिए अखबारों में विज्ञापन निकालना आवश्यक है।

श्रीमती कैलाशो देवी : एस.सी. और एस.टी. का जो बैकलॉग है, वह कहां तक पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास भिन्न-भिन्न राज्यों की सूचना है, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों की सूचना मेरे पास नहीं है। वह एकत्रित करने के बाद आपको दी जा सकेगी। अभी आप मुझे लिखित में नोटिस दें तो मैं आपको बाद में दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है। मैं केरल राज्य में योजना के कार्यान्वयन के बारे में माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। उस राज्य में उन्होंने अनुपात कम करने हेतु केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया है। केरल में कुछ शिक्षण कालेजों में अब छात्रों को प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। ...*(व्यवधान)*

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पूछ रहा हूं। यह भी एक पहलू है। मेरा कहना है कि आपने अध्यापक - छात्र अनुपात को 10:1 तक कम कर दिया है। इस कारण केरल राज्य में आधे शिक्षण कालेजों की मान्यता समाप्त हो जायेगी तथा आधे से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को निकाल दिया जायेगा। इसका क्या उपचार है? आप इस मामले में क्या कर सकते हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। अगर सम्मानित सदस्य इसका नोटिस देंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।

क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त कालेजों में भी आरक्षित स्थानों की अनदेखी करने हेतु तदर्थ आधार पर और वार्षिक आधार पर भी व्याख्याताओं या रीडरों की नियुक्ति की एक नयी योजना प्रारम्भ की गयी है? क्या यह योजना यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत की गई है या क्या केवल आरक्षण नीति से बचने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं ऐसा किया जा रहा है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : रिजर्वेशन पालिसी को बाई-पास करने का हमारा कोई निर्देश नहीं है और न ही यू.जी.सी. की तरफ से ऐसे कोई निर्देश हैं। जबकि होता यह है कि अधिकांश स्थानों में भर्तियां राज्य का उच्च शिक्षा आयोग करता है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा बोर्ड या उच्च शिक्षा आयोग नियुक्तियां करता है तथा नियुक्तियों में विलम्ब होता है। सेमिस्टर बर्बाद होने तथा शिक्षण की क्षति के लिए कतिपय राज्यों में छात्रों को अनुमति दी गयी है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : कितनों को नियमित किया गया है? क्या मैं उसके बारे में भी जान सकता हूं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं; हम नहीं कह सकते हैं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : कितनों को नियमित किया गया है? इससे सही जानकारी प्राप्त होगी कि क्या इस पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में इस प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। आपने जो कुछ कहा है वह राज्य विश्वविद्यालयों के लिए ही सही है। यदि आप मुझे नोटिस देंगे तो मैं यह पता लगाऊंगा कि कितने कालेजों और संस्थानों में ये तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं।

किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्तियां नहीं की गयी हैं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जब भी अनुसूचित जाति के प्रोफेसर्स और लैक्चरार के पद निकलते हैं तो ''सूटेबल कैंडीडेट्स नाट फाउंड'' कहकर उन पदों को भरा नहीं जाता है। इसके साथ-साथ क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जा रहा है, क्या ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध यू.जी.सी. के अनुदान को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि न्यायिक विवाद के कारण इस रिजर्वेशन पॉलिसी का अनुपालन नहीं कर पाई है। बाकी कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जहां यूजीसी द्वारा दिशा निर्दिष्ट आरक्षण पॉलिसी का अनुपालन न किया गया हो। अगर सम्माननीय सदस्य के पास किसी विश्वविद्यालय के बारे में ऐसी सूचना है कि वहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो मुझे लिखित में दें, मैं यूजीसी को तत्काल लिखकर इसकी जांच करवा दूंगा।

[अनुवाद]

मानवाधिकार और कर्त्तव्य

***713. श्री[+] सिमरनजीत सिंह मान :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3004 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर ''मानवाधिकार और कर्त्तव्य'' को एक अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने सिफारिश की कि स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में मौलिक कर्त्तव्य पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों की दिशा और दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समिति ने उच्चतम और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित करने की भी सिफारिश की।

समिति की अन्य सिफारिशों में मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति जागृति और चेतना उत्पन्न करना, विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करना, पर्यावरण का संरक्षण और बचाव, लैंगिक पक्षपात को दूर करना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का पुन: अभिविन्यास करना, पंचायतों से लेकर संसद तक जनता के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना, लोक प्रशासन और सिविल कर्मचारियों का दायित्व, न्याय प्रशासन, मौलिक कर्त्तव्यों की अवधारणा और व्यवहार के मूल्यांकन और अन्तरराष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापार, उद्योग और जन प्रचार की भूमिका सम्मिलित है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान मानव अधिकार शिक्षा पहल को ''मानव अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य शिक्षा पहल'' के संबंध में समझा जाना चाहिए।

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनकी आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दी गई है।
- एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशनों में प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 51क का मुद्रण।
- एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किये जा रहे नए/संशोधित पाठ्यक्रम ढांचे में मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय मूल्यों के मापदंड शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मानव अधिकार शिक्षा योजना को ''मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा'' का नाम दिया जाए।
- मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा पर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए सत्रह विश्वविद्यालयों का पता लगाया गया।
- मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए यू.जी.सी. द्वारा पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया है।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट भी सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, यह ठीक है, मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

श्री रामदास आठवले : मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं कोई सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : कोई और सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं?

प्रश्न संख्या 714.

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाएं

***714. श्री चन्द्रकान्त खैरे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक सूचना, जिसमें विवरणिका और प्रवेश फार्म भी सम्मिलित हैं, को इन्टरनेट पर डालने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस बारे में क्या अन्य सुझाव दिये गये हैं;

(ग) इस पर विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन्टरनेट पर सारी सूचना कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां। शिक्षा विभाग ने दिल्ली के विश्वविद्यालयों सहित अपने अधीन सभी स्वायत्त संगठनों को यथाशीघ्र वेब आधारित शैक्षिक सूचना और सेवाओं को शुरू करने के लिए कहा है। जहां तक इन्टरनेट पर प्रवेश फार्मों की व्यवस्था का संबंध है ऐसे निर्णय स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जा रहे हैं।

दिल्ली के विश्वविद्यालयों की वर्तमान वेबसाइट स्थिति

दिल्ली के विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी वेबसाइट स्थिति नीचे दर्शाए गए अनुसार है:-

(1) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना वेबसाइट जुलाई, 1999 में शुरू किया है और आवेदन फार्मों सहित प्रवेश से संबंधित सूचना को इन्टरनेट पर उपलब्ध करा दिया है। कोई भी व्यक्ति विवरणिकाओं, प्रवेश आवेदन फार्मों और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचना को प्राप्त करने के लिए वेबसाइट एच.टी.टी.पी./इग्नू-शिक्षा/डाउन लोड.एच.टी.एम. का उपयोग कर सकता है। यह वेबसाइट निरन्तर अद्यतन किया जाता है।

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रमों और प्रवेश अपेक्षाओं से संबंधित सूचना का संकलन कर रहा है। विश्वविद्यालय ने सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है और प्रवेश के समय छात्रों के लाभ के लिए डाटा बेस सूचना विकसित करने का आश्वासन दिया है।

(3) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट आरंभ की है तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश आवेदन पत्रों के अतिरिक्त प्रवेश संबंधी सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी गई है। वेबसाइट पते एच.टी.टी.पी.://डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. जे.एन.यू.-ए.सी.इन. द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय छात्रों के लिए वेबसाइट पर प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जताई है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के प्रवेश पटल या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी राष्ट्रिक छात्रों के लिये प्रवेश संबंधी सूचना के साथ-साथ आवेदन पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध कराये गये हैं जिन्हें वेबसाइट एच.टी.टी.पी.://डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. जे.एन.यू.-ए.सी.इन. /फोरेन, एच.टी.एम.एल. से डाऊनलोड किया जा सकता है।

(4) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जे.एम.आई.)

जामिया मिलिया इस्लामिया ने सूचित किया है कि जैसे ही विवरण पत्रिका छपेगी तथा समाचार पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया जायेगा, प्रवेश संबंधी सूचना एक सप्ताह के अन्दर इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(5) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.यू.)

गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कार्यक्रमों में वर्ष 2000-2001 के लिये प्रवेश प्रक्रिया संबंधी सूचना डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. जीजीएसआईपीयू.एन.आईसी.इन पर उपलब्ध कराई गई है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर डीटेल में आया है इसलिए मैं कोई सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहता।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, उसमें बिहार के जिलों के बारे में बताया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में 55 जिले हैं तो 28 जिलों में देने का क्या औचित्य है? यह उत्तर के एनैक्सचर-3 में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न 714 के संबंध में पूछ रहे हैं?

श्री राजो सिंह : मैं प्रश्न 714 के संबंध में ही पूछ रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है और प्रश्न 714 के उत्तर में कोई ऐनेक्सचर भी नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे बिहार प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और यहां आकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई प्रयास करना चाहेंगे जिससे बिहार के स्तर पर ही, हमारे राज्य की शिक्षा का स्तर थोड़ा उच्च कर दिया जाए ताकि दिल्ली का बोझ आने वाले दिनों में घट सके और क्या हमारे राज्य में अधिक संसाधन देकर बिहार जैसे प्रांत को शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी करने का अवसर देंगे ताकि जो विद्यार्थी 2000 किलोमीटर दूर से यहां आकर शिक्षा लेते हैं वे अपने राज्य में ही शिक्षा प्राप्त कर सकें?

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न वैबसाइट के द्वारा प्रवेश देने के संबंध में है। बिहार के लोग यहां कम आएं या ज्यादा आएं, इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैब साइट पर यह जानकारी देने हेतु उठाये गए कदमों की मैं प्रशंसा करता हूं, किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि पी.एम.टी. जैसी परीक्षाओं में बहुत दुराचार चल रहा है। मुझे विश्वास है कि यह माननीय मंत्री महोदय की भी जानकारी में होगा। मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि परिणाम वैबसाइट पर निकाले जायें ताकि जहां तक परीक्षा परिणाम का संबंध है छात्रों के लिए पूर्ण पारदर्शिता उपलब्ध हो सके।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम पी.एम.टी. परीक्षा आयोजित नहीं करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह केवल एक उदाहरण है, जो मैंने दिया है ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं निश्चित रूप से इस सुझाव का स्वागत करता हूं तथा इस सुझाव पर विचार करने हेतु इसे यू.जी.सी. और अन्य परीक्षा निकायों को भेज दूंगा।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, कुछ विदेशी विश्वविद्यालय दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अपने संस्थान प्रारम्भ करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के लिए सरकार क्या मानदण्ड और विनियम लागू करने जा रही है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आवासीय सांख्यिकी सूचना प्रणाली

***701. श्री के.एच. मुनियप्पा:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन (एन.बी.ओ.) आवासीय सांख्यिकी सूचना प्रणाली और डाटा बैंक के माध्यम से भवनों, राष्ट्रीय स्तर पर आवासीय सुविधाओं के बारे में सूचना और आंकड़े एकत्र करता है;

(ख) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और महानगरों में रह रहे अ.जा./अ.ज.जा. के उन परिवारों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास आज की तारीख को अपना आवास/रिहायशी सुविधाएं नहीं हैं; और

(ग) उपरोक्त लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन से विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय भवन संगठन (एन.बी.ओ.) सामान्यत: आवास और भवन निर्माण कार्यकलाप के बारे में सूचा एकत्र करता है, आम जनता या अनु.जा./अनु.ज.जा. के लाभार्थियों को रिहायशी मकानों के आबंटन के बारे में नहीं। अपनी गतिविधियों के भाग के रूप में, एन.बी.ओ. आवास और आवासीय सुविधाओं के आंकड़े भी एकत्र करता है, परन्तु ये आंकड़े विशेषरूप से अ.जा./अ.ज.जा. के लिए नहीं होते। ये आंकड़े विभिन्न सरकारी संगठनों मुख्यत: भारत के महापंजीयक कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होते हैं। अपेक्षित प्रपत्र में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

तथापि, भारत के महा पंजीयक की जनगणना (1991) के आंकड़ों के अनुसार 0.66% अ.जा. और 0.05% अ.ज.जा. परिवार ऐसे थे जिनके पास कोई अलग कमरा नहीं था, इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 में अनु.जा./अनु.ज.जा. सहित कमजोर वर्गों की आवास आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 का एक उद्देश्य अनु.जा./अनु.ज.जा. और अन्य कमजोर वर्गों को किफायती आवास और आश्रय के विकल्प सुलभ कराना है। किन्तु, चूंकि आवास राज्य का विषय है इसलिए अनु.जा./अनु.ज.जा. और अन्य कमजोर वर्गों को रिहायशी वासों के आबंटन में वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षण करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऐसे अ.जा. परिवारों का प्रतिशत जिनके पास कोई कमरा नहीं है			ऐसे अ.ज.जा. परिवारों का प्रतिशत जिनके पास कोई कमरा नहीं है		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.48	0.64	—	0.50	0.53	0.13
3.	असम	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
4.	बिहार	0.05	0.05	0.07	0.02	0.02	0.07
5.	गोवा	0.96	1.50	0.23	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
7.	हरियाणा	0.02	0.02	0.06	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	आंकड़े संकलित नहीं					
9.	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.13	0.04	0.79	0.82	0.22
10.	कर्नाटक	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.01	0.00	0.02	0.07	0.07	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03
14.	मणिपुर	0.05	0.04	0.06	0.00	0.00	0.02
15.	मेघालय	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.09	0.00	0.12	0.01	0.01	0.01
17.	उड़ीसा	0.05	0.05	0.07	0.01	0.01	0.01
18.	पंजाब	0.01	0.00	0.02	- उपलब्ध नहीं -		

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	राजस्थान	0.17	0.12	0.39	0.14	0.08	1.13
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
22.	त्रिपुरा	0.19	0.18	0.27	0.21	0.20	2.57
23.	उत्तर प्रदेश	0.12	0.11	0.25	0.97	0.20	0.62
24.	पं. बंगाल	0.07	0.03	0.29	0.14	0.04	1.30
25.	चण्डीगढ़	0.08	0.06	0.08	—	—	—
26.	दादर एवं नगर हवेली	0.16	0.18	0.00	0.01	0.01	0.00
27.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	0.01	0.02	0.01	- उपलब्ध नहीं -		
29.	पांडिचेरी	0.02	0.00	0.04	- उपलब्ध नहीं -		
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	- उपलब्ध नहीं -			0.05	0.05	0.00
31.	लक्षद्वीप	- उपलब्ध नहीं -			0.00	0.00	0.00

ब्याज दर में वृद्धि

*705. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको का विचार कमजोर वर्गों के लिए आवास ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कमजोर वर्गों के लिए ऋण पर ब्याज दर में ऐसी वृद्धि से बचने के लिए वित्तपोषण की किसी वैकल्पिक प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हुडको ने भी अपना इक्विटी आधार बढ़ाये जाने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए मौजूदा 10% की ब्याज दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वृद्धि का यह प्रस्ताव हडको की अधिक उधार-लागत तथा 20 लाख आवास निर्माण कार्यक्रम सहित, विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में मकानों के वित्तपोषण के आलोक में किया गया है।

(ग) और (घ) हडको ने प्रस्ताव किया है कि उसे (हडको को) विकल्पत: या तो प्रत्यक्षत: इमदाद (सब्सिडी) दी जाए या परोक्षत: कर मुक्त बाण्ड जारी करने, बैंकों के प्राथमिकता सेक्टर से धन पाने तथा आयकर स्टाम्प शुल्क आदि से छूट पाने जैसे प्रोत्साहनों की सुविधा दी जाए।

(ङ) और (च) हडको की अधिकृत पूंजी हाल ही में 385 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1250 करोड़ रुपये की गयी है, जिसमें चुकता पूंजी 898 करोड़ रुपये है।

बालिका समृद्धि योजना

***706. श्री कोलुर बसवनागौड:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर कर्नाटक में बालिका समृद्धि योजना क्रियान्वयन हेतु 1999-2000 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से उक्त योजना के अंतर्गत बजट-आवंटन बढ़ाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार का राज्यों को इस प्रयोजनार्थ अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) बालिका समृद्धि योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए राशि का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। कर्नाटक राज्य को 151.35 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2000-2001 से आगे के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि का आबंटन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पहले निर्मुक्त राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए राशि का राज्य-वार आवंटन

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	निर्मुक्त राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	146.35
2.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.21
4.	असम	143.66
5.	बिहार	712.46
6.	चण्डीगढ़	1.28
7.	दमन एवं दीव	0.47
8.	दिल्ली	12.54
9.	दादर व नगर हवेली	-
10.	गोवा	2.23
11.	गुजरात	105.49
12.	हरियाणा	57.66
13.	हिमाचल प्रदेश	18.50
14.	जम्मू व कश्मीर	35.00
15.	कर्नाटक	151.35
16.	केरल	54.62
17.	लक्षद्वीप	0.26
18.	मध्य प्रदेश	366.90
19.	महाराष्ट्र	304.95
20.	मणिपुर	7.65
21.	मेघालय	11.90
22.	मिजोरम	2.06
23.	नगालैण्ड	3.54

1	2	3
24.	उड़ीसा	221.41
25.	पाण्डिचेरी	3.35
26.	पंजाब	28.28
27.	राजस्थान	217.12
28.	सिक्किम	2.17
29.	तमिलनाडु	158.77
30.	त्रिपुरा	11.60
31.	उत्तर प्रदेश	935.94
32.	पश्चिम बंगाल	275.18
	जोड़	4000.00

महिला समाख्या कार्यक्रम

***707. श्री जी.जे. जावीया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) इन राज्यों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि नियत की गई;

(घ) इस संबंध में अन्य कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लड़कियों को देवदासी पेशा अपनाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) महिला समाख्या कार्यक्रम असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। हाल ही में यह कार्यक्रम केरल में भी शुरू किया गया है।

केरल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में कराए गए मूल्यांकनों के अनुसार:

- महिलाओं के सशक्तीकरण से शिक्षा के लिए मांग में वृद्धि हुई है तथा सभी जिलों में महिलाएं साक्षरता के लिए आग्रह करने लगी हैं।
- ग्राम स्तर पर संघ, ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल कार्यान्वयन, शिक्षकों का नियमित रूप से स्कूल आना सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जहां संघ अपने गांवों में बच्चों, खासकर लड़कियों, के लिए औपचारिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
- ग्राम्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण की नींव पड़ गई है।
- संघ साक्षरता, स्वास्थ्य, बचत, पानी, शिशु देखरेख और आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों में बदलाव के लिए समर्थन जुटाने, आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें अभिव्यक्त करने तथा कार्रवाई कराने के काम में सफल रहे हैं।
- महिला समाख्या कार्यक्रम निर्धन और सीमांत महिलाओं तक पहुंचा है जो सामाजिक बाधाओं को दूर करने में सफल हुई हैं तथा बाल विवाह, बाल मजदूरी तथा महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों को हल कर रही हैं।
- महिलाओं को उनके समुदाय के भीतर महिला के रूप में तथा एक समूह के रूप में उनकी भूमिकाओं को सार्वजनिक पहचान मिली है।

गत तीन वर्षों तथा इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि नीचे दी गई है:

वर्ष	निर्धारित धनराशि (रु. करोड़ में)
1997-98	6.0
1998-99	7.5
1999-2000	7.5
2000-2001	10.0

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, राजस्थान में लोक जुंबिश कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के

लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की केन्द्रीय योजना, छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन को बढ़ावा देने की योजना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिला छात्रावास की योजना, नवोदय विद्यालय योजना, तकनीशियन शिक्षा कार्यक्रम चरण-1 और 2 में भी बालिका/महिला शिक्षा घटक हैं।

देवदासी प्रथा, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, पर कानूनन रोक लगा दी गई है। इस प्रथा के वाणिज्यिक पहलुओं पर अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू हैं। महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री तथा उन्हें गलत ढंग से नजरबंद करने के विरुद्ध पर्याप्त कानूनों के माध्यम से इसे और संपूरित किया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में महिला समाख्या कार्यक्रम के तहत संघटित महिलाओं ने अपने गांवों में लड़कियों के देवदासी बनने पर रोक लगा दी है।

विद्रोही नागाओं के ग्रुपों से बातचीत

***709. डा. नीतिश सेनगुप्ता:**
श्री के.ए. सांगतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्रोही नागाओं के ग्रुपों के साथ नए सिरे से बातचीत सुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या शर्तें रखी गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नागालैण्ड सरकार को बचे-खुचे विद्रोह से निपटने के लिए प्राधिकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दो प्रतिद्वन्द्वी ग्रुपों अर्थात एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (के) के साथ एक साथ बातचीत करने और राज्य में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ इस समय युद्ध विराम चल रहा है, जो 31.7.2000 तक वैध है। चूंकि बातचीत चल रही है, ब्यौरे बताना उचित नहीं होगा।

हाल ही की प्रेस विज्ञप्ति में, एन.एस.सी.एन. (क) ने भारत सरकार के साथ औपचारिक युद्ध-विराम करने की पेशकश की है।

नागालैण्ड की राज्य सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने में स्वयं पूर्णतः सक्षम है।

भारत सरकार को उम्मीद है कि दोनों एन.एस.सी.एन. ग्रुप हिंसा समाप्त करेंगे और बातचीत के लिए आगे आएंगे।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री का एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

***711. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों विशेषरूप से मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जिन शहरी क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसके अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) नवम्बर, 1995 में शुरू किया गया और स्कीम को 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक नए एकीकृत कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित घटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम मूल रूप से 345 श्रेणी-2 शहरी समूहों पर लागू था। मध्य प्रदेश सहित 345 श्रेणी-2 शहरी समूहों की राज्यवार सूची विवरण-3 में दी गई है। यह स्कीम बाद में पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्रों के जिला कस्बों पर लागू की गई। इन कस्बों के नाम संलग्न विवरण-4 में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन जारी की गई कुल केन्द्रीय धनराशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-5 में दिया गया है।

विवरण-1

प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

कार्यक्रम में समुदाय, शहरी स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए भी संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम में, निजी क्षेत्र से अंशदान लेकर एक राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष (एन यू पी ई एफ) के सृजन का भी प्रावधान है, जो 100% आयकर मुक्त है।

न्यूनतम 100 परिवारों वाले हर परिवेश समूह के लिए समुदाय, स्कूल-पूर्व/व्यावहारिक साक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सांस्कृतिक केन्द्र आदि के रूप में कार्य करने के लिए बहु उद्देश्यीय समुदाय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जो हरेक लगभग 300 वर्गफुट का होगा।

कार्यक्रम में, कौशल विकास के जरिए अल्प रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार शहरी गरीब युवाओं के लिए सर्विसिंग, छोटा-मोटा कारोबार तथा निर्माण से जुड़े लघु उद्यम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसकी अधिकतम यूनिट लागत 1 लाख रुपये तक होगी जो बैंक ऋण के रूप में होगी, जिसमें परियोजना लागत की 15% सब्सिडी होगी, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 7500/- रुपये तक होगी। बैंक के निर्णय के अनुसार 6 माह से 18 माह तक के आरंभिक स्थगन काल के बाद ऋण वापसी की समय-सीमा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की होगी।

कार्यक्रम में शहरी गरीबों के आश्रय के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसमें हडकों/वाणिज्यिक बैंकों सहित अन्य किसी वित्तीय संस्था से 10,000/- रु. तक का ऋण घटक होगा, बशर्ते कि लाभार्थी को जमीन का हक (टाइटल) प्राप्त हो। प्रति इकाई अधिकतम 2500/- रुपये की सीमा तक 25% सब्सिडी दी जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 60:40 आधार पर जल आपूर्ति, सामान्य सफाई, कूड़ा और कचरा निपटान के साथ-साथ छोटे-मोटे निर्माण कार्य जैसे, सड़क का खडंजा, नालियां, सामुदायिक स्नानघर/शौचालय आदि जैसी बुनियादी भौतिक सुविधाएं समग्र कस्बा आधार पर मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

सामुदायिक कार्यकलापों के लिए प्रति व्यक्ति लागत राशि पहले वर्ष 100 रु. प्रति व्यक्ति तथा अगले वर्षों में 75 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी।

विवरण-2

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत घटकों के नाम

क्र.सं.		घटक	निधियों में हिस्सेदारी केन्द्र:राज्य
1		2	3
(क)	(1)(अ)	ई.आई.यू.एस. के तहत बुनियादी भौतिक सुविधाएं	100% राज्य
	(ब)	स्थायी पुनर्वास क्षेत्रों में स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों को बुनियादी भौतिक सुविधाएं	60:40
	(2)	संपूर्ण कस्बा आधार पर प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भौतिक सुविधाएं-जल आपूर्ति, किफायती सफाई, कूड़ा-कचरा निपटान जैसी सुविधाएं जिनमें विशेष ध्यान शहरी गरीब बस्ती, में छोटे निर्माण कार्य (जैसे सड़कें, फुटपाथ, जल निकासी, सामुदायिक स्नानघर/शौचालय और छोटी सामुदायिक परिसंपत्तियां आदि) सम्मिलित हैं	60:40

1		2	3
(ख)	(1)	स्वरोजगार सृजन	60:40
	(2)	कौशल विकास/प्रशिक्षण (1000 रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह)	100% केन्द्र
	(3)	आश्रय उन्नयन जिसमें भूमि का स्पष्ट स्वामित्व रखने वाले शहरी गरीब को 2500/- रु. प्रति यूनिट की स्थल अवस्थापना सब्सिडी सम्मिलित है।	60:40
(ग)	बुनियादी विशेष	सुविधाएं प्रति व्यक्ति 100 की लागत प्रस्तावित	60:40
(घ)	(1)	(लगभग) सौ परिवारों के लिए उचित लागत पर बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र	50:50
	(2)	थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटियों (आवर्ती) कोष	100% केन्द्र
	(3)	एन.जी.ओ./सी.बी.ओ. को समुदाय संगठन सहायता	100% केन्द्र
	(4)	शहरी स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण बेंच मार्क सर्वे तथा प्रोजेक्ट परिवारों सहित	100% केन्द्र
	(5)	शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों कार्यालयों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	100% केन्द्र

विवरण-3

प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित 345 श्रेणी-II शहरी समूहों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. श्रीकाकूलम
2. तेडीपल्लीगुडेम
3. नरसरावपेट
4. नालकोंडा
5. अनाकापाल्ले
6. आदिलाबाद
7. चिलाकालूरीपेट
8. भरमाबरम
9. मदानपल्ले
10. तादीपारी
11. जगतियाल
12. बेलामपाल्ले
13. मंडममारी
14. कवली
15. मेरियालागडा
16. येम्मीगनूर
17. बोधान
18. काडिरी
19. तानूकु
20. बापातला
21. श्रीकलाहस्ती
22. सूर्यापेट
23. निर्मल

24. कागज नगर
25. पल्लाकोल
26. नरसाकोल
27. गडूर
28. पोन्नोरू
29. सिडीपेट
30. पलवंचा
31. मंछेरियाल
32. रायाचोटी
33. संगरेड्डी
34. सिरीशिला

बिहार

1. सासाराम
2. हजारीबाग
3. डेहरी
4. बेतियो
5. हाजीपुर
6. जमालपुर
7. देवघर
8. बेगुसराय
9. मोतीहारी
10. सीवान
11. रामगढ़
12. सहरसा
13. गिरिडीह
14. सीतामढ़ी
15. बगहा
16. किशनगंज
17. बरौनी
18. मोकामा
19. समस्तीपुर
20. गुमता
21. चिबासा
22. डालटनगंज
23. बक्सर
24. मधुबनी
25. झुमरी तलैया
26. लखीसराय
27. नवादा
28. जहानाबाद

गुजरात

1. पाटन
2. दोहाद
3. जेतपुर
4. कालोल
5. पालनपुर
6. खाम्भल
7. गोंदल
8. धोराजी
9. अंकलेश्वर
10. अमरेली
11. सावरकुंडला
12. बोताड
13. महुवा
14. दीसा
15. विसनगर
16. ध्रनगधरा

17. धोलका
18. उपलेता
19. सिधपुर
20. हिमतनगर
21. अंजार
22. बिलीमोरा
23. ऊंझा
24. कादी
25. विरांगल
26. दभोई
27. केशोद

कर्नाटक

1. कोलार
2. गंगावती
3. गगलॉट
4. रविसीयू
5. हरिहर
6. चिकमगलूर
7. राबकविबंहट्टी
8. चन्नापतना
9. दोदबल्लापुर
10. दानदेली
11. शाहाबाद
12. गोकाक
13. निपानी
14. अरवर
15. सिरसी
16. रामानगरम
17. चिन्तामणी

असम

1. नौगांव
2. तिनसुकिया
3. धुबरी
4. तेजपुर

गोवा

1. मारमागोआ
2. पणजी
3. मउगाव

हरियाणा

1. जिन्द
2. थानेसर
3. रेवाड़ी
4. कैथल
5. पंचकुला यू. स्टेट
6. हांसी
7. पलवल
8. बहादुरगढ़
9. नारनौल

केरल

1. कोडुनगल्लुर
2. कयामकुलम
3. चितुरथथामंगलम
4. पाय्यान्नुर
5. तालीपरम्बा
6. थिरूवल्ला
7. चंगनास्सेरी
8. पोन्नानी
9. कसरागोड

मध्य प्रदेश

1. छिंदवाड़ा
2. मंदसौर
3. चिखली कलांपरासिया
4. विदिशा
5. नीमच
6. रायगढ़
7. इटारसी
8. जगदलपुर
9. सरनी
10. मऊ कैंट
11. बुरहर-धानपुरी
12. नागदा
13. छत्तरपुर
14. सिहोर
15. कुरासिया
16. होशंगाबाद
17. धमतरी
18. बालाघाट
19. खारगोन
20. सिवनी
21. दतिया
22. बेतुल
23. शाहदोल
24. धार
25. जौरा
26. राजहरा झारन दल्ली
27. टीकमगढ़
28. अम्बिकापुर
29. बीना इटावा

महाराष्ट्र

1. अचलपुर
2. सतारा
3. बल्लारपुर
4. बार्शी
5. वसई
6. पंधारपुर
7. श्रीरामपुर
8. हिंगनघाट
9. नन्दरबार
10. चालीसगांव
11. अमलनेर
12. खामगांव
13. पर्ली
14. भंडारा
15. उदगीर
16. उस्मानाबाद
17. नालसोपारा
18. अकोट
19. मानमद
20. पंवेल
21. विरार
22. अम्बेजोगई
23. कराड
24. रत्नागिरी
25. पुसाद
26. हींगगोली
27. बुल्दाना
28. मल्कापुर

पंजाब

1. मलेरकोटला
2. फगवाड़ा
3. फिरोजपुर
4. एस.ए.एस. नगर
5. बरनाला
6. खन्ना
7. राजपुरा
8. मुक्तसर
9. कपूरथला
10. कोट कपूरा
11. फरीदकोट
12. फाजिलका
13. मल्लौट
14. संगरूर
15. मनसा
16. गुरदासपुर
17. नाभा
18. फिरोजपुर कैंट

राजस्थान

1. चुरू
2. हनुमानगढ़
3. किशनगढ़
4. सवाईमाधोपुर
5. झुंझुनू
6. चित्तौड़ गढ़
7. सुजानगढ़
8. गंगापुर शहर
9. बारमी
10. धौलपुर
11. नागौर
12. सरदारशहर
13. बांसवाड़ा
14. मकराना
15. फतेहपुर
16. बूंदी
17. हिंडौन
18. बारान
19. रतनगढ़
20. नवलगढ़

नागालैण्ड

1. दीमापुर
2. कोहिमा

उड़ीसा

1. भदरक
2. बालंगीर
3. ब्रजराज नगर
4. बारीपाड़ा
5. जेपुर
6. झारसुगुड़ा
7. सुनाबड़ा
8. बारगढ़
9. भवानीपटना
10. जतानी

विवरण-4

प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 1 लाख से कम आबादी वाले कस्बे

अरुणाचल प्रदेश

1. दोदमिला शहर (पश्चिम कामेंग)
2. ईटानगर (निचला सुबमसिवी)
3. अलौंग शहर (पश्चिम सियांग)
4. पासी घाट (पूर्व सियांग)
5. रैंग शहर (दिबंग घाटी)
6. तेज शहर (लोहित)
7. खोनसा शहर (तिख)

असम

1. कोकराझार
2. बनमईगांव
3. ग्वालपाड़ा
4. बारपेटा
5. नलबाड़ी
6. मंगलदोई (दरंग)
7. लखीमपुर
8. मारीगांव
9. गोलाघाट
10. शिवसागर
11. दिफू (करवी-अलौंग)
12. हफलौंग (उत्तरी कछार की पहाड़ियां)
13. करीमगंज
14. कैलाकांडी
15. धेमाजी

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. धर्मशाला (कांगड़ा)
3. हमीरपुर
4. ऊना
5. बिलासपुर
6. मंडी
7. कुल्लू
8. सोलन
9. बहान (सिरमौर)

मणिपुर

1. चुराचंदपुर
2. मोरेह (चंदेल)
3. थडबल
4. विष्णुपुर
5. लिलौंग (इम्फाल)

मेघालय

1. जवई
2. नौंगस्टोंइन
3. विलियमनगर
4. तुरा

मिजोरम

1. लंगलेई
2. सैहा (छिमतुईपुई)

नागालैंड

1. जबलेहबेटे
2. वोखा
3. मकोहुतुंग
4. वेबसांग
5. मोन

सिक्किम

1. मोंगन
2. गंगटोक
3. नमाजी
4. गेजिंग

तमिलनाडु

1. टामापट्टीनम
2. कुडेकोट्टई
3. भवानी
4. वनियनवदी
5. गुडईबट्टम
6. बिल्लुपुरम
7. उधानमंडलम
8. अरुपुकोट्टई
9. कोविलपट्टी
10. मयिलादुथुरूई
11. पलानी
12. अम्बूर
13. थिरूचेन्दूर
14. परमकड़ी
15. अरक्कोनम
16. विरुदूनगर
17. कडयावल्लूर
18. श्री विलढेकुटटूर
19. चिदंबरम
20. बोदीनयाक्कनूर
21. थेनी-अल्लिग्राम
22. मेटटूपल्लयम
23. तिरूचेनगुरू
24. तिन्दीवनम
25. कृष्णागिरी
26. अम्बसमुद्रम
27. धर्मपुरी
28. उदुमलयापट्टई
29. पट्टूरकोट्टई
30. देवरसोला
31. मन्नरगुड़ी
32. अत्तूर
33. तिरूपट्टूर
34. तेनकाशी
35. अरणी
36. चेंगलपट्टू
37. पुलीयनगुड़ी
38. रामानाथपुरम
39. वृद्धाचलम
40. तम्बम
41. पनरूति

उत्तर प्रदेश

1. ऊरई
2. बांदा
3. गौंडा
4. मुगलसराय
5. रूड़की
6. हरदोई
7. बस्ती
8. बलिया
9. चंदौसी
10. देवरिया

11. खुर्जा
12. लखीमपुर
13. ललितपुर
14. आजमगढ़
15. एटा
16. बाराबंकी
17. मैनपुरी
18. गाजीपुर
19. सुलतानपुर
20. कासगंज
21. बिजनौर
22. ऋषिकेश
23. शामली
24. टांडा
25. काशीपुर
26. बड़ौत
27. नजिमाबाद
28. देवबंद
29. बेला प्रतापगढ़
30. भदोई
31. शिकोहाबाद
32. मुबारकपुर
33. रुद्रपुर
34. सिकंदराबाद
35. बलरामपुर
36. कन्नौज
37. नवादा
38. महोबा
39. कैरीना
40. चांदपुर
41. शाहबाद
42. मवाना
43. सहसवान
44. औरिया
45. गंगाघाट
46. पिलखुवा

पश्चिम बंगाल

1. कोच विहार
2. पुरूलिया
3. वीरनगर
4. राजपुर
5. वनगांव
6. चकदाहा
7. दार्जिलिंग
8. जलपाईगुड़ी
9. चितरंजन
10. बिरलापुर
11. औरंगाबाद
12. विष्णुपुर
13. जांगीपुर
14. कटवा
15. सूरी
16. कोंटई
17. बोलपुर
18. गोबरदंगा

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्टब्लेयर

पाण्डिचेरी

1. कराईकल

जम्मू और कश्मीर

1. लेह
2. कारगिल
3. बारामूला
4. कुपवाड़ा
5. श्रीनगर*
6. बड़गांव
7. अनन्तनाग
8. कुलवामा
9. जम्मू*
10. कटरा
11. दादरा
12. ऊधमपुर
13. रजौरी
14. पूंछ

त्रिपुरा

1. धर्मनगर (उत्तर त्रिपुरा)
2. उदयपुर (दक्षिण त्रिपुरा)

गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)

1. चमोली
2. टेहरी गढ़वाल
3. उत्तर काशी
4. पौढ़ी-गढ़वाल
5. अल्मोड़ा
6. नैनीताल
7. पिथौरागढ़

*1 लाख से अधिक आबादी होने के कारण अब शामिल नहीं है।

विवरण-5

पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. के कार्यान्वयन के लिए 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान जारी केन्द्रीय राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश	जारी केन्द्रीय अंश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2219.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	163.91
3.	असम	580.73
4.	बिहार	1262.41
5.	गोवा	187.29
6.	गुजरात	1120.94
7.	हरियाणा	356.27
8.	हिमाचल प्रदेश	228.30
9.	जम्मू व कश्मीर	355.14
10.	कर्नाटक	1218.90
11.	केरल	549.47
12.	मध्य प्रदेश	1504.40
13.	महाराष्ट्र	1822.05
14.	मणिपुर	117.08
15.	मेघालय	81.55
16.	मिजोरम	47.25
17.	नागालैण्ड	231.83
18.	उड़ीसा	414.71
19.	पंजाब	693.27
20.	राजस्थान	1145.87
21.	सिक्किम	75.65
22.	तमिलनाडु	2091.07

1	2	3
23.	त्रिपुरा	46.82
24.	उत्तर प्रदेश	3090.67
25.	पश्चिम बंगाल	1069.92
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप	94.85
27.	पांडिचेरी	60.00
	कुल	20829.76

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अधिमान्यता लाभों की सामान्य प्रणाली

*712. **डा. जसवन्त सिंह यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका भारत के कृषि रसायनों और भेपज उत्पादों को अधिमान्यता लाभों की सामान्य प्रणाली संबंधी लाभों को प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उक्त लाभ कब तक दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) की अधिमानता की सामान्य प्रणाली (जी.एस.पी.) एकपक्षीय योजना है जिसके अन्तर्गत अधिसूचित वस्तुओं को जब भारत समेत विकासशील देशों से यू.एस.ए. में आयात किया जाता है तब उन पर अधिमानता लाभ प्रशुल्क प्राप्त होता है। इस समय भारत के कृषि रसायनों तथा भेपजीय उत्पादों का निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका की जी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल मदों की समीक्षा आम तौर पर हर वर्ष जून माह में की जाती है।

अनिवार्य शिक्षा

*715. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है; और

(ख) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सरकारी स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिए हैं। उन्नीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली ने अनिवार्य शिक्षा के लिए अपेक्षित कानून बनाए हैं।

वर्ष 1995-96 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 52वें दौर में 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग में बच्चों की आयु विशिष्ट उपस्थिति का राज्यवार अनुपात दिया गया है। तत्संबंधी स्थिति निम्नवत है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्यार्थियों का व्यापक आयु-वर्ग	
	6-10	11-13
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	75	60
अरूणाचल प्रदेश	65	82
असम	73	80
बिहार	43	58
गोवा	99	89
गुजरात	80	77
हरियाणा	83	87
हिमाचल प्रदेश	91	94
जम्मू और कश्मीर	69	82
कर्नाटक	75	70
केरल	97	97
मध्य प्रदेश	64	67

1	2	3
महाराष्ट्र	88	85
मणिपुर	69	87
मेघालय	69	94
मिजोरम	71	88
नागालैंड	71	85
उड़ीसा	63	66
पंजाब	85	86
राजस्थान	58	64
सिक्किम	77	90
तमिलनाडु	91	74
त्रिपुरा	81	84
उत्तर प्रदेश	61	66
पश्चिम बंगाल	67	74
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94	94
चंडीगढ़	87	95
दादरा और नगर हवेली	79	55
दमन और दीव	100	76
दिल्ली	84	95
लक्षद्वीप	97	98
पांडिचेरी	98	93
अखिल भारत	69	72

[हिन्दी]

''आई.सी.एस.एस.आर. के साथ आई.सी.एच.आर. का विलय''

***716. श्री तूफानी सरोज :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.सी.एस.एस.आर. (भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद) के साथ आई.सी.एच.आर. का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.सी.एच.आर. के कार्यकरण संबंधी श्वेतपत्र के प्रकाशन का कार्य अथवा ''टूवार्ड्स फ्रीडम'' संबंधी पुस्तक श्रृंखला के लिए कार्य कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन मामलों पर श्वेत-पत्र प्रकाशित करने का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) ''टूवार्ड्स फ्रीडम'' परियोजना चर्चा का विषय रही है। इसलिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने यह आवश्यक समझा कि एक स्थितिमूलक पत्र तैयार करके परियोजना से संबंधित तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से परिषद् में एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

भेषज उद्योग का कार्य-निष्पादन

***717. श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर भेषज उद्योग के कार्य-निष्पादन का सामान्य पुनरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) और राज्य औषध प्राधिकरण (एस.डी.ए.) की अभी हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है, और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या भेषज उत्पादकों के समक्ष आ रही मुख्य समस्याओं का मूल कारण नकली दवाओं की बिक्री बढ़ना है; और

(घ) यदि हां, तो नकली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) भेषज उद्योग की राज्यवार स्थिति की समीक्षा करने, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का कार्यान्वयन तथा औषध तथा सूत्रयोगों के उत्पादन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने, नकली औषधियों की बिक्री का संकट तथा अनुचित सम्मिश्रणों तथा लोगों में जागरूकता लाने इत्यादि के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा 26 अप्रैल, 2000, को राज्यों के औषध प्रशासन का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ) औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के आधार पर, औषधियों तथा भेषजों की गुणवत्ता नियंत्रण का काम संबंधित राज्यों द्वारा विनियमित होता है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का उपयोग

*718. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली का उपयोग खेल-कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के बजाय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है, क्या विशेषकर तब जब सिडनी, 2000 ओलंपिक बहुत नजदीक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जी, नहीं।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य कार्य क्षेत्र में एथलेटिक्स और फुटबाल के लिए खेल सुविधाएं हैं और परिसर क्षेत्रों में क्रिकेट, हाकी, टेनिस, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, वालीबाल और जिम्नास्टिक्स की खेल सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का केवल खेल संवर्धनकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण अपने कुल व्यय को पूरा करने के लिए, सरकार से योजनेत्तर बजटीय समर्थन के अलावा, खेलों से भिन्न कार्यकलापों से जुटाये जाने वाले राजस्व पर भी निर्भर करता है। इस प्रयोजनार्थ, स्टेडियम के अंदर और आसपास के बहुत से क्षेत्र जिनका खेलों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, को राजस्व जुटाने के लिए वाणिज्यिक आधार पर दे दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य कार्य क्षेत्र के अंदर उपलब्ध सुविधाओं को तभी किराये पर दिया जाता है यदि ये सर्वोत्कृष्ट एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल में न लाई जा रही हों। यदि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय टीम के लिए कोई प्रतियोगिता या प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निश्चित किया जाता है, तो उस स्थान का वाणिज्यिक कार्यकलापों या राजस्व जुटाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता।

केन्द्रीय सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण

*719. श्री नरेश पुगलिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बलों को शक्तिशाली बनाने और इनके आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बटालियनों का गठन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त और देश में आतंकवाद का सामना करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल किस हद तक समर्थ होंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्।

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। गत कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को आधुनिक और अधुनातम हथियार और उपस्कर उपलब्ध करवा कर उनकी मारक क्षमता का उन्नयन करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों को समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से तथा उग्रवादियों और आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों की चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों ने हथियारों और उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु एक पंचवर्षीय भावी योजनाएं तैयार की है। इन योजनाओं पर करीब 4000 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

ये योजनाएं, सन् 2000-01 से शुरू कर अगले वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित की जाएंगी बशर्ते कि वार्षिक बजट में धन उपलब्ध हो।

(ग) से (ङ) सरकार ने निम्नानुसार, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 12 अतिरिक्त बटालियनें अस्थाई आधार पर बनाने की मंजूरी दी है:

असम राईफल	–	5 बटालियनें
सीमा सुरक्षा बल	–	3 बटालियनें
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	–	4 बटालियनें

इन बटालियनों के सृजन पर कुल 260 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों के लिए 5 इण्डिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी भी दी गई है:–

जम्मू और कश्मीर	–	2
हिमाचल प्रदेश	–	1
त्रिपुरा	–	1
पंजाब	–	1

इन बटालियनों के बनाने पर प्रारंभ में 65 करोड़ रुपये की अनावर्ती लागत आएगी।

इन आधुनिकीकरण की योजनाओं तथा अतिरिक्त बटालियनें बनाने से केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को देश में आतंकवाद का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की भावी आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी ग्रुप का गठन किया गया है।

जय विज्ञान मिशन

*720. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन को राज्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत किन परियोजनाओं को आरंभ किया गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस मिशन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हां, देश भर के विभिन्न राज्यों में दस वैज्ञानिक विभागों द्वारा समन्वित की जा रही 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाएं बहुत से अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एन.जी.ओ. आदि में क्रियान्वित की जा रही हैं। इन मिशन कार्यक्रमों का मूलभूत उद्देश्य मानव की सेवा में विज्ञान है। कार्यक्रम प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों जैसे खाद्य सुरक्षा, जर्मप्लाज्म संरक्षण, हर्बल उत्पाद विकास, फसल सुधार, नये टीकों और नैदानिकों का विकास, हल्के परिवहन वायुयान (एल.टी.ए.) का विकास, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना, ब्रेल साक्षरता, भारतीय भाषाओं के लिए साफ्टवेयर का विकास, सामुद्रिक ताप ऊर्जा परिवर्तन, चिकित्सा में न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी का प्रयोग और थैलेसेमिया और आमवातिक ज्वर पर नियंत्रण, कमजोर दृष्टि के लिए प्रौद्योगिकी, हिमालयी क्षेत्र के लिए संकट प्रबंध, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रीय विकास, सुदूर चिकित्सा नैदानिक प्रणाली का विकास और संकट प्रबंध के लिए सुदूर बोध प्रौद्योगिकी का प्रयोग और फसल प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित है। कुछ परियोजनाओं जैसे पोषण और खाद्य सुरक्षा में लगभग सभी राज्य सम्मिलित हैं। इन मिशनों के परिणाम सम्पूर्ण देश के लिए लाभकारी होंगे।

इन परियोजनाओं की लागत 3 वर्ष के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये है और अभी तक 50 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। चालू वर्ष में लगभग 60 करोड़ रुपये जारी किये जाने की आशा है।

आवासीय प्लाटों की फिर से बिक्री

7643. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री 28 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6024 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गा बिल्डर्स, नई दिल्ली कुछ असामाजिक तत्वों और स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से निर्दोष प्लाटधारियों के आवासीय प्लाटों की फिर से बिक्री करने के धंधे में अब भी लिप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बिल्डर्स के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

7644. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्धा में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय इस समय वर्धा से कार्य न करके दिल्ली में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली में इसके कार्य करने के कारण इस पर कितना अतिरिक्त खर्च किया जा रहा है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्धा में स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर, 1999 में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्धा, महाराष्ट्र में भूमि का आवंटन किया है। वर्धा में आवश्यक बुनियादी सुविधायें विकसित की जानी हैं जिसके लिये पहले ही कदम उठाये गये हैं। महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है और इसलिये विश्वविद्यालय के कार्यालय दिल्ली तथा वर्धा दोनों में स्थापित करने होंगे। दिल्ली में किराये पर लिये गये निजी आवास के लिये किराया देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अपने दिल्ली कार्यालय के लिये कोई अन्य व्यय नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्धा में होगा।

[अनुवाद]

बी.एड. और डी.एड. कालेज

7645. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् भोपाल को महाराष्ट्र और गोवा में बी.एड. और डी.एड. कालेज खोलने के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने प्रस्तावों को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन शर्तों के आधार पर/बिना शर्त/अनंतिम रूप से एक वर्ष की मंजूरी दी गई है;

(ग) उक्त राज्यों में किन चयनित स्थानों पर ऐसे कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) कितने प्रस्ताव रद्द किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे सक्षम रीजनल कमेटी के सदस्यों के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या दिशानिर्देश और सामान्य प्रक्रिया निर्धारित किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनधिकृत निर्माण

7646. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अनधिकृत निर्माण/परिवर्तनों को नियंत्रित करने तथा ढहाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेंसियों की सहायता हेतु एक पृथक बल का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए 1996 में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के राजस्व विभाग इत्यादि जैसे सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों का एक कार्य-बल गठित किया गया है। इस कार्यबल के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

भूमि की विभिन्न श्रेणियां

7647. श्री साहिब सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में भूमि की कितनी विभिन्न श्रेणियां हैं;

(ख) प्रत्येक-प्रत्येक श्रेणी में कितनी-कितनी भूमि है;

(ग) क्या सरकार का विचार खसरा संख्या के साथ राजस्व, आदि संबंधी ब्यौरों सहित संयुक्त मानचित्र पर वास्तविक विशेषताएं दर्शाते हुए एक भू-स्वामित्व मानचित्रावली बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

7648. श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय चिकित्सा पद्धति को दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलाने का है ताकि एलोपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति एक साथ मिलकर काम कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ निम्नलिखित तरीके से समन्वित अनुसंधान और एकीकरण का प्रयास किया गया:

(1) 7 आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को परिवार कल्याण विभाग के प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया है।

(2) आधुनिक अस्पतालों में यूनानी पद्धति, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के विशेषज्ञ क्लीनिकों की स्थापना की गई है।

(3) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित प्रोटोकाल पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के साथ मिलकर एड्स/एच.आई.वी. के क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान आयोजित करा रही है।

(4) विभाग तथा केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक उपचार परिषद ने आधुनिक अस्पतालों में अनुसंधान परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की है।

कारगिल में बंकरों का निर्माण

7649. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारगिल के लोगों की सुरक्षा के लिए बंकरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 के दौरान कितने बंकर बनाए गए और उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) सन्निकट गर्मी के मौसम को देखते हुए पारिवारिक/सामुदायिक अधिक बंकर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जून, 1999 में, योजना आयोग ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, पाकिस्तान सीमा के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान कारगिल में बंकरों के निर्माण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 4 करोड़ रु. जारी करने का अनुमोदन किया। दिसंबर, 1999 के अंत तक, जिला प्रशासन ने 3.40 करोड़ रु. की लागत पर 2000 बंकरों का निर्माण किया। इनमें सरकारी संस्थानों के साथ करीब दो दर्जन बंकरों का निर्माण भी शामिल है।

(ग) 200 लाख रु. की लागत पर कारगिल शहर में 100 सामुदायिक बंकरों के अलावा 2000-01 के दौरान सीमावर्ती गांवों में 1000 और बंकरों के निर्माण का प्रस्ताव है। 5000/- रु. की सी.जी.आई. शीट्स के अलावा, पारिवारिक बंकरों के लिए परिवार को 15,000/- रु. नकद सहायता दी जाती है।

सफदरजंग अस्पताल में स्वच्छ पानी

7650. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में पानी का संकट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अस्पताल में पर्याप्त पानी की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सफदरजंग अस्पताल में पानी की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम है। आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 3400 कि.ली. की है जबकि कूपों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम से होने वाली आपूर्ति इसकी आवश्यकता के केवल आधे को ही पूरा कर पाती है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि सफदरजंग अस्पताल की पानी की लाइन को फ्लाईओवर के निर्माण के कारण हटा दिया गया है। इसके चालू होते ही अस्पताल को नई लाइन से पानी कनेक्शन दिया जाएगा और सफदरजंग अस्पताल को पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करायी जाएगी।

बम विस्फोट

7651. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2000 के दौरान मुम्बई में किसी लोकल ट्रेन में एक बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.डी.ए. द्वारा आयोजित लोक शिविर

7652. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. द्वारा बड़े जोर-शोर से आयोजित किए गए लोक शिविरों से कोई हल निकला;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लारेंस रोड, केशव पुरम क्षेत्र नई दिल्ली के मध्यम आय वर्ग के कितने आवंटियों ने डी.डी.ए. के 15.3.2000 के लोक शिविर में भाग लिया;

(घ) कितने मामलों में शिकायतों को अंतिम रूप से निपटा दिया गया;

(ङ) क्या लोक शिविर आयोजित करने का एकमात्र कारण आवंटियों की शिकायतों का कोई सार्थक हल निकालने के बजाय उन्हें परेशान करना और इधर से उधर दौड़ाना अधिक था;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) लोक शिविरों के द्वारा लोगों की शिकायतों को वास्तव में हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। आवंटियों की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए डी.डी.ए. द्वारा समय-समय पर लोक शिविरों का आयोजन किया जाता है। आवंटियों के बहुत से मामले जैसे मांग पत्र, कब्जा पत्र, अन्तरण विलेख, परिवर्तन कागजात और त्रुटियों से संबंधित पत्र आदि जारी कर शिविर के आयोजन के दिन ही निपटा दिए जाते हैं और शेष मामले बाद में निपटाए जाते हैं।

(ग) दिनांक 15.3.2000 को आयोजित लोक शिविर में लारेंस रोड/केशव पुरम में एम.आई.जी. श्रेणी के 27 आवंटियों ने अभ्यावेदन दिया था।

(घ) 11 आवंटियों की शिकायतें 29.3.2000 से पहले दूर कर दी गई थी। 14 मामलों में 28.4.2000 तक अन्तिम रूप से कार्रवाई कर ली गई है। दो मामलों पर कार्रवाई की जा रही है जिनमें देय राशि/पात्रता के मुद्दे की जांच की जा रही है।

(ङ) से (छ) जी नहीं, समय-समय पर आयोजित विभिन्न लोक शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का आवंटियों के फ्लैटों का फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करके यथासंभव उनके संतुष्ट होने तक निपटान/समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, कुछ

मामलों में आवंटियों/मुख्तारनामा धारकों द्वारा किए गए भुगतान के सत्यापन और पात्रता आदि की जांच के कारण देरी हो जाती है। इस प्रकार डी.डी.ए. द्वारा आयोजित लोक शिविर आवंटियों की समस्याएं सुलझाने में एक उपयोगी तंत्र सिद्ध हुए हैं।

जे.बी.टी. पाठ्यक्रम

7653. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जे.बी.टी. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने और उनके परिणाम तत्काल घोषित करने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षार्थी अपने भविष्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विशेषकर हरियाणा में उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसके परीक्षा परिणाम की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 दिनांक 17 अगस्त, 1995 को लागू हो जाने से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इनसे जुड़े मामलों का नियमन और विकासात्मक कार्यों का संचालन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) करती है। उक्त परिषद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की शैक्षिक संस्थाओं के लिए मानक और प्रतिमानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक ऐसी चयन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से अनुमोदित एक एजेंसी राज्य सरकार/संस्थाओं द्वारा संचालित की जाने वाली अर्हक परीक्षा और/अथवा एक लिखित प्रवेश परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार में यथानिर्धारित प्राप्तांकों की योग्यता के आधार पर छात्रों का दाखिले के लिए चयन होना चाहिए।

(ग) से (च) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं का विकास

7654. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में महिलाओं के विकास के लिए निर्धारित की गई 30,000 करोड़ रुपए की राशि को उपयोग में लाने के लिए कोई पहल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही 27 लाभोन्मुखी स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करता है। वर्तमान मानीटरिंग प्रक्रिया के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा रहा है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य महिला विशिष्ट/महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों तथा महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जा सके। इससे आबंटित राशि की बेहतर उपयोगिता और महिलाओं को लाभ सुनिश्चित होंगे। तथापि, आगामी पांच वर्षों के लिए महिलाओं के लिए रखी गई राशि की मानीटरिंग का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

जड़ी-बूटियां

7655. श्री सुबोध मोहिते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित श्रेणीकरण की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों के विपणन में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानकों को पूरा न करने का कारण पिछले वर्ष भारतीय निर्यातकों को 2.5 करोड़ दंड स्वरूप भुगतान करना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो जड़ी-बूटियों के उचित श्रेणीकरण और मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) कई आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक (पादप आधारित), औषधों के लिए भेषज संहिता संबंधी मानक प्रकाशित कर दिए गए हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधों के लिए अच्छी निर्माण पद्धतियां (जी.एम.पी.) अधिसूचित की जा रही हैं।

हैदराबाद में नवोदय विद्यालय

7656. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ही एक मात्र जिला है जहां कोई नवोदय विद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजनावधि के दौरान इस जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक खोलने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय योजना में उत्कृष्ट बच्चों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कोटिपरक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है तथा योजनानुसार संबंधित जिले के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों से 75% छात्रों को प्रवेश दिया जाना होता है। चूंकि हैदराबाद जिले में कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है अतः इस जिले में इस स्तर पर नवोदय विद्यालय स्थापित करना संभव नहीं है।

केरल के विश्वविद्यालयों को सहायता

7657. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में केरल के विश्वविद्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयंत्रों का कार्यकरण

7658. श्री निखिलानन्द सर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हल्दिया और दुर्गापुर स्थित उर्वरक संयंत्र बहुत पहले से ही अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी की स्वीकृति हेतु कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया फर्टिलाइजर परियोजना (जिसे आरम्भ नहीं किया जा सका) और दुर्गापुर संयंत्र ने ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया जिसका मुख्य कारण विभिन्न उपस्करों और मशीनरी का बेमेल होना था क्योंकि इन्हें फंड देने पर लगे प्रतिबंधों के कारण विभिन्न स्रोतों के ऋण जुटाकर प्राप्त किया गया था।

(ख) और (ग) हल्दिया फर्टिलाइजर परियोजना की विफलता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण से परे होने के कारणों से हुई। मई, 1997 में सरकार द्वारा नियुक्त हल्दिया फर्टिलाइजर परियोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों में से एक बात यह कही है कि हल्दिया परियोजना के संबंध में जो मालूम हुआ है वह यह है कि इस परियोजना का विश्लेषण अंतिम चरण में है। प्रणाली पूर्णतः विफल हो गई है जो परियोजना के समक्ष आई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी।

पेयजल योजना

7659. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तूर जिले में पेयजल उपलब्ध कराने की केन्द्रीय सरकार की योजना को लागू करने के लिए शुरू में 40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजीव गांधी पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत देश के 58 चयनित जिलों में 6 वर्ष की अवधि वाली योजना लागू की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या एक अधिकारियों की टीम ने जिलों के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा करके और उक्त क्षेत्रों के लोगों को पेय जल आपूर्ति संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालद ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चित्तूर जिले जो ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी के संस्थायीकरण के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित 58 जिलों में से एक है, में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत क्षेत्रगत पुनर्गठन के लिए एक परियोजना पेश की है। बताया गया है कि वह परियोजना सिद्धान्ततः कर दी गई है। लेकिन मंजूरी जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से कुछ मुद्दे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि उसके मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने विशेषतया चित्तूर जिले की परियोजना तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा नहीं किया है। किन्तु यदि किसी राज्य सरकारी अधिकारी ने जिले का दौरा किया हो, तो इसको कोई जानकारी नहीं है। परियोजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई थी, जिसे यह निदेश दिए गए थे कि परियोजना जिला स्तरीय अधिकारियों सहित क्षेत्रगत भागीदारों के साथ परामर्श से तैयार की जाए। परियोजना का कार्यान्वयन मंजूरी जारी होने के बाद शुरू होगा और आशा है कि यह तीन वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जाएगी।

आवासीय परिसरों का निर्माण

7660. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों सहित बहुराष्ट्रीय और विदेशी निवेशकों ने आवासीय परिसरों के निर्माण में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन प्रस्तावों को मंजूरी देने का है और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों/विदेशी निगमित निकायों ने मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता तथा सिकन्दराबाद जैसे प्रमुख मैट्रो शहरों में रिहायशी/वाणिज्यिक परियोजनाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है।

(ग) और (घ) एन.आर.आई. स्कीम के तहत, केवल केन्द्र सरकार ही, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश प्रस्ताव मंजूर करने के लिए प्राधिकृत है। ये प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर राज्य परिषद का पुनर्गठन

7661. श्री तरूण गोगोई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में गति लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य परिषद का पुनर्गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए धनराशि के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद (अधिनियम) 1971 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक को पारित करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर के लिए बजट अनुमान 450 करोड़ रु. का है।

मिरगी

7662. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिरगी का उपचार करने में उपयोग में लाई जा रही औषधियों को तैयार करने में मानक मात्रा नहीं होती है, जिसकी कुछ रोगियों में विषैली प्रतिक्रिया होती है;

(ख) क्या दिल्ली में बाल्यावस्था से होने वाले तंत्रिका रोगों में कमी लाने के लिए एक पांच दिवसीय गोष्ठी बुलाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) बाल्यावस्था में होने वाले तंत्रिका रोगों में कमी लाने के विषय पर दक्षेस के विशेषज्ञ दल की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जनवरी, 2000 में एक बैठक आयोजित की गयी थी और इसमें यह विचार व्यक्त किया गया था कि दक्षेस देशों में उपलब्ध मिरगी-रोधी औषधियों में घटकों की मात्राएं अलग-अलग होती हैं और इससे खुराक सामान्य से कम/अधिक हो सकती है।

(घ) भारत में औषधियों के लिए उत्पादन लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। औषधि के घटकों की मात्राओं में एकरूपता लाने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से देश में बिक रहे विभिन्न मिरगी-रोधी औषधयोगों की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

डी.पी.ई.पी. और आई.सी.डी.एस.

7663. श्री राजो सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक परियोजनाओं के दो घटकों डी.पी.ई.पी. और आई.सी.डी.एस. से संबंधित मामलों को सुलझाने हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) से संबंधित मामलों को विघटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय राज्य में डी.पी.ई.पी. और आई.सी.डी.एस. की दो भिन्न विश्व बैंक परियोजनाएं चालू हैं। आई.सी.डी.एस.-II परियोजना, जो इस वर्ष सितम्बर तक पूरी हो जाएगी, उसकी पुनर्संरचना और उसका विस्तार संबंधी प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सांस्थानिक-भूमि को फिर से देना

7664. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फिर से दी गई सांस्थानिक भूमि का ब्यौरा क्या है साथ ही सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जेदारों को हटाने संबंधी अधिनियम 1971) के तहत प्रत्येक संस्थान पर पट्टा राशि/क्षति विषयक राशि का कितना बकाया है और पुनः प्रयास का वर्ष क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सांस्थानिक दुरुपयोग मामले संबंधी विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में कितनी राशि प्रभारित की गई है;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जनता से सार्वजनिक भूमि या उसके किसी हिस्से के उपयोगार्थ कोई भाड़ा या अन्य किसी प्रकार की राशि न चुकाने के लिए आगाह करते हुए सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने हेतु आगे कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उक्त अधिनियम में ऐसी सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने का प्रावधान है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सिंथेटिक दूध

7665. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूध में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि, राज्यों/संघ क्षेत्रों से पहले प्राप्त की गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दूध के कुछ नमूने मिलावटी अर्थात् यूरिया, ग्लुकोस और कार्बोनेट युक्त पाए गए थे।

(ग) जैसाकि नियमों में व्यवस्था की गई है, के अलावा ऐसा पदार्थ, जो दूध में नहीं पाया जाता, से युक्त दूध और दूध के उत्पादों की बिक्री पर खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अन्तर्गत पहले ही पाबंदी लगाई गई है। तथापि, राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को निगरानी उपायों को बढ़ाने और दोषियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने दुधारू पशुओं में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले कई घटकों का अध्ययन करने के लिए एक बहु-विषयक समिति का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. कालोनियों में कोयला डिपो

7666. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या शहरी विकास मंत्री डी.डी.ए. कालोनियों में कोयला डिपो के बारे में दिनांक 9.7.98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3425 और दिनांक 18.4.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दो कोयला डिपो स्थलों को अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने की अनुमति देने के आधार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी कोयला डिपुओं के आवंटितियों को ऐसी ही अनुमति देने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोयला डिपो के आवंटितियों के चयन में भेदभाव किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि दो कोयला डिपो के पट्टे को अन्य वाणिज्यिक उपयोग हेतु परिवर्तन की अनुमति, उनके मूल आबंटियों के अनुरोध पर इस आधार पर दी गई थी कि एल.पी.जी. जैसे वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता की वजह से वर्तमान में कोयले की मांग में कमी आई है।

(ख) और (ग) यदि अन्य आबंटियों से इसी प्रकार का अनुरोध आता है, तो उसकी अनुमति, उसके गुण दोषों (मैरिट) पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एप्लाईस फिटर का पद

7667. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संवर्ग पुनरीक्षा समिति की सिफारिश पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एप्लाइंस फिटर के पद को डब्ल्यू.एस. तकनीशियन ग्रेड-1 (आर. एंड ए.एल.) के पद में विलय कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं;

(ग) इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा और उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(घ) संवर्ग पुनरीक्षा समिति के निर्णयों को भूतलक्षी तारीख से अर्थात् 1 मार्च, 1992 से जब इस समिति को नियुक्त किया गया था, क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) कितने व्यक्तियों को जिनके पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव नहीं था, तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) विकलांग विज्ञान विभाग में एप्लायंस फिटर का पद एक पृथक पद था और उसे संवर्ग समीक्षा, 1991 के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया। तथापि, उसे 1.3.1992 से 1400-2300 रुपये के उच्च वेतनमान में विलय कर दिया गया था और कार्यशाला (आर. एंड ए.एल.) तकनीशियन ग्रेड-I के रूप में पुन: पदनामित किया गया था। एप्लाइंस फिटर के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं हैं: (1) मैट्रिक्यूलेशन अथवा इन्टरमीडिएट अथवा इसके समतुल्य, (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रौस्थेटिक व आर्थोटिक्स में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र, (3) प्रोस्थेटिक व ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

(ग) एप्लाइंस फिटर के पद का पदधारी इस उन्नयन का केवल लाभार्थी था।

(घ) इस संस्थान ने 1998 में कार्यशाला (आर एंड ए.एल.) तकनीशियन ग्रेड-1 के पुन: पदनामित पद के 1640-2900 रुपये के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी (आर एंड ए.एल.) के पद पर उन्नयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस संस्थान की आन्तरिक विसंगति समिति ने इस पद के उन्नयन को पूर्व प्रभावी करने से संबंधित मामले पर विचार किया लेकिन उसको सहमति नहीं दी गई।

(ङ) और (च) विसंगति समिति की इन सिफारिशों पर दो व्यक्तियों को तकनीकी अधिकारी (आर. एंड ए.एल.) के रूप में पदोन्नत किया गया कि पदधारियों के लम्बे अनुभव और उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण को अपेक्षित डिप्लोमा के समतुल्य माना जा सकता है।

उपनिदेशक के पदों को भरने हेतु विज्ञापन

7668. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विज्ञापित उप निदेशक और इससे उच्चतर पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक पद के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक पद हेतु कितने उम्मीदवारों के नाम चयन हेतु सूची में रखे गये हैं;

(ग) अब तक कितने और किन-किन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, उन्हें भरा गया है और वे कौन-कौन से पद हैं जिन्हें भरा जाना बाकी है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों के दौरान उप निदेशक के दो पद अर्थात एक उप निदेशक (प्रचार) और दूसरा पद उप निदेशक (जन सम्पर्क) विज्ञापित किया गया है।

(ख) उप निदेशक (प्रचार) के एक पद के लिए कुल 141 आवेदन तथा उप निदेशक (जन संपर्क) के एक पद के लिए 155 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) आवेदनों की संवीक्षा नहीं की गई क्योंकि इसी बीच टिक्कू समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उप निदेशक (प्रचार) तथा उप निदेशक (जन संपर्क) के पदों को विभागीय उम्मीदवारों के फीडर काडर से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था और ये पद अब पदोन्नति से भर लिए गए हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय

7669. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितने अस्पताल, औषधालय और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के तिरुवेल्लूर में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 460 अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विभिन्न पद्धतियों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पॉली क्लिनिक, प्रयोगशाला और दन्त चिकित्सा एकक हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) तमिलनाडु के त्रिवेल्लौर में चिकित्सा कालेज खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित नहीं है।

विवरण 1

अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

1. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
3. एस एंड सी ई, कलकत्ता
4. ए.आई.आई.पी.एम.आर., मुंबई
5. एल.एच.एम.सी. एंड श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली
6. कलावती सरण चिल्ड्रेन अस्पताल, नई दिल्ली
7. जिपमेर, पांडिचेरी
8. पी.एच.ओ. मुंबई
9. पी.एच.ओ. कलकत्ता
10. पी.एच.ओ. कोचिन
11. पी.एच.ओ. चेन्नैइ
12. पी.एच.ओ. कांडला
13. पी.एच.ओ. मारमागोआ
14. पी.एच.ओ. विशाखापटनम
15. पी.एच.ओ. मंडपम कैम्प
16. ए.पी.एच.ओ. मुंबई
17. ए.पी.एच.ओ. कलकत्ता
18. ए.पी.एच.ओ. नई दिल्ली
19. ए.पी.एच.ओ. त्रिवेन्द्रम
20. पी.एच.ओ. नवा सेवा मुंबई
21. ए.बी.क्यू. अमृतसर
22. ए.पी.एच.ओ. चेन्नै
23. एन.आई.सी.डी., नई दिल्ली
24. एन.ए.एम.पी., नई दिल्ली
25. ए.आई.आई.एच. एंड पी.एच. कलकत्ता
26. आर.एच.टी.सी. नजफगढ़
27. एन.टी.आई. बंगलौर
28. आर.ए.के. कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली
29. एल.आर.एच.एस. नई दिल्ली
30. सी.एल.टी.आर.आई. चेंगलपट्टू
31. आर.एल.टी.आर.आई. रायपुर
32. आर.एल.टी.आर.आई., अल्का
33. आर.एल.टी.आर.आई. गौरीपुर (पश्चिम बंगाल)

विवरण 2

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का ब्यौरा

31.3.98 की स्थिति के अनुसार पद्धति-वार मौजूदा औषधालय

क्र.सं.	शहर का नाम	शुरू होने की तारीख	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी	सिद्ध	योग	कुल	पौली क्लिनिक	के.स.स्वा.यो. के प्रयोगशाला	दंत चिकित्सा एकक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अहमदाबाद	अप्रैल, 1979	5*	1	1	—	—	—	7	1	1	1
2.	इलाहाबाद	मार्च, 1969	7	1	1	—	—	—	9	1	1	1
3.	बंगलौर	फरवरी, 1976	10	2	1	1**	—	—	14	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	मुम्बई	नवम्बर, 1963	28	2	4	—	—	—	34	2	17	2
5.	कलकत्ता	अगस्त, 1972	17	1	2	—	—	—	—	—	—	—
6.	दिल्ली	जुलाई, 1954	87	13	13	4	1	3	121	4	31	3
7.	हैदराबाद	फरवरी, 1976	14*	2	2	2	—	—	20	2	2	1
8.	जबलपुर	अक्तूबर, 1991	3	—	—	—	—	—	3	—	1**	0
9.	जयपुर	जुलाई, 1978	5	1	1	—	—	—	7	1	2	1
10.	कानपुर	जुलाई, 1972	9	1	2	—	—	—	12	1	3	1
11.	लखनऊ	मार्च, 1979	6	1	1	1	—	—	9	1	1	1
12.	चेन्नै	मार्च, 1975	14	1	1	—	1	—	17	2	2	1
13.	मेरठ	जुलाई, 1971	6	1	1	—	—	—	8	0	1	1
14.	नागपुर	अक्तूबर, 1973	10*	2	1	—	—	—	13	1	0	1
15.	पुणे	जुलाई, 1978	7	1	2	—	—	—	10	1	1	1
16.	पटना	नवम्बर, 1976	5*	1	1	—	—	—	7	1	2	1
17.	गुवाहाटी	अप्रैल, 1995	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
18.	त्रिवेन्द्रम	अप्रैल, 1995	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
19.	रांची	अक्तूबर, 1992	1#	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20.	भुवनेश्वर	अगस्त, 1988	1#	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	योग		241	31	34	9	2	3	320	19	71	17

*दो उप औषधालयों सहित

#एक उप औषधालय सहित सिर्फ ए.जी. के कर्मचारियों के लिए

**स्वीकृत लेकिन अभी तक काम करना शुरू नहीं किया।

डी.डी.ए. फ्लैटों का निर्माण

7670. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 में ड्रा से निकाले गए शालीमार बाग के डी.डी.ए. के फ्लैटों के निर्माण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन फ्लैटों के निर्माण में असामान्य रूप से हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) सफल आवेदकों को पहले से निर्मित फ्लैट कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी डी ए ने बताया है कि उन्होंने शालीमार बाग, दिल्ली में 1108 स्ववित्त फ्लैटों के निर्माण की एक योजना बनाई थी। किन्तु अतिक्रमण के कारण सभी फ्लैटों का निर्माण कार्य एक साथ शुरू नहीं किया जा सका। तदनुसार अतिक्रमण, आदि हटाने के बाद प्रारंभ में 530 स्ववित्त फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया जिसके लिए जनवरी, 1996 में ड्रा निकाला गया था। तथापि,

डी डी ए द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाने के बाद फेस-3 में 14 और एस एफ एस फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू करना संभव हो पाया। कुछ और अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराने के बाद और 104 स्ववित्त फ्लैटों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। उन स्ववित्त फ्लैटों के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है जिनके लिए जनवरी, 1996 में ड्रा किया गया था:

(1) 200 स्ववित्त फ्लैट, ग्रुप-1

बाहरी बिजली की व्यवस्था को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है जो दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा अभी की जानी है। इसके लिए डी डी ए ने अगस्त, 1999 में भुगतान कर दिया था।

(2) 200 स्ववित्त फ्लैट, ग्रुप-2

कार्य चल रहा है (46%) और सिविल कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख अर्थात् जून, 2001 तक इसके पूरा होने की संभावना है।

(3) 144 स्ववित्त फ्लैट, ग्रुप-3

कार्य चल रहा है (9%) और सिविल कार्य पूरे होने की नियत तारीख अर्थात् नवंबर 2001 तक इसके पूरा हो जाने की संभावन ाहै।

जिन स्ववित्त फ्लैटों (ग्रुप-2 और 3) का निर्माण कार्य चल रहा है उनके लिए डी डी ए द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड से उनका कार्य नियत समय तक पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) स्थल की कठिन परिस्थितियां जैसे क्षेत्र का निचाई पर होना जिसमें चारों ओर पानी रुका हुआ था, निर्माण स्थल के एक हिस्से के ऊपर से हाई टेंशन तारों का होना आदि कुछ कारण थे जिसके फलस्वरूप इन फ्लैटों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति हुई।

(ग) 200 स्ववित्त फ्लैट (ग्रुप-1) दिनांक 24.12.1999 को आयोडित ड्रा में पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

होम गार्ड

7671. श्री रामानन्द सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में होमगार्ड के राज्यवार कुल कितने जवान कार्यरत हैं;

(ख) क्या पूरे देश में होमगार्ड के जवानों को मासिक वेतन न देकर केवल दैनिक मजदूरी दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें मासिक वेतन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (च) स्वयंसेवक होने के कारण, होमगार्ड किसी भी वेतन या पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। तथापि, जब उन्हें ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें की गई सेवाओं के लिए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है। उन्हें मासिक वेतन देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	होम गार्डों की प्राधिकृत संख्या	बनाए जा चुके होम गार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	अ. और नि. द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	654	654
2.	आंध्र प्रदेश	12903	12792
3.	अरुणाचल प्रदेश	1605	अभी बनाये जाने हैं
4.	असम	20407	16376
5.	बिहार	77402	77402
6.	चंडीगढ़ (सं. शा. क्षेत्र)	1132	1132
7.	दादर एवं नगर हवेली (सं. शा. क्षेत्र)	125	122
8.	दमन व द्वीव (सं.शा. क्षेत्र)	100	100
9.	दिल्ली	10285	8334
10.	गोवा	500	300
11.	गुजरात	49808	38792

1	2	3	4
12.	हरियाणा	14025	14025
13.	हिमाचल प्रदेश	8000	7523
14.	जम्मू एवं कश्मीर	4308	2535
15.	कर्नाटक	18700	16872
16.	लक्षद्वीप (सं.शा. क्षेत्र)	55	अभी बनाये जाने हैं
17.	मध्य प्रदेश	22900	19007
18.	महाराष्ट्र	56100	39753
19.	मणिपुर	3394	1200
20.	मेघालय	2538	1477
21.	मिजोरम	760	760
22.	नागालैण्ड	2100	2100
23.	उड़ीसा	16362	11425
24.	पांडिचेरी (सं.शा. क्षेत्र)	440	290
25.	पंजाब	34595	34595
26.	राजस्थान	28050	27520
27.	सिक्किम	546	546
28.	तमिलनाडु	11622	9746
29.	त्रिपुरा	4207	2527
30.	उत्तर प्रदेश	123420	119706
31.	पश्चिम बंगाल	46750	22689

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचनात्मक सुधार निधि

7672. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा संस्थाओं में आधारभूत अनुसंधान कार्य हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचनात्मक सुधार निधि की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में आधारभूत अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचनात्मक सुधार हेतु निधियां सृजित की गई हैं। यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और वर्तमान वर्ष के बजट में 21.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना की घोषणा व्यापक स्तर पर की गई है और सरकार को बड़ी संख्या में प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय-विषय पर संगोष्ठी

7673. **श्री राजैया मल्याला:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के कल्याण संबंधी विषय पर किसी सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी को वित्तपोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना खर्च आया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) बिहार, राजस्थान में जनजातीय उप योजना क्षेत्र में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम का प्रभाव और देश में जनजातीय एकीकरण जैसे विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित करने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय अनुदान द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

(ग) योजना के मानकों के अनुसार 40,000 रुपए प्रति सेमिनार/कार्यशाला की दर से इस मंत्रालय द्वारा 1.60 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

नर्सों का पेनल

7674. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 के दौरान दिल्ली के अस्पतालों के लिए नर्सों का पेनल बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) पेनल में अभी कितनी नर्सें हैं; और

(घ) उन्हें रिक्त पदों पर कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों के लिए 1996 में पैनल तैयार किया गया था।

(ख) सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली में आज तक क्रमशः नर्सों के 137, 41 और 112 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(ग) वर्ष 1996 के नर्सों के पैनल में से नियुक्ति के लिए कोई भी नर्स उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी./एड्स टीकाकरण कार्यक्रम

7675. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एच.आई.वी./एड्स टीकाकरण अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या देश में एच.आई.वी./एड्स का उपचार करने के लिए कोई एलोपैथी औषध अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे प्रत्येक केन्द्र को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इन केन्द्रों द्वारा अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, कलकत्ता, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे और राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने एच.आई.वी. वैक्सीन संबंधी आधारभूत अनुसंधान शुरू कर दिया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

दिल्ली नगर पालिका द्वारा दुकानों को गिराया जाना

7676. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3.5.2000 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एमसीडी डीमॉलिशेज शॉप्स डेस्पाइट एंग्री प्रोटेस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एम सी डी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर दुकानों को सील/गिरा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत राजस्व सहायक, वसंत विहार, दिल्ली के न्यायालय में ऐसे कितने मामले दायर किये गये हैं; और

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

फ्लैटों का कब्जा

7677. डा. संजय पासवान: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का विचार विस्तार योग्य आवास योजना (ई एच एस) 1996 के अंतर्गत नरेला में निर्मित फ्लैटों के उन आवंटियों को, जिन्होंने अपने फ्लैटों की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया है, कब तक फ्लैटों का कब्जा देने का है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत जनता श्रेणी (टाइप-ए, समूह-2) योजना के आवंटियों को परिवर्तन अधिभार/स्टैंप शुल्क/हस्तांतरण विलेख का भुगतान करना होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नरेला में विस्तारणीय आवास स्कीम 1996 (ई एच एस-1996) के अंतर्गत आबंटियों को दो विकल्प दिए गए हैं। वे पहले 50% भुगतान जमा करके शेष राशि 10 बराबर की अर्धवार्षिक किश्तों में दे सकते हैं। दूसरा विकल्प पूरा भुगतान एक ही समय अर्थात् नकद भुगतान आधार पर कर सकते हैं। सभी देयताएं पूरी करने और सभी कोडल औपचारिकताएं पूरा करने के बाद 60 दिनों के भीतर आबंटियों को कब्जा पत्र जारी किया जाता है।

(ख) विस्तारणीय आवास स्कीम 1996 (ई एच एस-1996) के अंतर्गत परिवर्तन (कन्वर्जन) प्रभार फ्लैट की लागत में शामिल है। यदि आबंटी एक मुश्त नकद आधार पर भुगतान करता है तो उसे हस्तांतरण विलेख (कंवीयेंस डीड) कागजातों पर स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। यदि आवंटन किराया-खरीद आधार पर है, 50% भुगतान और सामान्य प्रभारों सहित सभी 10 बराबर की अर्धवार्षिक किश्तें जमा करने के पश्चात् आबंटी को हस्तांतरण विलेख (कंवीयेंस डीड) कागजात जारी किये जाते हैं और हस्तांतरण विलेख (कंवीयेंस डीड) कागजात पर उसे स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है।

(ग) कीमत और अन्य देयताओं के पूरे भुगतान के पश्चात् ही हस्तांतरण विलेख (कंवीयेंस डीड) के कागजात जारी किये जा सकते हैं। चूंकि ई एच एस-1996 के अंतर्गत दो वैकल्पिक भुगतान विधियां उपलब्ध हैं इसलिए चुनी गई भुगतान विधि में अन्तर्निहित सभी भुगतानों को पूरा करने के पश्चात हस्तांतरण विलेख (कंवीयेंस डीड) कागजात जारी किये जा सकते हैं।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन

7678. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोलियो के मामलों में विस्फोटक वृद्धि होने के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में "रेड अलर्ट" घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त राज्यों में पोलियो रोग के उन्मूलन हेतु कोई नये उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) 1999 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देश के 87% से अधिक पोलियो के मामले सामने आए। बड़े पैमाने पर ऐसा होने का कारण मुख्यत: नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ओरल पोलियो वैक्सीन का कम कवरेज प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नवजात बच्चों का जुड़ जाना, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दौर के दौरान टीकाकरण में नवजात बच्चों का अपर्याप्त कवरेज तथा बड़े पैमाने पर प्रवासन है।

(ग) और (घ) 1999-2000 के दौरान सभी राज्यों में हुए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के 4 राष्ट्रव्यापी दौरों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दो अतिरिक्त दौर तथा दिल्ली में एक अतिरिक्त दौर चलाए गए। इन दौरों के दौरान पहले दिन किए गए नियत प्रतिरक्षण के अतिरिक्त भी अगले 3-4 दिनों तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बच्चा छूट न जाए, घर-घर जाकर प्रतिरक्षण किए गए। इन सभी कार्यकलापों को करने के लिए धनराशि भारत सरकार की ओर से दी गयी। सरकार का इरादा चालू वर्ष में इन राज्यों में पल्स पोलियो कार्यक्रम को तीव्र करने का है। नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित राज्य सरकारों के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्यों से सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। इन राज्यों में निगरानी आपरेशनों को भी तीव्र किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हिन्दी का अध्ययन

7679. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने देशों और विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी का अध्ययन और हिन्दी में अनुसंधान कार्य किया जाता है तथा दूरदर्शन पर हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): उपलब्ध सूचना के अनुसार 143 देशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है, हिन्दी में अनुसंधान कार्य किया जाता है और हिन्दी में अध्ययन किया जाता है जिनमें अन्यों के साथ-साथ, यू.एस.ए., यू.के. फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, नार्वे, फिनलैंड, रूस और पूर्व सोवियत संघ के सभी अन्य देश, बेलजियम, बुल्गारिया, रोमानिया, चेक गणराज्य, आस्ट्रेलिया, जापान, आस्ट्रिया, चीन, मेक्सिको आदि शामिल हैं। हिन्दी कार्यक्रम 20 देशों में प्रसारित किये जाते हैं।

महाराष्ट्र में पब्लिक स्कूल

7680. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के जनजातीय जिलों में चार पब्लिक स्कूलों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी किस आधार पर प्रदान की गई है; और

(ग) इन विद्यालयों का अन्य ब्यौरा क्या है और ये विद्यालय कब तक तथा किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकद प्रोत्साहन राशि में लिंग संबंधी पूर्वाग्रह

7681. श्री रतनलाल कटारिया: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन-राशि देने में लिंग आधार पर पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये से कार्य लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जड़ी बूटी निर्मित दवाएं

7682. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अनुपूरक के रूप में कुछ जड़ी बूटी निर्मित औषधियों की बिक्री करने के लिए कोई विनियामक प्राधिकरण कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जड़ी बूटी अवयवों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूनतम मानदण्डों के बिना स्वास्थ्य, खाद्यों के रूप में उल्लिखित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जड़ी बूटी निर्मित उक्त औषधियों के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) आहार सम्पूरक/पोषणीय सम्पूरक/स्वास्थ्य खाद्य इत्यादि नाम से कुछ उत्पाद बाजार में बिना चिकित्सीय दावों के बेचे जा रहे हैं। सभी राज्यों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों और उनके विश्लेषकों को लेबल लगाने सहित सभी विषय पर निर्धारित अनुदेशों को पूरा करने संबंधी आवश्यक निरीक्षण करने को कहा गया है। बिना चिकित्सीय दावों के खाद्य सम्पूरकों की बिक्री को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। न्यूट्रेस्यूटिकलस/आहार सम्पूरकों, जो सही में न तो पारंपरिक खाद्य है और न ही औषध, को विनियमित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना है।

कारागार संबंधी कानून

7683. श्री तिरुनावकरसू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कारागार के संबंध में पुराने अधिनियम के स्थान पर कोई समान और समेकित कानून बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोई नया अधिनियम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार "जेल" राज्य का विषय होने के कारण, जेलों पर कानून बनाना अथवा उसमें संशोधन करना राज्य सरकारों की शक्तियों में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने एक मॉडल जेल (प्रबंधन) विधेयक का प्रारूप तैयार किया है तथा उसे सभी राज्य सरकारों में परिचालित किया है।

[हिन्दी]

मदरसा खोलना

7684. श्री दानवे राव साहेब पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी सहायता से नए मदरसे खुल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मदरसों को खोलने के लिए अनुमति अपेक्षित होती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अवैध मदरसों के खुलने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूल/कालेज भवनों की मरम्मत/रख-रखाव निर्माण/विस्तार सहित विभिन्न अनुज्ञेय प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय के बारे में केवल सूचित करना होता है। स्कूल/कालेज खोलने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

"ट्रिफेड" द्वारा एन.आइ.ए.ई.आर. की खरीद

7685. श्री अनादि साहू: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ट्रिफेड" ने जनजातियों से एन.आई.ए.ई.आर. की खरीद बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय खुले बाजार से क्रेताओं से एन.आई.ए.ई.आर. हेतु पर्याप्त मूल्य पाने में समर्थ है; और

(ग) क्या सरकार ने एन.आई.ए.ई.आर. का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) एन.आई.ए.ई.आर. जैसी किसी ऐसी वस्तु की खरीद ट्राइफेड द्वारा नहीं की जा रही। तथापि, ट्राइफेड ने आदिवासियों से नाइजर की खरीद करना बन्द नहीं किया है।

(ख) फसल वर्ष 1999-2000 के दौरान आदिवासी खरीददारों से खुले बाजार में नाइजर बीज का पर्याप्त मूल्य ले पाने में समर्थ हुए। प्रचलित मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 9,150.00 रुपए प्रति मीट्रिक टन की तुलना में बहुत अधिक था। ट्राइफेड ने प्रति मीट्रिक टन 14,500.00 से लेकर 17,000.00 रुपए तक के मूल्य पर खरीद की है।

(ग) जी, हां, भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान नाइजर बीज के लिए प्रति मीट्रिक टन 9150.00 रुपए का नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों पर राजसहायता

7686. श्री उत्तमराव पाटील: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और उर्वरकों पर राजसहायता वापस ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे किसान किस सीमा तक प्रभावित होंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) केन्द्र सरकार रसायनों पर कोई सब्सिडी नहीं देती है। यूरिया, मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के तहत एकमात्र उर्वरक होने के नाते सब्सिडी देने के लिए प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार यूरिया पर सब्सिडी के अलावा नियंत्रणमुक्त पोटासिक और फास्फेटिक उर्वरकों पर रियायत प्रदान करती है। वर्तमान में उर्वरकों पर सब्सिडी समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर

7687. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉक्टर देश के ग्रामीण इलाकों में काम करना और रहना नहीं चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन डॉक्टरों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देने का है जो ऐसे इलाकों में रहने के लिए तैयार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्तियों/तैनातियों की जिम्मेदारी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों की है। इसलिए वेतन संरचना तथा आर्थिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता का निर्णय भी उनके द्वारा ही किया जाता है।

तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के छठे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार स्नातकोत्तर की न्यूनतम 25% सीटों पर ऐसे सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए विचार किया जाता है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्षों की सेवा की हो और जो न्यूनतम पांच वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने का अनुबंध करें।

तीन वर्षों के लिए ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाने के लिए भी राज्यों को परामर्श दिया गया है।

हाथी समिति की रिपोर्ट

7688. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सी. मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवश्यक औषधि सूची किस वर्ष तैयार की गई थी और इसमें फिलहाल कितनी औषधियां हैं;

(ख) क्या समिति ने आवश्यक औषधियों संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची वर्ष 1996 में प्रकाशित की गई और इसमें विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों की 279 औषधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारत में औषध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रसायन और पेट्रो रसायन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1974 में हाथी समिति बनाई गई थी। आवश्यक औषधों के मामले में हाथी समिति ने उन औषधों की सूची तैयार की जो उसके विचार में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है और देश भर में उचित मूल्य पर इन आवश्यक औषधों को उपलब्ध कराने के लिए उपाय सुझाए।

हैदराबाद में स्मार्ट स्कूल

7689. श्री के. येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में "स्मार्ट स्कूल" खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया/लेने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सन माइक्रोसिस्टम के साथ मिलकर "स्मार्ट स्कूल" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सन माइक्रोसिस्टम के साथ मिलकर हैदराबाद में एक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मामला विचाराधीन है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

7690. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस और पुर्तगाल के विरुद्ध उपनिवेश-विरोधी संघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पेंशन भारत के उन निवासियों को प्रदान की जा सकती है जिन्होंने गैर-ब्रिटिश उपनिवेशी क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता की थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई थी, के अतिरिक्त, पांडिचेरी और गोवा तथा दादरा और नगर हवेली की मुक्ति के लिए फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्रदान करने के लिए मान्यता दी जाती है। ऐसे मुक्ति आन्दोलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों, जो उक्त स्कीम में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं, केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति का योगदान

7691. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा चिकित्सा प्रणाली में भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों के योगदान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके योगदान में बढ़ोत्तरी की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) कुछ रोगों विशेषकर श्वेत प्रदर, छाल रोग, गठियां, पीलिया इत्यादि के इलाज में भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियां कारगर पायी गई हैं। नैदानिक अनुसंधान सहित अनुसंधान अधिक से अधिक उन औषधों का पता लगाने में सक्षम रहा है जो रोगों के इलाज में प्रभावकारी है। वैज्ञानिक मानदण्डों के अनुसार औषधों की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए आधुनिक चिकित्सा अस्पतालों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन विशिष्ट कार्यनीतियों जो अस्पताल संबंधी व्यवस्था में प्रभावकारी पाए गए हैं, के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

7692. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूरिया, पोटाशियम और अमोनिया पर राजसहायता समाप्त करने और जैव उर्वरकों के उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर इसकी प्रतिपूर्ति करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार के मामले

7693. श्री ए.डी.के. जयशीलन :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार के मामले में साक्ष्य अधिनियम से इसकी शिकार महिला के यौन विवरण संबंधी उपलब्ध को हटाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साक्ष्य अधिनियम के संबंधित उपबन्ध में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) क्योंकि यह विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है। अतः सिफारिश की जांच भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके की जाएगी।

जे.एन.यू. में शिक्षा के मानक

7694. श्री अजयसिंह चौटाला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा के मानक में कुछ समय से गिरावट आयी है और वहां से अध्यापकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय में शिक्षा के मानक को सुधारने और अध्यापकों के चयन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) जी, नहीं। शिक्षकों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय की संविधियों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा की जाती है। इन समितियों में कुलपति, रेक्टर, विजिटर (भारत के राष्ट्रपति) का नामित व्यक्ति, 2-3 विशेषज्ञ, अध्यक्ष तथा संबंधित केन्द्र, जिसमें शिक्षक नियुक्त किया जाना है, से एक अन्य प्रोफेसर शामिल हैं। इसी प्रकार, देश में 37 केन्द्रों में आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले दिए जाते हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षिक स्तरों की झलक संकाय की नियुक्ति में मिलती है जिसके लिए विश्वभर के भारतीय विद्वानों से आवेदन प्राप्त होते हैं।

[हिन्दी]

कुत्ते के काटने पर लगाए जाने वाला टीका

7695. श्री दुखा भगत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाला कोई ऐसा टीका विकसित किया गया है जो पहले विकसित की गई औषधियों से बेहतर हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह टीका गरीबों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) इस समय कुत्ते काटने के उपचार के लिए विभिन्न सेलकल्चर रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। यह पहले के पारम्परिक वैक्सीनों के अपेक्षा बेहतर है। विभिन्न सरकारी संस्थाएं देश में नर्व टिस्यु वैक्सीन निर्मित कर रहे हैं। यह वैक्सीन सरकारी एंटी-रेबीज उपचार केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। इस सयम टिस्यु कल्चर मूल के विशुद्ध और संशोधित वैक्सीन नामतः प्यूरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल (पी सी ई सी) प्यूरीफाइड वीरो सेल रेबीज वैक्सीन (पी वी आर वी) और ह्यूमेन डिप्लोमा सेल वैक्सीन (एच डी सी वी) कोई भी सरकारी संस्था नहीं बनाती है लेकिन ये वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के नियंत्रणाधीन ह्यूमेन बायोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, उटक मंडलम ने अभयारब व्यापारिक नाम के अन्तर्गत नयी एटी-रेबीज (टिस्युकल्चर) वैक्सीन तैयार की है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश-भर में 1000 वैक्सीनेशन क्लीनिक स्थापित कर रहा है जो इस समय उपलब्ध वैक्सीनों की लागत से लगभग 30 प्रतिशत कम लागत पर अभयारब वैक्सीन प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के इलाज पर खर्च

7696. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का देश में और विदेशों में विशेषज्ञों से इलाज करवाने के खर्च को वहन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के चिकित्सा पर भारत में और विदेश में कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के इलाज के लिए किसी विशेष उपकरण का आयात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी लागत और प्रचालन लागत अलग-अलग कितनी है; और

(ङ) क्या उक्त व्यय के लिए कोई प्रावधान है अथवा प्रत्येक मामले में विशेष मंजूरी देने की आवश्यकता पड़ती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह के ईलाज के लिए पानी साफ करने वाली मशीन सहित एक रिवर्स ओसमोसिस सिस्टम और होमोडाइलाइसिस के उपकरणों का आयात किया गया है। उपकरण की लागत 15.3 लाख रु. थी और मशीन की प्रचालन लागत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पूर्व प्रधान मंत्रियों के स्तर के विचार से विदेश में उनके ईलाज के लिए सरकार द्वारा विशेष स्वीकृति प्रदान की गई।

विवरण

1. श्री वी.पी. सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री
   (भारत में इलाज)
   24,31,991/रु.
   (विदेश में इलाज)

1997-98	1,15,25,376.08 रु.
1998-99	3,04,40,960.92 रु.
1999-2000	1,81,39,050.00 रु.
कुल योग	6,01,05,387.00 रु.

2. श्री पी.वी. नरसिंह राव, पूर्व प्रधानमंत्री
   (भारत में इलाज)
   रु. 40,215/- रु.
   (विदेश में इलाज)

1998-99	59,15,592.62 रु.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विकास योजना

7697. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रामदास आठवले:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के लिए कोई आवासीय योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्रारूप-समिति की सिफारिशों के संदर्भ में कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आज तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) आवास मुहैया कराने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। आवास राज्य क्षेत्र में शामिल है और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों सहित लोगों के लिए विभिन्न आवास कार्यक्रम तैयार करना तथा कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 1998 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारूप समिति की अनेक सिफारिशें परिचालित की हैं। इनमें से एक सिफारिश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आवास विकास योजना तैयार करने के बारे में है जिसका लक्ष्य इन श्रेणियों के जिन व्यक्तियों के पास मकान नहीं है, उन सभी को 5 वर्ष के अन्दर लाभान्वित करना है। आवास राज्य का विषय है अत: ये सिफारिशें राज्य सरकारों को सूचित कर दी जाएंगी।

सीमा सुरक्षा बल के पेंशन संबंधी मामले

7698. श्री विष्णु दत्त शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कार्यालय में सन् 1995 में लम्बित पड़े उन व्यक्तियों की पेंशन के कतिपय मामलों की जानकारी है जिन्होंने अपने सेवा काल के 10 वर्ष और 40 दिन पूरे कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन, पेंशन प्रदान करने हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा 20 वर्ष है। तथापि, सीमा सुरक्षा बल नियम के नियम 19 के प्रावधानों का गलत अर्थ लगाने के कारण विगत में 443 कार्मिकों को तथा माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में 12 कार्मिकों को, कुल मिला कर सीमा सुरक्षा बल के 455 कार्मिक 20 वर्ष से कम सेवा करने पर ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। न्यायालयों के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में तीन विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गयी हैं।

सिविल अधिकारियों की ईमानदारी

7699. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 16 अप्रैल, 2000 के "द पायनियर" में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में सिविल अधिकारियों की ईमानदारी में तेजी से कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) कामिर्क, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने सूचित किया है कि इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार लोक-सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन और स्वच्छ प्रशासन मुहैया करवाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: जागरूक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा इस बारे में तैयार की गई नीतियाँ, अपेक्षाकृत अधिक कारगर और बदलते परिवेश के प्रति संवेदनशील और अनुक्रियाशील बनाए जाने की दृष्टि समय-समय पर आशोधित की जाती हैं। सरकार के सभी भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण अर्थात् विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्थापित सतर्कता-तंत्र, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में पहल कदमी के तौर पर निम्नलिखित कदम उठाए:-

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दरजा दिए जाने की दृष्णि से 20.12.1999 को केन्द्रीय सतर्कता-आयोग विधेयक लोक-सभा में पेश कर दिया गया है। उपर्युक्त विधेयक विचार और संस्तुतियों हेतु 21.12.1999 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पति रखने से संबंधित मामलों का पता लगाने तथा अवैध परितोषण (घूस) मांगते और लेते लोक-सेवकों को पकड़ने की दृष्टि से उन्हें धर-पकड़ने का जाल बिछाने और संवेदनशील स्थानों के ओचक (यादृच्छिक) दौरे करने के विशेष अभियान छेड़े हैं।

(3) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक अप्रैल 04,1999 के संकल्प सं. 371/20/99-ए.वी.डी.-3 के पैरा 3 (5) द्वारा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सतर्कता-प्रशासन की देख-रेख करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। उपर्युक्त आयोग ने ईमानदारी की संस्कृति विकसित करने, प्रशासन में अपेक्षाकृत ज्यादा पारदर्शिता लाने, इलैक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली अपनाने, बैंकों का कम्प्यूटरीकरण करने, जनता को संवेदनशील बनाने जैसे उपायों के जरिए भ्रष्टाचार नहीं होने देने के अनेक अनुदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में सतर्कता-प्रबन्धन के बारे में विशेष अध्याय भी जारी किए हैं।

(4) सरकार ने "सूचना का अधिकार और पारदर्शिता" के बारे में जनवरी, 1997 में एक कार्य-दल गठित किया जिसने मई 21, 1997 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। उपर्युक्त कार्य-दल द्वारा पेश कि गई रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर ली गई है और "सूचना का स्वतंत्र्य-विधेयक" का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उपर्युक्त विधेयक को संसद में पेश करने के प्रयोजन से इस समय, इसकी जांच-पड़ताल चल रही है।

(5) यह मानते हुए कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू, लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, नागरिक चार्टर का चलन शुरू करने और सूचना सुविधा-केन्द्र स्थापित करने जैसे प्रशासनिक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण से संबंधित कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

पंजाब में बम विस्फोट

7700. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 के दौरान चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में बम विस्फोट के दौरान कितने लोग मारे गए थे;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच करायी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सचिवालय में हुए बम विस्फोट के दौरान 18 व्यक्ति मारे गये थे।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी थी।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 16 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

(घ) सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सु-समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित कार्रवाई से उग्रवादियों की योजनाओं को निष्फल करना, उन्नत अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा आवंटित फ्लैट

7701. श्री राम टहल चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और उनमें से कितने फ्लैटों का बिना बारी के आधार पर आबंटन किया गया;

(ख) क्या 1979 की नयी पद्धति योजना के आवंटितियों को वांछित कालोनी चुनने की इच्छा प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.डी.ए. द्वारा निर्मित फ्लैटों की संख्या और बिना बारी आधार पर आबंटित फ्लैटों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

वर्ष	फ्लैटों की संख्या	
	निर्मित	बिना बारी आधार पर आवंटित
1997-98	3635	211
1998-99	4038	60
1999-2000	5974	112
कुल	13647	383

(ख) और (ग) जी, हां। न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979 (एन पी आर एस-1979) में इच्छित कालोनी का चयन करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त स्कीम में फ्लैटों का आवंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी भवन का आकस्मिक निरीक्षण

7702. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में एक सरकारी भवन, जो अवैध रूप से आई.सी.डब्ल्यू.ए. के स्वामित्व में था, का आकस्मिक निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भवन के अधिभोक्ता पर सरकार का 10 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सी.बी.आई. जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस बारे में सरकार ने यथोचित कार्रवाई की है। पी पी ई एक्ट के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जाधारकों की बेदखली के लिए तथा सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए भी संपदा अधिकारी की कोर्ट में दावा दायर किया गया है। आई.सी.डब्ल्यू.ए. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समादेश याचिका (रिट पिटीशन) दायर की है। हाईकोर्ट की खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 24.12.99 के आदेश में संपदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के खिलाफ एक तरफा अंतरिम स्थगन (स्टे) दिया था खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 25.4.2000 के आदेश द्वारा स्थगन आदेश खारिज कर दिया है और संपदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही चलाते रहने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि यदि उसमें कोई अंतिम आदेश पारित होता है तो उसे कोर्ट की अनुमति के बिना कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। तदनुसार संपदा अधिकारी की कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। रिट याचिका/ एल.पी.ए. भी कोर्ट में विचारगत है।

(घ) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नॉन-सेलुलोसिक सिंथेटिक फाइबर्स की मांग और आपूर्ति

7703. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नाइलान, पोलिएस्टर, एक्रीलिक, रेयन आदि जैसे नॉन-सेलुलोसिक सिंथेटिक फाइबर्स की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) देश में उक्त सिंथेटिक फाइबर्स के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त फाइबर्स का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया है;

(घ) क्या सरकार की नाइलान कार्डस और सिंथेटिक फाइबर्स के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) 1998-99 के दौरान सिन्थेटिक फाइबर (पालियस्टर, नायलोन और एक्रिलिक) की मांग और सप्लाई क्रमश: 14,08,000 मी.ट. और 13,79,000 मी.ट. थी।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण 2 में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

(आंकड़े 000, मी.ट. में)

उत्पादन/राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
एक्रिलिक फाइबर			
गुजरात	20.67	20.30	22.04
राजस्थान	8.02	0.59	0.00
उत्तर प्रदेश	17.60	18.44	19.83

1	2	3	4
पंजाब	25.02	27.18	23.28
पश्चिम बंगाल	12.30	13.00	14.27
योग	83.61	79.51	79.42
नाइलॉन फिलामेंट यार्न			
गुजरात	9.02	7.07	7.62
महाराष्ट्र	7.61	4.37	4.16
उत्तर प्रदेश	10.99	8.38	6.76
पंजाब	6.09	6.16	6.00
मध्य प्रदेश	3.96	4.00	4.16
कुल	37.67	29.98	28.70
नायलॉन औद्य.यार्न/टायर कॉर्ड			
गुजरात	5.85	3.94	3.44
महाराष्ट्र	21.65	19.60	21.39
उत्तर प्रदेश	3.06	0.33	0.00
तमिलनाडु	14.29	12.53	12.82
मध्य प्रदेश	10.69	10.18	10.86
योग	55.54	46.58	48.50
पालियस्टर स्टेपल फाइबर			
असम	21.87	6.60	14.79
उत्तर प्रदेश	33.17	26.29	27.72
महाराष्ट्र	128.69	263.66	318.20
तमिलनाडु	12.65	18.87	22.34
उड़ीसा	17.90	12.27	15.23
गुजरात	73.79	71.33	71.17
पंजाब	35.93	31.63	49.38
योग	324.00	430.65	518.83

1	2	3	4
पालियस्टर फिलामेंट यार्न			
गुजरात	147.54	195.67	209.08
महाराष्ट्र	180.31	281.70	293.84
उत्तर प्रदेश	67.72	91.19	100.59
हरियाणा	5.68	5.30	1.26
पंजाब	4.64	3.64	4.81
उड़ीसा	5.88	6.81	1.67
राजस्थान	13.46	14.35	21.23
मध्य प्रदेश	6.65	5.24	6.01
आंध्र प्रदेश	42.29	48.56	56.31
दादर और नगर हवेली	3.94	6.80	8.01
असम	0.25	0.47	0.39
योग	478.36	659.73	703.21

विवरण-2

(मात्रा 000 मी.ट.में, मूल्य लाख रुपये)

सिंथेटिक फाइबर	1996-97				1997-98				1998-99			
	आयात		निर्यात		आयात		निर्यात		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल	89.61	48099	36.82	29495	73.67	43112	63.20	46365	90.31	45784	60.93	37394

स्वास्थ्य रक्षा योजना

7704. श्री चिंतामन वनगा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य रक्षा योजना के अन्तर्गत मानदेय को राशि में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि में अब तक वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी हां, सरकार को स्वास्थ्य रक्षा योजना के अन्तर्गत मानदेय बढ़ाए जाने के मुद्दे पर विभिन्न ग्राम स्वास्थ्य गाइड संगठनों की ओर से बहुत से ज्ञापन प्राप्त होते हैं।

(ग) और (घ) योजना अक्तूबर, 1997 में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षाधीन थी। मानदेय बढ़ाये जाने के मुद्दे की समिति द्वारा जांच की गयी है जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

समिति की सिफारिशों पर अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

7705. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिचालन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के सहयोग से परिचालन संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सोसाइटी द्वारा एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च कार्यशाला में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने उस कार्यशाला में दिए गये सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सरकार को परिचालन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के सहयोग से परिचालन संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सोसाइटी द्वारा आयोजित किसी कार्यशाला की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों को राज्यों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

7706. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों को अपने-अपने राज्यों में चिकित्सा और औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या अन्य शहरों में सभी सुविधाओं वाले अस्पतालों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना से संबद्ध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) संसद सदस्यों ऐसे सभी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यरत है, अपना सी.जी.एच.एस. कार्ड प्रस्तुत करने पर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, वे सी.एस.(एस.ए.) नियम, 1944 के अंतर्गत गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं के पात्र हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को मान्यता दी जाती है। अपेक्षित सूचना विवरण में संलग्न ब्यौरे में उपलब्ध है।

विवरण

विभिन्न नगरों में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सूची, उनको मान्यता देने के लिए मंत्रालय के तत्संगत कार्यालय ज्ञापन सहित

क्र.सं.	नगर	मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सं./नैदानिक केन्द्र	मंत्रालय का का.ज्ञा.सं.
1	2	3	4
1.	पुणे	14 22	एस-11011/32/92 सीजीएचएस/सीजीएचएस-डेस्क-11 सीजीएचएस (पी), 08.01.96 एवं 30.1.96
2.	कलकत्ता	15	एस-11011/32/92 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीजीएचएस (पी) दिनांक 27.02.96
3.	हैदराबाद	23	एस-11011/16/92 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीजीएचएस (पी) दिनांक 1.7.96

1	2	3	4
4.	दिल्ली	24	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीएमओ (डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 18.9.96
5.	बंगलौर	16	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीएमओ (डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 18.12.96
6.	मेरठ	9	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीएमओ (डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 5.6.97
7.	कानपुर	17	
8.	लखनऊ	8	
9.	इलाहाबाद	5	
10.	जयपुर	10	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ जेडी(डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 6.6.97
11.	चेन्नई	20	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीएमओ (डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 10.6.97
12.	मुम्बई	7	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ जेडी (डी)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 11.7.97
13.	जबलपुर	20	एस-11011/16/94 सीजीएचएस/डेस्क-11/ सीएमओ (डी)/जेएनपीआरए/सीजीएचएस (पी) दिनांक 11.7.97
14.	नागपुर	26	
15.	पटना	10	
16.	रांची	3	
17.	अहमदाबाद	2	

दिल्ली और दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या दर्शाने के लिए विवरण

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	विशिष्टता जिसके लिए मान्यता दी गई है
1	2	3
	दिल्ली	
1.	नरेन्द्र मोहन हास्पिटल	सी टी, कार्डियोथोरेसिक, वास्कुलर शल्य चिकित्सा, प्रतिरोपण, विकिरण चिकित्सा, लिथोट्रिप्सी को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन तथा नैदानिक प्रक्रिया।

1	2	3
2.	बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर	एम आर आई, लिथोट्रिप्सी, प्रतिरोपण को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन तथा नैदानिक प्रक्रिया।
3.	एस्कार्ट हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	डा. आनन्दस् अल्ट्रासाउंड एंड सी टी स्कैन	अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे
5.	आनन्द हॉस्पिटल	एम आर आई, कार्डियोथोरेसिक शल्य चिकित्सा, लिथोट्रिप्सी, प्रतिरोपण को छोड़कर विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन तथा नैदानिक प्रक्रियाएं
6.	आर्थोनोवा	आर्थोपैडिक उपचार और तीव्र चिकित्सा परिचर्या
7.	मूलचंद खैराती राम हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रियाएं और कार्डियोलाजी और डायलिसिल
8.	सर्वोदय मेडिकल रिसर्च सेंटर	सी टी स्कैन
9.	नार्थ प्वाइंट हॉस्पिटल प्रा.लि.	लिथोट्रिप्सी
10.	आर जी स्टोन	नैफ्रोलाजी/यूरोलाजी, लिथोट्रिप्सी और नैदानिक प्रक्रिया
11.	कैलाश मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
12.	जीएमआर इंस्टिट्यूट ऑफ इमेजिंग, रिसर्च एम आर आई स्कैन सेंटर	अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एम.आर.आई.
13.	मेडिकल लेबोरेट्री सर्विसेज	सामान्य प्रयोजन नैदानिक प्रक्रिया
14.	साऊथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड एक्सरे क्लीनिक	एक्सरे और अल्ट्रासाउंड
15.	जी एस मोदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रिया
16.	जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रिया
17.	नोयडा मेडिकल सेंटर लिमिटेड	सामान्य प्रयोजन और नैदामिक प्रक्रिया
18.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल	विशिष्ट और सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रिया
19.	देहली सी टी एंड एम आर आई रिसर्च	सी टी और एम आर आई
20.	धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च	कैंसर नैदानिक क्रियाविधि और उपचार

1	2	3
21.	डा. हांडा एक्स-रे एंड डायग्नोस्टिक सेंटर	एक्सरे और अल्ट्रासाउंड
22.	सेंट स्टीफ्नस हॉस्पिटल	सभी प्रयोजन
23.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	कार्डियोलाजी, कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर शल्य चिकित्सा
24.	नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	कार्डियोलाजी,कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर शल्य चिकित्सा
	चेन्नई	
1.	के.जे.हॉस्पिटल प्रा.लि.	सभी प्रयोजन
2.	तमिलनाडु हॉस्पि.लि.	सभी प्रयोजन
3.	अपोलो हॉस्पि. इंटरप्राइजेस लि.	सभी प्रयोजन
4.	राम चन्द्र मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	सभी प्रयोजन
5.	विलिंग्डन हॉस्पिटल	विकिरण चिकित्सा को छोड़कर सभी प्रयोजन
6.	त्रिनिति एक्यूट केअर हॉस्पि.	नैफ्रोलाजी, कार्डियोलाजी और संबद्ध नैदानिक प्रक्रिया
7.	कैंसर इंस्टिट्यूट डब्ल्यू आई ई	कैंसर निदान और उपचार
8.	मद्रास मेडिकल मिशन	कार्डियोलाजी
9.	शंकर नेत्रालय मेडिकल रिचर्स फाउन्डेशन	नेत्र विज्ञान
10.	आर जी स्टोन	यूरोलाजी और लिथोट्रिप्सी
11.	तमिलनाडु यूरोलाजिकल रिसर्च सेंटर	लिथोट्रिप्सी
12.	सी एस आई रेनी हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
13.	नेशनल हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
14.	सी एस आई कल्याणी हॉस्पि.	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
15.	आंध्र महिला सभा	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
16.	वालंटरी हेल्थ सर्विसेज	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
17.	पब्लिक हैल्थ सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
18.	शिफा हॉस्पि. एंड रिसर्च सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक

1	2	3
19.	आरमा क्लिनिकल सर्विसेज एंड हॉस्पिटल	प्रयोग शाला विज्ञान
20.	एस आर आई चेन्नई स्कैन एंड रिसर्च सेंटर	सी टी, अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राफी
	कलकत्ता	
1.	मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज	सभी नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	सुरक्षा डायग्नोस्टिक एंड आई रिसर्च (प्रा.) लि.	सभी नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	बेल व्यू क्लिनिक	सभी नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	क्लिनिकल लेबोरेट्रीज	जांचे अर्थात् विकृति विज्ञान, रुधिर विज्ञान, जैव रसायन, हिस्टोपैथोलाजी, जीवाणु विज्ञान और सीरम विज्ञान
5.	बंसल हैल्थ केअर सेंटर	एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल विकृत विज्ञान, रुधिर विज्ञान, जैव रसायन, जीवाणु विज्ञान और सीरम विज्ञान
6.	मां दुर्गा डायग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टिट्यूट	विकृति विज्ञान, रुधिर विज्ञान, जैव रसायन, हिस्टोपैथोलाजी, जीवाणु विज्ञान
7.	कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, ठाकुरपुकुर	कैंसर उपचार, त्वचा और सभी नैदानिक
8.	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान हॉस्पिटल	सभी उपचार और नैदानिक
9.	कलकत्ता हार्ट रिसर्च सेंटर	सी टी स्कैन को छोड़कर सभी नैदानिक
10.	बाहला बालानंदा ब्रह्मचारी हॉ.	सभी उपचार और नैदानिक
11.	नाइटइंगेल डायग्नोस्टिक सेंटर	आर्थोपैडिक को छोड़कर सभी नैदानिक
12.	हेल्थ केअर एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर	ई सी जी और अल्ट्रासाउंड
13.	वाक्हार्ड मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	सी डी कार्डियोलाजिकल, लिथोट्रिप्सी, यूरोलाजी, लैप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा
14.	डा. निहार मुंशी आई फाउंडेशन	आई ओ एल सहित नेत्र विज्ञान
15.	जनप्रिय हॉस्पिटल कारपोरेशन लि.	सभी नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
	बंगलौर	
1.	चिन्मय मिशन हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
2.	एम एस रमैया मेडिकल टिचिंग हॉस्पिटल	विकिरण चिकित्सा को छोड़कर सभी प्रयोजन
3.	चर्च ऑफ साऊथ इण्यिा हॉस्पि.	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
4.	मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड	विशेषित और सामान्य तथा नैदानिक
5.	के आई एम एस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
6.	येलम्मा दासप्पा हास्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
7.	पी डी हिन्दुजा सिंधी हॉस्पि.	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
8.	रिपब्लिक हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
9.	बंगलौर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
10.	सेवक क्षेत्र हॉस्पिटल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
11.	मालिक मेडिकल सेंटर	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक
12.	सेंट जान्स मेडिकल कालेज हॉस्पिटल	विकिरण चिकित्सा को छोड़कर सभी प्रयोजन
13.	मलय्या हॉस्पिटल	विकिरण चिकित्सा को छोड़कर सभी प्रयोजन
14.	मणिपाल हॉस्पिटल	सभी प्रयोजन
15.	वार्कहार्डट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टिट्यूट	कार्डियोथोरेसिक विशिष्टता
16.	बंगलौर हास्पि./सुश्रुस्ता मेडिकल एंड रिसर्च हॉस्पिटल लि.	सभी प्रयोजन
	जयपुर	
1.	रूंगटा चिल्ड्रेन एंड जनरल हॉस्पि.	विशिष्ट और सामान्य तथा नैदानिक
2.	सोनी हॉस्पिटल	सी टी स्कैन के लिए विशिष्ट और सामान्य तथा नैदानिक
3.	जैन आई हॉस्पिटल	नेत्र विज्ञान के लिए विशेषित
4.	हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल	कार्डियोलाजी के लिए विशेषित
5.	लक्ष्मी इमेजिन एंड मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल	एम आर आई और सी टी स्कैन के लिए विशेषित

1	2	3
6.	राजधानी क्लीनिक एंड नर्सिंग होम	सामान्य शल्य चिकित्सा के लिए विशेषित
7.	के.सी.मेमोरियल आई हॉस्पिटल	नेत्र विज्ञान के लिए विशेषित
8.	यूरोलाजी एंड मेडिकल केअर सेंटर	यूरोलॉजी के लिए विशेषित
9.	शारदा नर्सिंग होम	नेत्र विज्ञान
10.	श्री अमर जैन मेडिकल रिलीव सोसायटी	सामान्य और नैदानिक प्रक्रिया
	पुणे	
1.	शारदा क्लीनिक	आर्थोपेडिक
2.	हरदिकार अस्पताल	आर्थोपेडिक
3.	पुणे मेडिकल फाउंडेशन	सभी प्रयोजन
4.	एन.एम. वाडिया इंस्टीच्यूट आफ कार्डियोलाजी	कार्डियोलाजी
5.	तिरूम्प्थ न्यूक्लीयर मेडिसिन एंड रिसर्च	न्यूक्लियर चिकित्सा
6.	सांचेटी इंस्टीच्यूट फार आर्थोपेडिक एंड रिहाबिलिटेशन	आर्थोपेडिक
7.	यूनी. स्केन सेंटर	सी.टी. स्केन
8.	के.ई.एम. अस्पताल	एम आर आई, लिथोट्रिप्सी, विकिरण चिकित्सा और लिवर प्रतिरोपण को छोड़कर सभी प्रयोजन
9.	कालोनी नर्सिंग होम	प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
10.	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ आफथेलमोलाजी	नेत्र विज्ञान
11.	लायन स्केन सेंटर	सी.टी.स्केन
12.	मेडिनोवा डायगनोस्टिक सर्विसेज लि.	सी.टी. स्केन, कार्डियोलाजिकल, यूरोडायनेमिक और यूरोफलो अध्ययन
13.	मेदविजन	अल्ट्रासाउंड और सी.टी. स्केन
14.	पुणे हास्पिटल एंड रिसर्च	एम आर आई, लिथोट्रिप्सी, लिवर प्रतिरोपण और विकिरण चिकित्सा को छोड़कर सभी प्रयोजन
15.	ए.सी.टी. ज जनरल हास्पिटल	सभी प्रयोजन
16.	श्री धर्म लीला डायगोनिस्टक सेंटर	विकिरण विज्ञानी जांचें
17.	किंग एडवर्ड मेमोरियल हास्पिटल	दंत चिकित्सा, वास्कुलर शल्य चिकित्सा को छोड़कर सभी

1	2	3
18.	पथक्यूस्ट पैथोलाजी एंड एंडोक्रिनोलोजी लैबोरेटरी	एंडोक्राइनोलाजी
19.	शारदा क्लीनिक	आर्थोपेडिक
20.	डा. टोकश एक्स-रे	एक्स-रे
21.	पुना मेडिकल फाउंडेशन	सभी प्रयोजन
22.	कोटबागी हास्पिटल	दन्त चिकित्सा, वास्कुलर शल्य चिकित्सा को छोड़कर सभी
23.	पुना हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	दन्त चिकित्सा, बर्न, वास्कुलर शल्य चिकिरसा को छोड़कर सभी
24.	हलदिकार हास्पिटल	आर्थोपेडिक
25.	संजीवन हास्पिटल	सभी प्रयोजन
26.	लोकमान्य हास्पिटल	सभी प्रयोजन
27.	मेदिनोवा डायगनोस्टिक सर्विसिज लिमिटेड	नैदानिक, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, विकृति विज्ञान, सी टी प्रक्रियाएं
28.	गुलाटी सोनाग्राफिक क्लीनिक	अल्ट्रासाउंड
29.	द्वारिका संगमसिकर मेडिकल फाउंडेशन	विकृति विज्ञान, सी. टी., प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
30.	नेशनल इंस्टिच्यूट आफ आफथलमोलाजी	नेत्र विज्ञान
31.	होप फाउंडेशन कल्पना मेनोग्राफी सेंटर	मोनोग्राफी
32.	दीनदयाल मेमोरियल हास्पिटल	सभी प्रयोजन
33.	भारती हास्पिटल	प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, कार्डियक, तंत्रिका, वास्कुलर शल्य चिकित्सा को छोड़कर सभी
34.	सनचेती इंस्टीच्यूट फार आरथोपेडिक रिहेबीलिटेशन	आर्थोपेडिक और भौतिक चिकित्सा प्लास्टिक शल्य चिकित्सा
35.	कृष्णा सामान्य अस्पताल एवं स्त्री क्लीनिक	सभी प्रयोजन
36.	एन.एम. वाडिया अस्पताल	कान, नाक, गला, अल्ट्रासाउंड को छोड़कर सभी प्रयोजन
	हैदराबाद	
1.	शेयर मेडिकल केयर (मेडीसिटी)	सामान्य और विशिष्ट
2.	मेडविन अस्पताल	सभी प्रयोजन

1	2	3
3.	विजया डायग्नोस्टिक सेन्टर	नैदानिक प्रक्रिया (सामान्य व विशिष्ट)
4.	गगन महल नर्सिंग होम	सामान्य प्रयोजन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
5.	सी.डी. आर. अस्पताल	सभी प्रयोजन
6.	अपोलो अस्पताल	सभी प्रयोजन
7.	एल.वी. प्रसाद नेत्र अस्पताल	नेत्र विज्ञान
8.	मेडीनोवा नैदानिक केन्द्र	सामान्य और नैदानिक
9.	यशोदा अतिविशिष्टता अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	श्रवण नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	कैलाश नैदानिक और पुनर्वास केन्द्र	नैदानिक सुविधाएं
12.	टपडिया नैदानिक केन्द्र	नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	ईश्वर लक्ष्मी अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
14.	सागर लाल मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
15.	न्यू सिटी अस्पताल	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	गीता मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
17.	अशोक कुमार अस्पताल	सामान्य और कान, नाक, गला उपचार
18.	सी.सी. शरोफ मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
19.	केन्द्रीय नैदानिक और अनुसंधान संस्थान	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
20.	प्रिंसेस धरू शीबीर बाल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
21.	हरि प्रसाद मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
22.	श्री भगवान देवी मेटरनिटी और आर्थोपेडिक अस्पताल	सामान्य प्रयोजन, विकलांग और स्त्री एवं प्रसूति विज्ञान उपचार
23.	कामयानी अस्पताल	सभी प्रयोजन
	मुम्बई	
1.	पैरामाउंट इमेजिंग केन्द्र	एम आर आई और मेमोग्राफी
2.	राधीबाई वाटूमोल वक्ष अस्पताल	वक्ष के लिए सामान्य और नैदानिक
3.	मंगल आनंद अस्पताल	सभी प्रयोजन
4.	आर.जी. स्टोन क्लीनिक	नेफ्रोलोजी, यूरोलोजी, लेजर प्रोस्टेटेक्टोमी, लेपरोस्कोपिक, लीथौट्रीप्सी और नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
5.	पी.डी. हिन्दुजा अस्पताल	सभी प्रयोजन
6.	डा. बल्लभाई नानावती अस्पताल	सभी प्रयोजन
7.	बम्बई अस्पताल, 12 मेरीन लाईन्ज	सभी प्रयोजन
	इलाहाबाद	
1.	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल	सभी प्रयोजन
2.	चिरंजीव नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	मैसर्ज देवराज मेडिकल सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	सी टी अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राम
4.	कीर्ति स्केनिंग सेंटर	एक्स-रे, सी.टी., अल्ट्रासाउंड
5.	सरस्वती हार्ट केयर	टी एम टी, होल्टर मानिटरिंग
	लखनऊ	
1.	सेवा अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	यूरोलाजी, नेफ्रोलोजी, डायलिसिस, सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	लाईफलाईन अस्पताल और ह्रदय केन्द्र	कार्डियोलाजी
3.	अवध अस्पताल और ह्रदय केन्द्र	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	विवेकानन्द पोली क्लीनिक	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
5.	डायगनोस्टिक मेडिकल सेन्टर	एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सी टी स्केन, 2-डी इकोकार्डिग्राफी, टी.एम.टी.
6.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सेन्टर	अल्ट्रासाउंड, सी टी स्केन
7.	सरकार अल्ट्रासाउंड सेन्टर	अल्ट्रासाउंड
8.	ओम डायगनोस्टिक सेन्टर	एक्स-रे
	कानपुर	
1.	रीजेन्सी अस्पताल	विशिष्ट और सामान्य नैदानिक
2.	कानपुर मेडिकल सेन्टर	विशिष्ट और सामान्य और नैदानिक
3.	मधुराज नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड	विशिष्ट और सामान्य और नैदानिक
4.	सुलक्ष्मी नर्सिंग होम	विशिष्ट और सामान्य और नैदानिक
5.	डा. आई.आर.एल.एम. नेत्र अस्पताल	नेत्र विज्ञान

1	2	3
6.	सरल नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
7.	मधुलोक अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	कुलवन्ती अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
9.	चन्द्रभल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
10.	लीलामोनी मेमोरियल हास्पिटल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
11.	आभा नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
12.	लक्ष्मी देवी किशन चन्द्र मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
13.	मोहन एक्स-रे	एक्स-रे
14.	बी.एल. रोहतगी मेमोरियल डायगनोस्टिक सेन्टर	एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड
15.	परेड एक्स-रे और विकृति विज्ञान संस्थान	ई सी जी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सहित नैदानिक प्रक्रियाएं
16.	डा. थवानी वक्ष क्लीनिक और नैदानिक केन्द्र	पलमोनरी फंक्शन टेस्ट और एक्स-रे
17.	सिंह एक्स-रे और पेथोलोजी	एक्स-रे
	मेरठ	
1.	लोकप्रिया अस्पताल	विशिष्ट और सामान्य और नैदानिक
2.	सरल अस्पताल और नर्सिंग होम	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
3.	मेरठ स्टोन हास्पिटल लिमिटेड	लिथोट्रिप्सी
4.	शिवा कार्डियक लेबोरेटरी	रेडियोलाजी को छोड़कर कार्डियक जांच
5.	नीलकंठ डायलिसिस सेन्टर	डायलिसिस
6.	यूनाइटेड स्केन्ज (प्राइवेट) लिमिटेड	सी टी स्केन
7.	हार्मोन केयर	हार्मोन विश्लेषण
8.	लायन्ज पैथोलाजी लेबोरेटरी	नैदानिक प्रक्रियाएं (सामान्य प्रयोजन)
9.	डा. प्रदीप त्यागी कम्प्यूटराइज्ड पैथोलोजी लेबोरेटरी	नैदानिक प्रक्रियाएं (सामान्य प्रयोजन)
	जबलपुर	
1.	जबलपुर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	एस.सी. गुप्ता मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं

1	2	3
3.	एम.एल. ट्रस्ट अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
4.	जे.के. मेटरनिटी और नर्सिंग होम तथा कार्डियो रेसपिरेटरी अनुसंधान केन्द्र	प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान और सामान्य चिकित्सा
5.	प्रकाश गंगा नेत्र अस्पताल	नेत्र विज्ञान
6.	शिशु मंगल अस्पताल	बाल चिकित्सा विज्ञान उपचार और नैदानिक
7.	संजीवन अस्पताल	सामान्य शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग
8.	चरक नैदानिक और अनुसंधान केन्द्र	सी टी स्केन, सोनोग्राफी, इको, कलर डोपलर
9.	जबलपुर मेडिकल सेन्टर	सी टी स्केन, सोनोग्राफी, इको, कलर डोलपर
10.	विजय मेमोरियल मेडिकल और अनुसंधान केन्द्र	सोनोग्राफी, इको, टी एम टी और हार्मोन एस्से
11.	हार्ट केयर	सोनोग्राफी, इको, टी एम टी
12.	मिनोचा एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड	एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड
13.	मार्डन एक्स-रे सोनोग्राफी और पेथो सेन्टर	एक्सरे- और अल्ट्रासाउंड
14.	मार्डन डायगनोस्टिक सेन्टर	विकिरण विज्ञान
15.	आशीर्वाद एक्स-रे क्लीनिक	विकिरण विज्ञान
16.	जबलपुर एक्स-रे और पैथो सेन्टर	विकिरण विज्ञान
17.	भल्ला पैथोलोजी सेन्टर	विकृति विज्ञान
18.	स्वेता डायगनोस्टिक सेन्टर	विकृति विज्ञान
19.	नीमा पैथोलोजी सेन्टर	विकृति विज्ञान
20.	पयोनियर पैथोलोजिकल	विकृति विज्ञान
	नागपुर	
[illegible]	सुश्रिष्ट अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	विकलांग विज्ञान
[illegible]	पुरश्री गेस्ट्रोईर क्लीनिक	जठरांत्र रोग विज्ञान
[illegible]	सूबेदार अस्पताल	कार्डियोलोजी
[illegible]	श्री वर्धन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड क्लीनिक	एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, कलर डोपलर, ट्रीडमिल टेस्ट
[illegible]	डा. के.जी. देशपांडे मेमोरियल सेन्टर	कार्डियोलोजी, कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी और नेत्र विज्ञान

1	2	3
6.	रेटीना केयर अस्पताल	नेत्र विज्ञान
7.	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीच्यूट और मेडिकल सांईसिज	न्यूरोलोजी, न्यूरो-सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियोथोरियक सर्जरी और नैदानिक प्रक्रियाएं
8.	अवन्ती हार्ट क्लीनिक और अस्पताल	कार्डियोलोजी
9.	दिनेश अस्पताल और यूरोलोजीकल क्लीनिक	यूरोलोजी
10.	आई इनफेरमेरी और लेजर सेन्टर	नेत्र विज्ञान
11.	राउत बाल अस्पताल	बाल चिकित्सा विज्ञान और नैदानिक
12.	एस.एम. विश्वकर्मा मेमोरियल नेत्र अस्पताल	नेत्र विज्ञान
13.	साई नाथ डायगनोस्टिक और अनुसंधान केन्द्र	सूक्ष्मजीव विज्ञान जांच
14.	तामस्कर क्लीनिक	सामान्य शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
15.	श्री क्लीनिक मेटरनिटी और सर्जिकल	सामान्य शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
16.	सेन्ट्रल पैथोलोजी लेबोरेटरी	विकृति विज्ञान और जैव रसायन
17.	स्नेह नर्सिंग होम	सोनोग्राफी सहित प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
18.	सेन्ट्रल न्यूरोलोजिकल इंस्टीच्यूट	न्यूरो सर्जरी
19.	जयनीता पैथोलोजी और साइटोलोजी लेबोरेटरी	विकृति विज्ञान
20.	श्री राधा कृष्ण अस्पताल और अनुसंधान संस्थान	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
21.	भूरे मेमोरियल अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
22.	जनता मेटरनिटी होम और अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
23.	लता मंगेशकर अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
24.	क्रेसेन्ट नर्सिंग होम और आई सी सी यू	कार्डियोलोजी और नेफ्रोलोजी
25.	खेमका एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड क्लीनिक	एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड
26.	मैत्रु सेवा संघ मेटरनिटी होम	स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान

1	2	3
	पटना	
1.	कुरली होली फेमिली अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
2.	दृष्टि नेत्र परिचर्या और अनुसंधान केन्द्र	नेत्र विज्ञान
3.	होस्पीटो इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	सी टी स्केन और मेमोग्राफी
4.	ई.ई.जी. क्लीनिक	ई.ई.जी.
5.	बालाजी कार्डियक डायगनोस्टिक सेन्टर	टी.एम.टी., होल्डर, ई सी जी, पलमोनरी फंक्शन टेस्ट
6.	राज लक्ष्मी नर्सिंग होम	ईंडोस्कोपिक और कोलोनोस्कोपिक, लेपेरोस्कोपिक सर्जरी और नैदानिक
7.	सेन डायगनोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	सभी नैदानिक
8.	सेन्ट्रल डायगनोस्टिक	बायोकैमस्ट्री, हेमेटोलोजी, माइक्रोबायोलाजी और फरग मानिटरिंग
9.	नालन्दा अस्पताल और स्केन अनुसंधान केन्द्र	सी.टी.स्केन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे
10.	डा. एस.बी. पांडे बायोलेबोरेटरी	नैदानिक और अल्ट्रासाउंड
	रांची	
1.	राज अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	विशिष्ट और सामान्य और नैदानिक
2.	एडवांसड डायगनोस्टिक केन्द्र	सी.टी., एम आर आई, अल्ट्रासाउंड, इको, ई.सी.जी., पलमोनरी फंक्शन टेस्ट
3.	सेंट वारनावास अस्पताल	सामान्य और नैदानिक प्रक्रियाएं
	अहमदाबाद	
1.	गुजरात रिसर्च मेडिकल संस्थान	एम आर आई के अलावा सभी प्रयोजन
2.	लिथोट्रीप्सी और एम आर आई केन्द्र	लिथोट्रीप्सी और एम आर आई

दमन और दीव में कार्यपालक अभियन्ता का पद

7707. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव प्रशासन के पास कार्यपालक अभियन्ता का एकमात्र पद है जिसके कारण स्थानीय लोगों को अनेक परेशानियों और संकटों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पदों की संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। दमन और दीव प्रशासन में कार्यकारी इंजीनियर के दो पद हैं - एक दमन के लिए तथा दूसरा दीव के लिए।

महिलाओं संबंधी मामले

7708. **श्री कृष्णमराजु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं संबंधी मामलों हेतु उत्तरदायी राष्ट्रकुल मंत्रिगणों का छठवां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या थी;

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और शहरी और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में क्या-क्या सिफारिशें की गई; और

(घ) सरकार द्वारा महिलाओं की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) यह सम्मेलन/बैठक, जो त्रैवार्षिक आयोजन है, 17-19 अप्रैल, 2000 तक आयोजित किया गया और भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। राष्ट्रमण्डल के 54 सदस्यों देशों में से 46 देशों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। बैठक में भाग लेने वालो में अन्तर-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभिकरणों तथा संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्यवेक्षक भी शामिल थे। बैठक का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। इस बैठक का विषय "राष्ट्रमण्डल कार्य सूची का नई सहस्राब्दी में प्रादुर्भाव" था। मंत्रियों ने महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने, वृहत् आर्थिक नीतियों और विश्व-व्यापीकरण, महिलाओं के मानवीय अधिकारों, संघर्ष और शान्ति, राजनैतिक प्रतिभागिता तथा एच.आई.वी./एड्स पर बल देते हुए अनेक मुद्दों पर चर्चा की । बैठक का रिकार्ड लंदन से राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) की गई सिफारिशें विशिष्ट अथवा प्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों से संबंधित नहीं हैं।

(घ) एक नोट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

समानता की ओर

महिलाओं की स्थिति के बारे में चिन्ता और यह मान्यता कि राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की उन्नति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से भारतीय आयोजना और नीति का आधार रहे हैं।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से महिलाओं ने बहुत प्रगति की है; निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में निवेश, विस्तार सेवाओं के फैलाव, सूचना प्रसार के कारण महिलाओं की स्थिति में भारी सुधार हुआ है।

* स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति दर्ज की गई है। जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़कर 63 हो गई है और पुरुष जीवन प्रत्याशा से बढ़ गई है। अपरिष्कृत जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या की तुलना में घटकर 27.3 और शिशु मृत्युदर 1000 जीवित जन्मे बच्चों की तुलना में 72 रह गए हैं और महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अंतर कम होता जा रहा है।

* महिलाओं की शिक्षा में हुई वृद्धि इस बात से परिलक्षित होती है कि महिला साक्षरता दर, जो 1991 में 39.3 प्रतिशत थी; 1997 में बढ़कर 50.3 प्रतिशत हो गयी है, जो कि पुरुषों द्वारा प्राप्त वृद्धि से अधिक है। स्कूलों में लड़कियों के नामांकन की उच्च दर और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं/लड़कियों के प्रवेश में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है।

* महिला कार्य प्रतिभागिता दर, जो 1971 में 14.2 प्रतिशत थी, बढ़कर 1991 में 22.3 प्रतिशत हो गयी है। संगठित क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा 1971 में 11.0 प्रतिशत से बढ़कर 1997 में 15.9 प्रतिशत हो गया है।

* 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की ऐतिहासिक उपलब्धियों से पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पर निश्चित प्रभाव पड़ा है। महिलाओं ने पश्चिम बंगाल (35.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (43.4 प्रतिशत) जैसे राज्यों में कुल सीटों की एक-तिहाई अधिदेशात्मक अपेक्षा से अधिक भागीदारी प्राप्त कर ली है।

* 1995 के बाद से महिला-पुरुष समानता की ओर सरकार, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और नागरिक समाज द्वारा अधिक ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रचार माध्यमों और शैक्षणिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के साथ सहभागिता विकसित की गई है।

भारत का संविधान

भारत के संविधान में महिलाओं को मताधिकार सहित न केवल समान्नता का अधिकार किया गया है, बल्कि महिलाओं के साथ सकारात्मक भेदभाव करने के उपाय करने हेतु भी राज्य को अधिकार दिए गये हैं। मौलिक अधिकारों में अन्य बातों के साथ-साथ कानून हेतु के समक्ष समानता, कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, धर्म जाति, सम्प्रदाय, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषिद्ध है और रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए गये हैं। जबकि अनुच्छेद-15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषिद्ध है, अनुच्छेद-15 (3) में विशेष प्रावधान करके राज्य को महिलाओं के साथ सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद-16 में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए गये हैं। अनुच्छेद 39 (क) में आगे कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों, महिलाओं और पुरुषों, को आजीविका के साधन प्रदान करने की नीति बनायेगा, जबकि अनुच्छेद 39 (ग) समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद-42 में राज्य को काम की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियाँ तथा प्रसूति राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने का निदेश दिया गया है। इन सबके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 15 (क) (ङ) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल कोई कार्य न करे।

विधायी उपाय

इस सैद्धान्तिक समानता को वास्तविक समानता में बदलने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। राज्य ने महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों से बचाने तथा बाल विवाह, दहेज, बलात्कार, सती आदि जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अनेक महिला-विशिष्ट और महिलाओं से सम्बन्धित कानून बनाए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन का प्रावधान है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 जिसे 1976 में संशोधित किया गया, में लड़की को यह अधिकार दिया गया है कि परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व वह बाल विवाह को स्वीकार न करे, चाहे विवाह हुआ हो अथवा नहीं। 1986 में संशोधित और पुनर्नामित अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महिला अथवा पुरुष के यौन शोषण को संज्ञेय अपराध माना गया है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में वर्ष 1984 में किए गए संशोधन के अनुसार महिलाओं के साथ निर्दयता को संज्ञेय अपराध माना गया है। वर्ष 1986 में किए गए द्वितीय संशोधन के अनुसार यदि कोई महिला विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है तथा यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त महिला के साथ अत्याचार किया जाता था तो उसके पति एवं ससुराल वालों को दण्डित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता में 'दहेज-मृत्यु' नामक एक नया अपराध शामिल किया गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विवाह की आयु को बढ़ाकर लड़की के मामले में 15 वर्ष से 18 वर्ष तथा लड़के के मामले में 21 वर्ष कर दिया गया है। तथा अधिनियम के तहत इसके उल्लंघन को संज्ञेय अपराध माना गया है। कारखाना अधिनियम, 1984 (1976 तक यथा संशोधित) के तहत यह प्रावधान है कि जहाँ 30 महिलाएं (जिनमें नैमित्तिक तथा ठेका श्रमिक भी शामिल हैं) काम करती हो, वहाँ एक शिशुगृह की स्थापना की जाएगी। गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के तहत प्रशिक्षित व्यावसायिक चिकित्सक द्वारा मानवीय अथवा चिकित्सीय आधार पर गर्भपात करना वैध है। आपराधिक कानून 1983 में किए गए संशोधन के अनुसार सामान्य बलात्कार के मामले में 7 वर्ष तथा अभिरक्षा में बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है। अधिकतम दण्ड के रूप में आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा करने तथा उनके साथ हिंसा एवं उनके शोषण को रोकने के उद्देश्य से स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 तथा सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत नये कानून बनाए गए हैं।

संस्थानात्मक तन्त्र

महिला एवं बाल विकास विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में की गई थी, ताकि महिला एवं बाल विकास को आवश्यक गति प्रदान की जा सके। महिलाओं तथा बच्चों की उन्नति हेतु प्रमुख अभिकरण होने के नाते यह विभाग महिलाओं तथा बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाता है, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानून बनाता है/उनमें संशोधन करता है तथा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों

प्रकार के संगठनों के प्रयासों का दिशा-निर्देशन एवं समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं तथा बच्चों के लिए कतिपय नवीन कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करता है। ये कार्यक्रम रोजगार तथा आयोत्पादन, कल्याण तथा समर्थन सेवाओं, महिलाओं के प्रति संचेतना, रोजगार तथा आयोत्पादन हेतु प्रशिक्षण और जागरुकता विकास के क्षेत्र में चलाए जाते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग नामक एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ सांविधिक निकाय की स्थापना 31.1.92 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। आयोग के कार्यों में महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षापायों की जांच करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार को उपायों के बारे में सुझाव देना शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्या होती हैं। अधिदेश के अनुसार, आयोग महिलाओं से सम्बन्धित 30 अधिनियमों की समीक्षा कर रहा है। 17 राज्य सरकारों ने भी राज्य महिला आयोग की स्थापना कर ली है।

महिला शक्ति-सम्पन्नता पर संसदीय समिति

महिला शक्ति-सम्पन्नता पर एक संसदीय समिति का गठन 1997 में किया गया, ताकि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों पर विचार किया जा सके, महिला समानता हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच की जा सके महिलाओं के कल्याणार्थ चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इस समिति ने ग्रामीण महिलाओं के लिए विकासात्मक स्कीमों पर अपनी प्रथम रिपोर्ट 21.4.99 को लोक सभा में प्रस्तुत की।

महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने पर समिति

महिला एवं बाल विकास विभाग केन्द्रक विभाग की हैसियत से महिलाओं के लिए चलाई जा रही 27 लाभोन्मुखी स्कीमों की अन्तर-मंत्रालयीन समीक्षा करता है। हाल ही में मौजूदा समीक्षा समिति का नया नाम सरकार में 'महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने पर समिति' रखा गया है तथा इस समिति को कल्याणकारी स्कीमों के महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने का अधिदेश दिया गया है।

राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनका उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करने हेतु सभी मौजूदा विधानों तथा सरकारी स्कीमों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया जा रहा है यह कार्य बल वर्ष 2001 को 'महिला शक्ति-सम्पन्नता वर्ष' के रूप में मनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी तैयार करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु कन्वेंशन (सीडा)

भारत ने एक प्रतिबन्ध तथा दो घोषणात्मक वक्तव्यों के साथ 25.6.93 को कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। 'सीडा' समिति को प्रस्तुत प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट पर जनवरी, 2000 में विचार किया गया। सुनवाई के दौरान, 'सीडा' समिति के सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि इस कन्वेंशन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा इसे देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित कराया जाए।

कार्यवाही हेतु बीजिंग मंच (1995)

चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में सार्वभौमिक नीति दस्तावेज पर वार्ता पर बल दिया गया। कार्यवाही मंच में यह अपेक्षा की गई है कि सरकार 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई करे। सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की, जो 1975 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन से शुरू की गई थी। बीजिंग सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था, कार्यवाही घोषणा तथा मंच द्वारा प्रतिबद्धता तथा कार्यवाही का आह्वान किया गया, जो कि विश्व महिला सम्मेलनों की श्रृंखला -मैक्सिको (1975), कोपेनहेगन (1980) तथा नैरोबी (1985) की पराकाष्ठा के रूप में सामने आई। विभाग ने कार्रवाई मंच के कार्यान्वयन के संबंध में देश में हुई प्रगति की समीक्षा की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र करने के अतिरिक्त, महिलाओं को न्याय दिलाने तथा महिला शक्ति-सम्पन्नता के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों को एक पुनर्निवेश प्रश्नावली भेजी गई, ताकि उक्त क्षेत्र में उनके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा सके। बीजिंग प्लस फाइव इण्डिया कंट्री रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है।

महिलाओं के लिए स्कीमें

महिलाओं की आत्म-निर्भरता तथा आर्थिक शक्ति-सम्पन्नता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत सरकार ने अनेक स्कीमें शुरू की हैं, जैसे प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिलाओं के लिए रोजगार-सह-उत्पादन एकक स्थापित करना, समाजार्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, इन्दिरा महिला योजना, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम आदि। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता विकास कार्यक्रम, महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं। सरकार ने वर्ष 1999

में 'बालिका समृद्धि योजना' को संशोधित किया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिला को 'बालिका' के जन्म पर 500/रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्कीम के अन्तर्गत अब बालिका को प्रोत्साहन राशि के अलावा स्कूल जाने के लिए हर वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसकी राशि बालिका के नाम जमा करा दी जाएगी।

ग्रामीण महिला विकास तथा शक्ति-सम्पन्नता परियोजना (स्वशक्ति परियोजना) को अक्तूबर, 1998 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया, ताकि 6 राज्यों में स्थित 35 जिलों में महिला शक्ति-सम्पन्नता की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये वातावरण तैयार किया जा सके। इस परियोजना के अन्तर्गत, पांच वर्षों की अवधि में महिलाओं के 12000 स्व-सहायता दल गठित किए जाऐंगे।

क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं तथा विकास से सम्बन्धित अन्य कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से, विभाग ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से महिला दलों को संगठित करने तथा उनकी शक्ति-सम्पन्नता हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति में एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। प्रथम कार्यक्रम जुलाई, 2000 से प्रस्तावित है।

ग्रामीण अनाज बैंक

7709. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातियों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) सरकार ने 13 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, मणिपुर तथा महाराष्ट्र में पहचान किए गए क्षेत्रों में वर्ष 1996-97 से ग्राम अन्न बैंक के नाम से एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं:-

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	13.44	-	-
बिहार	19.84	-	-
गुजरात	19.20	14.72	-
केरल	1.92	-	-
उड़ीसा	22.40	-	100
त्रिपुरा	1.92	-	-
मध्य प्रदेश	56.96	-	-
महाराष्ट्र	19.20	-	-
कुल	154.88	14.72	100

सरकारी कालोनियों में नियमित रूप से सफाई करना/झाड़ू लगाना

7710. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने डी.आई.जेड. क्षेत्र की सरकारी कालोनियों में दीवार बनाने के बाद उनकी नियमित रूप से सफाई करवाने/झाड़ू लगवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से सीमांकन करने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका के प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन कालोनियों में जहां पहले नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्रति दिन सफाई करवाने/झाड़ू लगवाने का काम करवाया जाता था, यह काम शुरू कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन क्षेत्रों में सफाई रखने और गंदगी को एकत्र होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी, नहीं। नई दिल्ली नगर पालिका अधिनियम के

अनुसार नियमित सफाई जिसमें क्षेत्र की झाड़ू लगवाने/सफाई करवाने, बरसाती पानी के नालों को साफ करवाने, सीवर लाइनों से कचरे को हटवाने आदि की जिम्मेदारी नई दिल्ली नगर पालिका की है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली नगर पालिका को प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से अपेक्षित सेवा प्रभार का भुगतान कर रहा है।

[हिन्दी]

विशिष्ट व्यक्तियों का सुरक्षा कवर

7711. **श्री विजय गोयल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान जिन विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा कवर में कमी की गई है उनके नाम क्या हैं;

(ख) ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा (जैड और जैड प्लस कवर) उपलब्ध कराई गई है उनके नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने तथा लोक जीवन में कार्यरत व्यक्तियों, जिन्हें उग्रवादियों या आतंकवादियों का कोप भाजन बनना पड़ता है, को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, प्रत्येक मामले में खतरे की नवीनतम संभावना के आधार पर सुरक्षा की आवश्यकता तथा सुरक्षा प्रबन्धों के स्केल की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। नवीनतम खतरे की संभावना के आधार पर सुरक्षा में वृद्धि, कमी की जाती है। या सुरक्षा हटा ली जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था या तो कम कर दी गई हो अथवा जो सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों के अधीन आते हों, के नाम प्रकट करना सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं होगा।

के.स.स्वा.यो. संबंधी पुस्तिका

7712. **डा. गिरिजा व्यास:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली और उसके बाहर रहने वाले पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में सूचना देने वाली कोई नई पुस्तिका उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पुस्तिका में दिल्ली और उसके बाहर स्थित अस्पतालों, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथिक औषधालयों के बारे में भी जानकारी रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) इस पुस्तिका में उन चिकित्सा सुविधाओं जिनका के.स.स्वा. योजना के कवर किए गए शहरों में पेंशनभोगियों द्वारा लाभ उठाए जा सकता है और पेंशनभोगियों को के.स.स्वा.योजना के कार्डों को जारी करने के लिए आवेदन करने इत्यादि का ब्यौरा होगा।

(ग) और (घ) इस पुस्तिका में भारतीय चिकित्सा पद्धति, होमियोपैथिक औषधालयों और अस्पतालों की भी सूचना होगी। दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर के के.स.स्वा. योजना के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सूची इस पुस्तिका में शामिल की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला

7713. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एन.सी.एल.) पुणे (महाराष्ट्र) के वैज्ञानिकों ने आधुनिकतम फार्मुलेशन-ई.सी.ओ.एन.सी.एल.-विकसित किया है जो अब तक अलग न किये जा सकने वाले औद्योगिक अपशिष्ट लिगनिन को अलग करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो नये फार्मुलेशन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश के विभिन्न उद्योगों में इसके व्यापक उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा कुछ राज्य प्रदूषण बोर्डों को इन विकासों की जानकारी दी

गई है। इस प्रक्रम के प्रदर्शन को औद्योगिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने देखा। इस प्रक्रम से पानी की बचत होती है जिसे पुन: उपयोग में लाया जाता है। इसकी उपयोगिताओं के संबंध में औद्योगिक संगठनों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर दिया जाता है।

दिल्ली में फ्लाई ओवर

7714. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थान-वार निर्माण किए गए फ्लाई ओवरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन फ्लाई ओवरों हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सभी फ्लाई ओवरों का कब तक निर्माण और पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलक नगर में नजफगढ़ रोड़ पर एक फ्लाई ओवर बनाया गया है।

(ख) 11.28 करोड़ रुपये।

(ग) दिल्ली नगर निगम डी डी ए तथा रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संगठन का नाम	फ्लाई ओवरों की संख्या जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और जिनके निम्नलिखित अवधि तक पूरे होने की संभावना है			फ्लाई ओवरों की संख्या जिनकी योजना बनाई जा रही है और इनका कार्य इस अवधि तक पूरा होने की संभावना है	
	2000	2001	2002	2003	2004
दिल्ली नगर निगम	-	1	-	-	-
डी.डी.ए.	5	2	-	-	-
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग	4	3	2	13	3

इसके अलावा दिल्ली नगर निगम का एक फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव है जिसके शुरू करने की तारीख से 15 महीने के अंदर पूरा होने की संभावना है।

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की परियोजना

7715. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड की परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत क्या है और इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया गया; और

(ग) परियोजना चालू होने के बाद रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के रूप में क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (रमेश बैस): (क) हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स लि. ने एक संघटित नेफ्था क्रैकर काम्पलेक्स को पूरा कर लिया है। इस समय प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण प्रगति पर है।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 5170/-करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इसका वित्त पोषण 1979 करोड़ रुपये की इक्विटी तथा 3191 करोड़ रुपये के ऋण से किया गया है।

(ग) इस परियोजना के चालू होने से पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास तेज हो जाने की आशा है। प्रतिवर्ष 6 लाख टन से अधिक प्लास्टिक के कच्चे माल की उपलब्धता से प्लास्टिक प्रसंस्करणमूलक इकाइयां स्थापित करने में सुविधा होगी जिनसे रोजगार का सृजन होगा।

यू.जी.सी. के अधिकारियों को शक्तियां

7716. श्रीमती कैलाशो देवी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.जी.सी. के अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दिया जाना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और केन्द्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यू.जी.सी. के वर्तमान अध्यक्ष ने जुलाई, 1999 से सभी अधिकारियों की शक्तियां वापस ले ली थीं और इन सभी शक्तियों को यू.जी.सी. अधिनियम का उल्लंघन कर अपनी शक्तियों में संकेन्द्रीत कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वित्तीय शक्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 1983 के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपी गई थी। ये शक्तियाँ मुख्य रूप से अध्यक्ष, सचिव, वित्तीय सलाहकार और निदेशक (प्रशासन) को सौंपी गई हैं। कुछ शक्तियां कार्य की सुविधा के लिए वित्त और प्रशासन ब्यूरो के प्रभागीय प्रमुखों तथा शाखा अधिकारियों को भी सौंपी गई हैं।

जुलाई, 1999 में तत्कालीन सचिल वि.अ.आ. के प्रत्यावर्तन के कारण उस अवधि के दौरान अनेक समस्याएं पैदा हुई और एक कार्यालय आदेश जारी करना पड़ा जिसके द्वारा संस्वीकृति/अनुमोदन मांगने वाली सभी फाइलों को संस्वीकृति, अवलोकन और अंतिम अनुमोदन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष, वि.अ.आ. को भेजा जाना अपेक्षित था। अगस्त, 1999 के माह में पूर्व सचिव ने अंतिम रूप से वि.अ.आ. को छोड़ दिया और अक्तूबर, 1999 में जब स्थितियाँ सामान्य हो गई तब वित्तीय सलाहकार और निदेशक (प्रशासन), वि.अ.आ. को सारी शक्तियां वापस कर दी गई थीं। चूंकि जुलाई, 1999 से वि.अ.आ. में कोई नियमित सचिव नहीं रहा है अत: सचिव की शक्तियों को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

योजनागत योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए संयुक्त सचिव तथा अपर सचिव के रैंक के अधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में भी अनुसूची 2 में उल्लेख है। चूंकि वि.अ.आ. को योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अनेक शिकायतें मिलती रहीं थीं और इन योजनाओं को सुव्यस्थित, सुदृढ़ और जहाँ आवश्यक हो संशोधित करने की दृष्टि से नौवीं योजना के अंतर्गत चल रही अनेक योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जरूरत है, यह उचित समझा गया कि सभी फाइलें अध्यक्ष, वि.अ.आ. को दिखाई जाएं।

द्वारका में विद्युत उप-केन्द्र

7717. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वारका में दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दिल्ली में सहकारी समूह आवासीय समिति (सी.जी.एच.एस.) के लिए विद्युत उप-केन्द्र बनाने की अपनी जिम्मेवारी से मुकरने के कारण समिति को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी समूह आवासीय समिति को स्वयं के जोखिम पर स्वयं के उप-केन्द्रों के निर्माण का अधिकार देने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का उक्त विद्युत उपकेन्द्रों को अपने नियंत्रण में लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दिल्ली सरकार के दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि उसके पास दो नीतियां हैं जिनमें से एक का चुनाव सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों की सुविधानुसार और उनकी स्वीकार्यता पर किया जा सकता है। दोनों योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सहकारी समूह आवास समितियों आदि को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की नीतियों का ब्यौरा

नीति-1

इस नीति के तहत, दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) और सहकारी समूह आवास समितियों (सीजीएचएस) दोनों को एच टी

नेटवर्क, सब-स्टेशन की लागत का आधा-आधा हिस्सा वहन करना होता है परन्तु, एल टी नेटवर्क की संपूर्ण लागत में सीजीएचएस द्वारा वहन की जाएगी। दिल्ली विद्युत बोर्ड सिस्टम को अपने अधिकार में ले लेगा और उसका अनुरक्षण अपने आप करेगा। प्रत्येक फ्लैट धारक सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् व्यक्तिगत बिजली के कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत मीटरों में दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

नीति-2

सीजीएचएस/डीडीए फ्लैटों, 11 केवीएचटी प्रणाली वाले वाणिज्यिक/आवासीय काम्प्लेक्सों, जिन्हें कम से कम 50 फ्लैटों/यूनिटों के लिए 250 के.वी.ए. के न्यूनतम लोड की आवश्यकता होती है के विद्युतीकरण के लिए दिल्ली बिजली आपूर्ति उपक्रम (डेसू) जो अब डीवीबी है के द्वारा 1996 में आरम्भ की गई वैकल्पिक योजना अनिवार्य नहीं है। इस नीति के अंतर्गत ट्रांसफोरमरों के संस्थापन, संचालन तथा रख-रखाव, एल टी वितरण नेटवर्क जिसमें प्रति व्यक्ति मीटरिंग, बिलिंग तथा राजस्व वसूली का संपूर्ण उत्तरदायित्व समितियों/प्रमोटरों का होगा। वे डीवीबी द्वारा टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर दिए गए बिलों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे। इस उद्देश्य के लिए, टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार समिति को बिजली खपत बिल पर 15% की छूट मिलने की अनुमति है। काम्प्लेक्स में स्थापित लिफ्ट, पेयजल, सीवेज पंप, स्ट्रीट-लाइटिंग प्रणाली जैसी सामान्य सेवाओं के लिए बिजली उसी कनेक्शन परन्तु अलग मीटर प्रणाली से उपलब्ध कराई जाएगी। समितियों/प्रमोटरों के लिए बिलिंग एच टी मीटरिंग प्रणाली पर की जाएगी। डीवीबी एच.टी.फीड नेटवर्क का संपूर्ण खर्च एच टी मीटरिंग क्यूबिकल तक ही वहन करेगा। इस मीटरिंग क्यूबिकल के बाद संपूर्ण खर्च समितियों/प्रमोटरों द्वारा वहन किया जाएगा।

इस नीति के तहत, समितियों/प्रमोटरों को एचटी कनेक्शन का उपयोग कर रहे सभी मूलभूत लाभग्राहियों की प्राधिकृत निकाय से अपरिवर्तनीय संकल्प लेना होगा कि आवासीय/वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में डीवीबी से अपना अलग कनेक्शन लेने के वे अधिकारी नहीं होंगे।

इस नीति के अनुसार समितियों/प्रमोटरों को एच.टी स्विच गियर और मीटरिंग क्यूबिकल संस्थापित करने हेतु डीवीबी को 5.4×3.6 मीटर का निर्मित क्षेत्र मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा।

बिजली कनेक्शन चालू करने से पहले समितियों/प्रमोटरों को एक करार करना होगा। यह करारनामा 7 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके पश्चात, यदि इच्छुक हों, तो एच टी नेटवर्क के साथ सब स्टेशन को संचालन तथा रखरखाव के लिए डीवीबी को लागत मुक्त दिया जा सकता है। संस्थापन उचित हालत में न पाए जाने पर समितियों/प्रमोटरों को त्रुटि प्रभारों का भुगतान करना पड़ सकता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक

7718. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालयों में पी.जी.टी. और टी.जी.टी शिक्षकों को दिए गए वेतनमान के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को अखिल भारतीय रैली आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो शिक्षकों की अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जे.)ने अपनी मांगों के लिए 28 अप्रैल, 2000 को एक रैली आयोजित की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक अध्यापकों के वेतनमानों में आगे संशोधन, संगीत अध्यापकों को टी.जी.टी. ग्रेड देना, अंशदायी भविष्य निधि को सामान्य भविष्य निधि में परिवर्तित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता आदि प्रदान करना शामिल था।

(घ) और (ङ) संघ ने अपने एक पत्राचार में सूचित किया है कि इसके प्रतिनिधियों ने नवम्बर/दिसम्बर, 1999 में राज्य मंत्री (शिक्षा) से विचार-विमर्श किया था। संघ की मांगों पर जे.सी.एम. की 27 अक्तूबर, 1999 को आयोजित बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था। जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ संघ के महासचिव ने भाग लिया था। मांगों पर संगत नियमों व प्रक्रिया अनुसार विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित व्यापारिक परिसर

7719. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए योजनावार और श्रेणी-वार कितने आवासीय स्थल, प्लाट, फ्लैट, मकान और व्यापारिक प्लाट/स्थल/दुकानें आदि बनाए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को उक्त आवासीय स्थलों, प्लाटों, फ्लैटों, मकानों और व्यावसायिक प्लाटों/स्थलों/दुकानों का आबंटन किया गया और कुल संख्या की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पंजीकृतों के लिए फ्लैटों, और तैयार दुकानों के निर्माण की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, डीडीए की नीति अनुसार प्रत्येक स्कीम में, निर्मित फ्लैटों, दुकानों/स्टालों और प्लाटों (रोहिणी रिहायशी स्कीम के तहत), का $17^1/_2$% और $7^1/_2$% क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटन के लिए आरक्षित हैं। यदि अनुसूचित जनजातियों के लोगों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष यूनिटों को अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों को आबंटित किया जाता है और ऐसा ही विलोमतः किया जाता है। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही श्रेणियों के लोगों से अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो शेष यूनिटों को सामान्य श्रेणी के लोगों को दिया जाता है।

उक्त श्रेणियों के लोगों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित फ्लैटों, दुकानों/स्टालों, प्लाटों (रोहिणी रिहायशी स्कीम) की संख्या दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित फ्लैटों, दुकानों/स्टालों/प्लाटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

फ्लैट-

वर्ष	आबंटित फ्लैट	जिनमें से अनु.जाति/जनजाति को आबंटित फ्लैटों की सं.	फ्लैटों का प्रतिशत
1997-98*	2992	645	25%
1998-99	11033	2914	26%
1999-2000*	10064	2480	25%

*विशेष टिप्पणी: वर्ष 1997-98 और 1999-2000 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आबंटित 413 और 141 फ्लैटों को छोड़कर 25% आता है।

दुकानें/स्टाल

वर्ष	उपलब्ध करायी गयी दुकानें/स्टाल	अनु.जाति/अनु.जनजाति को आबंटित की गई दुकानें/स्टॉल	आबंटित दुकानों/स्टालों का प्रतिशत
1997-98	562	140	25%
1998-99	424	106	25%
1999-2000	326	81	25%

प्लॉट (रोहिणी रिहायशी स्कीम)

वर्ष	उपलब्ध कराये गये फ्लॉटों की संख्या	अनु.जाति/अनु.जनजाति को आबंटित प्लाट	आबंटित फ्लॉटों का प्रतिशत
1997-98	-	-	-
1998-99	06	05	25%
1999-2000	-	-	-

शेष बचे पंजीकृत व्यक्तियों को यह फ्लॉट आबंटित किए गए हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का दौरा

7720 **श्री सिमरनजीत सिंह मान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा अन्य मानवाधिकार संगठनों को पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू एवं कश्मीर और उग्रवाद/विद्रोह संबंधी गतिविधियों से प्रभावित देश के कुछ अन्य भागों को छोड़कर भारत में आने की अनुमति है।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी

7721. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री तरुण गोगोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विप्लवी संगठनों के विप्लवियों ने आत्मसमर्पण किया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विप्लवी संगठनों से बातचीत करने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुमराह युवकों द्वारा विद्रोह की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या इस प्रकार है:-

1997	1998	1999
270	187	109

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) एन एस सी एन (आई एम) के साथ युद्ध विराम और शान्तिवार्ता 1 अगस्त, 1997 से चल रही है। बोडो लिब्रेशन टाईगर (बी एल टी) के साथ अभियानों के निलम्बन की घोषणा भी इस वर्ष के आरम्भ में की गई थी। एन एस सी एन (के) ने भी भारत सरकार के साथ औपचारिक "युद्ध विराम" और राजनैतिक वार्ता के बारे में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की है।

उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती, विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहयात स्वीकृत करना, गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना और कुछ उग्रवादी/विद्रोही गुटों को "विधि विरुद्ध संगठन" अधिसूचित करना शामिल है। स्थिति पर नजर रखी जाती है और समुचित कार्रवाई करने के लिए उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

हडको द्वारा जलगांव नगर पालिका को ऋण

7722. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको ने हाल ही में जलगांव नगरपालिका, महाराष्ट्र हेतु कोई ऋण दिया है;

(ख) क्या हडको द्वारा किसी विशेष छोटी नगर परिषद को इतना अधिक ऋण सीधे ही दिया जाना सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के ऋण किसी अन्य नगर निगम को दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हडको द्वारा महाराष्ट्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान ऋण स्वरूप कितनी धनराशि तथा वित्तीय सहायता मंजूर की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 के दौरान जलगांव नगर पालिका के लिए हडको द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले के वर्षों में हडको ने जलगांव नगरपालिका के लिए ऋण स्वीकार किए हैं। जलगांव नगरपालिका के लिए स्वीकृत ऋण और दी गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हडको दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्र योजनाओं के लिए नगर पालिका निकाय ऋण ले सकते हैं। हालांकि नगर पालिका निकाय सहित किसी विशेष एजेंसी के लिए नियतन तय नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों के लिए स्वीकृत ऋण के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) हडको द्वारा महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत ऋण के विवरण इस प्रकार हैं:-

वर्ष	करोड़ रु. में स्वीकृत ऋण राशि
1997-98	229.42
1998-99	1068.36
1999-2000	812.41

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न नगर निगमों के लिए हडको द्वारा स्वीकृत ऋण राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	नगर निगम का नाम	स्वीकृत राशि		प्रदान की गई राशि	
		आवास तथा कार्य योजना स्कीमें	शहरी राशि	आवास तथा कार्य योजना स्कीमें	शहरी अवस्थापना
1.	चालीसगांव नगर निगम	--	--	59.90	--
2.	शोलापुर नगर निगम	217.28	--	150.32	--
3.	पुणे नगर निगम	--	10000.00	9.21	426.25
4.	नागपुर नगर निगम	--	8182.00	--	1275.00
5.	चन्द्रपुर नगर निगम	--	303.41	--	--
6.	शीरपुर बरवाडे नगर परिषद	--	625.00	--	107.10
7.	जलगांव नगार परिषद	7904.07	5000.00	2665.62	5413.56
8.	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	2131.87	--	79.03	--
	योग	10253.22	24110.41	2964.08	7221.91

औषधीय गुण वाली जड़ी बूटियां

7723. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधीय गुणों वाले कितने पादपों का अब तक पता लगाया गया है और अभिलेखबद्ध किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उड़ीसा के गंधमर्दन क्षेत्र का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8000 पादप प्रजातियों के औषधीय महत्व की होने की जानकारी है। लगभ 2200 पादपों के आयुर्वेदिक प्रयोग की पहचान की गयी है। इनमें से कुछ पादप यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, सबमें समान हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय यूनानी औषधीय अनुसंधान परिषद की सर्वे इकाइयों ने औषधीय पादपों के लिए इस क्षेत्र का प्राथमिक सर्वे और पर्यवेक्षण किया है।

कर्नाटक को धनराशि की प्रतिपूर्ति

7724. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी थी;

(ख) धनराशि की अब तक प्रतिपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बकाया राशि जारी करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) राज्य महालेखाकारों से व्यय के अंकेक्षित विवरण की प्राप्ति के बाद राज्य सरकारों को देय राशि का हिसाब किया जाता है। कर्नाटक से संबंधित सूचना 1997-98 की अवधि तक के लिए प्राप्त हुई है और राज्य सरकार को देय राशि की प्रतिपूर्ति पहले ही कर दी गई है।

केरल में स्वास्थ्य संस्थाएं

7725. श्री टी. गोविन्दन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं के विकास हेतु कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने 423.65 करोड़ रुपये की कुल लागत से 72 द्वितीयक स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक सहायता के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताओं में जनसंख्या के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देने की व्यक्तिगत वहनीयता का ध्यान रखे बिना सभी को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से कारगर प्रथम रेफरल स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना है।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया है और इन टिप्पणियों के विचार से परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए केरल सरकार को ये टिप्पणियां भेज दी गई हैं।

संस्थानों की लेखा परीक्षा

7726. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित जिन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सब संस्थानों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वापक संबंधी प्रचार पर प्रतिबंध

7727. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, स्वापकों (नारकोटिक्स) और मादक दवाओं के संबंध में किए जा रहे व्यापक प्रचार पर प्रतिबंध लगाने या इसकी सीमाएं तय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) औषधों, जिसमें स्वापक औषधयुक्त औषध योग शामिल हैं, को औषध और चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम और नियमों के अंतर्गत बड़ी संख्या में रोगों और विकारों की औषधियों के बारे में विज्ञापनों पर प्रतिबंध/निषेध के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

नियमों का उल्लंघन

7728. श्री खारबेल स्वाइं: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.डी.ए. की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं, जहाँ भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया है;

(ख) क्या इन नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की गई; और

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 829 मामले।

(ख) जी, हां।

(ग) 403 मामलों में सील करने और गिराने के आदेश दिए गए हैं। शेष 426 मामलों में विभिन्न स्तरों पर सुनवाई/कार्रवाई चल रही है।

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

7729. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों की राजधानियों और विशेषकर जिला-स्तर पर केन्द्रीय अस्पतालों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और उन्नत बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन अस्पतालों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करके ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) उन पर अस्पताल-वार कितना खर्च आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) राज्य की राजधानियों आदि में स्थापित अस्पतालों सहित केन्द्रीय सरकार अस्पतालों और संस्थाओं में सुविधाओं को समुन्नत करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य अनुमोदित योजना स्कीमों के अंतर्गत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इसलिए यह संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अपनी प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अस्पतालों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु सहायता प्रदान करे। द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर/समुन्नत करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर/समुन्नत करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

7730. श्री अनंत नायक:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षयरोग को नियंत्रित करने के सरकार के सभी प्रयास विफल हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्षयरोग के मामलों का प्रतिशत सर्वाधिक होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियां इन परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उनसे किन-किन तारीखों से और कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की गयी;

(च) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया है; और

(छ) सरकार ने देश में इस रोग को नियंत्रित करने में कहां तक सफलता पायी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। 1992 में एक विशेषज्ञ समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की और इसके निष्कर्ष इस प्रकार थे:-

- 40 प्रतिशत से कम रोगियों ने उपचार पूरा किया।
- अपर्याप्त बजट और अपर्याप्त प्रबन्धकीय क्षमता।
- औषधकों की कमी।
- एक्स-रे द्वारा निदान पर जोर जिससे गलत निदान होता है।
- थूक सूक्ष्मदर्शकी की खराब गुणवत्ता।
- औषध विधानों की बहुलता।
- उपर्युक्त कमियों के कारण इस कार्यक्रम के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं थे।

(ग) समीक्षा समिति के निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने कम से कम 85 प्रतिशत नए स्मीयर पॉजिटिव रोगियों को ठीक करने तथा कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है।

(घ) से (च) विश्व बैंक जून, 1997 से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 142.2 मिलियन अमरीकी डालर का उदार ऋण प्रदान कर रहा है। डानिडा 1998 से उड़ीसा के 14 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 31.95 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रहा है। डी एफ आई डी अप्रैल, 2000 से आन्ध्र प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100.93 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रहा है।

(छ) पहले के कार्यक्रम में 30-40 प्रतिशत की स्वस्थता दर की तुलना में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 प्रतिशत की स्वस्थता दर प्राप्त कर ली गई है।

पेय जल की सुविधा

7731. श्री अनन्त गंगाराम गीते: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली है कि राज्य सरकारों को नगर पालिका क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए जारी वित्तीय सहायता का इसी प्रयोजनार्थ वास्तव में सही उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) का वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आकलन के लिए एक निगरानी प्रणाली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1991 की जनगणना के तहत 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में पेय जल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 50:50 के बराबरी के अंश आधार पर धन मुहैया कराया जाता है। कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के जल आपूर्ति सचिवों/प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। 1993-94 के मध्य में कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर आज तक 2.3.95, 20.7.95, 7.11.95, 12.3.96, 27.9.96, 4.2.97, 17.8.98 और 18.11.99 को ऐसी 8 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य

7732. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक इनमें से प्रत्येक संगठन को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तथा कमजोर वर्गों/आदिवासियों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य में लगी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उनके कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

चिकित्सा उपचार हेतु स्वीकृत अस्पताल

7733. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, राजकोट गुजरात ने राज्य में कुछ अस्पतालों की मंजूरी के लिए आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति, राजकोट के अध्यक्ष से सी.एस.(एम.ए.) नियम, 1944 के अंतर्गत अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा, जो उन्हें भेज दिया गया है, में आवेदन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सीमा पार से खतरा

7734. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के 'द पायोनियर' में 'ट्रांस-बार्डर मिनेस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सीमाओं पर उचित सड़क संपर्क नहीं है, जैसा कि चीन के साथ है जिसके परिणामस्वरूप हमारी सेनाएं आदि सीमाओं पर सुगमता से नहीं पहुंच पाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीमा पार से लगातार अवैध अप्रवास हो रहा है जिससे कि हमारी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ उपयुक्त संचार सम्पर्कों के विकास की जरूरत से अवगत है। उत्तर और पूर्वोत्तर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार सहित संभारिकी मूलभूत संरचना को विकसित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

(घ) जी हां, श्रीमान्। घुसपैठ से आन्तरिक सुरक्षा की विभिन्न समस्याएं होती हैं और अनेक सामाजिक-आर्थिक कठिनाईयां भी उत्पन्न होती हैं।

(ङ) घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सड़कों का निर्माण/सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करना, भूमि तथा नदी तटीय और तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त गहन करना, सीमा बुर्जों की संख्या बढ़ाना, सीमा पर तैरना टुकड़ियों को निगरानी उपकरण और नाईट विजन डिवाईसिस तथा भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील भागों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना शामिल है। सम्पूर्ण भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय भी लिया गया है।

अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी अनुदेश जारी किए गए हैं। अनेक राजनयिक पहलें भी की गई हैं। स्थिति का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जाता है। घुसपैठ और हथियारों/विस्फोटकों इत्यादि की तस्करी रोकने के लिए जम्मू क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अवरोधक प्रणाली लगाने के लिए बहुत रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

हाकी और फुटबाल का विकास

7735. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाकी और फुटबाल जैसे विश्वस्तर के लोकप्रिय खेलों का विकास करने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार प्रत्येक वर्ष प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विश्व स्तर पर फुटबाल में कोई स्थान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खेल "राज्य" का विषय है और खेलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों की अपनी-अपनी योजनाएं हैं। तथापि, केन्द्र सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को बढ़ावा भी देती है:-

- खेल अवस्थापना के सृजन सहित खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान।
- हाकी के लिए एस्ट्रो-टर्फ सहित सिंथेटिक परतों की आपूर्ति और स्थापना के लिए सहायता की योजना।
- स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) प्रतिभाओं का पता लगाता है और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, विशेष क्षेत्र खेल, सेना बाल खेल कम्पनी, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उत्कृष्टता केन्द्रों संबंधी अपनी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें वैज्ञानिक रूप से तैयार करता है। इन योजनाओं के लाभार्थी खिलाड़ी हाकी और फुटबाल सहित सभी खेल विधाओं के हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे हाकी और फुटबाल के प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत, हाकी और फुटबाल के प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) किसी विशिष्ट खेल का संवर्धन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जिम्मेदारी होती है। जो अपने कार्यकरण में स्वायत्तशासी होते हैं। तथापि, सरकार ने फुटबाल को "प्राथमिकता" वाली श्रेणी में रखा है तथा "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए दिशानिर्देशों" के अंतर्गत, अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) को विदेशों में प्रदर्शन, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन भारतीय/विदेशी अनुशिक्षकों के माध्यम से अनुशिक्षण, वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन आदि के लिए स्वीकार्य सहायता प्रदान करती है।

विवरण-1

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे फुटबाल और हाकी केन्द्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या	
	फुटबाल	हॉकी
1	2	3
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता		
कर्नाटक	1	1
बिहार	1	2
पश्चिम बंगाल	3	1
उड़ीसा	1	2
त्रिपुरा	1	-
सिक्किम	1	-

1	2	3
उत्तर प्रदेश	1	2
महाराष्ट्र	-	1
गोवा	1	-
अरूणाचल प्रदेश	1	-
मणिपुर	1	1
मेघालय	1	-
चण्डीगढ़	1	1
पंजाब	-	1
हरियाणा	-	1
सेना बाल खेल कम्पनी		
कर्नाटक	1	3
मध्य प्रदेश	-	1
उत्तर प्रदेश	1	-
मेघालय	2	-
बिहार	1	2
भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र		
कर्नाटक	1	2
पश्चिम बंगाल	4	1
उड़ीसा	2	-
उत्तर प्रदेश	1	1
महाराष्ट्र	-	1
गोवा	1	-
नागालैण्ड	1	-
मणिपुर	1	1
मेघालय	1	-
चण्डीगढ़	-	1
हरियाणा	-	1
हिमाचल प्रदेश	-	1
पंजाब	-	1
गुजरात	1	1
केरल	1	1
तमिलनाडु	1	1
असम	1	-
मध्य प्रदेश	-	1
पाण्डिचेरी	-	1
आन्ध्र प्रदेश	-	1
विशेष क्षेत्र खेल		
बिहार	-	1
पोर्ट ब्लेयर	1	-

विवरण-2

भा.खे.प्रा. की योजनाओं के अंतर्गत हाकी और फुटबाल के प्रशिक्षणार्थियों के ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
		फुटबाल	हॉकी
1.	विशेष क्षेत्र खेल	42	58
2.	भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र	323	444
3.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	249	258
4.	सेना बाल खेल कम्पनी	115	113

[अनुवाद]

स्पेशल सर्विस ग्रुप का गठन

7736. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने अमरीका की स्पेशल आपरेशन फोर्सेज और सोवियत संघ के स्पेक्टेस्नाज ट्रुप्स आदि की भांति स्पेशल सर्विस ग्रुप बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्पेशल सर्विस ग्रुप का मुकाबला करने के लिए ऐसे ही एक बल का गठन करने का है;

(ग) क्या नेपाल सीमा पार से विस्फोटकों, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी खुली नीति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पाकिस्तान में काफी समय से स्पेशल सर्विस ग्रुप मौजूद है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) से (ङ) आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों द्वारा खुली भारत-नेपाल सीमा का दुरुपयोग अन्य बातों के साथ-साथ, विस्फोटकों, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया गया है। तथापि, यह इंगित करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं हैं। ऐसी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार के पास इस सीमा के खुले स्वरूप को बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों की आपूर्ति

7737. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और उर्वरक निगम ने आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विभिन्न रसायनों और उर्वरकों की विभिन्न राज्यों को आवश्यकतानुसार उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम द्वारा राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी आपूर्ति की गई है; और

(ङ) भारतीय उर्वरक निगम की रामागुण्डम स्थित सुविधाओं का उपभोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 के दौरान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) ने आन्ध्र प्रदेश को सिलों तथा क्षेत्रीय गोदामों में पड़े यूरिया की 12630 मी. टन की आपूर्ति की है।

(ग) और (घ) एफ सी आई का सिन्दरी एकक वर्तमान में चल रहा है और यूरिया का उत्पादन कर रहा है। यह इसकी आपूर्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किए गए आबंटन के अनुसार विभिन्न राज्यों को कर रहा है। इससे पूर्व 1998-99 तक एफ सी आई के सभी तीनों सिन्दरी, तालचर और रामागुण्डम एककों ने यूरिया का उत्पादन किया है तथा राज्यों को आपूर्ति की है। एफ सी आई द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को आपूर्ति किए गए यूरिया के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(000 मी. टन यूरिया)

वर्ष	बिहार	पं. बंगाल	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश
1997-98	132.6	100.2	74.3	94.5
1998-99	147.4	95.3	49.3	95.9
1999-2000	181.4	87.4	41.7	12.6

(ङ) एफ सी आई के आन्ध्र प्रदेश में स्थित रामागुण्डम एकक के उत्पादन प्रचालनों को आवर्ती वित्तीय हानियों तथा उत्पादन की उच्च लागत के कारण अप्रैल, 1999 से बन्द कर दिया गया था। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर रामागुण्डम एकक सहित एफ सी आई के लिए पुनर्वास प्रस्ताव भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है और तत्पश्चात अंतिम स्वीकृति हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

शहरों को विरासत का दर्जा

7738. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा के शहरों को "विरासत का दर्जा" देने और उनको आदर्श शहरों के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) किन-किन शहरों का इस दर्जे हेतु चयन किया गया है; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वयन हेतु कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। शहर को विश्व विरासत का दर्जा देना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल

7739. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:
श्री सुनील खां:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल कार्यकलापों के सिद्धान्तों पर श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय खेलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक राष्ट्रीय खेल पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) इन राष्ट्रीय खेलों पर निधियों के आबंटन हेतु क्या नियम निर्धारित किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगामी राष्ट्रीय खेल, 2000 में पंजाब में आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

1997-98	285.53 लाख रुपये
1998-99	354.47 लाख रुपये
1999-2000	276.72 लाख रुपये

(ङ) राष्ट्रीय खेलों के लिए ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिसके अंतर्गत इन खेलों के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। तथापि, आयोजकों की अपेक्षाओं की जांच करने के पश्चात, सरकार अपनी विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत धनराशि आबंटित करती है।

खेल कोटे से नौकरियाँ

7740. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार खिलाड़ियों के खेल को प्रोत्साहित देने वाले सेवा नियमों की किस प्रकार समीक्षा करना चाहती है; और

(ख) खिलाड़ियों में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों में किए जाने वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) इस समय खिलाड़ियों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी सेवा नियमों के अनुसरण में समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्तमान में यह प्रावधान है कि सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा प्रतिष्ठानों में समूह "ग" और "घ" के रिक्त पदों में से 5 प्रतिशत तक पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरे जा सकते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लिपिकीय एवं अधीनस्थ संवर्गों में सामान्य भर्ती के एक प्रतिशत तक पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यूरिया का उत्पादन

7741. श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम्: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश की स्वीकृत यूरिया उत्पादन की वर्ष-वार क्षमता कितनी है;

(ख) इस संयंत्र के चालू होने के पश्चात् वास्तविक यूरिया उत्पादन वर्ष-वार कितना-कितना रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. द्वारा देश-वार कितना यूरिया आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. को दी जा रही राजसहायता केवल कारखाने में उत्पादित यूरिया के लिए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कारखानों को चालू होने के समय से अब तक वर्ष-वार कितनी राजसहायता दी गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. दोनों संयंत्रों के प्रत्येक की यूरिया की वार्षिक स्थापित क्षमता 4.95 लाख मी. टन है।

(ख) इन संयंत्रों के आरम्भ की तारीख से वर्ष-वार वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा है:-

वर्ष	उत्पादन (000 मी.टन)	
	संयंत्र-1	संयंत्र-2
1992-93	309.04	-
1993-94	591.2	-
1994-95	675.1	-
1995-96	708.0	-
1996-97	716.9	-
1997-98	689.7	-
1998-99	688.8	523.7
1999-2000	641.4	656.1

(ग) भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. को यूरिया का आयात करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी को संयंत्र शुरू होने से अब तक रिलीज की गई वर्ष-वार सब्सिडी इस प्रकार है:-

वर्ष	सब्सिडी की राशि	
	संयंत्र-1	संयंत्र-2
1992-93	116.77	-
1993-94	386.70	-
1994-95	353.41	-
1995-96	415.21	-
1996-97	445.40	-
1997-98	418.04	-
1998-99	365.30	-
1999-2000	389.20	349.87

बकाया की वसूली

7742. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी.ए.जी. रिपोर्ट पुल्स अप एन.डी.एम.सी. फार फेलिंग टु रिक्वर ड्यूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कार्यालयों, वाणिज्यिक भूखण्डों तथा होटलों से बकाया राशि की नियमित रूप से वसूली नहीं की जा रही है तथा बकाया राशि को इस खाते में वसूली योग्य नहीं दर्शाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप एन.डी.एम.सी. को राजस्व की हानि होती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एन.डी.एम.सी. के कार्यकरण की जांच का आदेश देने का है जिससे कि इसके कार्यकरण को सुचारू बनाया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें होटल ली मेरीडियन एवं दुकानों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बकाया राशि की वसूली करने तथा लायसेंस फीस आदि का सही हिसाब रखने में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद असमर्थ रही है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि बकाया राशि की नियमित वसूली की जाती है और जरूरी होने पर लायसेंस विलेख के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बकाया राशि का उल्लेख चूककर्त्ताओं के नाम वसूली योग्य राशि के रूप में किया जाता है। होटल ली-मेरीडियन के मामले में, होटल द्वारा देय बकाया लाइसेंस फीस की बात नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के ध्यान में पहले से है और इस बाबत समय-समय पर कार्यवाही की गई है, जो अंततः लायसेंस रद्द करने और हर्जाने की वसूली हेतु पीपीएक्ट, 1971 के तहत जून, 1999 में कारण बताओ नोटिस जारी करने के रूप में आकर रुक गई है। लेकिन यह मामला अभी न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यद्यपि वर्ष 1997-98 के लेखाओं को पहले ही अन्तिम रूप दे चुकी है, किन्तु वर्ष 1996-97 के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सकी, क्योंकि सी.बी.आई. ने बिजली पानी की प्रभार राशि की वसूली में संदिग्ध गबन में जांच पड़ताल के प्रसंग में उस वित्त वर्ष के प्रथम 6 महीने के बही खाते जब्त कर लिए थे। अब उन बही खातों को 1996-97 के लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्राप्त कर लिया है। उन लेखाओं को अंतिम रूप देने में बिलंब से एन.डी.एम.सी. को कोई हानि नहीं हुई है।

(च) और (छ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि वह बकाया राशि की वसूली और लेखाओं के रख-रखाव के लिए प्रचलित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करती है। परिषद ने विभिन्न विभागों का कार्य कम्प्यूटरीकरण करके अपनी कार्यप्रणाली को युक्तिसंगत बनाया है। लायसेंस धारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए, कानून के अनुसार सामयिक वसूली कार्रवाई की जाती है।

संस्कृत विद्यालय

7743. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन विद्यालयों को कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(ग) यह सहायता किस उद्देश्य हेतु मंजूर की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित 8 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों और 21 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को निधियां प्रदान करती है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत् है:

(लाख रु. में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ	365.00	490.00	937.00
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय	215.00	277.00	458.00

चालू वर्ष में निधियां जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) संस्कृत के विकास के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी। डिग्री तथा स्कूल स्तरीय पाठ्यक्रमों, अनुसंधान कार्य इत्यादि सहित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान की गईं।

विवरण

राज्य का नाम	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की संख्या
जम्मू और कश्मीर	1
हिमाचल प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	2
केरल	1
राजस्थान	1
उड़ीसा	1
कर्नाटक	1

राज्य का नाम	आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की संख्या
बिहार	5
उत्तर प्रदेश	4
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	2
कर्नाटक	1
केरल	1
महाराष्ट्र	2
तमिलनाडु	1
पश्चिम बंगाल	3

[हिन्दी]

बाढ़ से प्रभावित नगरों के लिए विशेष योजना

7744. श्रीमती रेनू कुमारी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के शहरों और नगरों के लिए विशेष योजना क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, नहीं। बाढ़ से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के शहरों और नगरों के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, यह मंत्रालय छोटे एवं मझौले शहरों के समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम चला रहा है। इस स्कीम में 5 लाख तक की आबादी वाले शहर आते हैं और इसमें बाढ़ से प्रभावित शहरों और नगरों को शामिल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

गर्भनिरोधकों/कंडोमों/कॉपर-टी की आपूर्ति

7745. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गर्भनिरोधकों जैसे कि कण्डोम और कॉपर-टी की आपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश भर में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कॉपर-टी जैसे तरीकों को गंभीरतापूर्वक लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम में निःशुल्क वितरण स्कीम के अंतर्गत आपूर्ति की गई कण्डोमों और कॉपर-टी की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) कॉपर-टी देश भर में पहले से ही प्रयोग किए जा रहे गर्भ निरोधकों में से एक है।

विवरण-1

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कण्डोमों के निःशुल्क वितरण संबंधी राज्य-वार विवरण

(मात्रा मिलियन नगों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	39.00	25.00	20.00
अरूणाचल प्रदेश	0.20	0.10	0.10

1	2	3	4
असम	2.00	2.00	2.00
बिहार	2.00	3.00	3.00
गोवा	1.00	1.00	2.00
गुजरात	40.00	28.00	36.50
हरियाणा	16.00	12.00	16.00
हिमाचल प्रदेश	3.00	4.00	4.00
जम्मू व कश्मीर	1.00	1.00	1.00
कर्नाटक	7.00	11.07	11.50
केरल	6.00	8.00	8.00
मध्य प्रदेश	35.54	60.50	60.00
महाराष्ट्र	52.30	25.84	30.00
मणिपुर	0.80	1.00	0.80
मेघालय	0.30	0.20	0.00
मिजोरम	0.20	0.40	0.40
नागालैंड	0.00	0.20	0.00
उड़ीसा	18.84	15.00	15.00
पंजाब	20.00	11.00	10.80
राजस्थान	50.00	16.00	31.40
सिक्किम	0.03	0.20	0.20
तमिलनाडु	28.40	24.00	15.00
त्रिपुरा	0.30	1.00	0.70
उत्तर प्रदेश	127.02	110.00	125.00
पश्चिम बंगाल	15.00	15.80	15.80
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.20	0.10	0.15
चण्डीगढ़	0.50	2.00	1.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.05	0.00
दमन व दीव	0.10	0.11	0.20

1	2	3	4
दिल्ली	22.00	12.00	15.00
लक्षद्वीप	0.20	0.10	0.00
पांडिचेरी	0.00	1.00	1.00
रक्षा मंत्रालय	1.60	0.00	0.00
रेलवे बोर्ड	7.90	0.00	0.00
योग	498.43	391.67	425.75

विवरण-2

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कॉपर-टी का निःशुल्क वितरण संबंधी राज्य-वार विवरण

(मात्रा मिलियन नगों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3.000	2.000	4.000
अरूणाचल प्रदेश	0.030	0.030	0.030
असम	1.000	1.000	0.800
बिहार	3.500	1.500	2.000
गोवा	0.050	0.050	0.010
गुजरात	4.000	3.000	5.830
हरियाणा	1.600	0.800	1.400
हिमाचल प्रदेश	0.300	0.500	1.400
जम्मू व कश्मीर	0.000	0.190	0.150
कर्नाटक	3.000	3.000	4.000
केरल	1.000	0.000	1.000
मध्य प्रदेश	4.300	2.000	5.000
महाराष्ट्र	3.300	5.500	4.000
मणिपुर	0.020	0.200	0.000
मेघालय	0.040	0.035	0.040

1	2	3	4
मिजोरम	0.000	0.020	0.138
नगालैंड	0.000	0.060	0.000
उड़ीसा	2.000	2.000	3.500
पंजाब	5.460	3.900	6.049
राजस्थान	2.000	1.820	4.650
सिक्किम	0.030	0.030	0.025
तमिलनाडु	3.500	4.000	2.000
त्रिपुरा	0.050	0.100	0.060
उत्तर प्रदेश	29.750	17.150	22.380
पश्चिम बंगाल	1.000	1.300	1.100
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.005	0.001	0.000
चण्डीगढ़	0.050	0.000	0.100
दादरा व नगर हवेली	0.002	0.002	0.000
दमन व दीव	0.003	0.002	0.005
दिल्ली	0.400	0.450	0.700
लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.001
पांडिचेरी	0.050	0.040	0.015
रक्षा मंत्रालय	0.055	0.065	0.000
रेलवे बोर्ड	0.108	0.000	0.000
योग	69.333	50.822	69.383

खेल विधि महाविद्यालय/विद्यालय

7746. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू खेल नीति के अंतर्गत देश में खेल के विकास के लिए खेल विधि महाविद्यालय/विद्यालय खोलने/चालू करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) ऐसा कोई भी संस्थान खोलने का कोई सुझाव अथवा प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

निजी पार्टियों/फर्मों द्वारा उर्वरकों का आयात

7747. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी पार्टियों/फर्मों को ऐसे उर्वरकों, दवाइयों और रसायनों का आयात करने की मंजूरी दी है जिनकी बिक्री/वितरण का नियंत्रण सरकार स्वयं करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त मदों के आयात के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उक्त मदों के आयात की अनुमति दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को अनुमति दी गई है और उक्त अवधि के दौरान दी गई कुल अनुमतियों में से इनका प्रतिशत कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) यूरिया एकमात्र मद है जिसकी कीमत संचलन और वितरण सांविधिक नियंत्रण में है। यूरिया का आयात सरकारी खाते से किया जाता है। यूरिया को छोड़कर सरकार किसी औषध/भेषज, रसायन और अन्य प्रमुख उर्वरकों नामत: डी ए पी और एम ओ पी की बिक्री और यूरिया के आयात के लिए किसी प्राइवेट पार्टी/फर्म को अनुमति नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय

7748. श्री दिन्शा पटेल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उर्वरक विभाग का परिव्यय क्या है;

(ख) क्या विभाग नौवीं योजना के पहले तीन वर्ष के दौरान अपने अनुमोदित परिव्यय का केवल 20 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समितियों हेतु 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए अनुमोदित परिव्यय 11013 करोड़ रुपये था। इसके विपरीत 9वीं योजना (1997-98 से 1999-2000) के प्रथम तीन वर्षों में 2695.18 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया जो 9वीं योजना के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय का 25 प्रतिशत है।

(ग) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में योजना परिव्यय का कम उपयोग मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की प्रमुख नई/विस्तार यूरिया परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण हुआ जो कुल परिव्यय का 5964 करोड़ रुपये बैठता है।

यूनानी चिकित्सकों को नियमित करना

7749. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक डाक्टरों के मामले की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के यूनानी डाक्टरों की तदर्थ सेवाओं को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों को नियमित किया जाना संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर निर्भर करेगा।

जनसंख्या नीति

7750. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनसंख्या नीति 2000 के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या प्रस्तावित जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग में संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को संसाधन के प्रचालन के अधिकार सहित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के जरिए विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन परिकल्पित करती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में परिकल्पित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग-1, उपखंड 1 में प्रकाशनार्थ)
सं. ए-43011/17/2000-प्रशा.1

भारत सरकार
योजना आयोग

योजना आयोग, संसद मार्ग,
न.दि. दिनांक 11 मई, 2000

संकल्प

भारत इस बात को समझने वाला पहला देश था कि सतत विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण एक अनिवार्य पूर्वशर्त है और इसलिए 1952 में एक राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तैयार किया गया। अगले दो दशकों के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण तथा मानव विकास में सतत उपलब्धि, दोनों को तेजी से हासिल करने के लिए जनांकिकीय संक्रमण के मौजूदा चरण द्वारा प्रस्तुत की गयी चुनौतियों का सामना करना होगा और उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना निर्माताओं, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं तथा स्वयं लोगों के लिए जनांकिकीय, शैक्षिक पर्यावरणीय तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ाए जाने पर ध्यान केंद्रित करके इस प्रक्रिया को तीव्र करने की सख्त आवश्यकता है। इस राष्ट्रीय प्रयास को संपूर्णत: मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया है, जो निम्नवत है:-

अध्यक्ष

भारत के प्रधान मंत्री

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष, योजना आयोग

सदस्यगण

शिक्षा मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
वित्त मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
लोक सभा में विपक्ष के नेता
राज्य सभा में विपक्ष के नेता
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री
डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला, उप सभापति, राज्य सभा
भारतीय जनता पार्टी के नेता (श्री कुशा भाऊ ठाकरे)
कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता (श्री ए.बी.बर्धन)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा (श्रीमती सोनिया गांधी, सांसद)
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता (श्री शरद पवार, सांसद)
जनता दल (यूनाइटेड) के नेता (श्री शरद यादव, सांसद)
श्रीमती मारग्रेट अल्वा, संसद सदस्य
श्री पूर्णो ए. संगमा, संसद सदस्य
श्रीमती शबाना आजमी, संसद सदस्य
श्री विनोद खन्ना, संसद सदस्य
अध्यक्ष, सम्बद्ध भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ
अध्यक्ष, भारतीय सम्पादक संघ
अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ
अध्यक्ष, भारतीय प्रसव एवं स्त्री रोग विज्ञानी सोसाइटी परिसंघ
अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संघ
अध्यक्ष, भारतीय समाचार-पत्र सोसाइटी
अध्यक्ष, भारतीय नर्सिंग परिषद
जैन टी.वी.के प्रतिनिध (डा. जे.के. जैन)
अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

स्टार टी.वी. के प्रतिनिधि (श्री प्रणय रोय)

सन टी.वी. के प्रतिनिधि

जी टी.वी. के प्रतिनिधि

प्रोफेसर अबद अहमद

श्री अभय बांग, सर्च, गडचिरोली

श्री ए.सी. मुथिया

श्री आलोक मुखोपाध्याय, चेयरमैन, वी एच ए आई

श्री अलिक पदमसी

डा. ए. वैद्यनाथन, मद्रास इंस्टिट्यूट आफ डेवलेप्मेंट स्टडीज

श्री अवीक सरकार, टेलीग्राफ

डा. बानू कोयजी, निदेशक, के इ एम हास्पीटल, रस्तापेट श्री बरुण सेनगुप्ता, बार्टमैन

डा. दर्शन शंकर (आई एस एम) अध्यक्ष, फाउंडेशन फार/ रीवाइटेलाइजेशन आफ लोकल हैल्थ ट्रेडीशंस

डा. ई.के. इकबाल, के एस एस पी

श्रीमती इला भट्ट, सेवा, अहमदाबाद

श्रीमती इमरान कादिर, प्रोफेसर, पापुलेशन स्टडीज, जे एन यू, नई दिल्ली

सुश्री जया जेतली

सुश्री जयन्ती नटराजन

श्री के. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष, जननी

डा. के. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ

डा. महीप सिंह

श्री मम्मेन मैथ्यू, मलयालम मनोरमा

प्रोफेसर मोहम्मद अमीन, पूर्व वी.सी., जामिया हमदर्द

सुश्री मोहसिना किदवई

श्री नारायण मूर्ति

श्री नरेन्द्र मोहन, दैनिक जागरण

डा. नीना पुरी, प्रेसीडेंट, ई पी आई ए

श्रीमती नीडोनड अंगामी, प्रेसीडेंट, नागा मदर्स एसोसिएशन

श्री एन. रवि, दी हिन्दू

डा. एन.एस. दयोधर, पुणे

सुश्री पदमा सचदेवा

श्री प्रभाष जोशी, जनसत्ता

डा. प्रवीष विसारिया, डायरेक्टर, आई ई जी, दिल्ली

श्री पी.एन. त्रिपाठी, अवार्ड

श्री कारी एम.एम. मजारी, उर्दू, सेक्यूलर कयादत

सुश्री कतारलेन हैदर

सुश्री रागनी बेन बनवारी, सेवा आश्रम, उ.प्र.

डा. रजीनीकांत अरोल, जमखेड़ प्रोजेक्ट, अहमदनगर

सुश्री रमी छाबरा

श्री रामोजी राव, इ एन एन ए डी यू

सुश्री रानी बांग, सर्च, गडचिरोली

श्री रतन टाटा

श्री आर. श्रीनिवासन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव

डा. सरोज पचौरा, रीजनल डायरेक्टर, साउथ एण्ड साउथ ईस्ट एशिया पापुलेशन परिषद

सुश्री शर्मिला टैगोर

सुश्री सीमा रिजवी, एम एल सी, उ.प्र.

डा. सुदर्शन (राइट लिवलीहुड अवार्डी), मैसूर

प्रो. सुन्दर लाल, रोहतक मेडिकल कालेज, इंडियन एसोसिएशन आफ प्रीवेंटिव एण्ड सोसियल मेडिसिन

डा. सुशीला नैयर, गांधी मेडिकल कालेज, वर्धा

प्रो. स्वपन मुखोपाध्याय, आई ई जी, इंस्टिट्यूट आफ सोसियल स्टडीज ट्रस्ट

श्रीमती थल्मा नारायण, इंटरनेशल हैल्थ नेटवर्क आफ डब्ल्यू एच ओ

डा. त्रिलोचन सिंह

डा. वी.ए. पई परांधीकर, सैंटर फार पोलिसी रिसर्च

सदस्य सचिव

श्रीमती कृष्णा सिंह, योजना आयोग

2. उपुर्यक्त संरचना के अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित स्थाई आमंत्री होंगे।

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

मंत्रिमंडल सचिव

प्रधान मंत्री के सचिव

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सचिव

परिवार कल्याण विभाग के सचिव

वित्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग के सचिव

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव

योजना आयोग के सचिव/सदस्य सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव

प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी)

3. आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:-

1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से नीति के कार्यान्वयन हेतु समीक्षा एवं मानीटर करना तथा निर्देश देना।

2. जनांकिकीय, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विकास संबंधी कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण को जल्द प्राप्त किया जा सके।

3. केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सरकारी एजेंसियों में योजना और कार्यान्वयन में अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन को बढ़ावा देना, सिविल समाज और निजी क्षेत्र को शामिल करना और नीति में निर्धारित लक्ष्यों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना।

4. इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में लोगों के जोरदार अभियान के विकास को सुगम बनाना।

4. यदि आवश्यक हो तो आयोग अपने उद्देश्यों के अनुसरण में किसी विशेषज्ञ निकाय या व्यक्ति को शामिल कर सकता है। आयोग की बैठक सामान्यतया प्रति वर्ष दो बार होगी या जितनी बार आवश्यक समझा जाएगा। जनसंख्या नीति को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक पहलों की योजना बनाने और कार्यनीति तैयार करने के लिए आयोग कार्यदल/टास्क फोर्स गठित कर सकता है।

5. आयोग का सचिवालय योजना आयोग में स्थित होगा।

6. आयोग या इसके उपवर्गों बैठकें इत्यादि में शामिल होने के लिए आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता प्रदान करने संबंधी मामलों में व्यय का वहन योजना आयोग करेगा और गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता प्रदान करने से संबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक भुगतान योजना आयोग द्वारा किया जाएगा। आयोग के सरकारी सदस्य अपने यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते संबंधित कार्यालयों से प्राप्त करेंगे।

ह./-एन सी सक्सेना
सचिव, भारत सरकार

महा प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने हेतु विशेष प्रकोष्ठ

7751. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने हेतु विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पाकिस्तानी आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के आशय से, केन्द्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें खतरे की संभावना और आई.एस.आई. एजेन्टों/कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाना शामिल है। ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने में उनकी सहायता करने के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित विभिन्न माडयूल्स का पता लगाया गया/विफल किया जा सका है।

2. कुछ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आदि ने आई.एस.आई. और आतंकवादी/उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष सेल/कार्य बल इत्यादि का गठन करने सहित विशेष उपाय किए हैं।

3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को आतंकवाद और अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं से अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने की दृष्टि से उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में "पानी" को शामिल करना

7752. **डा. वी. सरोजा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "पानी" को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत "डिब्बाबंद पेय जल" के लिए मानक निर्धारित करने का प्रस्ताव है और जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इस आशय की अधिसूचना का एक प्रारूप भारत के राजपत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2000 के जी.एस.आर. 85 (ङ) के तहत पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

रोगियों को अनुदान राशि

7753. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रोगियों को विवेकाधीन कोटे से दी गई अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अनुदान राशि का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में स्वीकृत राशि संबंधित अस्पताल को तब जारी की जाती है जब आपरेशन/ईलाज हेतु मरीज के दाखिल होने पर इसको जारी करने के संबंध में अनुरोध किया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान आवंटित धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया था। तथापि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान संबंधित अस्पतालों से सलाह के अभाव में मामलों में स्वीकृत अनुदान राशि जारी नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी का अंतरण

7754. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी के प्रौद्योगिकीविद प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु इच्छुक भारतीय एजेंसियों से सीधे संपर्क बनाने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गई है;

(घ) क्या जर्मनी ने गैर सरकारी क्षेत्र को कोई प्रौद्योगिकी अंतरित की है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों सरकारें प्रौद्योगिकी अंतरण के संबंध में किस हद तक सहमत हुई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ङ) प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण मुख्य रूप से एक बाजार द्वारा संचालित प्रक्रिया होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा युद्ध क्षेत्रों से जुडे हुए मामलों को छोड़कर उद्योग तथा प्रौद्योगिकी संभरकों के बीच सीधे ही सम्पर्क हो जाता है। जर्मनी भारतीय उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण करने वाला एक प्रमुख स्रोत रहा है और इस तरह से किया जाने वाला प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण अन्तर सरकारी समझौतों की परिधि में नहीं आता है।

[हिन्दी]

एन.डी.एस.आई. योजना

7755. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एन.डी.एस.आई. योजना शुरू की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) यह योजना किस तारीख को राज्य सरकारों को सौंपी गई थी और राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह योजना राज्य सरकारों को देने के साथ ही एनएसएसआईबी और हाऊस कीपिंग स्टाफ पर होने वाले व्यय की भरपाई करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को राज्य-वार कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई;

(च) राज्यों को भरपाई राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या उक्त योजना अभी भी जारी है या बन्द कर दी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) राज्यों को बकाया राशि की कब तक प्रतिपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) युवा पीढ़ी में अनुशासन की भावना भरने तथा सामूहिक अभ्यास में उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एन.डी.एस.आई. योजना को मूलरूप से 1954 में आरंभ किया गया था। बाद में, इस योजना को 1958 में पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। तत्पश्चात, इस योजना को एक एकीकृत योजना के रूप में तैयार किया गया था और 1965 में इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय फिटनेस कोर (एन.एफ.सी.) कर दिया गया।

(ग) और (घ) 1965 से आगे के वर्षों में, एन.डी.एस.आई./एन.एफ.सी. योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों का राज्य सरकारों में स्थानांतरण करने संबंधी प्रश्न पर केन्द्र सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया। तथापि, मुख्यत: अतिरिक्त वित्तीय देयता के डर से, कर्मचारियों को लेने के लिए राज्य सरकारों की अनिच्छा के कारण स्थानांतरण संबंधी निर्णय को 1972 के पूर्व कार्यान्वित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार खपाए गए सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले पूरे व्यय को, यदि आवश्यक हुआ, तो उस अवधि तक जब तक वे सेवा में बने रहेंगे, के लिए पूरा करने पर सहमत हो गई है।

(ङ) और (च) सभी राज्य प्रत्येक वर्ष प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध नहीं करते हैं। कुछ ऐसे राज्यों के अनुरोध जो प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं, कई बार पूर्ण दस्तावेजी प्रमाणों के साथ नहीं भेजे जाते हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाले खर्च की यथासंभव सीमा तक, प्रतिपूर्ति कर रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों को प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि और 31 मार्च, 2000 को कुछ राज्यों द्वारा दावा किए गए वेतन एवं भत्तों की संचित बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) एन.डी.एस.आई. योजना जिसका नाम बदल कर राष्ट्रीय फिटनेस कोर कर दिया गया था, अभी भी चल रही है।

(ज) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग अपनी बजटीय बाध्यताओं के भीतर, राज्य सरकारों के प्रति बकाया देयताओं का निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि			निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार बकाया
		1997-98	1998-99	1999-2000	31.3.2000
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	शून्य	60.00	20.00	555.00
2.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	40.00	372.00

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	125.00	60.00	शून्य	शून्य
4.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	40.00	783.00
5.	कर्नाटक	शून्य	40.00	शून्य	61.00
6.	केरल	शून्य	40.00	शून्य	78.00
7.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	80.00	211.00
8.	महाराष्ट्र	शून्य	60.00	शून्य	3224.00
9.	पंजाब	62.00	40.00	100.00	1798.00
10.	राजस्थान	160.00	80.00	70.00	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	120.00	शून्य	907.00
12.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	100.00	834.00

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क नहीं किया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

7756. श्री तूफानी सरोज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक बल की तैनाती की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों से हटा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अब तक सरकारी क्षेत्रों की किन-किन इकाइयों को हटाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान् तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन के अनुरोध पर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम/नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है।

(ङ) 1992 से, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों से हटाया गया है।

[अनुवाद]

स्त्री शक्ति पुरस्कार

7757. श्री साहिब सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्त्री शक्ति पुरस्कार के घटक और तत्व क्या हैं; और

(ख) योग्य स्त्रियों को पुरस्कार देने के लिए क्या चयन प्रक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सामाजिक विकास के क्षेत्र में अलग-अलग महिलाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक उपाय के रूप में भारत सरकार ने 5 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, जिन्हें 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' कहा जाएगा। ये पुरस्कार भारतीय इतिहास में अपने व्यक्तिगत साहस एवं निष्ठा के लिए सुविख्यात महिलाओं-देवी अ(या बाई होलकर, कण्णगि,

माता जोजाबाई, रानी गायदेंत्यू जेलियांग तथा रानी लक्ष्मी बाई के नाम से हर वर्ष प्रदान किए जाएँगे। प्रत्येक पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये नकद तथा एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और उन्हें अधिकार दिलाए हैं, जिन्होंने महिलाओं तथा बच्चों, यथा विस्थापित महिलाओं, विधवाओं, वृद्धाओं, अशक्त महिलाओं तथा अत्याचारों एवं संघर्षों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास तथा सहायता के लिए कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उन महिलाओं की उपलब्धियों को भी, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग, वन तथा पर्यावरण संरक्षक के क्षेत्रों में कार्य किया है और जिन्होंने कला एवं प्रचार-माध्यमों के जरिए महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के बारे में जागरूकता पैदा की है, मान्यता प्रदान की जाएगी। एक पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में किसी महिला द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए भी दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार राज्य-स्तरीय जांच समिति के माध्यम से नामांकनों पर विचार करेगी और चुने हुए नामांकनों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित/संस्तुत करेगी। राज्यों से प्राप्त नामांकनों की एक राष्ट्र-स्तरीय जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी, जिसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। यह समिति पुरस्कार प्रदान करने हेतु पांच नामों का चयन करेगी। राष्ट्रीय चयन समिति राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत नामांकनों से इतर नामांकनों पर भी विचार कर सकती है।

आन्ध्र प्रदेश की गरीबी उन्मूलन परियोजना

7758. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश सरकार की गरीबी न्मूलन परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये का ऋण अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस परियोजना से कितनी परिवारों को लाभ पहुंचाने की संभावना है और इसमें राज्य सरकार और लाभार्थियों का कितना अंशदान होगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना (डिस्ट्रिक्ट पावर्टी इनीशियटिव, प्रोजेक्ट) हेतु विश्व बैंक ने 3 मिलियन अमरीकी डालर का कर्ज मंजूर किया है।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश में 6 निर्धनतम जिलों अर्थात आदिलाबाद, महबूब नगर, अनन्तपुर, चितुर, श्रीकाकुलम और विजयनगर में प्राथमिक सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए अवसरों को बढ़ाना है। इसे हासिल करने के लिए परियोजना- (1) स्वप्रबंध वाले आधारिक (ग्रास रूट) संस्थान बनाने में सहायता करेगी। (2) स्थापित स्थानीय संस्थानों, विशेषकर ग्राम सभा/पंचायतों और आन्ध्र प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और समन्वित रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता बढ़ाएगी। (3) गरीबों के आधारिक (ग्रास रूट) संस्थानों द्वारा प्रस्तावित उप-परियोजनाओं में निवेश में सहायक होगा ताकि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता तेज हो और उनकी भागीदारी बढ़े। (4) गरीबों में बाल श्रम की घटना को कम करने के लिए लड़कियों के लिए शिक्षा की सुलभता बढ़ाना। इस परियोजना से लगभग 620,000 गरीब परिवारों की प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की संभावना है।

134.8 मिलियन अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत में से आन्ध्र प्रदेश सरकार और लाभान्वित होने वाले समुदायों का अंश क्रमश: 16.6 मिलियन अमरीकी डालर और 7.2 मिलियन अमरीकी डालर रहने की संभावना है।

स्तनपान

7759. श्री राशिद अलवी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्तनपान की संरक्षा और इसे बढ़ावा देने के लिए 1993 में एक कानून बनाया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन वांछनीय समझे जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो कमियों अथवा आवश्यक रूप से फिर से विचार करने वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गठित की गई राष्ट्रीय स्तनपान समिति के अलावा कौन सी निगरानी प्रणाली उपयोग में लाई जा रही है;

(ङ) क्या यूनिसेफ इस प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो श्रेणी-1 के स्तर से नीचे का न हो, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपलब्धों के उल्लंघन की लिखित रूप में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो चार स्वैच्छिक अभिकरणों, अर्थात् केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली, एसोशिएशन फार कन्ज्यूमर एक्शन आफ सेफ्टी एंड हेल्थ, मुम्बई, तथा ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को भी शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 21 (1) (ग) के अंतर्गत लिखित रूप में शिकायत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं के दौरान प्राथमिक उपचार की सुविधाएं

7760. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में यमुना वेलोड्रम में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दौरान तीन प्रतियोगी साइकिल दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दुर्घटना प्रवण प्रतियोगिताओं में स्ट्रेचर, चिकित्सक अथवा एम्बुलेंस और पेयजल उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान एम्बुलेंस और अन्य मूलभूत सुविधाओं सहित प्राथमिक उपचार सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 18 अप्रैल, 2000 को यमुना वेलोड्रम में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में 4 कि.मी. टीम अनुगमन प्रतियोगिता के दौरान भारतीय रेलवे साइकिलिंग टीम के तीन प्रतियोगियों की आपस में टक्कर हो गयी थी और वे घायल हो गए थे।

(ग) घायलों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई थी और भारतीय खेल प्राधिकरण के चिकित्सा केन्द्र से एम्बुलेंस मंगाई गई थी। प्रतियोगिता के दौरान, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था।

(घ) सामान्यत: विशिष्ट प्रतियोगिता की आयोजित समिति द्वारा चिकित्सा संबंधी व्यवस्था की जाती है और कभी-कभी आयोजन समिति के अनुरोध पर यह व्यवस्था की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है, यदि वे चैंपियनशिप के स्थान पर उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

7761. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 2000 के 'दैनिक जागरण' में 'वी आई पी सुरक्षा व अन्य कार्यों में जरूरत से ज्यादा कर्मियों का इस्तेमाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनसंख्या के अनुसार आम आदमी की सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस समय, दिल्ली पुलिस की कुल संख्या शक्ति 53,229 है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा, रैलियों, प्रदर्शनों, पिकेटिंग और जुलूसों आदि से निपटने के लिए पुलिस कार्मिकों की तैनाती, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या और किसी समय विशेष में इस प्रकार की रैलियों/जुलूसों इत्यादि की संख्या और उनकी विशालता पर निर्भर करती है। अत: इस प्रकार की ड्यूटियों पर तैनाती की

संख्या एकसमान नहीं रहती है। दिल्ली में, सुरक्षा ड्यूटी पर कुल 8282 पुलिस कार्मिक तैनात हैं, जिनमें 5939 दिल्ली पुलिस के हैं और शेष अन्य बलों से लिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम नागरिक की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो, सरकार, बल का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए व्यैक्तिक सुरक्षा पर तैनाती की निरन्तर पुनरीक्षा करती है।

(ग) दिल्ली पुलिस की जनशक्ति में बढ़ोत्तरी एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान, दिल्ली में 17 अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए 3100 पद और दिल्ली पुलिस की यातायात इकाई को सुदृढ़ करने के लिए 1255 अतिरिक्त पद सृजित किए हैं।

बिहार में कानून और व्यवस्था

7762. श्री राजो सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने हेतु एक दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) बिहार में हाल ही में ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रसार भारती बोर्ड के कर्मचारियों को सरकारी आवास

7763. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड के कर्मचारी सरकारी आवास के पात्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) प्रसार भारती जोकि एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है 23.11.1997 को अस्तित्व में आया। इसे 5 वर्षों अर्थात् 22.11.2002 तक या जब तक बोर्ड ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की शर्तों और निबन्धनों को अन्तिम रूप नहीं दे किया जाता तब तक, इनमें जो भी पहले हो, सामान्य पूल आवास के आबंटन हेतु पात्र कार्यालय मानने का निर्णय किया गया है।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट

7764. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में ईसाई संगठनों और मिशनरियों के विरुद्ध हिंसा फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी की है;

(ख) क्या इस मामले में सरकार पर भी आरोप लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अमनेस्टी इन्टरनेशनल ने 'इंडिया-परसिक्यूटड चैलेन्जिग इनजस्टिज-हयूमन राईटस डिफेन्डर्स इन इंण्डिया' नामक अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के सार्वजनिक बयानों ने लोगों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के प्रति हिंसा के लिए उकसाया है।

सरकार को अपनी जिम्मेवारी का पता है और वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और उनमें दिए गए मूल्यों को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। वह शान्ति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

कर्नाटक में ग्लूकोस और डेक्सट्रोस इकाइयां बन्द करना

7765. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में सरकारी अस्पतालों में कॉमन सेलाइन का उत्पादन बन्द करने के अलावा ग्लूकोस और डेक्सट्रोस की बोतलों का उत्पादन बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गरीब मरीजों को राज्य में इन औषधियों की निःशुल्क आपूर्ति करने से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में फार्मेसी विनिर्माण यूनिटों का उन्नयन करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों से संबद्ध तथा राज्य में लार्ज वाल्यूम पेरेन्टरल्स (एल.वी.पी.) के निर्माण में लगी हुई 14 इकाइयों में से 11 को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि वे औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940/नियम, 1954 के प्रावधानों का अनुपालन का नहीं कर रही थीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों के रेट कांट्रेक्ट के आधार पर आई.वी. फ्ल्यूइड्स की पर्याप्त मात्रा का प्रापण करने और उनको निर्धन रोगियों को निःशुल्क वितरित करने हेतु कदम उठाए हैं, ताकि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे डिप्लोमा धारक

7766. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डी.एस. आई.डी.सी.) में 240 दिन से अधिक से कार्य सहायक के रूप में काम कर रहे डिप्लोमा धारकों (विद्युत) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डी.एस.आई.डी.सी. के निदेशक मंडल की बैठक में इन कार्य सहायकों को कनिष्ठ विद्युत अभियंता के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब से नियमित वेतनमान पर नियुक्त किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. में मस्टर रोल आधार पर कार्य सहायक के रूप में 240 दिन से अधिक समय से कार्य कर रहे तीन व्यक्ति विद्युत में डिप्लोमा धारक हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अपराध जगत द्वारा उपग्रह फोन का इस्तेमाल

7767. श्री के. पी. सिंह देव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराध जगत ने अब उपग्रह फोन का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच एजेंसियों को उक्त गतिविधियों पर नजर रखने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अपराध जगत की गतिविधियों से निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अपराध जगत द्वारा उपग्रह फोन का इस्तेमाल करने संबंधी कतिपय दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं। तथापि, जांच एजेंसियों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में, जब कभी आवश्यक हो, संबंधित एजेंसियों द्वारा सुधारक उपाय किए जा रहे हैं। तथापि इस संबंध में और ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

पुस्तकों पर प्रतिबंध

7768. श्री मोहन रावले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुसलमानों के मनोरंजन के लिए मुम्बई में जोगेश्वर से उर्दू में 'मेरे हिन्दू भाई जाग जरा' प्रकाशित पुस्तक में हिन्दू देवी-देवताओं और धार्मिक ग्रन्थों के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इस संबंध में तथ्यों का महाराष्ट्र की सरकार से पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

केरल में बी.एड. कॉलेज

7769. श्री कोड़ीकुनील सुरेश: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में बी.एड. कॉलेजों की मान्यता वापस ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कॉलेजों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों को शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने/मान्यता समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। क्षेत्रीय समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर केरल में संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे बी.एड. कार्यक्रमों की मान्यता अस्वीकृत कर दी गई है।

चार्टर्ड विद्यालय

7770. डॉ. संजय पासवान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चार्टर्ड विद्यालयों की अवधारणा लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थायी विवाह पंडाल

7771. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा या अन्य संबद्ध सिविल प्राधिकारियों से अपेक्षित लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना दिल्ली के पार्कों में ढेर सारे विवाह पंडाल स्थायी रूप से लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पंडालों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पंडालों में बिजली की चोरी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली में पार्कों में किसी स्थायी विवाह पंडाल की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि निर्धारित निबंधन और शर्तों के अंतर्गत, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों के लिए पार्कों को बुक करने की अनुमति दी जाती है। उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसियों से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है।

(ग) और (घ) विगत समय में दिल्ली विद्युत बोर्ड से विद्युत चोरी के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दंड संहिता

7772. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) भारत के विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में अपराध के स्कोप को विस्तृत करने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) भारत विधि आयोग की सिफारिशों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच की जाएगी क्योंकि

दाण्डिक विधि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इस संबंध में कोई समय सीमा बताना कठिन है।

[हिन्दी]

आरोपियों को छोड़ा जाना

7773. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री चन्द्र नाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुचित और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कुछ दोषसिद्ध छूट जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में न्यायालयों से ऐसे कितने दोषसिद्ध छोड़ गये;

(ग) दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) जांच के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें साक्ष्यों के अभाव में न्यायालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान रिहा किया गया है, की संख्या निम्नप्रकार है:-

1997	5900
1998	5179
1999	4166

(ग) ऐसे मामलों, जिनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा निन्दा की गई थी; में पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जांच-पड़ताल के कौशल में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में, जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारियों की जांच-पड़ताल के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना तथा उन्हें जांच-पड़ताल के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

विवरण

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें न्यायालय द्वारा निन्दा की गई	की	गई	कार्रवाई
		दण्डित	जांच-पड़ताल हेतु लम्बित	दायर किए गए
1997	36	17	15	04
1998	70	21	44	05
1999	71	09	58	04

[अनुवाद]

केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद की निधियों का दुरूपयोग

7774. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1998 और 1999 के दौरान केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सरकारी अनुदानों का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अनुसंधान कार्य के लिए स्वीकृत किए गये अनुदानों को चेम्बर को नया रूप देने और अन्य गैर-अनुसंधान कार्यों पर उपयोग में लाया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) से (छ) भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सरकारी अनुदानों के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। सरकार ने प्रारम्भिक जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी

नियुक्त किया। उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु जांच रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

प्रक्षेपास्त्र

7775. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 4 अप्रैल, 2000 की 'द ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के छुपने के स्थान से कुछ प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक बरामद किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मिसाइल किस देश की बनी हुई हैं; और

(घ) सरकार ने जम्मू-कश्मीर से ऐसी गतिविधियों और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को समाचार-पत्रों की रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) सुरक्षा बलों ने गांव काकेर-पसी (देवर), जिला कुपवाड़ा में एक अभियान के दौरान एक ए. के. राईफल, तीन मैगजीनें, चार हथगोले, एक वायरलैस सैट और 40 राउण्ड गोला बारूद बरामद किया था।

(ग) चूंकि कोई बैलिस्टिक मिशाईल नहीं बरामद की गई थी, अत: प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के इरादों को विफल करने के लिए सुरक्षा और आसूचना एजेन्सियां पूर्णत: चौकस तथा सतर्क हैं। जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों से निपटने के लिए किए गए उपायों में, सीमा पर 24 घंटे चौकसी करना, दोनों ओर से घुसपैठ की रोकथाम के लिए अन्दरूनी क्षेत्रों में सेना/सीमा सुरक्षा बल/पुलिस कार्मिकों वाली अतिरिक्त नाका पार्टियां तैनात करना, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी स्थानों पर पिकेट तैनात करना, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज करना, आसूचना आधारित घेरा-बन्दी और तलाशी अभियान चलाना, शामिल हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उपकरण तथा वायरिंग

7776. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी आवासों में विद्युत उपकरण तथा वायरिंग बहुत पुराने हैं जिसके कारण आधुनिक विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी कॉलोनियों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान पुराने तारों तथा उपकरणों को बदल दिया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कुछ सरकारी रिहायशी आवासों में इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत पुरानी है जिसे काफी मामलों में बदल दिया गया है। आधुनिक रिहायशी विद्युत उपकरणों का, अलग-अलग प्लाटों और सर्विस कनेक्शन की क्षमता के आधार पर मौजूदा वायरिंग में उपयोग किया जा सकता है।

(ख) उन सरकारी कालोनियों की सूची, जहां कार्य स्थल की आवश्यकताओं/आबंटियों की मांग के अनुसार पुराने तार और उपकरण बदल दिए गए हैं उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी कालोनियां जहां पुरानी विद्युत वायरिंग उपकरण बदल दिए गए हैं

1. मिन्टो रोड
2. तिमार पुर
3. प्रेम रोड
4. आराम बाग
5. सी.जी. रोड
6. देव नगर
7. प्रसाद नगर
8. पी.के. रोड
9. आर.के. आश्रम मार्ग
10. मन्दिर मार्ग
11. बी.के.एस. मार्ग
12. हनुमान रोड
13. काली बाड़ी मार्ग
14. पेशवा रोड

15. एम.एस. फ्लैट्स

16. डी.आई.जैड एरिया

17. सादिक नगर

18. श्रीनिवास पुरी

19. एन्ड्रयूज गंज

20. डीडीए फ्लैट्स कालकाजी एक्सटेंशन

21. लोदी रोड काम्पलेक्स

22. लोधी कालोनी

23. कस्तूरबा नगर

24. किदवई नगर ईस्ट

25. त्याग राज मार्ग

26. बंगाली मार्किट

27. अतुल ग्रोव रोड

28. टेलिग्राफ लेन

29. कोपरनिक्स लेन

30. केनिंग लेन

31. बलवंत राय मेहता लेन

32. शाहजहां रोड

33. लोधी गार्डन एस्टेट

34. काका नगर

35. पण्डारा रोड

36. भारती नगर

37. बापा नगर

38. सुब्रामनियन भारती मार्ग

39. रविन्द्र नगर

40. पुराना किला रोड

41. तिलक मार्ग

[अनुवाद]

नई पाइप लाइन बिछाने के लिए ऋण

7777. **श्री कोमूर बसवणा गौड:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान, बंगलौर जलापूर्ति और सफाई सुधार कार्यक्रम के लिए कावेरी नदी से बंगलौर तक नई पाइप लाइन बिछाने हेतु ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी;

(ग) पुन: अदायगी सारणी तथा उस पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार, कर्नाटक सरकार, को ऋण तथा ब्याज अदा करने के लिए किसी वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बंगलौर जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना के लिए ऋण सहायता हेतु ओवरसीज इकोनोमिक कोओपरेशन फंड (ओ.ई.सी.एफ- जो अब जे.बी.आई.सी. है), जापान ने जनवरी, 1996 में सहमति दी थी। बंगलौर जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड ने बताया है कि परियोजना में कावेरी जल योजना स्टेज-4, फेस-1 के अंतर्गत ट्रांसमिशन ट्रंक तथा फीडर लाइनें बिछाने सहित अनेक घटक शामिल हैं।

(ख) 28,452 मिलियन येन (करीब 804 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान 20.1.2006 से आरंम्भ होगा तथा दी गई मूल राशि व बकाया ऋण राशि पर 2.1% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जापान सरकार को ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता राज्य सरकार को 70% ऋण और 30% अनुदान के रूप में दी जाती है। कर्नाटक को इसके अलावा वित्तीय सहायता देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पाकिस्तानी/विदेशी उग्रवादी

7778. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री खारबेल स्वाई:
श्री चिन्तामन वनगा:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जेलों में कुल कितने पाकिस्तानी/विदेशी उग्रवादी कैदी का जीवन बिता रहे हैं और उनके विरुद्ध अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने पाकिस्तानी कैदियों को दोषी ठहराया गया है;

(ग) क्या ऐसे कैदियों को उनकी दोषसिद्धि के बाद भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन भारतीय जवानों के लिए मुआवजा पुरस्कार प्रदान करने का है जिन्होंने देश की खातिर पाकिस्तान जेल में जीवन का अपना महत्वपूर्ण समय बिताया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रविरोधी तत्वों के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पृथक न्यायालय बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ज) सूचन एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों का कोटा

7779. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के लिए केवल चुनाव क्षेत्रों/राज्य केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन हेतु दो सीटों के कोटे का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कोटे को बढ़ाने और उन सदस्यों को अपने कोटे का इस्तेमाल देश के अन्य शहरों में करने देने की अनुमति देने का है जिनके चुनाव क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम में अनियमितताएं

7780. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के उच्च अधिकारी फोन कॉल नहीं सुनते और दिल्ली के किसी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) पश्चिम पटेल नगर, आर.के.पुरम के सेक्टर 7 और कालकाजी में कितने अतिक्रमण हुए हैं और दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने उन्हें हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी भी ऐसे अनधिकृत निर्माण में लिप्त पाये गये हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध वर्षवार क्या कार्रवाई की गयी; और

(छ) सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम और पुलिस का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ताकि व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सके?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण में कोई पुलिसकर्मी लिप्त नहीं पाया गया है।

(छ) दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार की समस्या को रोकने और लोगों का विश्वास बनाए रखने में सतर्क है। दोषी के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है। सन्देहास्पद निष्ठा वाले अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। बल में उच्च आदर्श बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्पर्क सभाएं की जाती हैं।

जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबंध है सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शास्तियों की वसूली

7781. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भेषज कंपनियों द्वारा "रीवाइटल" औषधि की अधिक कीमत वसूलने के लिए उन पर लगाई गई शास्तियों की वसूली कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या "रीवाइटल" औषधि को खाद्य अनुपूरक के रूप में मान्यता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त औषधि की आधिकारिक तौर पर अधिक कीमत वसूलने की मंजूरी देने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) रिवाइटल एक उत्पाद है जिसमें विटामिन युक्त जिंगसेंग और खनिज पदार्थ शामिल हैं। फरवरी, 1995 में हुई इसकी बैठक में खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत सांविधिक निकाय केन्द्रीय खाद्य मानक समिति (सी सी एफ एस) ने सिफारिश की है कि जिंगसेंग को विशेष खाद्य पदार्थ या बिना औषधीय दावों के चिकित्सीय विनिर्माण के रूप में माना जाये। हिमाचल प्रदेश में लाइसेंसिंग प्राधिकरण के खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण नियम, 1955 के अंतर्गत रिवाइटल के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

7782. **श्री आर.एल. भाटिया:**
श्री अब्दुल हमीद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद एक "खतरनाक चरण" में प्रवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटी के मुसलमानों ने दूसरे स्थानों पर जा बसना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कारगिल संघर्ष के बाद के दौर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने जम्मू व कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को और तेज करने के भरसक प्रयास किए हैं परन्तु सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई गई प्रतिकारक रणनीति के कारण आतंकवादियों को अपने नापाक इरादों में कामयाबी नहीं मिल सकी है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सरकार ने जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्किोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन मजबूत करना, उग्रवादियों की योजनाओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके विरुद्ध भीतरी क्षेत्रों में प्रतिकारक कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आसूचना ग्रुपों और आपरेशन ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपकरण उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल है।

अवैध बाल गृह

7783. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर-सरकारी संगठन देश के विभिन्न भागों में बिना किसी लाइसेंस के बाल गृह चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अवैध बाल गृहों में काफी अधिक धनराशि जमा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इन बाल गृहों को विदेशों से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में चलाए जा रहे इन अवैध बाल गृहों को रोकने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण

7784. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषध उद्योग में प्रगति के बावजूद भी शहरी गरीबों और ग्रामीण जनता को राहत नहीं मिल पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शहरी निर्धन और ग्रामीण जनसंख्या द्वारा अपेक्षित अधिकांश औषधें अनिवार्य औषध सूची में शामिल हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी औषधालयों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

दानिक सेवा अधिकारी

7785. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली अण्डमान निकोबार आइलैण्ड सिविल सर्विस (दानिक) के कितने अधिकारी नियुक्त किए गए;

(ख) क्या उनमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संवर्ग में स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) स्वीकृत दस दानिक्स पदों की तुलना में इस समय दमन और दीव में इतने ही दानिक्स अधिकारी तैनात हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा नियम, 1996 में सेवा के (**प्रवेश ग्रेड**) ग्रेड-2 की 50% रिक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा शेष 50% रिक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में निर्धारित फीडर पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन के द्वारा सामान्य पात्रता सूची के आधार पर भरने का प्रावधान है। सरकार ने, पदोन्नति कोटा, रिक्तियों पर, सेवा के ग्रेड-2 में नियमित पदोन्नतियां करने के लिए डी.पी.सी. आयोजित करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है और संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव के अधिकारियों को, यदि वे पात्र पाये जाते हैं, प्रोन्नत करने पर विचार किया जाएगा।

कामकाजी महिलाओं के छात्रावास

7786. श्री सुबोध मोहिते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावासों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया है। नये होस्टल तभी स्वीकृत किए जाते हैं जब प्रस्ताव स्कीम के प्रतिमानकों को पूरा करते हैं। 1999-2000 के दौरान, 15 नये होस्टल स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत होस्टलों की संख्या (1999-2000)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	हरियाणा	2
4.	केरल	5
5.	महाराष्ट्र	3
6.	मणिपुर	1
7.	नागालैण्ड	1
8.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	15

निजी भवन-निर्माताओं को भूमि

7787. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवास की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में निजी भवन-निर्माताओं को भूमि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त पित्तता (हीमोफीलिया) से पीड़ित रोगी

7788. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हीमोफीलिया रोगियों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने हीमोफीलिया रोगियों का अ.भा.आ.चि.सं. (एम्स) में उपचार हो चुका है;

(ग) उन अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके यहां हीमोफीलिया के उपचार की सुविधा है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक वर्ष-वार आयात किए गए ए.एच.एफ. टीके का ब्यौरा क्या है तथा उसमें कितना खर्च हुआ;

(ङ) यह देखते हुए कि ए.एच.एफ. टीकों का अत्यधिक मूल्य होने के कारण रोगी इसे खरीद नहीं सकते क्या देश में इनका उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या इस बीमारी के उपचार के लिए सरकार रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा इस वर्ष राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ज) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हीमोफीलिया के रोगियों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) इस रोग के लिए कोई केन्द्रीयकृत रजिस्ट्री नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अस्पताल आधारित आंकड़ों के हिसाब से देश में लगभग कुल 65,000 हीमोफीलिया रोगियों सहित इस रोग की अनुमानित व्यापकता, 1,00,000 जनसंख्या पर 6 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लगभग 2000 रोगियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उपचार प्राप्त किया है।

(ग) भारत में लगभग सभी बड़े शहरों में हीमोफीलिया के उपचार की सुविधाएं हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मुम्बई, पुणे,

मद्रास, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता में अधिक सुविज्ञता है। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्र जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर, के. ई.एम. अस्पताल, मुम्बई आदि क्राइओप्रिसीपीटेट्स प्रदान कर रहे हैं।

(घ) ए. एच. एफ. इंजेक्शन मुख्यत: एक स्वैच्छिक स्वयं सहायता समूह संगठन हीमोफीलिया फैडरेशन (इंडिया) द्वारा आयातित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक आयातित किए गए ए.एच.एफ. इंजेक्शनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1997-98	4 मिलियन यूनिट कीमत 1.71 करोड़ रुपये
1998-99	6 मिलियन यूनिट कीमत 2.55 करोड़ रुपये
1999-2000	3 मिलियन यूनिट कीमत 1.14 करोड़ रुपये

(विश्व भर में कमी होने के कारण कमी आई)

(ङ) के.ई.एम. अस्पताल मुम्बई में एक प्लाजमा फ्रैक्शीनेशन सेन्टर है जो प्रति वर्ष लगभग, 10,000 लीटर प्लाजमा प्रोसेस करता है हालांकि अभी तक इसने ए.एच.एफ. का उत्पादन नहीं किया है। हूमन एल्बूमिन जैसे अन्य आयातित रक्त घटक के अतिरिक्त यह हीमोफीलिया बी के लिए अपेक्षित फैक्टर 9 तैयार कर रहा है।

(च) से (ज) भारत में किसी भी अस्पताल में उपचार/आपरेशन करवाने के लिए विशेषज्ञ उपचार/महंगी शल्य चिकित्सा के व्यय का आंशिक रुप से भुगतान करने के लिए उन गरीब और जरूरतमंद रोगियों को अधिकतम 20,000 रुपये (केवल बीस हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते हैं। केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि की स्थापना की है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और मुख्य जानलेवा रोगों से पीड़ित लोगों के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसी प्रकार की बीमारी सहायता निधियां स्थापित करने की सलाह दी गई है। केन्द्र सरकार से उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करने का भी निर्णय लिया गया है, जिन्होंने उन्हें दी गई सलाह के अनुसार निधियां स्थापित की हैं।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

7789. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 22 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित समाचार के अनुसार एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में लगे गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कुछ खामियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कुछ खामियां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा राज्यवार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल गैर सरकारी संगठनों ने गैर सरकारी संगठनों की अधिक सक्रिया सहभागिता और गैर सरकारी संगठनों और सरकार के बीच बेहतर सहयोग के जरिए चरण-2 के अंतर्गत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावोत्पादकता में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। लक्षित जनसंख्या तक कार्यक्रम पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को विकेन्द्रीकृत किया गया है। गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संचालित एड्स सोसायटियां स्थापित करके इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। एड्स/एच.आई.वी. जागरूकता के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता के जरिए चरण-2 के अन्तर्गत यथाअनुमोदित गतिविधियों को चलाने के लिए निधियां सीधे सोसायटियों को जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

साइबर स्कूल

7790. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामकाजी महिलाओं का शिक्षा स्तर उठाने के लिए साइबर स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयंत्रों का दो ईंधन वाले संयंत्र में परिवर्तन

7791. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राज्य-वार, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के कितने वर्तमान उर्वरक संयंत्रों को दो ईंधन वाले/फीडस्टॉक संयंत्रों में बदला गया;

(ख) प्रत्येक संयंत्र के परिवर्तन के कार्यान्वयन पर कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) गत तीन वर्षों में, सहकारी क्षेत्र में इफको के आँवला-1 और कलोल एककों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में आरसीएफ के ट्राम्बे तथा थाल एककों ने दोहरे ईंधन/फीडस्टॉक के परिवर्तन की सुविधाएँ सर्जित की हैं। इफको के आंवला-2 और एनएफएल के विजयपुर-2 को संयंत्र के आरंभ से ही गैस और नेफ्था के मिश्रण के लिए तैयार किया गया था। इफको के आँवला-1 और कलोल संयंत्रों तथा आरसीएफ स्थित थाल एकक में दोहरे ईंधन/फीडस्टाक के प्रयोग से संबंधित परिवर्तन के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं:-

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको)

क्रम संख्या	योजना	कार्यान्वयन की अवधि	कार्यान्वयन लागत (रुपये/करोड़)
आँवला-1 (उत्तर प्रदेश) में:			
1.	आक्सिलरी स्टीम सुपरहीटर	जनवरी 1997	2.0
2.	प्राइमरी रिफार्मर में मिक्स्ड फ्यूल फायरिंग	अगस्त 1999	7.1
कलोल (गुजरात) में:			
1.	प्रि-रिफार्मर यूनिट	अगस्त 1997	38.35
राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ)			
थाल (महाराष्ट्र) में:			
1.	सर्विस बायलर्स का नेफ्था में परिवर्तन	1996-97	26.5
2.	अमोनिया संयंत्रों में आक्सिलरी बायलरों का नेफ्था में परिवर्तन	1998	4.0
3.	सुपर-हीटर्स का नेफ्था में परिवर्तन	1998-99	4.0
4.	नेफ्था प्रि-रिफार्मर की स्थापना	1999-2000	86.4
ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में:			
1.	सर्विस बायलरों के कनवर्सन सिस्टम का एलएसएचएस में पुनरुद्धार	1999-2000	3.5

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना संबंधी समितियां

7792. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम किसी समिति की सिफारिशों पर 1982 में अधिसूचित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए उसके बाद कोई अन्य समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सब समितियों की सिफारिशों सहित इनके नाम क्या हैं और सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार का विकास

7793. प्रो. दुखा भगत: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण बिहार के अधिकांश क्षेत्रों का विकास बिहार पठारी विकास परियोजना के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराए गए धन और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में निधियां में अनियमिततायें पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। दक्षिणी बिहार के विकास में विभिन्न अन्य एजेंसियां भी शामिल हैं।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बिहार पठारी विकास परियोजना को कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अतिक्रमण करके बनाई गई मलिन बस्तियां

7794. श्री किरीट सोमैया: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में अतिक्रमण करके बनाई गई मलिन बस्तियों के बारे में दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इससे झुग्गियों में रह रहे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे;

(ग) क्या वे बेघर हो जाएंगे;

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या नीति और प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार इन लोगों की सुरक्षा के लिए इन लोगों को आश्रय/वैकल्पिक आवास/व्यवस्था प्रदान करेगी;

(च) क्या सरकार का विचार इन लोगों को स्वच्छता, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी हां। अल्मित्रा एच पटेल और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय से सरकार अवगत है।

(ख) से (छ) स्लमों का विकास चूंकि राज्य का विषय है इसलिए उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय की प्रति सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस आशय से परिचालित की गई है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति और दिशानिर्देश तैयार करें।

भारत सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को शहरी गरीबों के हितों का ध्यान रखने की सलाह देगी।

[हिन्दी]

आरडीएक्स की जब्ती

7795. श्री विजय गोयल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों से आरडीएक्स जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा जब्त किए गए आरडीएक्स की मात्रा तथा इसका वाणिज्यिक मूल्य क्या है;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में पहाड़ गंज में एक गेस्ट हाउस से आरडीएक्स जब्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा किस कानून के तहत दोषियों को हिरासत में लिया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण इस बारे में सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से तकनीकी सहायता

7796. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की समस्याओं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, यातायात और साफ-सफाई की सुविधाओं की खराब स्थिति, बढ़ती हुई झुग्गी बस्तियां और उच्च प्रदूषण स्तर का अध्ययन करने के लिए जापान सरकार के जरिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने दिल्ली की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कब तक रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि विश्व बैंक, प्रस्तावित दिल्ली शहरी पर्यावरण और अवस्थापना सुधार परियोजना पर अध्ययन करने के लिए 9,00,000 अमेरिकी डालर का अनुदान मुहैया करा रहा है।

(ख) मैसर्स जी.एच.के. इन्टरनेशनल, यू.के. को अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

(ग) फरवरी, 2001 तक।

(घ) अध्ययन के निष्कर्ष और सिफारिशों को देखकर स्कीम के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

7797. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की विभिन्न खतरनाक बीमारियों के प्रभागों तथा उन्मूलन के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में शुरू की गयी अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितना आवंटन किया गया तथा कितनी धनराशि का सदुपयोग हुआ;

(ग) क्या देश में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करने हेतु सरकार का किन्हीं विदेशी चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठानों से कोई समझौता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान चेन्नई के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तपेदिक चिकित्सालयों तथा तपेदिक अनुसंधान केन्द्रों का कार्य-निष्पादन क्या था?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् मलेरिया, फाइलेरियासीस, काला आजार, जापानी एनसेफ्लाइटिस, डेंगू ज्वर, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, आयोडीन अल्पता से उत्पन्न विकारों, मानसिक स्वास्थ्य, एच.आई.वी./

एड्स, कैंसर, मधुमेह हृदवाहिकामय रोगों आदि जैसे विशेष रोगों अथवा अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम के सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान कराती है। ऐसे रोगों के कारण होने वाले रोगियों की संख्या का पता लगाने, अवस्थाओं अथवा जोखिमपूर्ण कारकों की निगरानी करने, ऐसे रोगों के बने रहने के कारणों का पता लगाने, निदान, उपचार और निवारण हेतु उपायों का विकास करने से अधिकांश परियोजनाओं का संबंध है और ये परियोजनाएं समस्याओं की पहचान करने हेतु प्रचालनात्मक अनुसंधान करती हैं। और कार्यान्वयन की नीतियों में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्ष-वार आबंटन और निधि का समुपयोजन नीचे दिए अनुसार है:-

(लाख रुपये में)

	आबंटन	व्यय
1997-98	3652.00	3611.67
1998-99	5400.00	4999.77
1999-2000	5800.00	5925.00

एस और टी के क्षेत्र में करार जैसे कि जापान, जर्मनी, इटली, वियतनाम, रूस आदि के साथ सम्पन्न बहुतेरे द्विपक्षीय करारों में जीव चिकित्सीय अनुसंधान/स्वास्थ्य विज्ञान शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और इनसर्स (आई एन एस ई आर एम) (फ्रांस) के बीच एक समझौता ज्ञापन है।

द्विपक्षीय करारों के तहत चिकित्सीय अनुसंधान कार्य कुछ मामलों में संयुक्त रूप से सहयोगी परियोजनाओं/कार्यशालाओं/सेमिनारों/विचार गोष्ठियों और अध्येतावृत्तियों के जरिए देश में कराया जा रहा है। ऐसे सहयोग का मुख्य प्रयोजन विशेष रूप से विकसित देशों से भारत में प्रौद्योगिकी की हस्तान्तरण है। संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, डेनिडा और यूरोपीयन आयोग जैसे दूसरे सरकारी अभिकरणों, और फोर्ड/राक फेल्लर फाउंडेशन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी करार हुए हैं।

क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई ने नई औषधियों और नए उपचार विधानों का उपयोग करते हुए पल्मोनरी और एक्सट्रा पल्मोनरी क्षयरोग के उपचारार्थ नियंत्रित नैदानिक परीक्षण आरम्भ कर दिए हैं। प्रचालनात्मक अनुसंधान शुरू करने और संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक आदर्श डाट्स केन्द्र स्थापित किया गया है। यह कार्यक्रम में गुणता नियंत्रण का आश्वासन देता है और कार्यक्रम के मूल्यांकन में सहायता करता है। इसके अलावा क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र माइक्रोबैक्टीरिया प्रमोटरों, नेचुरल किलर सेल की भूमिका, क्षयरोगियों तथा परिवारों पर आर्थिक प्रभाव तथा क्षयरोग में औषधि प्रतिरोधकता की निगरानी पर मूलभूत अनुसंधान कार्य करने में जुटा है।

राष्ट्रीय रक्ताधान नीति

7798. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय रक्ताधान नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के रक्त बैंकिंग विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर लेने के पश्चात् राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् ने एक राष्ट्रीय रक्ताधान नीति तैयार की जिसे अब मंत्रिमण्डल के अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में जलापूर्ति और मल निकास परियोजना

7799. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को जलापूर्ति और मल निकास परियोजना हेतु बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से मंजूर किए गए/लंबित पड़े/रद्द किए गए प्रस्तावों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं से किन-किन क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) क्या बिहार सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त हुए थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इस अवधि के दौरान बिहार सरकार से सीवरेज परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) बिहार में स्वीकृत कस्बों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कस्बों की आबादी को लाभ पहुँचने की संभावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	कस्बे का नाम	परियोजना लागत (लाख रु. में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	राजमहल	119.86	फरवरी, 1999 में स्वीकृत
2.	अमरपुर	90.75	-वही-
3.	कोवाथ	81.56	-वही-
4.	हिसुआ	204.10	-वही-
5.	निरसा	197.42	अप्रैल, 1999 में स्वीकृत
6.	रफीगंज	124.72	-वही-
7.	जाम्होर	37.17	-वही-
8.	चकुलिया	48.61	-वही-
9.	सरायकेला	76.81	मई, 1999 में स्वीकृत
10.	लतेहार	122.32	सितम्बर, 1999 में स्वीकृत
11.	जामतारा	195.63	दिसम्बर, 1999 में स्वीकृत
12.	कोडरमा	498.76	फरवरी, 2000 में स्वीकृत
13.	मूरी	166.91	तकनीकी जांच की जा रही है।
14.	मोतीपुर	223.56	
15.	मीरगंज	169.15	
16.	कटेया	167.05	
17.	बेलसांद	72.41	

1	2	3	4
18.	कान्ती	210.70	
19.	भैरव	153.39	क्र.सं. 14 से 34 तक की योजनाएं पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण फरवरी, 2000 में राज्य सरकार को वापस भेज दी गई।
20.	महाराजगंज	121.57	
21.	कायलोव	101.33	
22.	पीरो	200.60	
23.	खुसरुपुर	154.10	
24.	साहपुर	100.45	
25.	नोखा	190.48	
26.	सिलाव	111.00	
27.	नसरीगंज	110.39	
28.	बेहिया	241.64	
29.	सीनी	76.92	
30.	खरसावन	70.56	
31.	नौमुंडी	92.70	
32.	मेरू	69.18	
33.	जगन्नाथपुर	84.49	
34.	जानीपुर	64.00	

स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिला शिक्षा

7800. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार महिला शिक्षा के प्रसार हेतु स्वैच्छिक संगठनों को कितनी धनराशि दी गई/खर्च की गई;

(ख) उक्त कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु विद्यमान नियम क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और राज्यों को आनुपातिक आवंटन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में महिला शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक एजेंसियों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें महिला शिक्षा एक घटक है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार, इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

(ग) भारत सरकार शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उपलब्धि के क्षेत्र में व्याप्त परंपरागत स्त्री-पुरुष संबंधी असंतुलनों को दूर करने के लिए प्रयासरत है और यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षा

के जरिए महिलाओं की स्तिथि में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यावहारिक प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	वर्ष			
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
असम	2.00	2.34	2.50	—
आन्ध्र प्रदेश	—	1.62	4.03	—
बिहार	4.12	4.12	22.00	—
हरियाणा	2.50	0.65	1.30	—
हिमाचल प्रदेश	1.80	2.93	2.92	—
गुजरात	3.26	6.76	7.05	—
कर्नाटक	7.80	9.30	15.70	—
महाराष्ट्र	11.40	14.00	29.97	—
मध्य प्रदेश	1.62	—	2.25	—
मणिपुर	1.76	5.35	10.15	—
नागालैंड	3.94	8.51	2.94	—
उड़ीसा	9.30	18.18	26.09	—
राजस्थान	—	1.62	—	—
तमिलनाडु	4.86	4.74	—	—
पश्चिम बंगाल	4.39	4.58	7.42	—
दिल्ली	0.95	0.50	0.45	—
उत्तर प्रदेश	12.73	19.69	26.56	—

[अनुवाद]

महिलाओं का अवैध व्यापार

7801. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल और बंगलादेश से महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार कर भारत के वैश्यालयों में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी मूल की कितनी महिलाएं देश में पकड़ी गई और वेश्यालयों से छुड़ाई गई;

(घ) क्या इस महाविपत्ति का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी कोई सहायता प्रदान कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध

7802. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक दिल्ली पुलिस के विभिन्न महिला प्रकोष्ठों में महिलाओं द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) कितनी शिकायतें सिलसिलेवार ढंग से निपटायी गई हैं; और

(ग) शेष शिकायतों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली पुलिस शेष शिकायतों को निपटाने के लिए एकजुट प्रयास करती रही है। तथापि, एक निश्चित समय सीमा बताना कठिन है।

विवरण

वर्ष	प्राप्त की गई कुल शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	अन्य राज्यों को भेजी गई शिकायतों की संख्या
1997	8406	6056	1040
1998	8810	6130	977
1999	8435	6380	550
2000 (30.4.2000 तक)	3474	1794	154

[अनुवाद]

आवास संबंधी योजनाएं

7803. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में आवास संबंधी क्षेत्र का विकास करने का है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने का संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय आवास और पर्यावरण नीति में सरकार की भूमिका एक सुविधाता तथा साथ ही आवास क्षेत्र की कानूनी, नियामक, तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों को दूर करके अनुकूल वातावरण तैयार करने की रखी गई है। आवास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले ही वित्तीय रियायतें दी हुई हैं।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना नियतनों तथा अन्य एजेंसियों के ऋणों के जरिए विभिन्न आवास योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के लिए कोई केन्द्रीय योजना अथवा केन्द्रीय राशि का सीधे नियतन नहीं है।

सेना चिकित्सा कोर के डाक्टरों को भत्ते

7804. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना चिकित्सा कोर के डाक्टरों को देय प्रैक्टिस न करने संबंधी भत्ते को उन्हें मिलने वाले विभिन्न भत्तों, जिनमें महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता शामिल है, की संगणना करने के लिए नियमानुसार मूल वेतन का भाग माना जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के अन्य डाक्टरों जिनमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के डाक्टर शामिल हैं, के संबंध में भी प्रैक्टिस न करने संबंधी भत्ते को महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते की संगणना के लिए मूल वेतन का भाग माना जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठनों के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के डी. ए. और टी.ए. का परिकलन करने के लिए प्रेक्टिसबंदी भत्ते को वेतन के रूप में माना जाता है।

[हिन्दी]

हिन्द महासागर में अपशिष्टों का गिराना

7805. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर में अपशिष्ट गिराने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में कौन-कौन से देश लिप्त पाए गए हैं और ऐसी सूचनाएं किस तारीख को प्राप्त हुई; और

(घ) सरकार द्वारा महासागर को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) हिन्द महासागर भारतीय समुद्र में प्रदूषण के प्रबोधन में लगी सरकारी एजेन्सियों द्वारा हिन्द महासागर में अपशिष्ट गिराने से संबंधित ऐसी कोई घटना/मामला देखने में नहीं आया है।

(घ) देश के तटीय एवं अपतट सागरों में विभिन्न समुद्री प्रदूषकों के स्तरों का प्रबोधन करने तथा समुद्र की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महासागर विकास विभाग द्वारा 1991 से तटीय समुद्र प्रबोधन एवं पूर्वानुमान प्रणाली (कोमैप्स) नामक एक बहुसंस्थात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 1991 से सरकार द्वारा नियुक्त 11 संस्थाओं द्वारा 25 प्राचलों को सम्मिलित करते हुए 82 स्थानों पर प्रदूषकों का गहन प्रबोधन किया जा रहा है। इन प्रेक्षणों के माध्यम से प्राप्त परिणामों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु समय-समय पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है।

केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने जल अधिनियम 1974, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्धारित अपशिष्ट मानकों का अनुपालन न करने के लिए कुछ नगर पालिकाओं को नोटिस भेजे हैं। इसी प्रकार निर्धारित अपशिष्ट मानकों का अनुपालन न करने वाले तटरेखा के समीप स्थित कुछ प्रमुख उद्योगों को नोटिस भेजे गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्य सरकारों ने एक जैसे अपशिष्टों के शोधन के लिए बहि:स्राव शोधन संयंत्र लगाए हैं। समुद्र प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए अधिदेशित भारतीय तट रक्षक, तट से 200 समुद्री मील तक फैले भारतीय समुद्रवर्ती क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षण व सुरक्षा करने तथा विशेषकर जलयानों/पोतों द्वारा आकस्मिक तेल रिसाव के सम्बन्ध में 1991 से दिन रात इस क्षेत्र की निगरानी कर रहा है।

[अनुवाद]

आदिवासियों का उत्थान

7806. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान एन.ई.आर. के जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है। जनजातियों के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के नामों को दर्शाने वाला विवरण तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) को इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) को निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त राशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	33.55	38.87	39.70

1	2	3	4	5
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	14.00	11.02	12.04
3.	अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत असम सरकार को सहायता अनुदान	0.13	0.13	0.14
4.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	0.50	1.02	-
5.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के होस्टल	0.58	1.19	1.30
6.	आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल	0.97	1.11	0.53
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1.55	1.47	1.92
8.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.47	0.89	0.61
9.	ग्राम अन्न बैंक	0.02	0.73	-
10.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	-	1.00	-
11.	राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	-	-	0.50
12.	निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर	-	0.10	0.04
13.	स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	2.64	3.01	4.85

रसायनों और उर्वरकों की ढुलाई

7807. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में रसायनों और उर्वरकों की विभिन्न उत्पादन एककों से देश के अन्य सुदूर क्षेत्रों के लिए ढुलाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रसायनों और उर्वरकों की ढुलाई पर आने वाली लागत जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कुछ उत्पादन एककों को आन्ध्र प्रदेश के निकट स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रसायनों के परिवहन में निहित लागत का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है और इन पर वितरण नियंत्रण नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग ने दिसम्बर 1991 में एक अध्ययन सौंपा था जब सभी उर्वरक भारत सरकार के मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण के तहत थे। यह अध्ययन रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकनोमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1995 में प्रस्तुत कर दी थी। किन्तु अगस्त, 1992 में यूरिया को छोड़कर अन्य सभी उर्वरकों पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था जिसके पश्चात मिश्रित किस्म के इस अध्ययन की उस नियंत्रणमुक्त बाजार में प्रासंगिकता नहीं रह गई थी जिसमें फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर संचलन बाजार आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) रसायन और उर्वरक लाइसेंसमुक्त उद्योग है। सरकार को आन्ध्र प्रदेश में किसी रसायन और उर्वरक संयंत्र के स्थानांतरण होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

सी.जी.एच.एस. का यूनानी औषधालय

7808. श्री अमर राय प्रधान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकारियों को दिल्ली/नई दिल्ली के यूनानी औषधालयों/एककों में फफूंदी लगी औषधियों के वितरण के बारे में दिनांक 1.1.1997 के पश्चात् कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा औषधि विनिर्माताओं और इस प्रकार की खरीद में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) फफूंदी से संक्रमित औषधों के वितरण से संबंधित तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। औषधों को प्रयोगशाला जांच के लिए भारतीव औषध फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, गाजियाबाद भेजा गया और औषधों को फफूंदी से संक्रमित पाया गया।

(घ) फफूंदी से संक्रमित औषधों के स्टॉक की जगह आपूर्ति करने वाली फर्म से नयी औषधें ली गई। सप्लाई करने वाले/उत्पादक को भी भविष्य में अधिक सजग रहने की चेतावनी दी गई। साथ ही, सभी औषधालयों/एककों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लाभार्थियों को औषध देने के पहले सजग रहने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

7809. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष उड़ीसा में मलेरिया ने सैकड़ों जानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में धन की कमी के कारण विफल हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य से मलेरिया का उन्मूलन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) पिछले वर्ष उड़ीसा राज्य में मलेरिया से हुई 398 मौतें दर्ज की गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम उड़ीसा सहित केन्द्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी आधार वाली श्रेणी-2 स्कीम है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)
1997-98	313.45
1998-99	746.14
1999-2000	1162.07

उड़ीसा राज्य में मौजूदा परिस्थिति पर्यावर्णिक परिस्थितियों के कारण राज्य से मलेरिया रोगियों और मौतों को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। 1998 के दौरान सूचित 478056 मलेरिया रोगियों की तुलना में 1999 के दौरान 427757 मलेरिया रोगी सूचित किए गए।

(ङ) उड़ीसा में मलेरिया के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* समुचित कीटनाशियों से चुनिन्दा छिड़काव करने की दृष्टि से क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए रोगवाहक नियंत्रण उपायों और ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक तथा समेकित रोग वाहक नियंत्रण कार्य में तेजी लाना।
* शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी अभियान तेज करना।
* रोगियों का शुरू में पता लगाना और तत्काल उनका उपचार करना।
* सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) विषयक जनजागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी वाले कार्यकलापों में तेजी लाना।

* सांस्थानिक प्रबन्ध तथा क्षमता निर्माण करना, गहन पुनरभिविन्यास कार्यक्रम के जरिए सभी स्तरों पर जनशक्ति का विकास करना और कार्यकुशल प्रबन्ध सूचना प्रणाली कायम करना (एम.आई.एस.)।

इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा राज्य में 30.9.97 से एक संवर्धित संबंधित मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत मलेरिया की उच्च घटना सूचित करने वाले जनजातीय बहुल 22 जिले तथा सम्बलपुर कस्बा कवर है। इस परियोजना का उद्देश्य मिले-जुले उपायों के जरिए अतिरिक्त निवेश करते हुए मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों में तेजी लाना है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

7810. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में काम करने वाले बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारी दिल्ली में आवास सुविधा के अभाव में समीपवर्ती शहरों में बस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गाजियाबाद में इंदिरापुरम, गुड़गांव और फरीदाबाद में विशेषरूप से केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सीमांकित क्षेत्र के भीतर रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/पेंशनर अपने क्षेत्र में चल रहे अपने निकटतम औषधालयों से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर न किए गये सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा-परिचर्या), नियमावली, 1944 के अधीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

होमियोपैथी में डिप्लोमा

7811. **डा. गिरिजा व्यास:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और दिल्ली से बाहर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों के भर्ती संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार होमियोपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा शुरू करने और होमियोपैथिक फार्मेसी परिषद् की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् एलोपैथिक, आर्युर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी के अन्तर्गत फार्मासिस्टों की भर्ती पूर्ण रूप से विभिन्न पद्धतियों में फार्मासिस्टों के संबंधित पदों के लिए अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार ही की जाती है।

(ख) और (ग) होमियोपैथिक फार्मेसी में संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। विनियामक तंत्र के अधिनियम के जरिए होमियोपैथी फार्मेसी परिषद् की स्थापना करने का भी एक प्रस्ताव है और संबंधित विभागों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खेलों संबंधी कानूनी विवाद

7812. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्पोर्टस क्लबों, स्पोर्टस आर्गेनाईजेशनों और एसोसिएशनों, एथलीटों, प्रायोजकों, आपूर्तिकर्त्ताओं या दूरदर्शन कम्पनियों के कानूनी विवादों के समाधान हेतु कोई प्रबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विवाद संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) ये संगठन स्वायत्तशासी संगठन हैं और इन्हें अपने विवादों का समाधान, अपने-अपने संविधान, उप-नियमों और संस्था के बहिर्नियम के अनुसार करना होता है। इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) से (ङ) इस विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ और भारोत्तोलन परिसंघ के संबंध में विवाद के मामले प्राप्त हुए थे। उनके संविधान तथा उप-नियमों के अनुसार, ये विवाद समाधान के लिए, राष्ट्रीय परिसंघों के शीर्ष निकाय अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ को भेज दिए गए हैं।

एन.डी.एम.सी. की संपत्ति

7813. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 2000 के 'द हिन्दू' में ''एन.डी.एम.सी. टू सीक हेल्प फ्रॉम प्राइवेट कन्सलटेंट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने परामर्शदाताओं का चयन किया गया है;

(घ) एन.डी.एम.सी. के कार्यकरण में ये किस प्रकार सहायक है; और

(ङ) एन.डी.एम.सी. की संपत्ति के अनुचित रख-रखाव तथा उपयोग से एन.डी.एम.सी. को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने रियल इस्टेट कन्सल्टेन्ट जिनकी सूची का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लघुकरण किया गया है, को अपनाने तथा उनसे तकनीकी और वित्तीय बोलियां मंगाने का निर्णय लिया है। रियल इस्टेट कन्सल्टेन्ट की सेवाएं लेने से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को भूमि के अधिकतम मूल्य, जिससे भविष्य में नीलामी करने के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करने अथवा अपनी सम्पतियों के लिए आयोजित निविदाओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

(ग) अभी तक कन्सल्टेन्ट के चयन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) व्यवहार्य रिपोर्ट को तैयार करने, मांग का मूल्यांकन करने, भूमि का अधिकतम मूल्य वसूल करने, प्रस्तावों को तैयार करने, वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेज इत्यादि तैयार करने में कन्सल्टेन्ट उपयोगी होंगे।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की सम्पत्ति का अनुचित रूप से रख-रखाव करने अथवा उसका उपभोग करने के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सी.सी.एस.(सी सी ए) नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

कर्नाटक में दलितों पर हमला

7814. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलितों के विरुद्ध हुए अत्याचारों की छानबीन हेतु कांबल पल्ली (कर्नाटक) में कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या टिप्पणी और सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) कोई भी कैन्द्रीय दल काम्बलपल्ली नहीं भेजा गया था। यद्यपि, भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं, केन्द्र सरकार, दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के सुधार पर अधिक ध्यान देने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध को रोकने हेतु यथा आवश्यक कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। राज्य सरकारों को उनके पुलिस ढांचे में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

सी.जी.एच.एस. अस्पताल/औषधालय

7815. डा. वी. सरोजा:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के कितने जिलों में सी.जी.एच.एस. औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) देश के 24 जिलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय कार्यरत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वित्तीय तंगी तथा स्टाफ निरीक्षण यूनिट रिपोर्ट के लागू न होने के कारण वर्तमान में कोई नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं

7816. डा. बलिराम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप), रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादन एककों की स्थापना (नोराड) तथा इन्दिरा महिला योजना नामक मौजूदा स्कीमों के अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अक्तूबर, 1998 में 'स्व-शक्ति' (ग्रामीण महिला विकास और शक्ति-सम्पन्नता) परियोजना शुरू की है। इन स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु पिछले तीन वर्षों में आबंटित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के माध्यम से पात्र संस्थाओं से प्राप्त पूर्ण आवेदन-पत्रों के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलायी गई स्कीमों और प्रत्येक स्कीम के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	निर्मुक्त वर्ष-वार अनुदान		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादन एककों की स्थापना (नोराड)- इस स्कीम के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को गैर-पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करने और इन क्षेत्रों में उनका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगमों, स्वायत्त निकायों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है	15.98	69.57	143.85

1	2	3	4	5
2. -	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)-इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, विशेषकर उपेक्षित, परिसम्पत्तिविहीन ग्रामीण महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवहार्य दलों में संगठित किया जाता है और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण तथा ऋण के माध्यम से उन्हें सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं	362.00	519.00	202.13
3.	ग्रामीण महिला विकास और शक्ति सम्पन्नता (स्व-शक्ति) परियोजना-यह केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना 16-10-98 को शुरू की गई थी। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना और महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु वातावरण का सृजन करना है	कुछ नहीं	203.60	198.24

रक्तदान हेतु पुरस्कार

7817. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्तदाताओं के उत्साह को बढ़ाने हेतु उन लोगों के लिए एक पुरस्कार स्थापित करने का है जो एक विशिष्ट बार स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो सौ से भी ज्यादा बार रक्तदान करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) इस समय निश्चित बार स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों के लिए एक पुरस्कार शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। देश में व्यावसायिक रक्तदान पर रोक लगा दी गई है और स्वेच्छा से किया गया रक्तदान सबसे उत्तम रक्त समझा जाता है। यद्यपि अनेक अवसरों पर विभिन्न राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा भी कुछ दाताओं को सम्मानित किया गया है तथापि यह समझा जाता है कि पुरस्कार शुरू करने से स्वेच्छापूर्वक रक्तदान की भावना घट सकती है।

(घ) ऐसे आंकड़े नियमित रूप से नहीं रखे जाते। फिर भी दाताओं की सूची जैसा कि संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण संस्थाओं द्वारा बताए गए हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दाताओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	लोगों की संख्या जिन्होंने 100 से अधिक बार रक्तदान किया है
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
2.	अंडमान और निकोबार	शून्य
3.	दमन और दीव	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	केरल	शून्य
6.	महाराष्ट्र	37
7.	मिजोरम	शून्य
8.	तमिलनाडु	2

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई अनियमितताएं

7818. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई अनियमितताएं के बारे में 07-12-2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा ने एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को अत्यधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु अत्यधिक घटिया किस्म के सामान जैसे पट्टी तथा गौज कपड़ा की आपूर्ति प्राप्त की जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अत्यधिक आर्थिक हानि हुई; तथा औषधि नियंत्रक से लाइसेंस लिए बगैर इन मदों का सौदा किया;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के उन आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्तिकर्ता सूची से अलग कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अस्पताल सहित सरकारी विभागों को प्राधिकृत करने वाले आदेश से एन.सी.सी.एफ. को अलग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) प्राधिकृत संस्थाओं से एन.सी.सी.एफ. को अलग करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो एन.सी.सी.एफ. द्वारा अनियमितताओं और कदाचारों को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) इस संस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 1999-2000 और वर्तमान वर्ष के दौरान एन सी सी एफ के जरिए कोई घटिया किस्म का सामान जैसे पट्टी और गौज कपड़ा नहीं खरीदा।

(ख) इस संस्थान ने मैसर्स राजीव इन्टरप्राइजेज और मैसर्स सन बीम हैंडलूम तथा इन फर्मों से संबद्ध किसी दूसरी फर्म को अपने दिनांक 28 मई, 1999 के परिपत्र के तहत क्रय प्रयोजन के लिए विचार करने से संबंधित सप्लायरों की सूची से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

(ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल विहित क्रय प्रक्रिया के अनुसार तथा प्राधिकृत क्रय समितियों के जरिए दवाइयां, उपस्कर, भंडार सामग्रियां और लेखन सामग्री आदि खरीदते हैं।

(घ) और (ङ) दोषी पदधारियों/सप्लायरों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए एन सी सी एफ का सतर्कता प्रभाग एन सी सी एफ के ध्यान में लाई गई अनियमितताओं, यदि कोई हों की जांच करता है। एन सी सी एफ ने अपने कुछ अदक्ष सप्लायरों को सूची से बाहर करने समेत अनेक कदम उठाए हैं ताकि सामान की सप्लाई करने की इसकी प्रणाली में और सुधार लाया जा सके।

अस्पतालों में खरीद

7819. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य ए.आई.आई.एम.एस. सहित सरकारी अस्पताल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध मूल्य पर लेखन-सामग्री, सफाई रखने और अन्य सम्बद्ध मदों की खरीद करने के लिए वार्षिक निविदाएं दरें आमंत्रित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई एजेन्सी आपूर्तिकर्ता एक वर्ष के लिए एक दाम के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा निर्मित की गई विभिन्न मदों की सप्लाई करता है और अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत से इन मदों की गुणवत्ता केन्द्रीय और मात्रा में हेराफेरी करता है;

(ग) क्या एजेन्सियों/आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई दरें और गुणवत्ता केन्द्रीय भंडार की तुलना में घटिया हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान जिन एजेन्सियों/आपूर्तिकर्ताओं ने इन अस्पतालों को जिस माल की सप्लाई की उसका ब्रांड वार, दर-वार और विनिर्देश वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सन् 1981 में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय भंडार से माल की खरीद करने की बजाए निविदाएं/दरें आमंत्रित करने का क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार का विचार पिछले वर्ष केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पर्दाफाश किए गए घोटाले को मद्दे नजर रखते हुए इस मामले की जांच करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) यह सूचित किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल खुली निविदा के जरिए आकस्मिक सामग्री, सफाई तथा लेखन सामग्री की खरीद कर रहे हैं। इन मदों की कीमतें एक वर्ष के लिए वैध होती हैं।

(ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अस्पताली स्टाफ की मिली भगत से गुणवत्ता तथा मात्रा में हेराफेरी करने का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) सभी अभिकरणों/सप्लायरों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं; और दरों तथा गुणवत्ता में तुलना की जाती है।

(घ) और (ङ) जी एफ आर के नियम 128 के अंतर्गत ऐसी सभी वस्तुओं जिनकी नियमित आधार पर आवश्यकता होती है, की सप्लाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। अस्पताल कम मात्रा और अत्यावश्यक जरूरत वाली सामग्री मैसर्स सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. आदि जैसी अनुमोदित दुकानों से खरीद रहा है। केन्द्रीय भंडार से खरीद करना उचित नहीं होगा क्योंकि वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडार की दरें भिन्न-भिन्न रहती हैं परन्तु निविदा की दरें किसी विशेष निविदा में किए गए दर अनुबंध करार के पूरे वर्ष के लिए वही रहती हैं।

(च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अचानक जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विस्थापित शरणार्थी

7820. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी शरणार्थी आयोग ने कहा है कि भारत में राजनैतिक हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की संख्या 5.2 लाख है;

(ख) सशस्त्र बलों और आतंकवादियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों के कारण विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों, मुस्लिमों और सिखों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या शरणार्थियों के अनुसार 2.2 लाख तिब्तियों और श्रीलंकाइयों ने देश में शरण ले रखी है;

(घ) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 16,000 अफगानी शहरी शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत में विभिन्न देशों के शरणार्थियों के रहने से उत्पन्न समस्या देश में काफी असंतोष और असंतुलन पैदा कर रही है;

(च) यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिकिया है; और

(छ) विस्थापित हुए इन शरणार्थियों को उनके मूल स्थानों को वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) शरणार्थियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समिति, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, ने हाल ही में विश्व शरणार्थी सर्वेक्षण, 1999 रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि राजनैतिक हिंसा के कारण भारत में 5,20,000 से अधिक लोग आन्तरिक रूप से विस्थापित हो गए थे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक हिन्दू, मुस्लिम, सिख और अन्य के 53,538 परिवार कश्मीर घाटी से पलायन कर गए हैं। इनमें से 31,490 परिवार जम्मू में, 19,338 परिवार दिल्ली में और 2,710 परिवार अन्य राज्यों में रह रहे हैं। जम्मू में रह रहे परिवारों के समुदाय वार अलग-अलग ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

हिन्दू	-	27282
मुस्लिम	-	2303
सिख	-	1830
अन्य	-	75
		31490

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार लगभग 70,000 श्रीलंकाई शरणार्थियों की तमिलनाडु में 129 कैम्पों में और उड़ीसा में एक कैम्प में ठहराया गया है और लगभग 30,000 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में कैम्पों से बाहर रह रहे हैं। जून, 1998 में महामहिम दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा किए गए जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विभिन्न राज्यों में 1,08,414 तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं।

(घ) राज्य सरकारों से एकत्रित, आप्रवासन ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31.1.1998 की स्थिति के अनुसार भारत में शरणार्थियों के रूप में 12,255 अफगान राष्ट्रिक रह रहे हैं।

(ङ) से (छ) बडी संख्या में विभिन्न देशों के शरणार्थियों की निरन्तर मौजूदगी से वित्तीय भार सहित अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तथापि, श्रीलंका में निरन्तर गड़बड़ी की स्थिति होने के कारण वर्ष 1995 के बाद से किसी प्रकार का नियोजित प्रत्यावर्तन संभव नहीं हुआ है।

जहां तक तिब्बती शरणार्थियों का संबंध है, भारत सरकार की यह नीति है कि ऐसे व्यक्तियों, जो चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने तथा दलाईलामा के भारत में आने के बाद मार्च, 1959 के पश्चात भारत में आ गए थे, को भारत में रहने की अनुमति दी जाए उन्हें विदेशी समझा जाये बशर्ते कि उनका पंजीकरण हुआ हो और उन्हें आवासीय परमिट स्कीकृत किया हो। चूंकि वे परिस्थितियां जिनके अधीन आश्रय दिया गया था नहीं बदली हैं, तिब्बती शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को छोड़कर, जो भारत के प्रवास के दौरान भारत सरकार से कुछ सहायता प्राप्त कर रहे हैं, अन्य सभी विदेशी शरणार्थी आमतौर पर वैध पासपोर्ट और वीसा पर ही भारत में आते हैं तथा अपने ठहरने की अवधि बढ़ाते आ रहे हैं। उनके प्रवास को विभिन्न अधिनियमों जैसे विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 तथा इनके अधीन बने नियमों और आदेशों के तहत शासित किया जाता है। तथापि, शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन करने तथा उनके पुन: आगमन को रोकने के लिए सभी संबंधितों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य-सुरक्षा सम्बंधी तंत्र

7821. **श्री नारायण दत्त तिवारी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी और स्वयंसेवी क्षेत्र में स्वास्थ्य-सुरक्षा आधार संरचना और जनशक्ति संबंधी सूचना प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का एक प्रभावशील क्षेत्र-विशिष्ट सूक्ष्म-नियोजन को अवधारित करने के लिए ऐसा डाटा-बेस सृजित करने का प्रस्ताव है जिससे कि जनता की स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों से सरकारी, स्थानीय निकायों, प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठन क्षेत्रों में अस्पतालों और औषधालयों की राज्य-वार संख्या संबंधी सूचना एकत्र करता है और उसे भारत की स्वास्थ्य सूचना में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1.1.1998 को स्वामित्व के अनुसार एलोपैथिक अस्पतालों और पलंगों की संख्या*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी		स्थानीय निकाय		प्राइवेट		स्वैच्छिक संगठन		कुल
		अस्पताल	पलंग	अस्पताल	पलंग	अस्पताल	पलंग	अस्पताल	पलंग	संदर्भ की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	331	27586	**	**	2802	42192	3133	69778	1.1.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	262	2476	0	0	0	0	262	2476	1.1.92
3.	असम	141	9687	47	982	80	1992	268	12661	1.1.91
4.	बिहार	237	20522	1	49	90	8519	328	29090	1.1.92
5.	गोवा	14	2067	**	**	91	1781	105-क	3848	1.1.98
6.	गुजरात	312	22229	64	4321	2152	36867	2528	63417	1.1.96
7.	हरियाणा	60	4998	**	**	20	2232	80	7230	1.1.98
8.	हिमाचल प्रदेश	49	5060	5	58	9	345	63	5463	1.1.98
9.	जम्मू व कश्मीर	65	8062	0	0	2	140	67	8202	1.1.89
10.	कर्नाटक	209	27766	28	714	56	9999	293	38479	1.1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	149	30323	**	**	1958	67517	2107	97840	1.1.98
12.	मध्य प्रदेश	363	18141	0	0	0	0	363	18141	1.1.92
13.	महाराष्ट्र	445	34261	87	6901	2583	37758	3115	78920	1.1.93
14.	मणिपुर	11	663	1	863	5	100	17	1626	1.1.98
15.	मेघालय	5	1108	**	**	4	720	9	1828	1.1.98
16.	मिजोरम	7	671	**	**	5	350	12	1021	1.1.98
17.	नागालैंड	29	1158	0	0	0	0	29-ग	1158	1.1.98
18.	उड़ीसा	254	11668	5	111	14	201	273	11980	1.1.98
19.	पंजाब	177	11036	4	103	39	3782	220	14921	1.1.98
20.	राजस्थान	219	21387	**	**	**	**	219	21387	1.1.98
21.	सिक्किम	1	300	0	0	0	0	1	300	1.1.98
22.	तमिलनाडु	282	37935	7	479	119	10366	408	48780	1.1.90
23.	त्रिपुरा	29	1866	**	**	**	**	29	1866	1.1.98
24.	उत्तर प्रदेश	534	34267	42	985	159	12026	735	47278	1.1.86
25.	पश्चिम बंगाल	244	46466	22	737	133	6529	399	53732	1.1.98
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8	864	**	**	2	37	10-च	901	1.1.98
27.	चंडीगढ़	1	500	**	**	**	**	1	500	1.1.96
28.	दादरा व नगर हवेली	1	75	**	**	2	40	3	150	1.1.98
29.	दमन व दीव	1	100	0	0	2	50	3	115	1.1.92
30.	दिल्ली	41	12495	13	3436	23	3414	77-छ	19345	1.1.97
31.	लक्षद्वीप	2	70	**	**	**	**	2	70	1.1.98
32.	पांडिचेरी	8	2462	**	**	21	674	29	3136	1.1.98
	कुल	4491	398269	326	19739	10371	247631	15188	665639	

स्रोत: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क, ग, च, छ-कृपया सारणी 8.01 के नीचे पाद टिप्पण देखें।

*टी.बी. सैनेटोरियमों/क्लिनिकों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को छोड़कर।

**सूचित नहीं किए गए।

1.1.1998 को स्वामित्व के अनुसार एलोपैथिक अस्पतालों और पलंगों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		सेवित जनसंख्या प्रति		प्रक्षेपित जनसंख्या	
		अस्पताल	पलंग	संदर्भ	अवधि	अस्पताल	पलंग (1.3.98 को (हजार में)
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	3133	69778	1.1.98	23547	1057	73773
2.	अरूणाचल प्रदेश	262	2476	1.1.92	3302	349	1115
3.	असम	268	12661	1.1.91	92973	1968	25531
4.	बिहार	328	29090	1.1.92	263335	2969	96364
5.	गोवा	105-क	3848	1.1.98	14248	389	1496
6.	गुजरात	2528	63417	1.1.96	17792	706	46869
7.	हरियाणा	80	7230	1.1.98	240500	2661	19240
8.	हिमाचल प्रदेश	63	5463	1.1.98	101000	1165	6363
9.	जम्मू व कश्मीर	67	8202	1.1.89	106226	868	9449
10.	कर्नाटक	293	38479	1.1.98	173236	1319	50758
11.	केरल	2107	97840	1.1.98	15036	324	31680
12.	मध्य प्रदेश	363	18141	1.1.92	188430	3770	76936
13.	महाराष्ट्र	3115	78920	1.1.93	25921	1023	89052
14.	मणिपुर	17	1626	1.1.98	138706	1450	2358
15.	मेघालय	9	1828	1.1.98	253222	1247	2279
16.	मिजोरम	12	1021	1.1.98	74167	872	890
17.	नागालैंड	29-ग	1158	1.1.98	54207	1358	1572
18.	उड़ीसा	273	11980	1.1.98	128901	2937	35190
19.	पंजाब	220	14921	1.1.98	104568	1542	23005
20.	राजस्थान	219	21387	1.1.98	236032	2417	51691
21.	सिक्किम	1	300	1.1.98	523000	1743	523
22.	तमिलनाडु	408	48780	1.1.90	133903	1120	60696
23.	त्रिपुरा	29	1866	1.1.98	121759	1892	3531
24.	उत्तर प्रदेश	735	47278	1.1.86	166792	2593	162846
25.	पश्चिम बंगाल	399	53732	1.1.98	192712	1431	76892

1	2	12	13	14	15	16	17
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10-च	901	1.1.98	36100	401	361
27.	चंडीगढ़	1	500	1.1.96	88000	1400	830
28.	दादरा व नगर हवेली	3	115	1.1.98	59333	1548	178
29.	दमन व दीव	3	150	1.1.92	34000	680	131
30.	दिल्ली	77-छ	19345	1.1.97	159506	635	12856
31.	लक्षद्वीप	2	70	1.1.98	33000	943	66
32.	पांडिचेरी	29	3136	1.1.98	35862	332	1040
	कुल	15188	665639		63578	1451	965608

प्रति पलंग सेवित जनसंख्या की गणना उस वर्ष जिसके आंकड़े हैं, की पहली मार्च को वार्षिक जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की गई है।

स्रोत: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क, ग, च, छ–कृपया सारणी 8.01 के नीचे पाद टिप्पणी देखें।

*टी.बी. सैनेटोरियमों/क्लिनिकों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को छोड़कर।

डी.डी.ए. अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्य

7822. **श्री साहिब सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दिए गए उद्देश्य अस्पष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी उन एजेंसियों यथा डी.वी.बी., एम.सी.डी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., दिल्ली सरकार आदि की गतिविधियों के साथ तालमेल बना रही है, जिनका दिल्ली के नियोजित विकास से भी सरोकार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी संबंधित निकायों जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार आदि की सलाह-मशविरा से दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार करता है। इसके अलावा डी.डी.ए. की सभी निर्माण योजनाओं को संबंधित प्रशासनिक विभागों से कानून के अनुसार यथा अपेक्षित मंजूरी प्राप्त है। इस प्रकार संबंधित योजना तैयार करने के समय से तकनीकी समिति, स्क्रीनिंग समिति, दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों तथा प्रधान सचिव, दिल्ली, मुख्य मंत्री और उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता वाली समिति की बैठकों के जरिए सभी संबंधित विभाग डी.डी.ए. के साथ सहयोग करते हैं।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

7823. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित 47.74 करोड़ रुपये की सहायता से 192 नये शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारत सरकार ने 47.74 करोड़ रुपये की कुल लागत से 126 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र और 66 शहरी स्वास्थ्य प्रसव केन्द्र स्थापित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में 73 और शहरों/कस्बों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त आठवीं भारत जनसंख्या परियोजना को लागू करने का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित परियोजना लागत के भीतर केवल 192 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए हाल ही में प्राप्त हुए राज्य सरकार के एक संशोधित प्रस्ताव पर शीघ्र ही कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य को पहले ही 4 करोड़ रुपये की रकम जारी कर दी गई है।

सुधार और सौन्दर्यकरण योजना

7824. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकाश प्राधिकरण ने पुरानी दिल्ली में ऐतिहासिक अजमेरी गेट के लिए सुधार और सौन्दर्यकरण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना संबंधी कार्य कब आरम्भ हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि अजमेरी गेट के आस-पास के क्षेत्र में रिक्शा, टैम्पों और क्षेत्र में अन्य वाहनों की आवाजाही के उन्नत ढंग (इम्प्रूव्ड सरकुलेशन पैटर्न) और विनिर्दिष्ट पार्किंग (डजिगनेटिड पार्किंग) क्षेत्र की योजना बनाई गई है, एक सुन्दर स्थल दृश्य की भी योजना बनाई गई है, जिसमें स्मारकों और ऐतिहासिक गेट के महत्व को दिखाया गया है। स्थलदृश्य योजना इस प्रकार बनाई गई है कि इसमें मौजूदा पेड़ों को बचाकर इस क्षेत्र की सुन्दरता में वृद्धि की जा सके।

(ग) टैम्पों की पार्किंग के लिए उपयोग में लाई गई डीडीए की करीब 891 वर्ग गज जमीन का मामला न्यायाधीन है और स्टे आर्डर रद्द होने/स्थल के पूरी तरह उपलब्ध होने के बाद इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया जाएगा। पार्किंग के लिए शेष क्षेत्र में विकास कार्य डीडीए द्वारा 30.9.2000 तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रासायनिक उत्पादों की डम्पिंग

7825. श्री तूफानी सरोज: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 2000 के 'द हिन्दू' में ''एशियन जायंट्स डम्पिंग केमीकल प्रोडक्टस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पर्याप्त मात्रा में विदेशी रासायनिक उत्पादों की उपलब्धता के कारण भारत में चल रही छोटी रासायनिक फर्में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन फर्मों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) लेख में इस सुझाव को नोट किया गया है कि लघु फर्में किफायत बरतें और विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम अपनाएं। जहां तक रासायनिक उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क का संबंध है, ऐसे शुल्क सरकार ने 22 विभिन्न रासायनिक उत्पादों पर 1995-96 से 1999-2000 के दौरान लगाए हैं।

(ग) और (घ) लघु रासायनिक फर्मों के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पहलू अनेक हो सकते हैं। एंटी डंपिंग शुल्क लगाना रसायनों के बड़े पैमाने पर डंपिंग को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्रभावित कंपनियों द्वारा एंटी डंपिंग याचिका वाणिज्य मंत्रालय को दायर करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

किशोर अपराध

7826. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किशोर अपराधों की संख्या बढ़ रही है और अधिकाधिक बच्चे और स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले बच्चे अपराधों में शामिल हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों के नाम

7827. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से वहां के राज्यों के नाम बदलने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी टी.वी. चैनल अपने प्रसारण में नए प्रस्तावित नामों का प्रसारण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा "पश्चिम बंगाल" का नाम बदलकर "बांग्ला" करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 3(ङ) के अंतर्गत यथा आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विधायी निकाय

7828. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव के लोगों द्वारा एक लघु विधान सभा के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले एक विधायी निकाय का प्रावधान करने की पुरजोर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चों के लिए कार्य योजना

7829. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
डा. गिरिजा व्यास:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन विधवाओं और बच्चों के लिए कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है जो राज्यों में आतंकवाद हिंसा से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कोई विशेष वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) केन्द्र और राज्य सरकारें, आतंकवाद के उत्तरजीवियों और पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक अदायगियों के रूप में राहत उपलब्ध करा रही हैं। उग्रवाद के पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर सरकार ने, विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और उग्रवाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित वृद्धों के पुनर्वास के लिए 1995 में एक परिषद गठित की थी। केन्द्र सरकार ने भी समग्र निधि में योगदान किया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाऊन्डेशन जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय है, साम्प्रदायिक, जातीय, रंगभेद हिंसा के पीड़ित बच्चों के फिजीकल और मनो-वैज्ञानिक पुनर्वास के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है। केन्द्र सरकार ने प्रारम्भिक समग्र निधि उपलब्ध कराई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

7830. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 16 फरवरी, 2000 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय राजस्व सेवा के 77 ऐसे अधिकारियों के नाम प्रकाशित किए हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने या दण्ड-अध्यारोपण की गई है;

(ख) क्या यह ऐसी द्वितीय सूची है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने और 67 ऐसे व्यक्तियों पर कड़ा दण्ड लगाने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कार्मिकों में से मुख्यत: सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और आयकर विभाग के अधिकारी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिकारियों को आरोपित करने की अनुमति दे दी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मिदेभर समुदाय का मानव विज्ञान अध्ययन

7831. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा मिदेभर समुदाय का मानव विज्ञान संबंधी अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को यह कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए एस आई) से आन्ध्र प्रदेश में मिदेभर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

अकादमिक स्टाफ कालेज

7832. श्री कोलूर बसवनगौड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक कर्नाटक में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितने अकादमिक स्टाफ कालेज खोलने की स्वीकृति दी गयी है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन कालेजों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ग) क्या राज्यों में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अकादमिक कालेज हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अभी तक 3 शैक्षणिक स्टाफ कालेज संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन कालेजों को संस्वीकृत राशि निम्नलिखित अनुसार है:

कर्नाटक विश्वविद्यालय:	17,06,909/- रु.
मैसूर विश्वविद्यालय:	37,57,757/- रु.
बंगलौर विश्वविद्यालय:	35,00,000/- रु.

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम. एल. धर समिति

7833. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों के वेतन और भत्तों पर विचार करने के लिए एम.एल. धर समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धर-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) 1979 में डा. एम एल धर समिति का गठन संकाय सदस्यों और दूसरे स्टाफ के वेतनगत ढांचे और कैरियर की संभावनाओं (प्रोस्पेक्ट्स) में औचित्य स्थापना के मामले की जांच करने, पदों की श्रेणियों की संख्या घटाने तथा भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए किया गया था। समिति ने 1979 से 1981 तक की अवधि में अपनी बैठकों के दौरान इस मामले पर विचार किया था और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय और संस्थान निकाय ने इन सिफारिशों पर विचार किया था। इस मामले में निर्णय कर लेने के पश्चात् सरकार ने प्रोन्नति निर्धारण योजना (एसेस्मेंट प्रोमोशन स्कीम) के साथ अध्यापन संकाय सदस्यों (चिकित्सा और गैर चिकित्सा) के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु अपना अनुमोदन 28 मई, 1983 को भेज दिया था।

मिनरल वाटर के लिए आई.एस.आई. की मोहर

7834. श्री चन्द्रकान्त खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि देश में मिनरल वॉटर पर अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. की मोहर लगाई जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को इस आशय का अनुदेश देने के बावजूद बाजार में अब भी बड़ी संख्या में बिना आई.एस.आई. मोहर का मिनरल वॉटर उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मिनरल वॉटर के विपणन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) वर्तमान में मिनरल वॉटर के लिए आई.एस.आई. मार्क अनिवार्य नहीं है और इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि देश में केवल आई.एस.आई. मार्क वाले मिनलर वॉटर की बिक्री सुनिश्चित करने और इस उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 10.12.1999 के सा.का.नि. संख्या 808 (ङ) के तहत लोगों से टिप्पणियां/सुझाव मांगने के लिए राजपत्र में एक प्रारूप अधिसूचना जारी की थी जिसमें मिनरल वाटर को बीआइएस के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अधीन कवर करना प्रस्तावित है।

मलिन बस्ती निवासी

7835. श्री किरीट सोमैया: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नित्यानंद नगर, घोत्सापुर, मुंबई की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि से 25,000 मलिन बस्ती निवासियों को हटाने के निचले न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सरकार ने अपील की है;

(ख) क्या वे सभी वहां 40 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं;

(ग) क्या स्थानीय निवासियों के संघ ने और जनता के प्रतिनिधियों ने इस निष्क्रमण को रोकने हेतु अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे;

(घ) क्या सरकार ने इन 25,000 मलिन-बस्ती निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। प्रश्नगत भूमि सरकार द्वारा रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत की गयी थी, जिसमें से दो प्लाट अधिग्रहणमुक्त कर दिए गये। लेकिन उसका कब्जा झोंपड़पट्टी वासियों द्वारा अतिक्रमण के कारण नहीं दिया जा सका। सरकार ने भूस्वामियों के एक कानूनी वारिस (566 वर्ग गज) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका सं. 1998 की 2445, पर महाराष्ट्र के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की है।

(ख) इस प्रकार की कोई सम्पत्ति सूची के.लो.नि.वि. द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) जन प्रतिनिधियों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) स्लम एरिया री डवलपमेन्ट एक्ट, 1971 के तहत भूमि अधिग्रहीत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ मामला उठाया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, सरकार ने पी.पी.ई.एक्ट के अधीन अवैध कब्जाकारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।

(ङ) मामला न्यायाधीन है।

फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आश्रय और सफाई-व्यवस्था

7836. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय योजनाओं द्वारा शहरों में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रात्रियापन के लिए आश्रयस्थल और सफाई-व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को इस हेतु मंजूर और जारी की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इन योजनाओं में कोई रुचि प्रदर्शित की है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में इस संबंध में हुई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों की रैन बसेरा और सफाई सुविधा नामक केन्द्रीय स्कीम वर्ष 1988-89 से चालू है। स्कीम राज्य सरकारों या स्थानीय नगरपालिका निकायों या स्वैच्छिक संस्थाओं सहित अन्य राज्य प्रवर्तित संस्तुत एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सभी शहरी केन्द्रों जहां फुटपाथ वासियों या बेघरों का जमाव है को शामिल करने के लिए स्कीम को अगस्त, 1992 में संशोधित किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान हडको द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण की क्रम सं. 3, 5 और 2 में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान हडको द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों की सं.	परि. लागत	ऋण राशि	मंजूर सब्सिडी	बेडस	मंजूर यूनिटें डब्ल्यूसी	बाथ	यूरीनल्स	जारी ऋण	जारी सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 1997-98 के लिए											
1.	बिहार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	17.76	3.10
2.	केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	22.00	1.56
3.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	99.03
4.	मध्य प्रदेश	1	178.86	80.48	81.20	0	350	120	100	57.14	41.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 1998-99 के लिए											
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	27.10	7.10	12.00	80	50	30	0	0.00	0.00
2.	बिहार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	7.11	0.00
3.	गुजरात	1	410.48	283.17	86.27	0	733	255	319	0.00	0.00
4.	केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.27
5.	महाराष्ट्र	1	292.37	0.00	90.30	0	645	0	298	0.00	17.64
6.	मध्य प्रदेश	1	102.68	47.45	45.78	0	200	77	50	40.45	55.72
7.	राजस्थान	3	541.13	39.41	218.50	0	927	461	286	0.00	26.54
वर्ष 1999-2000 के लिए											
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	147.00	0.00	58.89	0	420	0	0	0.00	0.00
2.	महाराष्ट्र	22	7043.62	2306.00	1880.20	0	13746	0	6	0.00	18.45
3.	मध्य प्रदेश	5	464.21	215.14	195.30	0	775	312	308	25.00	81.54

गुर्दे संबंधी सुविधाएं

7837. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष 9500 से अधिक रोगी गुर्दे की बीमारियों के कारण मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जहां गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने रोगी इन अस्पतालों में आए;

(ङ) क्या ये अस्पताल गुर्दे के रोगों से पीड़ित रोगियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) भारत मे प्रति वर्ष अनुत्क्रमणीय (चिरकारी) वृक्कपात से मरने वाले रोगियों की संख्या के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुमान है कि प्रति वर्ष एक मिलियन जनसंख्या पर 100 व्यक्तियों में ऐसे वृक्कपात विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारी वर्तमान जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख नए रोगी हो जाते हैं।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) इनमें से कुछ गंभीर वृक्कपात जो संभवत: उत्क्रमणीय होता है, और चिरकारी वृक्कपात के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के स्थिरीकरण के लिए होमोडायलिसिस प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित अस्पतालों में गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधाएं हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
2. पी.जी.आई., चंडीगढ़।

3. के.ई.एम. हास्पिटल, बम्बई।

4. मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई।

5. एस.जी.पी.आई. कालेज, लखनऊ।

6. उस्मानिया जनरल हास्पिटल, हैदराबाद।

7. निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद।

कभी कभार के लिए

8. कलकत्ता मेडिकल कालेज।

9. कालीकट मेडिकल कालेज, केरल।

10. आई.एम.एस., बी.एच.यू.।

बहुत कम ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो गुर्दा प्रत्यारोपण बहुत कम करते हैं। निम्नलिखित निजी चिकित्सा संस्थाओं में गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

1. सीएमसी, वेल्लूर।

2. अपोलो हास्पिटल, चेन्नई।

3. अपोलो हास्पिटल, दिल्ली।

4. अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद।

5. जसलोक हास्पिटल, बम्बई।

6. महावीर हास्पिटल, हैदराबाद।

7. बम्बई हास्पिटल, बम्बई।

8. गंगा राम हास्पिटल, दिल्ली।

9. बत्रा हास्पिटल, दिल्ली।

10. मेट्रो हास्पिटल, दिल्ली।

11. संत जान मेडिकल कालेज, बंगलौर।

12. मणिपाल नेफ्रोलाजी यूरोलाजी सेन्टर, बंगलौर।

13. सीएमसी, लुधियाना।

इसके अलावा दक्षिण भारत और बम्बई में लगभग 30 और निजी अस्पताल हैं जो गुर्दा प्रत्यारोपण करते हैं।

उक्त संस्थाओं में से कुछ से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के अनुसार प्रतिमाह 4-5 गुर्दा प्रत्यारोपण किए जाते हैं।

खाड़ी देशों में बच्चे भेजने का धंधा

7838. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार खाड़ी देशों में बच्चों की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या सरकार ने बच्चों को खाड़ी देशों को तस्करी द्वारा भेजने के धंधे की जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस जांच में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया का उत्पादन

7839. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "यूरिया आऊटपुट फाल्स शार्ट आफ टार्गेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार यूरिया का उत्पादन गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में लक्ष्य से कितना कम रहा;

(घ) उत्पादन में इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यूरिया के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) जनवरी, 2000 में यूरिया का उत्पादन 18.37 लाख मी. टन के लक्ष्य की तुलना में 16.81 लाख मी. टन था। उत्पादन में 1.56 लाख मी. टन की कमी ओ एन जी सी/जी ए आई एल में अधिकारियों की हड़ताल के कारण हुई जिससे गैस की आपूर्ति बिल्कुल बन्द हो गई थी। गत वर्ष के इसी माह में यूरिया का उत्पादन 16.25 लाख मी. टन हुआ था। अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान यूरिया

का संचयी उत्पादन लक्ष्य से 0.6 प्रतिशत अधिक था तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 3.6 प्रतिशत अधिक था।

अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार प्रणाली

7840. श्री पी.डी. एलान्गोवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश में अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार प्रणाली में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कोई योजना महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों का कंप्यूटरीकरण करने और उन्हें इन्टरनेट तथा वेबसाइट से जोड़ने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पुलिस संचार नेटवर्क में सुधार के लिए 137.91 करोड़ रुपये की लागत से स्टेलाईट आधारित पालनेट नामक एक परियोजना शुरू की है। इसमें देश में पुलिस संचार को एकीकृत करने के आशय से 833 बहुत छोटे ऐपचुयर टर्मिनल (वीसेट) और 11,502 मल्टी एसेस रेडियो टेलिफोन (मार्टस) के संस्थापन की परिकल्पना है। इससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ राज्य राजधानियों के बीच संपर्क कायम हो सकेगा और जिला मुख्यालय/पुलिस स्टेशनों के स्तर तक भी इसके संपर्क का आगे विस्तारण किया जाएगा। इससे देश में प्रत्येक पुलिस स्टेशन का देश के किसी भी अन्य पुलिस स्टेशन के साथ-साथ जिला मुख्यालय अथवा राज्यों की राजधानियों के साथ सम्पर्क हो सकेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली परियोजना (सी.सी.आई.एस.) के अंतर्गत पुलिस जिला स्तर तक पुलिस रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण का काम पूरा हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पुलिस स्टेशन स्तर तक कम्प्यूटरीकरण के लिए साफ्टवेयर विकसित करने के कार्य में भी लगा हुआ है।

अन्तर-राज्यीय परिषद

7841. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर-राज्यीय परिषद संबंधी स्थायी समिति ने 4 अप्रैल, 2000 को केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की विभिन्न सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत/अस्वीकृत की गई सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका;

(ग) क्या धारा 356 के लगाये जाने के संबंध में की गई सिफारिश पर कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस धारा पर सर्वानुमति बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 4 अप्रैल, 2000 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में ''प्रशासनिक संबंधों'', ''विधेयक के आरक्षण'', ''वित्तीय संबंधों'', ''उद्योग'', ''कृषि'', ''खाद्य और नागरिक आपूर्ति'' और ''व्यापार'' और भारत के क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और परस्पर व्यवहार से संबंधित सरकारिया आयोग की कुछेक सिफारिशों पर विचार किया गया था। इस संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। अन्तर्राज्यीय परिषद की अगली बैठक 20 मई, 2000 को होनी है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशें 4 अप्रैल, 2000 को हुई स्थायी समिति की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी अतः उन पर उस दिन विचार-विमर्श नहीं हुआ। तथापि, अनुच्छेद 356 पर स्थायी समिति और अंतर्राज्यीय परिषद की पहले हुई बैठकों में विचार-विमर्श हुआ था। 19 दिसम्बर, 1998 को हुई स्थायी समिति की छठी बैठक में इस विषय को उप-समिति को सौंपा गया था जिसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं तथा जिसका संयोजन केन्द्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। मामले पर 22 जनवरी, 1999 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में भी चर्चा की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री के संयोजन में इस उप-समिति को सर्व-सम्मति प्राप्त करने हेतु विचार-विमर्श जारी रखना चाहिए । अन्तर्राज्यीय परिषद ने इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

महिलाओं को आरक्षण

7842. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिला आरक्षण विधेयक के तहत मुस्लिम तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लोक सभा में संविधान (85वां) संशोधन विधेयक, 1999 पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पोली-क्लिनिक

7843. डा. गिरिजा व्यास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना ने दिल्ली में कुछ पोली-क्लिनिकों और 'नोडल' केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्लिनिकों में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के इस प्रकार के 'नोडल' केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण 1 और विवरण 2 के रूप में संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पालिक्लिनिकों और इन क्लिनिकों में उपलब्ध सुविधाओं की सूची

1.	कस्तूरबा नगर	चिकित्सीय, स्त्रीरोग, त्वाचा, नेत्र, कान-नाक-गला, डेंटल, बाल रोग चिकित्सक, प्रयोगशाला, एक्सरे और ई सी जी।
2.	पूसा रोड	चिकित्सीय, त्वचा, नेत्र, डेंटल, स्त्रीरोग, प्रयोगशाला और ईसीजी।
3.	लक्ष्मी नगर	चिकित्सीय, नेत्र और प्रयोगशाला।
4.	जनकपुरी	चिकित्सीय, त्वचा, स्त्रीरोग, ईसीजी और प्रयोगशाला

विवरण-2

क्र.सं.	नोडल केन्द्र का नाम
1	2
1.	नानकपुरा
2.	मोतीबाग
3.	आर. के पुरम 2
4.	आर. के पुरम 4
5.	नेताजी नगर
6.	सरोजनी नगर 1
7.	सरोजनी नगर 2
8.	सरोजनी नगर मार्केट
9.	एन्डूज गंज
10.	आर.के. पुरम 3
11.	लाजपत नगर
12.	श्रीनिवासपुरी
13.	कस्तूरबा नगर 1
14.	कालकाजी 1
15.	श्रीनिवासपुरी

1	2
16.	लक्ष्मीबाई नगर
17.	एम.बी.रोड
18.	तिलक नगर
19.	नारायणा
20.	नया राजेन्द्र नगर
21.	दिल्ली कैंट
22.	पश्चिम विहार
23.	अशोक विहार
24.	नांगल राया
25.	लक्ष्मी नगर
26.	मयूर विहार
27.	दरिया गंज
28.	शहादरा
29.	वेलेजली रोड
30.	तिमारपुर
31.	नोएडा
32.	किंगस्वे कैंप
33.	गाजियाबाद

दिल्ली नगर निगम द्वारा गृह कर की वसूली

7844. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2000 के 'दैनिक जागरण' में द्वारिका की डी.डी.ए. कालोनी के बारे में प्रकाशित लेखों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा डी.डी.ए. के फ्लैटों के मालिकों से विशेषरूप से जिन्होंने अभी तक वहां रहना भी शुरू नहीं किया है, गृह कर वसूल करने का क्या कारण है; और

(घ) उन मालिकों से वसूल की गई धनराशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) यह 2 अप्रैल, 2000 से दैनिक जागरण में प्रकाशित छः लेखों की श्रृंखला में पहला लेख है। 2 अप्रैल, 2000 अंक के लेख में द्वारका उप-नगर में पहुंच मार्गों की खराब हालत, गंदगी, अतिक्रमण आदि के कारण खाली पड़े डी.डी.ए./सी.जी.एच.एस. फ्लैटों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. फ्लैटों के आबंटियों से सम्पत्ति कर की वसूली डी.डी.ए. से कब्जा लेने की तारीख से की जाती है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 129 के तहत सम्पत्ति कर किसी सम्पत्ति के पूरा होने या कब्जे की तारीख से, जो भी पहले हो, लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

7845. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कश्मीरी पण्डितों और अन्य लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर सरकार इसका विरोध कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार आतंकवादियों/बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु कोई नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अल्पसंख्यकों में कौन-कौन शामिल हैं, यह प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट-याचिका में निर्णयाधीन है अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने संबंधी आगे की कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य में सीधे जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालय कार्य कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने, सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता का आंकलन करने तथा आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने सहित सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर यू.एच.क्यू. के अध्यक्षता में बैठकें की जाती हैं।

विदेशियों का प्रवेश

7846. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एड्स से पीड़ित विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में एड्स से पीड़ित विदेशियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि विभिन्न मिशनों में काम करने वाले विदेशियों, विदेशी पुजारियों (प्रिस्टों) और धर्मसंधिनियों (ननों) और प्रैस सूचना ब्यूरो से मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को छोड़कर सभी विदेशी जो भारत मे एक वर्ष से अधिक ठहरना चाहते हैं अथवा वे विदेशी जो कम अवधि के वीजा पर भारत में प्रवेश करते हैं, परन्तु अपनी ठहरने की अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़वाना चाहते हैं को उनके ठहरने के दौरान केवल एक बार एड्स जांच करवानी होती है।

इन्टरनेशनल काउन्सिल आफ आर्बिट्रेशन फार स्पोर्ट्स

7847. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इन्टरनेशनल स्पोर्टस फेडरेशन" ने "इन्टरनेशनल काउन्सिल आफ आर्बिट्रेशन फार स्पोर्ट्स" के गठन हेतु 22 जून, 1994 को पेरिस में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और "कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन फार स्पोर्टस" के क्षेत्राधिकार को मान्यता दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की किसी "फेडरेशन" ने उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं के लिए जीवन यापन अनुदान

7848. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अपने पति द्वारा त्याग किए जाने के मामले में महिलाओं के लिए जीवन-यापन अनुदान से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन हेतु विभिन्न महिला संगठनों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में इस संहिता की धारा 125 में संशोधन करके, जीवन-यापन भत्ते की अदायगी की अधिकतम सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये प्रतिमाह करने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

गर्भ-निरोधक

7849. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'गर्भ निरोधकों के चयन में लापरवाही से असफल हुए कार्यक्रम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य पर गर्भनिरोधकों, गर्भपात के तरीकों और नसबंदी से पड़ने वाले दुष्प्रभावों की अनदेखी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) दुष्प्रभाव रहित गर्भ निरोधक उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ज) क्या सरकार द्वारा परिवार नियोजन को समेकित स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा माना जाता है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) इस लेख में की गई टिप्पणियां तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सुझाये गए सभी उपाय गर्भधारण को रोकने में सुरक्षित और प्रभावी हैं। तथापि इनमें से कुछ उपायों से मतली, वमन, रक्तस्राव संबंधी अनियमितताएं इत्यादि जैसे छोटे अनुषंगी प्रभाव होते हैं। सरकार को इन अनुषंगी प्रभावों की जानकारी है और वह परामर्श देने और स्वीकारकर्ताओं की जांच करने जैसे परिचर्या पहलुओं की गुणवत्ता पर लगातार जोर देती है। सभी दम्पति ऐसी विधि चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे वे अपनाना चाहते हैं।

भारत में अन्तः क्षेपणीय गर्भनिरोधकों का वाणिज्यिक रूप से और विपणनोत्तर निगरानी के अधीन विपणन किया जाता है। गर्भ निरोधन के लिए नारप्लांट और गर्भसमापन के लिए आर यू 486 जैसी अन्य विधियों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों के दौरान सुरक्षित पाया गया है।

गर्भपात की सेवाएं सरकार द्वारा अनुमोदित क्लिनिकों और अस्पतालों जो गर्भपात करने और जटिलताओं, यदि कोई हों, का उपचार करने के लिए उपकरणों से सज्जित हैं, में उपलब्ध हैं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नए गर्भ निरोधकों पर उनकी निरापदता, प्रभावकारिता, आनुषंगिक प्रभावों और स्वीकार्यता के लिए अनेक बहुकेन्द्रिक नैदानिक परीक्षण करती है। नैदानिक परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की विषविज्ञानी पुनरीक्षा पैनल समिति भारत के औषध महानियंत्रक और संबंधित संस्थानों की नैतिक समितियों से अनिवार्य अनुमोदन लेने के बाद शुरू किए जाते हैं। इन परीक्षणों की किसी भी जटिलता की दशा में इन्हें बन्द करने के प्रावधान के साथ सावधानीपूर्वक मानीटरिंग की जाती है।

(छ) सरकार पादप आधारित गर्भनिरोधकों, जिनके कोई आनुषंगिक प्रभाव नहीं हैं, को विकसित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार रोधक (बेरियर) विधियों और नो स्कल्पेल वैसेक्टोमी जिनमें से प्रत्येक के अपेक्षाकृत बहुत कम अथवा कोई आनुषंगिक प्रभाव नहीं हैं, को भी बढ़ावा दे रही है।

(ज) हाल ही में शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य बल समुदाय को आवश्यकता आधारित, उपभोक्ता केन्द्रित, मांग प्रेरित एकीकृत अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है। इनमें परिवार नियोजन, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपात और प्रजनन मार्ग संक्रमण/यौन संचारित रोगों का उपचार शामिल है।

(झ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण

7850. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने चालू वर्ष और अगले कुछ वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें कितनी लागत अंतर्ग्रस्त है और इस प्रयोजन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का वायदा किया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों के विभिन्न आवास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। तथापि आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) राज्य सरकारों को उनके आवास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करता है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 168 आवास स्कीमें 775.25 करोड़ रुपये की हडको ऋण सहायता चाहती हैं। ये प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। ई डब्ल्यू एस और एल आई जी आवास के संबंध में हडको स्कीमों (राज्य-वार) का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण 1

31.3.2000 के अनुसार प्रक्रियाधीन स्कीमों पर रिपोर्ट
31.3.2000 तक अद्यतन की गई स्वीकृति स्थिति आवास

राज्य	प्रक्रियाधीन स्कीमें जहां लंबित हैं							
	एजेंसी	राशि	आर ओ	राशि	मुख्या.	राशि	कुल	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आंध्र प्रदेश	0	0.00	1	10.00	4	1041.98	5	1051.98
अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
असम	0	0.00	7	1737.47	1	400.00	8	2137.47
बिहार	0	0.00	1	42.24	0	0.00	1	42.24
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दमन व दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दिल्ली (एनसीटी)	9	6602.95	10	13295.00	0	0.00	19	19897.95
दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
गुजरात	1	28.00	9	5936.73	0	0.00	10	5964.73
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	36.92	0	0.00	1	36.92
हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
जम्मू व कश्मीर	0	0.00	8	12512.49	0	0.00	8	12512.49
केरल	0	0.00	13	3066.95	5	24.00	18	5466.95
कर्नाटक	0	0.00	13	868.55	0	0.00	13	868.55
लक्षदीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
महाराष्ट्र	12	2987.17	15	4560.01	4	2256.36	31	9803.54
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	14	1314.46	2	52.25	0	0.00	16	1366.71
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
उड़ीसा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पाण्डिचेरी	1	92.74	0	0.00	0	0.00	1	92.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
राजस्थान	2	1218.00	1	87.00	0	0.00	3	1305.00
सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
तमिलनाडु	1	514.50	6	7878.60	3	673.00	10	9066.10
त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
उत्तर प्रदेश	2	841.76	2	1665.51	10	2533.36	14	5040.63
प. बंगाल	5	2425.50	0	00.00	5	447.45	10	2872.95
कुल	47	16025.08	89	51749.72	32	9752.15	168	77526.95

विवरण-2

ई डब्ल्यू एस/एलआईजी आवास के लिए प्रक्रियाधीन स्कीमों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ई डब्ल्यू एस(यू)	ई डब्ल्यू एस (आर)	एलआईजी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4.98	72.00	0.00	76.98
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	असम	165.86	0.00	489.05	654.91
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दिल्ली	8.95	0.00	0.00	8.95
9.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	गुजरात	727.60	0.00	28.00	755.60
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	केरल	1140.00	1650.00	780.00	3570.00
16.	कर्नाटक	12.50	0.00	264.97	277.47
17.	लक्षदीप	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	177.75	0.00	762.41	940.16
20.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	मध्य प्रदेश	695.86	0.00	22.02	717.88
22.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	राजस्थान	87.00	0.00	0.00	87.00
28.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	तमिलनाडु	171.20	0.00	107.40	278.60
30.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	1104.26	0.00	525.97	1630.23
32.	प. बंगाल	15.00	96.95	79.00	190.95
	कुल	4310.96	1818.95	3058.82	9188.73

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

7851. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम में कितने स्वैच्छिक संगठन लगे हुए हैं और उन्हें कितना अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) इनके द्वारा कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगे स्वैच्छिक संगठनों की योजनावार संख्या और उन्हें नौवीं योजना के दौरान अब तक प्रदान किए गए अनुदान इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	योजना	संख्या	जारी किए गए अनुदान
1.	एमएनजीओ/अभिनव परियोजनाएं	74	32,08,77,648/ रुपये
2.	यूएनएफपीए लैंगिक मुद्दों संबंधी परियोजनाएं	17	1,45,50,998/- रुपये
3.	यूएनएफपीए सहायता प्राप्त प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजनाएं	2	1,62,90,833/- रुपये
4.	छः पलंगों वाले बंध्यीकरण वार्डों की स्थापना	5	19,74,150/- रुपये

(ख) जहां तक कवरेज का संबंध है, इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लगभग 600 फील्ड स्तर के गैर-सरकारी संगठन देश के 22 राज्यों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों को कार्यान्वित कर रहे हैं। उनके संयुक्त प्रयासों से गर्भ निरोधक और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए अधिक मांग पैदा करने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

7852. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उल्लंघन स्वरूप उसके नियम 2 (इ) (3) को अधिकारातीत विषय के रूप में हटाए जाने पर सार्वजनिक टिप्पणी हेतु कोई राजपत्र अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोक मत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उक्त नियम को हटाये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने सरकारी राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 38 (अ), दिनांक 27.01.97 के तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 2 (ङ ङ) (3) को हटाने के प्रस्ताव वाली प्रारुप अधिसूचना जारी की थी। तथापि, नियम 2 (ङ ङ) को विधिक शक्तियों को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 89/19987 में दिनांक 13.9.98 के अपने निर्णय में मान्य ठहराया। इस प्रकार प्रारुप अधिसूचना की आगे की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठा।

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

7853. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बिहार के मसरख में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। बजटीय कमियों के कारण इस समय देश में कहीं भी कोई नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निधि आबंटन फार्मूला

7854. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के लिए गरीबी उन्मूलन हेतु निधियों के आबंटन के लिए मौजूदा फार्मूले को जारी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) गरीबी उन्मूलन हेतु निधि आबंटन के फार्मूले का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जी, हां, गरीबी उपशमन स्कीम हेतु राज्यों/संघ राज्यों को धन नियतन का सूत्र इस प्रकार है:-

राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न) हेतु

स्कीम के तहत किसी राज्य के लिए बजट नियतन उस राशि के बराबर होता है जो उस वित्त वर्ष हेतु सभी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों व संघ राज्यों से भिन्न) के कुल बजट नियतन का संबंधित राज्य में शहरी गरीबों की संख्या से गुणन करके तथा देश भर (पूर्वोत्तर राज्यो व संघ राज्यों से भिन्न) में शहरी गरीबों की कुल संख्या से विभाजित करके निकलती है।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट नियतन उस राशि के बराबर होता है जो उस वित्त वर्ष हेतु स्कीम के तहत सभी राज्यों के लिए रखे गये कुल धन के 10% अंश को संबंधित पूर्वोत्तर राज्य में शहरी गरीबों की संख्या से गुणन करके तथा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी गरीबों की कुल संख्या से विभाजित करके निकलती है।

संघ राज्यों हेतु

किसी संघ राज्य के लिए बजट नियतन उस राशि के बराबर होता है जो उस वित्त वर्ष हेतु सभी संघ राज्यों के लिए कुल

बजट नियतन का संबंधित संघ राज्य में शहरी गरीबों की संख्या से गुणन करके तथा सभी संघ राज्यों में शहरी गरीबों की कुल संख्य से विभाजित करके निकलती है।

शहरी गरीबों की कुल संख्या, योजना आयोग द्वारा प्रदत्त मोडीफाइड एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट- 1993-94 पर आधारित है।

किन्तु जहां सूत्र के अनुसार बजट नियतन राशि काफी कम रहती है, तो राज्यों/संघ राज्यों को नियतन हेतु बुनियादी तौर पर कुछ न्यूनतम राशि देने पर विचार किया जाता है।

"विश्व भारती"

7855. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरुदेव टैगोर के साहित्य के हिन्दी, तमिल, गुजराती, तेलगु और मराठी भाषाओं को हाल ही में विशेष परियोजना के रूप में लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विश्वभारती हेतु कितनी योजना सहायता दी गई और उक्त योजना अवधियों के दौरान इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या विश्वभारती को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में कोई वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) क्या सभी भारतीय भाषाओं में गुरुदेव टैगोर की लिपि हेतु इसके विस्तार/परियोजना और नई छात्रवृत्ति देने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानचित्र सम्मेलन

7856. श्री जय प्रकाश: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दो दिवसीय मानचित्र सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना नीति बनाने हेतु कोई सिफारिश की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी, हां। मैप इंडिया 2000, तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी नई दिल्ली में 10-11 अप्रैल, 2000 के दौरान ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका आयोजन एक गैर-सरकारी संगठन, सेन्टर फार स्पेशियल डाटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड सोल्यूशन्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

(ग) और (घ) इस विभाग को अभी तक सम्मेलन की कोई भी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

7857. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1997 के दौरान दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरगंज अस्पताल में छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निष्कर्ष क्या है;

(ग) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन अस्पतालों से विभिन्न शल्यक मरहक पट्टियों अर्थात् गाज क्लॉथ और पट्टियों आदि के नमूने जब्त किए क्योंकि उन्हें प्रथम दृष्टता घटिया और निम्न गुणवत्ता का पाया गया था। आगे इस मामले की छानबीन करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और सफदरगंज अस्पताल को की गई आपूर्तियों के बारे में आर सी. 6 एण्ड 7 (ए)/98-डी.एल.आई. के तहत दो मामले दर्ज किए।

(ग) और (घ) दोनों मामलों की फील्ड छानबीन पूरी कर ली गई है। एकत्र किए गए सबूतों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

राजनीतिक/सामाजिक संगठनों के लिए स्थान का आबंटन

7858. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को उनके कार्यालयों के लिए आबंटन किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कौन-कौन से राजनीतिक संगठनों को इसके पात्र होने के बावजूद उनके कार्यालय के लिए स्थान आबंटित नहीं किए गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पास उनके कार्यालयों के लिए फिलहाल 25 सामान्य पूल रिहायशी यूनिटें हैं।

(ख) पात्र राजनीतिक दलों/संगठनों के कार्यालयों के लिए सरकारी वास के आबंटन के अनुरोध की सरकार द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के आलोक में जांच की जाती है।

वेश्यावृति के मामलों में वृद्धि

7859. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल: क्या गृह मंत्री दिनांक 29 नवम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना अब एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यद्यपि, महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर अनेकों अध्ययन और रिपोर्टें उपलब्ध हैं फिर भी भारत में अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण की व्यापकता और सीमा के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार ने वेश्वावृत्ति, बाल वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों के संबंध में एक समिति गठित की है तथा अवैध व्यापार और महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर काबू पाने के लिए एक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया है। जून, 1998 में सरकार ने सार्क रिजनल कन्वेशन आन प्रिवेन्शन एण्ड कम्बैटिंग ट्रेफिकिंग इन वूमैन एण्ड चिल्ड्रेन फार प्रास्टिट्यूशन पर एक मसौदा भी तैयार किया है। उस मसौदा संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच ताल-मेल के माध्यम से तथा अवैध व्यापार तथा बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों को सुमेलित करके सीमा पार से अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

एड्स के मामले

7860. श्री राशिद अलवी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 28 मार्च, 2000 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "स्कैन सरकमसीजन कर्ब एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) क्या भारत में अनुसंधानकर्ताओं ने समाचार पर गौर किया है तथा इसका गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या खतना एड्स की रोकथाम में सहायक हो सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसे कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो यह दर्शाए कि खतना से एड्स के निवारण में कोई सहायता मिल सकती है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

7861. श्री अनादि साहू: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित की गई कुल 403.63 लाख रुपये की राशि में से उड़ीसा सरकार के लिए मजदूरी रोजगार के अंतर्गत केवल 82.72 लाख रुपये की राशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से चालू वर्ष में काम की कमी के मौसम के दौरान चक्रवात के उपरांत के पुनर्वास संबंधी उपाय के रूप में अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि जारी करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा सरकार को 403.63 लाख रु. के अनंतिम नियतन की तुलना में 460.83 लाख रु. जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय द्वारा की गई आर्थिक कटौती के कारण 403.63 लाख रुपये के कुल नियतन को घटाकर 279.32 लाख रु. कर दिया गया। 1999-2000 के दौरान राज्य को 120.38 लाख रु. के नियतन की तुलना में 125.95 लाख रु. शहरी गरीबी रोजगार कार्यक्रम के लिए जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। उड़ीसा सरकार के पास स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व शहरी गरीबी उपशमन (यूपीए) स्कीमों से कुल 11.16 करोड़ रुपये शेष बचे हैं। इसके अलावा, वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य को 279.32 लाख रु. के मूल नियतन के अलावा 181.51 लाख रु. की अतिरिक्त धनराशि दी गयी थी। राज्य को, उपलब्ध बकाया धनराशि, स्थानीय जरूरतों के आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के एक घटक से दूसरे घटक को देने और उसका उपयोग करने की भी अनुमति दी गई थी।

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर

7862. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के जनजातीय जिलों में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ रही है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्ष 1981 और 1991 की शिशु मृत्यु दर की जिला-वार सूचना से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान उड़ीसा के सभी जिलों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। भारत के महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) उड़ीसा के जनजातीय जिलों में गर्भवती माताओं की मृत्यु के जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1998-99 में दर्ज की गई गर्भवती महिलाओं की 129 मौतों के मुकाबले 1999-2000 में 138 मौतें दर्ज की गई। 1997 में उड़ीसा में मातृ मृत्यु दर पर भारत के महापंजीयक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 408 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 361 थी।

(घ) 1997 में शुरू किए गए प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दरों को कम करने हेतु कुछ उपायों को कार्यरूप दिया जा रहा है। माताओं के लिए उपायों में शामिल हैं, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांच, सुरक्षित प्रसव पद्धतियों में सुधार करना, मातृ रक्ताल्पता का रोगनिरोधक और उपचार, टेटनस के लिए प्रतिरक्षण, उच्च खतरे वाले गर्भावस्थाओं की पहचान और रेफरल, प्रथम रेफरल यूनिटों की स्थापना करना, और जन्म में अन्तराल को बढ़ावा देना। शिशु मृत्यु को कम करने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे उपायों में शामिल हैं: वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए प्रतिरक्षण पल्स पोलियों कार्यक्रम, अतिसार रोगों के कारण होने वाली मौतें पर नियंत्रण, और तीव्र श्वसनी संक्रमणों की रोकथाम नवजात परिचर्या विटामिन "ए" की कमी और रक्ताल्पता पर नियंत्रण और स्तनपान को बढ़ावा देना।

विवरण

क्रम संख्या	जिला	शिशु मृत्यु दर	
		1981	1991
1	2	3	4
1.	सम्बलपुर	122	103
2.	सुन्दरगढ़	121	101
3.	क्योंझर	187	99
4.	मयूरभंज	105	91
5.	बालेश्वर	190	123

1	2	3	4
6.	कटक	197	112
7.	ढेंकनाल	176	105
8.	फूलबनी	200	119
9.	बलागिर	183	101
10.	कलाहांडी	169	137
11.	कोरापुट	133	118
12.	गंजम	152	133
13.	पुरी	170	151

स्रोत—1991 के लिए प्रजननशक्ति और बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय अनुमान—भारत के महापंजीयक।

[हिन्दी]

जनगणना 2001

7863. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सी.पी. राधाकृष्णन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 2000 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में "द डिसएबल्ड वांट टू स्टैण्ड अप एण्ड बी.काउण्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट में विकलांगों को अलग वर्ग के रूप में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनगणना आयोग को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेश दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) 2001 की जनगणना के दौरान विकलांगता से संबंधित सूचना एकत्र किए जाने के मुद्दे की जांच की जा रही है।

गीता कालोनी में सीवरेज-लाइन लगाना

7864. श्री लाल बिहारी तिवारी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गीता कालोनी में, जो कि एक पुनर्वास कालोनी है, हाल ही में सीवरेज-लाइन डाली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्लाक सं. 7 के कतिपय स्थानों में ऐसा नहीं किया गया है जबकि वहां के निवासियों ने संबधित प्राधिकरणों में धनराशि भी जमा कर दी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस वंचित क्षेत्र में सीवरेज-लाइन को कब तक लगाया जाएगा जिससे कि वहां के निवासी स्वयं को उपेक्षित न महसूस करें?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) गीता कालोनी में करीब 8 वर्ष पहले आन्तरिक सीवरेज लाइन्स डाली गई थी। मालिकों द्वारा प्लाटों के उप-विभाजन (सब-डिवीजन) और यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की गई धनराशि के प्रावधान के कारण अधिकतर गलियों में मकानों के सामने सीवरेज लाइन डाली जा रही है।

दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि सारी गीता कालोनी में सीवरेज लाइन मौजूद है और कोई हिस्सा बचा नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक

7865. श्री बाबू भाई के. कटारा:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंदन में हाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में किन देशों और भागीदारों ने भाग लिया; और

(घ) ये निर्णय किस तरीके से लागू किए जाएंगे?

युवक कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल

बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक दिनांक 2-3 मई, 2000 को हुई थी। सहभागियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। बैठक में लिए गए निर्णयों और उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- सरकारी जांच कार्य शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जाएगा ऐसी ही जांच भारत, इंग्लैण्ड एवं आस्ट्रेलिया में की गई हैं अथवा की जा रही हैं जबकि पाकिस्तान की न्यायिक जांच की अंतिम रिपोर्ट आई.सी.सी. की पांच सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।
- आई.सी.सी. ने सभी बोर्डों को ऐसे किसी भी साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को कहा है जो उनके कार्य क्षेत्र के भीतर खिलाड़ियों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली किसी जांच से उत्पन्न होंगे।
- भ्रष्ट व्यवहार के दोषी पाए गए किसी भी खिलाड़ी पर खेलों से जीवनपर्यन्त प्रतिबंध लगाने सहित कठोर दण्ड दोनों ही लागू होंगे।
- आचार संहिता आयोग के विचारार्थ विषयों में यह प्रावधान है कि सभी सदस्य देश आयोग के साथ सहयोग करेंगे। आई.सी.सी. नियमावली में ऐसे किसी भी सदस्य देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने सहित उसकी आई.सी.सी. सदस्यता निलंबित करने की अनुमति देने हेतु औपचारिक संशोधन किया जाएगा जो आयोग को अपना भरपूर सहयोग उपलब्ध नहीं कराएंगे।

  प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अम्पायर, रेफरी, टीम अधिकारी, प्रशासक तथा कर्मचारी को प्राथमिकता के रूप में यह बताने हेतु एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जाएगा कि क्या उससे किसी भी रूप में क्रिकेट संबंधी भ्रष्टाचार में अंतर्ग्रस्त होने के बारे में कभी संपर्क किया गया है अथवा नहीं।
- भ्रष्टाचार विरोधी एक स्वतंत्र जांच शुरू की गयी है और इसे नेतृत्व प्रदान करने हेतु आई.सी.सी. कानूनी तथा/अथवा अन्वेषणकारी पृष्ठभूमि वाले किसी स्वतंत्र वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति जैसे कि बार अथवा न्यायपालिका के सदस्य, की नियुक्ति करेगी। ऐसी नियुक्ति 2 महीनों के भीतर कर दी जाएगी।
- यह स्पष्ट करने हेतु एक मानक पंजीकरण प्रणाली अपनायी जाएगी कि खेलों से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को ऐसे सभी प्रकार के व्यवहार जो अस्वीकार्य हैं, के बारे में परामर्श दे दिया गया है और समझा दिया गया है।

विवरण

आई.सी. सी. कार्यकारी बोर्ड की लन्दन में दिनांक 2-3 मई, 2000 को हुई बैठक में सहभागी व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम/प्रतिनिधि देश
1.	श्री जगमोहन डालमिया	अध्यक्ष, आई.सी.सी.
2.	श्री डेविड रिचर्ड्स	मुख्य कार्यकारी, आई.सी.सी.
3.	श्री डेनिस रोजर्स	आस्ट्रेलिया
4.	लार्ड इयान मैक्लोरिन	इंग्लैण्ड
5.	श्री राज सिंह डूंगरपुर	भारत
6.	सर जान एण्डरसन	न्यूजीलैंड
7.	श्री यावर सईद	पाकिस्तान
8.	श्री पर्सी सोन	दक्षिण अफ्रीका
9.	श्री सिद्धार्थ वेट्टीमुनी	श्रीलंका
10.	माननीय पेट्रिक राउसीव	वैस्टइण्डीज
11.	श्री पीटर चिगोक	जिम्बाब्वे
12.	सर क्लाइड वालकोट	अध्यक्ष, क्रिकेट समिति
13.	श्री एहसन मणि	अध्यक्ष, वित्त तथा विपणन समिति
14.	डा. अली बछेर	अध्यक्ष, विकास समिति

बिना लाइसेंस के एच.आई.वी. जांच किट्स का आयात

7866. श्री मोहन रावले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि हैदराबाद स्थित डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज लिमिटेड द्वारा बिना आयात लाइसेंस के आयातित एच.आई.वी. की तुरन्त जांच किट्स का विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जी, हां। चूंकि डा. रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद की कुछ एच.आई.वी. स्पॉट किटें प्रयोगशाला में बैच जांच और

स्वीकृति से पहले ही बाजार में बिकती हुई पायी गई, इसलिए औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने फर्म को सख्त चेतावनी जारी कर दी है। राज्य औषध नियंत्रक, आन्ध्र प्रदेश ने अलग से इस बात की पुष्टि की है कि इस फर्म ने उन किटों को बाजार से वापस मांग लिया है एच.आई.वी. स्पॉट किटों को मैसर्स जेन लैब्स, सिंगापुर से आयात करने की अनुमति विषयक फर्म के आवेदनपत्र को अब अनुमोदित कर दिया गया है क्योंकि सी एम सी वेल्लोर द्वारा मूल्यांकित किटों को स्वीकार्य गुणता से युक्त होने की सूचना दी गई थी।

(ग) सभी पत्तन अधिकारियों को सतर्क रहने तथा आयात की नियमित अनुमति लिए बगैर किन्हीं औषधों के आयात करने की अनुमति नहीं देने तथा आयातित सामानों का सावधानी पूर्वक अनुवीक्षण करने के लिए भी निदेश निर्गत किए गए हैं।

दवाओं की खरीद

7867. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को दवाएं उपलब्ध कराने हेतु दवाओं की स्थानीय खरीद के लिए सीजीएचएस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई स्वीकृति देने वाला अधिकारी है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सी.जी.एच.एस., एम.एस.डी., आर.एम.एल. अस्पताल में क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सी.जी.एच.एस., एम.एस.डी., आर.एम.एल. अस्पताल ने प्रत्येक वर्ष सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडारों और प्राइवेट दवा विक्रेताओं से अलग-अलग और मद-वार कुल कितनी औषधि और गैर-औषधि मदों की खरीद की;

(ङ) क्या सरकार को अतिविशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों हेतु खरीदी गई औषधि और गैर-औषधि में हेराफेरी और निधियों के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ज) इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) अतिविशिष्ट व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से स्थानीय खरीद द्वारा दवाओं की व्यवस्था करने और उन्हें सप्लाई करने हेतु अपर निदेशक (भण्डार) प्राधिकृत है।

(ग) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानीय केमिस्ट को छोड़कर सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डारों और निजी मेडिकोज से किसी औषधीय या गैर-औषधीय सामग्रियों की खरीद नहीं करता।

(ङ) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) से (ज) ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सीमापार से आतंकवाद

7868. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तानी 'हैकर्स' ने कई भारतीय 'वेबसाइट्स' के साथ छेड़छाड़ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादियों ने भारत के विरुद्ध 'साइबर' युद्ध छेड़ रखा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को पता चला है कि हैकर्स की गतिविधियों के कारण कुछ वैबसाईटों पर प्रभाव पड़ा है। अक्सर हैकर्स की पहचान नहीं की जा सकती है क्योंकि हैकर्स आमतौर पर नकली नाम अथवा निष्क्रिय स्थानों से आपरेट करते हैं।

इन्टरनेट का तन्त्रजाल व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है जो 200 से अधिक देशों में मौजूद है। किसी भी अकेली सरकारी एजेंसी द्वारा इस पर नियंत्रण रखना कठिन है। इसका हल मुख्यतौर पर कंटेंट/सेवा प्रदान करने वालों द्वारा फायरवाल और सिक्योरिटी आडिट सिस्टम लगाकर निकाला जा सकता है। हैकर्स की गतिविधियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

हृदयगति संबंधी समस्याओं से बचाव

7869. मोहम्मद अनवारूल हक:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 14 मार्च, 1999 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "हाउ टू बीट द क्लाक इनसाइड यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार में प्रकाशित जानकारी की जांच चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने की है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और हृदयगति संबंधी समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को इससे किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शहरों का वर्गीकरण

7870. श्री नवल किशोर राय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनसंख्या और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में शहरी क्षेत्रों के कितने वर्ग बनाये गए हैं; और

(ग) इस हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) भारत की जनगणना के अनुसार, कस्बों को आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) शहरी क्षेत्रों को श्रेणी-1 से श्रेणी-6 तक 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(ग) इस वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए आबादी का ही मानदंड निर्धारित है।

[अनुवाद]

जनगणना 2001

7871. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनगणना 2001 के क्रियान्वयन के संबंध में कोई आयोग अथवा सांविधिक निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार जनगणना के संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस जनगणना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त, 1999 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का .आ. 671 (अ) के तहत 2001 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त को नियुक्त किया है।

(ग) 2001 की जनगणना के फील्ड कार्यों पर लगभग 678 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस व्यय के राज्य-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जनसंख्या की गणना 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2001 तक की जाएगी तथा 1 से 5 मार्च, 2001 तक जांच कार्य किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनसंख्या की गणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2001 होगी। जम्मू और कश्मीर में जनसंख्या की गणना 11 से 30 सितम्बर, 2000 तक की जाएगी तथा 1 से 5 अक्तूबर, 2000 तक जांच कार्य किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए जनसंख्या की गणना की संदर्भ तिथि 1 अक्तूबर, 2000 होगी।

[हिन्दी]

महिलाओं में शिक्षा की जागरूकता

7872. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में छात्राओं और महिलाओं के बीच शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छात्राओं की उच्च शिक्षा के मामले में बिहार सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

किसी मंत्री की ओर से दूसरे मंत्री द्वारा उत्तर देने के मुद्दे के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसका संबंध आज के प्रश्न काल तथा किसी मंत्री द्वारा दूसरे मंत्री की ओर से उत्तर दिए जाने पर प्रश्न काल के दौरान उठायी गयी आपत्तियों से है। महोदय, मैं इस संबंध में आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। पूर्व अध्यक्ष भी यहां उपस्थित हैं। श्री शिवराज पाटील का मार्गदर्शन प्राप्त करना भी आवश्यक होगा ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे यह बात मालूम है। मैं नियम 47 का उल्लेख करता हूं। उसमें लिखा है:

> "कोई सदस्य उस बैठक से पहले, जिसके लिए उसका प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर अपने प्रश्न को वापस ले सकेगा या उसे सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिए स्थगित करा सकेगा और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न, नियम 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सूची में उन सब प्रश्नों के बाद रखा जाएगा जो इस तरह स्थगित न किए गए हों।"

यह एक ऐसा अधिकार है जो उस सदस्य को दिया जाता है जिसने प्रश्न किया है और जिसके प्रश्न को सूचीबद्ध किया गया है। परंतु कौल और शकधर कहते हैं कि साधारणत: किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 437 का उल्लेख करता हूं जिसमें लिखा है:

> "जब किसी प्रश्न को किसी दिन के प्रश्नों की छपी सूची में रखा जाए, तो उसके बाद उसको स्थगित करने के लिए कहने का अधिकार सम्बद्ध सदस्य को है, न कि उस मंत्री को, जिसे उस प्रश्न का उत्तर देना है।"

यहां उन मामलों का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें ऐसे प्रश्नों को प्रधान मंत्री अथवा मंत्री के अनुरोध पर स्थगित किया गया है।

महोदय, अब मैं आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं कि यहां एक ऐसी स्थिति है कि हमारे एक मंत्री, अर्थात स्वास्थ्य मंत्री हैं, विदेश गए हुए हैं। अब या तो सरकार आगे आकर यह बताए कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री विदेश गए हैं। उसकी बजाए, हमने पूर्व दृष्टांत को अपनाया और यह महसूस किया कि कोई भी मंत्री सरकार की ओर से उत्तर दे सकता है या उस मंत्री की ओर से उत्तर दे सकता है जिसे उत्तर देना है ...*(व्यवधान)* श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं इसे कोई वाद का विषय नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जब किसी मंत्री को किसी अन्य मंत्री की ओर से यह कर्त्तव्य निभाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसे इस विषय को समझने के लिए अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है तथा पूरी तैयारी के साथ सभा में आना पड़ता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): कोई भी मंत्री उत्तर दे सकते हैं लेकिन उनको अध्यक्ष महोदय से परमीशन लेनी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। यह क्या बात है? उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न केवल यह है कि क्या हमें नियम पुस्तक के अनुसार चलना चाहिए तथा जैसा कि कौल और शकधर की पुस्तक में कहा गया है कि सामान्यत: किसी मंत्री को अपने प्रश्न को स्थगित कराने का हक नहीं है; और इसलिए, वह किसी अन्य मंत्री को इसकी जिम्मेदारी सौंप देता है जो उसका उत्तर देगा परंतु आज इसका विरोध हुआ कि दूसरे मंत्री क्यों उत्तर दे रहे हैं। निश्चय ही हम इसे स्थगित करने का आपसे अनुरोध कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया के अनुसार तो रसायन और उर्वरक मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से उत्तर देने का अवसर दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या मंत्री महोदय को किसी जरूरी कार्य के अलावा सत्र के दौरान विदेश जाना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, वे विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेनेवा गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं मानता हूं कि आडवाणी जी को याद है कि पूर्व में कई ऐसे अवसर आए हैं जब दूसरे मंत्रियों ने उत्तर दिए हैं। फिर भी, यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है जिसे निभाने की उनसे अपेक्षा की जाती है। उन्हें कुछ और गहराई से विषय की जानकारी रखनी होगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने खुद कहा है कि आपको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। जयपाल रेड्डी जी, आप बाद में बोलना।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आपने जो कहा है, हम उसी पर पूछ रहे हैं। क्या आपको सूचना मिल गई थी? ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): बगैर आपकी परमीशन के मिनिस्टर ने जवाब दिया है। बगैर आपकी इजाजत के उन्होंने खड़े होकर जवाब देने की कोशिश की है।

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी की ओर से भारतीय रेल वित्त निगम और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1950/2000]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय मैं लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड विनियम, 1997 की धारा 31 के अंतर्गत लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (वित्त और लेखा) नियम, 2000 जो 21 फरवरी, 2000 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. संख्या डब्ल्यू (15)/एसई./84 खंड 3/(3) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1951/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): मैं श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 8 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा नियमों के उद्धरण।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 26 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा नियमों के उद्धरण।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 26 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा नियमों के उद्धरण।

(चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 26 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 353(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा नियमों के उद्धरण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1952/2000]

(2) (एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 1990-91 से 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 1990-91 से 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1953/2000]

(4) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1954/2000]

(6) (एक) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1955/2000]

(8) (एक) लाला रामस्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिसीजिज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला रामस्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलाइड डिसीजिज, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्यक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1956/2000]

(10) (एक) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1957/2000]

(12) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1958/2000]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

दसवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 44 पहला सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1959/2000]

(2) विवरण संख्या 38 चौथा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए**सं. एल.टी.-1960/2000]

(3) विवरण संख्या 32 आठवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1961/2000]

(4) विवरण संख्या 27 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1962/2000]

(5) विवरण संख्या 21 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1963/2000]

(6) विवरण संख्या 17 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1964/2000]

(7) विवरण संख्या 15 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1965/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(8) विवरण संख्या 16 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1966/2000]

(9) विवरण संख्या 14 चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1967/2000]

(10) विवरण संख्या 12 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए**सं. एल.टी.-1968/2000]

(11) विवरण संख्या 11 छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1969/2000]

बारहवीं लोक सभा

(12) विवरण संख्या 10 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1970/2000]

(13) विवरण संख्या 7 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1971/2000]

(14) विवरण संख्या 6 चौथा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1972/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(15) विवरण संख्या 1 पहला सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1973/2000]

(16) विवरण संख्या 3 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी.-1974/2000]

(17) विवरण संख्या 2 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी.-1975/2000]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.-1976/2000]

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.-1977/2000]

(ग) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्राते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी.-1978/2000]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.-1979/2000]

(4) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी.-1980/2000]

(6) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1981/2000]

(8) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1982/2000]

(10) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1983/2000]

(12) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1984/2000]

(14) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1985/2000]

(16) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1986/2000]

(18) (एक) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-1987/2000]

(तीन) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1988/2000]

(20) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1989/2000]

(22) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1990/2000]

(24) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1991/2000]

(26) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1992/2000]

(28) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1993/2000]

(30) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 से 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 से 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 से 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1994/2000]

(32) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1995/2000]

(34) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.-1996/2000]

(36) विश्व-भारती शांति निकेतन के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1997/2000]

(38) (एक) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद, वड़ोदरा के वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1998/2000]

(40) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-1999/2000]

(42) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी.-2000/2000]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344(अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी.-2001/2000]

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 अप्रैल, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित डिजाइन विधेयक, 1999 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 3,-

"पचासवें वर्ष" के स्थान पर

"इक्यावनवां वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. पृष्ठ 22, पंक्ति 6,

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राष्ट्रपति, उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 अप्रैल, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.07½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौथे से आठवां प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) "विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(4) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(5) "विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07¾ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(2) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1994-95' के बारे में छठे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

(3) 'शीरा-वितरण और मूल्य निर्धारण' के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बाईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(4) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1995-96' के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(5) 'इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्म्युलेशन टेक्नॉलोजी' के बारे में छब्बीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(6) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1996-97' के बारे में पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(7) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1997-98' के बारे में दसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(8) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1998-99' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(9) 'उर्वरकों का उत्पादन, आयात, अनुसंधान तथा विकास, संवर्धन और विपणन' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(10) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1994-95' के बारे में सातवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(11) 'इफ्को/कृभको' के बारे में तेरहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(12) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1995-96' के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(13) 'उर्वरक शिक्षा नीति और परियोजनाएं' के बारे में सताईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(14) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1996-97' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(15) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1997-98' के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(16) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1998-99' के बारे में छठे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) चेन्नई में कम्पनी विधि बोर्ड की एक अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ की स्थापना करना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): कम्पनी विधि बोर्ड, जो कम्पनी कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अर्द्धन्यायिक निकाय है का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1988 में यथा संशोधित) की धारा 10 (अ) की उपधारा (1) के तहत किया गया था। अधिनियम की धारा 10 (अ) की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि ''कम्पनी विधि बोर्ड में सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी जैसा केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे और उनकी नियुक्ति उस सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी।''

* इस समय बोर्ड का मुख्य बेन्च नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नै में कार्यरत चार प्रादेशिक बेंचे हैं। मुख्य बेन्च का क्षेत्राधिकार देश भर में है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235, 237, 247, 248, 250, 397/398, 408 और 409 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2क के अन्तर्गत आने वाले मामलों का निपटान मुख्य बेन्च द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक बेन्चों का क्षेत्राधिकार अपने-अपने क्षेत्रों में होता है। केवल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18/19, 58क (9), 80क, 111, 113, 141, 167 और 621 क तथा प्रतिभूति संविदा (नियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 22क के अन्तर्गत आने वाले मामलों का निपटान प्रादेशिक बेन्चों द्वारा किया जाता है।

* पांडिचेरी सहित अधिमानत: चेन्नै में दक्षिण के राज्यों के लिए बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य बेन्च की स्थापना किए जाने की मांग लम्बे समय से रही है। कुछ समय से यह मामला सरकार के विचाराधीन रहा है लेकिन अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

* सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जनता के अधिक हित को ध्यान में रखते हुए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार ने चेन्नै में कम्पनी विधि बोर्ड का एक अतिरिक्त मुख्य बेन्च स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। इसमें चेन्नै के प्रादेशिक बेन्च के वर्तमान न्यायिक सदस्य और मुख्य बेन्च के उपाध्यक्ष होंगे। वर्तमान पदधारी सहित उपाध्यक्ष के पद को चेन्नै में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अतिरिक्त मुख्य बेन्च कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष के नियंत्रण, देख-रेख और निरीक्षण में कार्य करेगा।

* प्रस्तावित अतिरिक्त मुख्य बेंच का कार्यक्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और पांडिचेरी होगा। उक्त अतिरिक्त मुख्य शाखा के बन जाने से दक्षिण के राज्यों की जनता की लम्बे समय से लंबित पड़ी मांग और आकांक्षाएं पूरी की जा सकेंगी।

(दो) कम्पनी विधि निपटान योजना, 2000

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): कम्पनी कार्य विभाग के विभिन्न राज्यों में कम्पनी रजिस्ट्रार के 20 कार्यालय हैं। विभिन्न सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करने के अलावा कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनियों से विवरणियां और दस्तावेज प्राप्त करता है। कम्पनियों के लिए अन्य विवरणियों के अलावा अपने तुलनपत्रों और लाभ और हानि लेखों तथा वार्षिक विवरणियों को प्रति वर्ष दायर करना अति आवश्यक है। जो कम्पनियां अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती हैं ऐसे उल्लंघनों के लिए अभियोजन चलाया जाता है।

* कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि 5,16,100 कम्पनियां अस्तित्व में है और 2,60,530 वार्षिक विवरणियां और 2,70,961 तुलनपत्र वर्ष 1999 में ही फाइल किए गए थे। इन दो दस्तावेजों के अनुपालन का स्तर लगभग 50 प्रतिशत है। सरकार द्वारा 5 लाख से अधिक अभियोजनों को शुरु करना होगा। 31.3.1999 को विभिन्न अदालतों में पहले से ही 38,603 मामले लंबित पड़े हैं। अनुभव से पता चला है कि अभियोजन संबंधी मामलों के निपटान में काफी समय लगता है। सामान्यत: अदालतें मामलों को निपटाते समय मामूली जुर्माना वसूल करती हैं। इनके परिणाम समय और माननीय न्यायालय के आदेशों को प्राप्त किए जाने के प्रयासों के अनुरूप नहीं हैं। अनुभव से पता चलता है कि वास्तव में अभियोजनों से ही अनुपालन न किए जाने की व्यापक समस्याओं का समाधान नहीं होता है।

[श्री राम जेठमलानी]

* प्रभावी ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस सहस्राब्दी वर्ष की हम शुरूआत कर रहे हैं उसके दौरान "कम्पनी ला सेटलमेंट स्कीम 2000" नामक एक स्कीम पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम में आवेदक कम्पनी शामिल होगी या सम्बद्ध कम्पनी रजिस्ट्रारों की घोषणा करने वाले अधिकारी सम्मिलित होंगे, निर्धारित समय में कम्पनी आवश्यक फीस लागू करेगी, अभियोजन से उन्मुक्त होने की मांग करेगी और फाइलिंग में होने वाले विलम्ब की अवधि को प्रशमित करेगी। कम्पनी द्वारा अदा की जाने वाली फीस की मात्रा उन दस्तावेजों की संख्या पर निर्भर करेगी जिनके संबंध में चूक हुई है जिसमें फाइलिंग में विलम्ब की अवधि भी है। फीस अपेक्षित उन्मुक्ति की राशि तक सीधे ही आनुपातिक होगी।

* यह स्कीम 01.06.2000 में 31.08.2000 तक 3 महीने की सीमित अवधि तक प्रचलन में रहेगी। इस स्कीम में विलम्ब की अवधि पर आधारित एक मुश्त राशि के भुगतान पर सभी लम्बित दस्तावेजों को फाइल करने के लिए चूककर्ता कम्पनियों को अनुमति दी जाएगी जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	दस्तावेजों की संख्या	तीन वर्ष से कम की अवधि के विलम्ब के लिए देय राशि	तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देय राशि
1.	2 तक	2,500 रु.	3,000 रु.
2.	5 तक	5.000 रु.	5,000 रु.
3.	10 तक	7,500 रु.	9,000 रु.
4.	10 से अधिक	10,000 रु.	15,000 रु.

* इस स्कीम का प्रारूप विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ इन मामले में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद तथा इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया (आई.सी.एस.आई.) इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउन्टेट्स आफ इंडिया (आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई.) तथा अन्य व्यक्तियों और संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है।

* योजना को स्पष्ट करने वाले पैम्फलेटों को सरल भाषा में मुद्रित कराया जाएगा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इन्हें वितरित किया जाएगा और उन तीनों संस्थानों यानी आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. का उपयोग किया जाएगा जिन्होंने आगे आकर अपने आपकों सकारात्मक ढंग से पेश किया है।

* मुझे पूरा विश्वास है कि स्कीम के क्रियान्वयन से पूरे देश की कम्पनियां एक मुश्त राशि अदा करके पूरी शान्ति के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक की पहुंच विभिन्न वित्तीय मामलों के संबंध में कम्पनियों की अद्यतन सूचना तक भी होगी। जिसमें वह कम्पनी भी शामिल होगी जो पब्लिक के सदस्यों के लिए अधिक उपयोगी होगी।

* मैं इस सदन के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी कम्पनियों से आगे आने की अपील करता हूं। मैं उद्योग और सभी व्यावसायिक निकायों के कप्तानों से भी अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करें कि प्रत्येक कम्पनी सामने आए और इस आफर का पूरा लाभ उठाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस अवधि अर्थात् 31 अगस्त 2000 की समाप्ति के बाद विभाग चूककर्ता कम्पनियों से सख्ती के साथ निपटेगा और साथ ही जुर्माने की राशि वर्तमान राशि से दस गुना हो जाएगी।

* यदि स्कीम सफल होती है तो कम्पनी कार्य विभाग को आय के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उक्त राशि को विभाग के कार्य के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूरीकरण करने पर व्यय किए जाने और इसके प्रचालन को सरल और कारगर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): इसमें चूककर्ताओं की बेईमानी और सरकार की अक्षमता के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या कानून बदले बिना ऐसा किया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) कृषि क्षेत्र से संबंधित, विशेषकर ऋण/समर्थन मूल्यों के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने आ रही कठिनाईयां।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं कृषि मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

> "कृषि क्षेत्र से संबंधित विशेषकर ऋण समर्थन मूल्यों के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने आ रही कठिनाईयों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम"

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा): महोदय, सरकार कृषि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है उसे खाद्य सुरक्षा देती है, रोजगार प्रदान करती है, गरीबी दूर करती है तथा घरेलू बाजार को जारी रखती है। सरकार के ध्यान में किसानों के हित सर्वोपरि हैं - तथा हाल ही में देश में कृषि के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वास्तव में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में देश में कृषि में काफी सुधार देखा गया है। मुख्य तथ्य हैं:-

> पहली बार खाद्यान्न उत्पादन 1998-99 में 200 मिलियन टनों से अधिक होकर 203 मिलियन टनों तक पहुंच गया। कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद चालू वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन के 201.5 मिलियन टनों तक पहुंचने की संभावना है।

1998-99 में गेहूं के क्षेत्र विस्तार में लगभग मिलियन हैक्टेयर की कमी आने के बावजूद गेहूं उत्पादन 71 मिलियन टन था तथा इस वर्ष में देश के इस स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

चावल उत्पादन के पिछले वर्ष के 86.0 मिलियन टनों की अपेक्षा 88.5 मिलियन टनों के रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु बताना चाहता हूं कि भारत अब विश्व में चावल, गेहूं, मूंगफली, फलों तथा सब्जियों के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उत्पादक के रूप में सामने आया है। ...*(व्यवधान)*

हालांकि बिना उपलब्धियों को अनदेखा करते हुए यह मानना पड़ेगा कि देश के अच्छे सिंचित क्षेत्रों तक ही प्रभाव सीमित है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में/फसलों में/किसानों के वर्गों के बीच बड़ी विभिन्नताएं देखी गयी हैं। तथा इससे किसानों द्वारा उठाए जाने वाली समस्याओं में वृद्धि ही हुई है। किसानों की आर्थिक स्थितियां विशेषकर छोटे स्तर के और गरीब किसानों की स्थितियां सरकार की विशेष चिन्ता का विषय है।

किसानों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं सभी राज्यों में एक जैसी हैं। देश की कुल जोत भूमि का 78% छोटे स्तर के तथा गरीब किसानों के पास है, जोकि बढ़ती जनसंख्या के दबाव में आकर और बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कृषि प्रक्रियाओं के लिए छोटी भूमियां आर्थिक रूप से ठीक नहीं हैं।

इस समय संस्थागत एजेन्सियां, कुल ऋण का केवल 50% देने की स्थिति में हैं। किसानों के सामने आने वाली व्यापार तथा बाजार से संबंधित समस्याएं भी कम गंभीर नहीं हैं। भारतीय कृषि का लगभग 65% वर्षा पर आधारित क्षेत्र है तथा मानसून की दया पर निर्भर करते हैं। देश के कुछ भागों में प्राकृतिक विपदाओं जैसे तूफान, बाढ़ आदि का लगातार भय बना रहता है। उड़ीसा में हाल ही में भयंकर तूफान तथा वर्तमान सूखा इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

हालांकि, सरकार काफी प्रयास कर रही है तथा भारतीय कृषि को नए शिखरों पर पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठा रही है ऋण की सामयिक तथा पर्याप्त आपूर्ति से तथा ऐसी मूल्य नीति जो किसानों को प्रोत्साहक मूल्यों को सुनिश्चित करती है भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का महत्वपूर्ण भाग है। ...*(व्यवधान)* मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): आप हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कम्पलीट करिए।

[अनुवाद]

श्री सुन्दर लाल पटवा : कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बनाए रखने/बढ़ाने में कृषि ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में एक बहु-एजेन्सी प्रणाली जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारिताएं शामिल हैं जिसका काफी बड़ा नेटवर्क है जो कि चालू कृषि समूह को कृषि ऋण प्रदान करता है। काफी समय से कृषि में संस्थागत ऋण प्रवाह तथा संबंधित गतिविधियों में 1995-96 से लगभग 20,000 करोड़ से 1998-99 में 38,000 तक की वृद्धि हुई है। इस ऋण प्रवाह को लगभग 61,000 करोड़ तक 2002 तक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि ऋण प्रणाली को सुदृढ़ीकृत करने के विचार से, विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) 1999-2000 में रबी के लिए एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रस्तुत की गई थी यह सभी किसानों के लिए भूमि के आकार का लिहाज किए बिना उपलब्ध है। यह योजना जिन किसानों ने ऋण लिया हुआ है उनके लिए अनिवार्य तथा गैर ऋण वाले किसानों के लिए वैकल्पिक है। इस योजना में खाद्यान्न फसलें, तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें आती हैं। छोटे स्तर के तथा गरीब किसान इस योजना के तहत 50% की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(दो) ऋण प्रवाह में लचीलापन लाने के लिए किसान ऋण कार्ड योजना को प्रस्तुत करना है। दिसम्बर, 1999 के अंत तक लगभग 51 लाख कार्ड जारी किए गए हैं जबकि लक्ष्य 20 लाख कार्ड का है।

(तीन) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्यापक पुनर्गठन।

(चार) ऋण देने की प्रणाली में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च स्तर समिति सिफारिश के कार्यान्वयन का गठन करना है।

(पांच) न्यूनतम वसूली तथा न्यूनतम भागीदारी से संबंधित नाबार्ड के मानकों में छूट।

किसानों को प्रोत्साहक मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार हर मौसम में 24 प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तथा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम तथा नैफेड जैसी सार्वजनिक तथा सहकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद कार्यों का प्रबंध करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर मूल्य नियत किए जाते हैं। सी.ए.सी.पी. कृषि आंकड़ों की लागत पर गहराई से विचार करता है, जो 16 कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्रित किए जाते हैं। उत्पादन की लागत का निर्धारण करते समय, आयोग न केवल चुकाए गए मूल्यों पर विचार करता है जैसे किसानों द्वारा उठाए गए खर्च जोकि विभिन्न निवेशों में होते हैं, जैसे श्रम, बीज, उर्वरक, डीजल आदि, बल्कि आरोपित लागत पर भी विचार करता है, जैसे अपनी भूमि के किराए की रकम, मूल्यह्रास, पारिवारिक श्रम के मूल्य तथा निर्धारित तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज। अन्य संबंधित तथ्यों के अलावा जैसे मुद्रास्फीति की दर, अंत: फसल मूल्य समानता, किसानों द्वारा चुकाए गए मूल्य तथा प्राप्त किए गए मूल्य (व्यापार की शर्तें) आदि पर भी विचार किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के लिए, 1998-99 के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के ऊपर 5.5% तथा 15% के बीच बढ़े हुए मूल्यों को घोषित किया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं तथा चावल खरीदा जा रहा है और नैफेड सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड-सरसों, नारियल की गिरी जैसे तिलहनों और भारतीय कपास निगम कपास की खरीद कर रहा है, ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अंतर्गत न आने वाली वस्तुओं को बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के तहत लाया जाता है। बाजार हस्तक्षेप योजना को सेब, कीनू, संतरा, अंगूर, मशरूम, काली मिर्च, आलू, पाम आयल आदि वस्तुओं के लिए क्रियान्वित किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख कदम हैं:

(एक) सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कपास संबंधी तकनीकी मिशन को आरम्भ करना।

(दो) दिसम्बर, 1999 में बागवानी उत्पाद के शीत भंडारण तथा भंडारण के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए 25 प्रतिशत की पूंजीगत राजसहायता प्रदान करने के लिए योजना का प्रस्तुतीकरण।

(तीन) वर्ष 1999-2000 में 2000 करोड़ रुपये के संग्रह से जल सम्भर विकास निधि बनाना।

(चार) बागवानी विकास के लिए उत्तर कटाई व्यवस्था पर बल देते हुए ढांचागत सहायता का प्रावधान, अप्रैल 2000 में सरकार द्वारा अनुमोदित।

(पांच) रबी 1999-2000 में बीज फसल बीमा की मार्गदर्शी योजना आरम्भ करना।

(छ:) फरवरी, 2000 में बीज बैंक स्कीम आरम्भ करना।

(सात) नौवीं योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार करने और वर्षा सिंचित क्षेत्रों की समस्याओं को निपटाने के लिए प्रादेशिक विभेदीय नीतियों का कार्यान्वयन करना।

अंत में, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार किसानों द्वारा उठाए जाने वाली समस्याओं को पूरी तरह समझ चुकी है। अभी जो राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जा रही है, उसमें इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह नीति प्रतिवर्ष इक्विटी सहित कम से कम 4% विकास दर प्राप्त करने के लिये है, अर्थात् क्षेत्रों, फसलों तथा किसानों के भिन्न-भिन्न वर्गों में फैलेगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, जब माननीय मंत्री जी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते तो क्यों अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुन्दर लाल पटवा : यह नीति कृषि क्षेत्र की व्यापक क्षमता को प्राप्त करेगी, ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करेगी, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करेगी, कृषि व्यापार के विकास को तीव्र करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करेगी तथा किसानों, कृषि श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए अच्छे जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगी। सरकार का निरंतर कृषि विकास हेतु जैविक खेती पर बल देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में सिफारिश करने हेतु कृषि और सहकारिता विभाग में एक कार्य बल का गठन किया जा रहा है।

अंत में, मैं कहूंगा कि फसल बीमा, जिसमें व्यैक्तिक गैर-ऋणी किसान, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, शीत भंडारण हेतु बैंक-एडिड पूंजी राजसहायता योजना, जल सम्भर विकास निधि, बीज फसल बीमा जैसी पहल देश के इतिहास में पहली बार की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। यह क्या है?

श्री सुन्दर लाल पटवा : तथापि कृषि राज्य का विषय है परन्तु कार्यक्रमों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच उचित भागीदारी, सहयोग और एक साथ चलने की भावना होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, आप केवल स्पष्टीकरण मांगे।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल कुछ ही स्पष्टीकरण मांगूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत खुश नहीं हूं। किसानों ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं, मैं किसानों के बारे में केवल आज के तथ्य माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में ला रहा हूं। इसलिए मुझे अपने दृष्टिकोण में तथ्यपरक होना चाहिए। संपूर्ण सभा मेरे साथ है, कम से कम किसानों की समस्याओं को समझने में ...*(व्यवधान)* यदि सरकार अच्छा कार्य करती है, तो स्वाभाविक है कि हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि यह सरकार की गलती है, मैं किसानों की समस्याओं को सामने ला रहा हूं। आज के 'दि हिन्दू' समाचार पत्र में एक समाचार छपा है कि गुंटूर जिले के रेंटाचिंटला के किसान दिल्ली में अपना गुर्दा बेच रहे हैं और 132 लोग अपने गुर्दे बेच चुके हैं ...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री का व्यापक और विस्तृत भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है मानो किसानों को जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। आज ही दि हिन्दू में रिपोर्ट छपी है कि गुंटूर जिले के किसान अपने गुर्दे बेच रहे हैं। वे अपने दिल भी बेचने को तैयार हैं। उनके दिल हमारे साथ हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, आप नियम 197 देखें। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

महोदय, उन्होंने कहा है कि समर्थन मूल्य दिया गया है। खोपरा के समर्थन मूल्य के बारे में इस सभा में अन्य दिन बहुत शोर-गुल रहा है। खोपरा का समर्थन मूल्य किसानों के लिए संतोषजनक नहीं है।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

आंध्र प्रदेश सरकार ने एस.ओ.एस. सुपरफाइन पेड्डी 1001 के संबंध में उन्हें कई बार लिखा है, किन्तु उन्होंने इसे सुपरफाइन किस्म घोषित नहीं किया है। तम्बाकू भी गोदामों में पड़ा है। मिर्च भी गोदामों में पड़ा है। कपास किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

तेल क्षेत्र के संबंध में, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में किसान अपने पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, क्योंकि जो मूल्य सरकार दे रही है, वह जरा भी लाभदायक नहीं है। फार्म तेल क्षेत्र में, देश में भारी आयात किया जा रहा है। अभी हाल ही में, भारी आयात किया गया है। किसानों ने इन पेड़ों को केन्द्र सरकार की सलाह पर छ: अथवा सात सालों में उगाया है ...*(व्यवधान)* किसानों की यह दुर्दशा है।

सरकार की नीति के कारण 70 लाख टन चीनी गोदामों में पड़ी है और फालतू उत्पादन भी चिंता का कारण है और गन्ना उत्पादकों के सामने समस्याएं पैदा कर रहा है। यही समस्या किसानों के सामने है और सरकार अपनी रिपोर्ट में कहती है कि समस्या 'छोटे खेतों' के बारे में है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें बड़े खेत देने की नीति में संशोधन करने जा रही है ...*(व्यवधान)* आज भी, हम छोटे खेतों पर पूरी तरह निर्भर हैं। यह केवल छोटे और सीमांत खेतों के कारण हैं कि कम से कम किसान दिन में दो समय खाना तो खा रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से इस विचार को दिल में न आने देने का अनुरोध करता हूं कि छोटे खेत होना दुख की बात है। छोटे खेतों की अवधारणा सभी किसानों को भूमि देने के लिए किया जाता है ...*(व्यवधान)*

अन्य बात यह है कि हमने 1998-99 में उत्पादन 203 मिलियन टन तक बढ़ाया है। यह अच्छी बात है कि हमने उत्पादन बढ़ाया है।

अमीर किसान उत्पादन पर ध्यान देने में समर्थ हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसान भुखमरी से मर रहे हैं। और फिर अतिरिक्त उत्पादन केवल देश के कुछ भागों में हो रहा है, पूरे देश में नहीं। इसलिए हमें देखना है कि अतिरिक्त उत्पादन देश के प्रत्येक भाग में हो। भारतीय खाद्य निगम और अन्य गोदामों में काफी खाद्यान्न उपलब्ध है, किन्तु वे आम आदमी को उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार सभी फसलों और सभी किसानों को भी शामिल करने वाली व्यापक बीमा योजना लाए। नाबार्ड की उदार क्रेडिट नीति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, क्योंकि एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिया जाना है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: इसलिए लघु और सीमांत किसानों की सहायता के लिए क्रेडिट नीति और बीमा नीति को उदार किया जाना चाहिए। यूरिया, मिट्टी का तेल, एल पी जी और अन्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि की गई है। मेरा अनुरोध है कि यूरिया के मूल्यों को नीचे लाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): चूंकि भाषण अंग्रेजी में है; इसलिए आपका उत्तर भी अंग्रेजी में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास अनुवाद की सुविधा है। यह क्या है श्री अलवी? आप हर समय मंत्री को परेशान करते रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कथन में कहीं भी यह दावा नहीं किया कि किसानों की सारी समस्याएं हल हो गई हैं और किसानों के सामने कोई परेशानी नहीं है। आज तक की सभी सरकारों ने जो भी प्रयास किए, मेरा किसी पर यह आरोप नहीं है कि किसी सरकार ने जानबूझकर किसानों की उपेक्षा की। हमारी सरकार ने छ: महीनों में जो कुछ किया, मैंने उसका चार वाक्यों में जरूर उल्लेख किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में किसानों का आलू सड़ रहा है। सरकार ने आलू के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश में आपको चेतावनी दे रहा हूँ। आप हमेशा सभा में व्यवधान करते हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की बात को शांति से सुना है। मैं चाहूंगा कि आपके आदेश से वे मेरी बात शांति से सुन लें। हमने कुछ नई बातें प्रारम्भ की। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री से प्रश्न कर रहे हैं, किन्तु आप उत्तर सुन नहीं रहे हैं। यह क्या है मंत्री जी क्या आपने अपना उत्तर पूरा कर लिया है?

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: किसानों के बारे में सरकार पूरी तरह गम्भीर है। देश के किसानों के हित को छोड़ कर कोई दूसरा इससे ज्यादा महत्व का हित है, यह सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* आपने कोपरा के बारे में कुछ आपत्ति की। मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता हूं! मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि उसका सपोर्ट प्राइस, खरीद प्राइस तय करने में कुछ विलम्ब हुआ लेकिन विलम्ब जानबूझ कर नहीं हुआ, वह प्रक्रियावश हुआ। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो कुछ काम अपने छोटे से कार्यकाल में किए, उनका महत्व समझें, सरकार के इरादे को समझें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में चर्चा स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन और फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ इकाइयों के बंद होने और कतिपय उर्वरक कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई अधिशेष राजसहायता की वसूली न किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

''हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया की कुछ इकाइयों के बंद होने और कतिपय उर्वरक कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई अधिशेष राजसहायता की वसूली न किये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): महोदय, सूचना दो माननीय सदस्यों द्वारा दी गई है। माननीय सदस्यों ने लोक महत्व के दो मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से एक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. तथा फर्टिलाईजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के कुछ एककों को बंद होने से उत्पन्न हुई स्थिति तथा दूसरा कुछ उर्वरक कंपनियों द्वारा ली गई अधिक सब्सिडी की वसूली न होने के बारे में है। मैं इन दोनों मुद्दों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेश प्रभु]

जहां तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का संबंध है, इन दोनों कंपनियों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनियां घोषित कर दिया गया है। एम एफ सी के एकक दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप में हैं। इसके अतिरिक्त, इसके पास एक अद्वितीय हल्दिया उर्वरक परियोजना है, जो यांत्रिक रूप से नवम्बर 1979 में पूर्ण हो गई थी, किन्तु उपकरणों संबंधी कई समस्याओं, अप्रचलित प्रौद्योगिकी और अन्य कारणों से कभी भी प्रारम्भ नहीं की जा सकी। सरकार को अक्तूबर 1986 में इस संयंत्र को प्रारम्भ करने संबंधी क्रियाकलापों को रोकने के आदेश देने पड़े थे। लगभग यही स्थिति भारतीय खाद्य निगम की है। जिसके एकक बिहार में सिंदरी, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, आंध्र प्रदेश में रामागुंडम और उड़ीसा में तालचेर में हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, यह ठीक नहीं है। यह क्या हो रहा है? आप सभा को क्या समझते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन का केवल नामरूप स्थित एकक कार्य कर रहा है और भारतीय खाद्य निगम का एक मात्र सिंदरी स्थित एकक कार्य कर रहा है। सरकार ने 350 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की नामरूप परियोजना का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है और तदनुसार आवश्यक बजटीय प्रावधान भी स्वीकृत किए हैं। सरकार भारतीय खाद्य निगम के सिन्दरी एकक के नियमित नवीकरण और प्रतिस्थापना के लिए नियमित रूप से पर्याप्त बजट मुहैया कराती रही है, और सरकार द्वारा किए गए इस नए निवेश से इस एकक ने इस वर्ष तीन लाख टन से भी अधिक का रिकार्ड उत्पादन किया है। भारत सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स के हल्दिया एकक को रुग्ण इकाइयों में से निकालने का निर्णय पहले ही ले लिया है। हालांकि इन दो कंपनियों के अन्य एककों के बारे में निर्णय आस्थगित कर दिया गया था। यह मामला निर्णय लेने हेतु शीघ्र ही सरकार के समक्ष रखा जाएगा। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि नया संयंत्र लगाने के लिए गोरखपुर में उपलब्ध अवसंरचना का स्वयं उपयोग करने के लिए कृभको का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों से संबंधित सरकार की नीतियों में कामगारों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य एककों का पुनरुद्धार करने तथा ऐसे एकक, जो अर्थक्षम नहीं हैं, को बन्द करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। कुछ यूरिया उत्पादक एककों द्वारा क्षमता को कम बताए जाने का उल्लेख अगस्त 1992 की उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में पहले किया गया था। तत्पश्चात् इस मामले पर सरकार में विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया। प्रो. सीएच. हनुमन्ता राव की अध्यक्षता में शक्ति प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति ने भी इसका कुछ विस्तार से उल्लेख किया है। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति ने हाल ही में इस मागले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था। पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति ने इस मामले पर अपने गम्भीरतापूर्ण विचार व्यक्त किए थे और यह सिफारिश की कि चूक करने वाली कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये।

क्षमता को कम बताए जाने के प्रश्न के दो पहलू हैं। एक दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है और दूसरा राज-सहायता के रूप में ली गई अधिक राशि की वसूली से संबंधित है। जहां तक दंडात्मक कार्यवाही का संबंध है, आवश्यक जांच-पड़ताल करने के लिए इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया गया है। जहां तक राजसहायता के रूप में ली गई अधिक राशि की वसूली का संबंध है, चूक करने वाली कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशियों का निर्धारण करने के विचार से डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। उसकी मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक था। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिस पर हाल ही में एफ आई सी सी द्वारा विचार-विमर्श किया गया था के विभिन्न पहलुओं पर इसकी सलाह ली जाएगी। हालांकि इन दोनों मामलों में उपरोल्लिखित कार्यवाही विगत से संबंधित है, सरकार एक नई उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति, जो तैयार होने ही वाली है के माध्यम से उपचारात्मक कार्यवाही का भी प्रस्ताव करती है। नई उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति को अंतिम रूप दिए जाने तथा उक्त डा. अलघ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, एफ आई सी सी को ऐसे सुधारात्मक उपाय करने के लिए निदेश दिया गया है जिससे ली गई राजसहायता की अधिक राशि कम होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नई उर्वरक नीति में उचित सावधानी बरती जाएगी कि उचित लाभ के साथ एक सतत आधार पर यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना इस उद्योग को ऐसे अवांछित लाभ नहीं मिलते हैं। भारतीय कृषकों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तथा इस क्षेत्र में निरन्तर निवेश को भी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा उपाय आवश्यक है।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, 1952 में, सिन्दरी में प्रथम सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक का उद्‌घाटन करते समय भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि वह केवल एक उर्वरक एकक का नहीं, बल्कि भारत के एक मंदिर का उद्‌घाटन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा भारत के ऐसे मन्दिरों को अब गिराया और विघटित किया जा रहा है। उन्होंने गोरखपुर से शुरू किया, जो दस वर्षों से भी अधिक समय से बन्द था; फिर 1 जनवरी, 1999 को बिहार में बरौनी एकक को बन्द किया; दुर्गापुर एकक में उत्पादन बन्द किया; उड़ीसा में तालचेर एकक को बन्द किया और यहां तक कि उन्होंने रामागुंडम में कोयला आधारित उर्वरक एकक को भी बन्द कर दिया। असम में नामरूप एकक में, तीन एककों में से केवल एक एकक कार्य कर रहा है और दो अन्य बन्द हैं।

इस विषय पर कई बार इस सभा में चर्चा की गई है। विभिन्न समितियों ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के एककों के पुनरुद्धार के मामले की जांच की है और उनके पुनरुद्धार की सिफारिश की है। किन्तु सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। 1997 में, संयुक्त मोर्चा सरकार ने बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज को अनुमोदन दिया।

वह प्रस्ताव सरकार द्वारा 2,300 करोड़ रुपये खर्च करके अनुमोदित किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): गोरखपुर का भी नाम लीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: गोरखपुर भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: आज तक, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। बरौनी और दुर्गापुर स्थित एकक कार्य कर रहे थे और यूरिया का उत्पादन कर रहे थे, किन्तु सरकार ने इन दो एककों में भी उत्पादन बंद करवा दिया है। महोदय, गोरखपुर से शुरू होकर संपूर्ण पूर्व भारत में क्या हुआ है?

अध्यक्ष महोदय: इसी समय, आपको सभा में कनिष्ठ सदस्यों की संपूर्ण मनःस्थिति को भी देखना होगा। यह ठीक नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, तलचर और नामरूप में एकक हैं। किन्तु सरकार ने नामरूप स्थित केवल एक एकक का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है तथा कुछ निवेश करके तथा प्रतिस्थापित करके सिन्दरी एकक को आस्थगित कर दिया है।

महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में एक भी यूरिया उत्पादन एकक नहीं है। उर्वरक की खपत करने के मामले में पश्चिम बंगाल का अब छठा नम्बर है। केवल दुर्गापुर एकक ही उत्पादन एकक है तथा वहां भी उत्पादन कार्य आस्थगित कर दिया गया है।

महोदय, जब श्री बरनाला उर्वरक मंत्री थे, तब 17 करोड़ रुपए के छोटे निवेश से उत्पादन प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: 17 करोड़ रुपये का निवेश करके दुर्गापुर एकक में उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री लक्ष्मण सेठ।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरी मांग यह है कि सरकार को भारतीय उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा रामागुन्डम, तलचर और दुर्गापुर एककों जैसे सभी रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के संबंध में ठोस कदम उठाने चाहिएं। दुर्गापुर एकक ही केवल ऐसा एकक है, जो पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहा है।

महोदय, माननीय चन्द्रशेखर जी ने गोरखपुर के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गोरखपुर में नयी योजना बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, नियम इसकी अनुमति नहीं देता है अब श्री लक्ष्मण सेठ।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं अभी तक दूसरे विषय पर नहीं आया हूं। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो विषय है। मैंने दो अलग-अलग ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी है किन्तु आपने उन्हें एक साथ मिला दिया है। अब, मैं दूसरे विषय पर आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बतायें कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए आप कितना समय लेना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 17 करोड़ रुपए खर्च करके दुर्गापुर एकक में उत्पादन पुन: प्रारम्भ करने हेतु कदम उठायेगी जिसके बारे में भारत सरकार को पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया था।

मेरा अगला प्रश्न उर्वरक कंपनियों की नाम पट्टिका, गोल्ड प्लेटिंग क्षमता के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अनेक उर्वरक कम्पनियों ने अधिक राजसहायता प्राप्त की है। अब सरकार ने उर्वरको के मूल्य बढ़ा दिए हैं। सरकार ने मूल्य कम करने के बजाय उर्वरकों का प्रतिधारण मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार ने हमारे देश के किसानों पर भार डाल दिया है।

महोदय, अब मैं नाम पट्टिका बदलने, कम्पनी की नाम पट्टिका की गोल्ड प्लेटिंग, कम्पनी की क्षमता पर आता हूं....

अध्यक्ष महोदय: अब, जो कुछ भी वह कहने जा रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप अध्यक्षपीठ की कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: आप कितना समय लेना चाहते हैं? आपको अध्यक्षपीठ की बात भी सुननी होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे राजसहायता के बारे में भी बात करनी है।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

माननीय मंत्री द्वारा कल दिए गए वक्तव्य में उन्होंने सीबीआई जांच का उल्लेख नहीं किया था। पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति, 1998 ने उर्वरक कम्पनी द्वारा ली गयी अधिक राशि की मात्रा बताने तथा उसकी वसूली करने की सिफारिश की है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में ही कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी थी, जब दो विशेषज्ञ समितियों, एक संयुक्त संसदीय समिति तथा दूसरी, श्री हनुमन्थपा की अध्यक्षता में गठित समिति, ने इस पर विचार किया था तथा अतिदेय राशि की वसूली की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार को राजसहायता अधिक लेने के बारे में कब पता चला ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश प्रभु, रसायन और उर्वरक मंत्री ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के विभिन्न एककों और भारतीय उर्वरक निगम के अन्य एककों के संबंध में पहले ही वक्तव्य दे दिया है। माननीय मंत्री ने पहले ही बताया है कि इंजीनियरों, कर्मचारियों और कामगारों का कोई दोष नहीं है। यह केवल उपस्करों के असफल रहने और प्रौद्योगिकी में दोष होने के कारण है।

मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या इसमें परिवर्धन तथा सुधार किया जा सकता है तथा उच्च प्रौद्योगिक प्रारम्भ करके इस हल्दिया एकक को चालू किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में, इस समय, कोई यूरिया उत्पादन एकक नहीं है। पश्चिम बंगाल में यूरिया की मांग बढ़ रही है किन्तु कोई आपूर्ति नहीं है। इस समय लगभग 10 लाख टन यूरिया की मांग की जा रही है किन्तु कोई यूरिया संयंत्र नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार किसी संयुक्त क्षेत्र के जरिये हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एकक का पुनरुद्धार करने का विचार कर रही है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की हल्दिया एकक की परिसम्पत्तियों का मूल्य क्या है। यह बहुत अधिक है। सरकार इसमें इक्विटी शेयर रख सकती है तथा किसी गैर-सरकारी निवेशक को इस कारखाने को चलाने हेतु कहा जा सकता है।

दूसरा स्पष्टीकरण जो मैं माननीय मंत्री से चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री 'ब्राउन फील्ड फैक्ट्री' के लिए किसी प्रकार की राजसहायता देने के संबंध में विचार कर रहे हैं। इस समय, सरकार ग्रीन फील्ड फैक्ट्री को राजसहायता देने हेतु विचार नहीं कर रही है क्योंकि हल्दिया यूनिट 'फीड स्टाक' के रूप में नेप्था पर आधारित है। वहां आधारभूत ढांचा संयंत्र और मशीनरी विद्यमान है।

यदि सरकार 'ब्राउन फील्ड यूनिटों' को इस समय राजसहायता देती है, तो मुझे आशा है कि अनेक गैर सरकारी निवेशक सामने आयेंगे और सरकार भी इस एकक, जो नेप्था आधारित उर्वरक कारखाना है, को चला सकेगी। यही मेरा निवेदन है।

मेरा यह भी सुझाव है कि जैसा कि गोरखपुर के मामले में है 'इफ्को' और 'कृभको' को हल्दिया एकक चलाने के लिए कहा जा सकता है तथा इस तरीके से हम पश्चिम बंगाल में यूरिया की मांग को पूरा कर सकेंगे।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रुग्ण और बन्द एककों के हित पर ध्यान देना होगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार द्वारा रुग्ण और बन्द एककों के हितों की किस प्रकार देखभाल की जायेगी। मैं इस मुद्दे पर माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या सरकार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया एकक को व्यवहार्य बनाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से हल्दिया में एल एन जी गैस की आपूर्ति करने का विचार कर रही है।

माननीय मंत्री से यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस आशा से प्रश्न के पहले भाग में उठाये गये सभी मुद्दों का पहले ही उत्तर दे दिया है कि मैं सभा का मूल्यवान समय बचा सकूं। अब चूंकि दो माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं, अत: मैं उनको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हिन्दुस्तान उर्वरक कम्पनी को मार्च, 1999 को 3628 करोड़ रुपए की संचयी हानि हुई है।

अपराह्न 1.00 बजे

भारतीय उर्वरक निगम को इसी तारीख को 5049 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई है। इसलिए, किसी पुनरुद्धार पैकेज, जिस पर अब हम विचार करने जा रहे हैं, में इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हम इनमें से किसी परियोजना में नये सिरे से निवेश करने जा रहे हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागत लाभ विश्लेषण उचित प्रकार किया जाये तथा यदि हम महसूस करते हैं कि लाभ, होने वाली लागत से अधिक होगा तो नि:सन्देह हमें एककों का पुनरुद्धार करना चाहिए। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। हमें इस नीति से मार्गदर्शन लेना होगा।

हमने अनेक विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं जिनमें आई सी आई सी आई जैसी अत्यन्त विख्यात संस्थान शामिल हैं। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यदि कोई यूनिट वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मानदण्ड को पूरा करती है तो उन यूनिटों का निश्चित रूप से पुनरुद्धार किया जायेगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ।

दूसरी बात, मैं पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं, के बारे में पूछे गए प्रश्न पर आता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी उसका भाग माना जा सकता है। हमारे माननीय पूर्व-प्रधानमंत्री उस क्षेत्र से संबंधित हैं। हमें वास्तव में उस क्षेत्र की चिन्ता है। श्री मुलायम सिंह यादव संभवत: इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): आप केरल के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु: जब मैं पूर्वी भारत की बात कर रहा हूँ तो मैं केरल या दक्षिण भारत को पूर्वी भारत में शामिल नहीं कर सकता। मैं इस पर बाद में बात करूँगा। मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता तथा मेरे पास भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करने का प्राधिकार या सक्षमता नहीं है।

दुर्भाग्यवश भारत के इस भाग में, इस क्षेत्र में कोई कार्यरत उर्वरक संयंत्र नहीं है। यह सत्य है। वहां बहुत कम संयंत्र हैं तथा वे भी उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत के इस भाग पर सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में लगने वाले नये उर्वरक संयंत्रों को निश्चित रूप से इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर लगाया जाना चाहिए। इसका सर्वाधिक महत्व है। हम इसी वास्तविक नीति की पहल करना चाहते हैं। परंतु हम किस प्रकार ऐसा करने जा रहे हैं?

[श्री सुरेश प्रभु]

यहां, मैं सभा को आश्वासन नहीं दे रहा हूं किन्तु हम जिस बात पर वस्तुत: अत्यधिक सक्रिय होकर विचार कर रहे हैं, उसका मैं केवल संकेत ही दूंगा। हम यह विचार कर रहे हैं कि यदि नैप्था आधारित संयंत्रों को पुनरुज्जीवित किया जाना है तो उन्हें गैस-आधारित संयंत्रों में बदलना होगा। डा. हनुमंत राव समिति ने भी यही सिफारिश की है। यह एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति थी। हम कुछ वित्तीय सहायता एक बार प्रदान करने की संभावना पर विचार करेंगे जो इन कंपनियों को अपने को बदलने और अर्थक्षम बनने में मददगार सिद्ध होगी। हम किसी ऐसी ही बात पर विचार कर रहे हैं।

अब, मैं कोयले पर आधारित संयंत्रों की बात करता हूं। भारत में, हम सामान्यत: जिस 'फीड स्टॉक' का उपयोग करते हैं, वह नैप्था, प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल अथवा एल एस सी एच है किन्तु दुर्भाग्यवश हम कोयले का उपयोग फीड स्टॉक के रूप में नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कोयला प्रौद्योगिकी असफल हो गई है। यह प्रयोग में थी परंतु असफल हो गई है। दुर्भाग्यवश, ये संयंत्र, जिन्होंने कोयले का उपयोग फीड स्टॉक' के रूप में किया, वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं बन पाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम दोनों का भाषण नहीं सुनना चाहते। आपका भाषण काफी हो गया, आप सीधे-सीधे उत्तर दीजिए। गोरखपुर में सारा काम पूरी तरह से तैयार है, उसमें केवल एन.ओ.सी. देना है और आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है। यह विचाराधीन नहीं है, उसको आप देना नहीं चाहते। आप क्यों नहीं देना चाहते? *...(व्यवधान)* भाषण वहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। इनके भाषण को अपने कार्यवाही से निकाला है तो इनका भाषण भी कार्यवाही से निकालिये। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु: जिस दिन से मैं मंत्री बना हूं, एक महीने में हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कोल बेस्ड टैक्नोलोजी के आधार पर फर्टिलाइजर देश में किस तरह से बनाया जा सकता है, उसका हमने गठन किया और बहुत जल्द इसके ऊपर हम सैण्ट्रल इंडिया में एक इंटरनेशनल सेमीनार कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं गोरखपुर पर आ रहा हूं, मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए। उन्होंने जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर मुझे जवाब देना है। दूसरी तरफ से हल्दिया फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल के बारे में सवाल पूछा गया।

[अनुवाद]

इस उर्वरक संयंत्र को 1986 में बंद किया गया। इसे पिछले एक वर्ष में बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि यह विकास का आधुनिक मंदिर (टेम्पल) है और हम इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, हम किसी भी मंदिर में आराधना करना चाहेंगे-चाहे वह आधुनिक हो अथवा कोई अन्य, अथवा प्राचीन ही हो-बशर्ते कि मंदिर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हो। दुर्भाग्यवश, जब हम सत्ता में आए, तो मंदिर पहले ही नष्ट हो चुका था। इस संबंध में निर्णय 1986 में लिया गया था। उस समय इस संयंत्र को बंद करने संबंधी निर्णय लिया गया था। हमने जो निर्णय लिया है, वह यह निर्णय नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यह बेहतर होगा कि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री सुरेश प्रभु: जहां तक हल्दिया का संबंध है, हम संयुक्त उद्यमों पर भी विचार करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आगे आना चाहता है, तो हम निश्चय ही संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विचार करेंगे जैसी कि मांग की जा रही है। परंतु मैं इससे भी आगे की बात कर रहा हूं। अत्यंत शीघ्र, मैं न सिर्फ उन यूनिटों, जिनका आपने उल्लेख किया है जैसे, गोरखपुर बल्कि भारत में सभी रुग्ण उर्वरक संयंत्रों के बारे में एक व्यापक श्वेत पत्र प्रस्तुत करूँगा जिसमें क्या किया जाना चाहिये इसका भी उल्लेख रहेगा। मैं एक व्यापक श्वेत पत्र जारी करूंगा। *...(व्यवधान)* संयुक्त मोर्चा सरकार लंबे समय तक सत्ता में थी। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किया जा सका। कृपया हमें कुछ समय दीजिए। हम निश्चय ही इसे यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक ब्राउन फील्ड परियोजनाओं का संबंध है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह एक वास्तविकता है। गोरखपुर में बहुत अच्छी अवसंरचना है। परंतु दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से वह अर्थक्षम नहीं बन सका। अत:, हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या कोई दूसरी कंपनी वहां नई फैक्टरी स्थापित करने में दिलचस्पी लेगी। हम निश्चित रूप से इसकी अनुमति देंगे, बशर्ते कि अर्थक्षमता साबित हो जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): कृभको लेने को तैयार है, उनको क्यों नहीं एन.ओ.सी. दे रहे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): कावेरी बेसिन में प्राकृतिक गैस की बहुतायत है। इसलिए, रामागुंडम संयंत्र को प्राकृतिक गैस के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: सरकार ने हाइड्रोकार्बन, 2025 के संबंध में 'विजन स्टेटमेंट' पहले ही दे दिया है। 'विजन स्टेटमेंट ऑफ 2025' पर विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2010 के उपरांत उर्वरक तैयार करने के लिए 'फीड स्टॉक' के रूप में उपयोग किए जाने हेतु प्राकृतिक गैस की उपलब्धता वांछित सीमा तक बनी नहीं रह सकती है। अत:, हमें कुछ वैकल्पिक उपायों पर ध्यान देना होगा। हनुमंत राव समिति ने स्वयं ऐसे समुद्रतटों पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सिफारिश की थी, जहां प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। हम निश्चित रूप से सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

मैं इस बात को हमारे ध्यान में लाने के लिए दो माननीय सदस्यों—श्री बसुदेव आचार्य और श्री लक्ष्मण सेठ को धन्यवाद देता हूं। हम उस पर ध्यान देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय विशिष्ट मुद्दे की बात करेंगे? 'कृभको' ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि वे वित्त का भी प्रबंध करेंगे। सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा इस पर विचार किया गया है। प्रत्येक ने यह सिफारिश की है कि इस संयंत्र को पुन: चालू किया जा सकता है तथा कृभको इसके लिए तैयार है।

मैंने कई महीने पहले माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा था। उन्होंने मुझे उसका उत्तर दिया कि उस मामले पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि धन की व्यवस्था है, यदि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार है और यदि प्रत्येक ने उस प्रकार की सिफारिश की है, तो इस विशेष उद्योग कृभको को संयंत्र स्थापित करने और उसे पुन: चालू करने का आदेश या अनुमति देने में यह देरी क्यों की जा रही है?

श्री सुरेश प्रभु: यह सामान्य एन.ओ.सी. नहीं है। हम वास्तव में इस मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक अर्थक्षम इकाई है तथा कृभको वस्तुत: इसे स्थापित करने को तैयार है, तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, व्यवहार्यता संबंधी पहलू पर विचार किया गया है। एक रिपोर्ट यह है कि यह एक व्यवहार्य प्रस्ताव है। वित्त की व्यवस्था है; प्रत्येक अन्य आवश्यक व्यवस्था है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले में रुचि रखते हैं कि यह संयंत्र कार्य न करे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। अब, मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: एल एन जी अथवा प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जानी है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने, जिसका उल्लेख श्री बसुदेव आचार्य द्वारा किया गया है, कहा कि प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जानी होगी। विशेषज्ञ समिति की भी यही सिफारिश है। उस दृष्टि से, हम कृभको के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में अब 'शून्य काल' होगा। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने उचित ढंग से उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने इसे पुन: शुरू करने का भी कोई आश्वासन नहीं दिया है। अत: हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 1.09 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज और कल इस सत्र के अंतिम दो दिन बाकी हैं। अत:, मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका प्रदान करूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए। अब, श्री प्रियरंजन दासमुंशी अपनी बात रखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: गोरखपुर का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा प्रस्ताव इनके पास है, कृभको लेने को तैयार है *...(व्यवधान)* ये नहीं दे रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, कई करोड़ रुपए का मामला है *...(व्यवधान)* इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं।

अपराह्न 1.10 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.10 बजे

सिएरा लिओन में भारतीय शांति सेना के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से हम सिएरा लिओन में हो रही घटनाओं के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टें सुन रहे हैं। मैंने सोचा था कि सरकार स्वयं इन घटनाओं के बारे में स्वत: वक्तव्य जारी करेगी। चूंकि सरकार ने वक्तव्य नहीं दिया है, अत: मैं बाध्य होकर इस मामले को 'शून्य काल' में उठा रहा हूं।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है और हमारे कतिपय दायित्व हैं। हम सब शांति के समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्र की मांग पर सिएरा लिओन में शांति स्थापित करने हेतु सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मैं सरकार के प्रति आभारी हूं। भारतीय शांति सेना अत्यधिक विश्वास और साहस के साथ अपना कार्य कर रही है तथा जहां तक शांति और सौहार्द का संबंध है, भारत की श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रख रही है। पिछले कुछ दिनों से, हमें प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित व्याकुलता संबंधी रिपोर्टें पढ़ने को मिल रही हैं कि हमारे अनेक सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। आर यू एफ तथा सरकारी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र के मार्गनिर्देश में लोगों के अंदर आत्मविश्वास पुन: उत्पन्न करने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

चूंकि संसद का सत्र कल समाप्त होने जा रहा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार को हमारी शांति सेना की भूमिका और उन जवानों, जिनके संबंध में कहा जा रहा है कि उनका अपहरण हुआ है, के भाग्य के बारे में वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिए। इससे जवानों के परिवार वालों तथा देश को सही स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। वक्तव्य में निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में सभा को विश्वास में लेना चाहिए। प्रथम, इस प्रतिनिधिमंडल में हमारी भूमिका के संबंध में, दूसरा, उन सैनिकों, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका अपहरण किया गया है, के भाग्य के बारे में और तीसरा इस संबंध में कि यह प्रतिबद्धता कब तक जारी रहेगी, हमारी शांति सेना को वहां कब तक रहना चाहिए तथा वे सैनिक कब वापस आ रहे हैं।

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों तथा संदेहों को दूर करने का अवसर आया है।

सामान्य परिस्थितियों में विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर संसद के दोनों सदनों में पूर्ण चर्चा होती। चूंकि चर्चा नहीं हुई सरकार ने प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले पर स्वत: ही वक्तव्य देने की पेशकश की है।

सिएरा लिओन में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यू एन ए एम एस आई एल) की स्थापना 22 अक्तूबर, 1999 के सुरक्षा परिषद संकल्प 1270 के द्वारा की गयी थी। इसका वर्तमान मेंडेट आधार यू एन एस सी रिसोल्यूशन 1289 (2000) है।

अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की सिएरा लिओन में कुल संख्या, जो कि 9512 सदस्य हैं, में से भारतीय सेना के अनुमानत: 1667 सैनिक हैं। यह सियरा लिओन के पड़ौसी देश नाइजीरिया, जिसके सियरा लिओन में कुल 3200 से ज्यादा सैनिक हैं, के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा दल है।

भारतीय दल अधिकांशत: पूर्वी राज्यों दारू, कैलाहम, केनेमा और भादूल 91 फ्री टाउन में सेना मुख्यालय में कुछ अतिरिक्त कार्मिकों सहित तैनात है। अभी भारत से एक अतिरिक्त बटालियन और पहले वचन दिए गए सहायक कार्मिकों, जिनकी कुल संख्या

1500 व्यक्ति है, की तैनाती का कार्य चल रहा है। पहले ही कनाडियन वायु सेना के एक विमान द्वारा पिछली रात 150 लोगों को वायुमार्ग से ले जाया गया है। गोला-बारूद तथा उपकरणों सहित पूर्ण तैनाती में लगभग 25 विमान लगेंगे और यह कार्य 15 मई से 25 मई, 2000 तक की अवधि में किया जाएगा।

जहां तक जमीनी स्थिति का प्रश्न है तो मैं माननीय सदस्य द्वारा भारतीय सैनिकों का अपहरण कर लिए जाने अथवा बंधक बनाये जाने के बारे में प्रयोग किए गए कुछ विशेषणों के बारे में सलाह देना चाहता हूं कि भारतीय शांति सेना के किसी भी सैनिक का अपहरण नहीं किया गया है। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक लड़ाकू बल है और लड़ाकू बलों का अपहरण नहीं किया जाता।

रिवोल्यूशनरी यूनाईटिड फ्रंट के विद्रोहियों, आर.यू.एफ. घटक, ने वास्तव में कैलाहम क्षेत्र में काफी लोगों को बंदी बनाया था जिसमें 12 भारतीय सैनिक थे। इनमें से कुछ बंधकों को पहले ही छोड़ दिया गया था। शेष सभी बंधकों को, जिनमें सभी भारतीय अधिकारी और अन्य रैंक के सैनिक थे, को 13 मई, 2000 की सुबह बिना शर्त छोड़ दिया गया था। वे सब स्वस्थ हैं और वे कैलाहम में भारतीय दल में पुनः शामिल हो गए हैं। 23 अन्य भारतीय सैनिकों को अभी भी आर यू एफ के कार्मिकों ने घेर रखा है परन्तु हमारे आदमी और सैनिक पूरी तरह अपने उपकरण और हथियार संभाले हुए हैं और उनके जीवन को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। कमान अधिकारी तथा इस दल के बीच और स्थानीय आर यू एफ नेताओं के साथ और वास्तव में गांव के बुजुर्गों के साथ बातचीत चल रही है और न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपितु वर्तमान स्थिति को उबारने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि से सम्पर्क बनाये हुए हूं। हमने सेना का स्तर बढ़ाने तथा सेनाओं के पुनः दल बनाने की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र तथा महासचिव से आग्रह किया है ताकि वहां संयुक्त राष्ट्र मिशन और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। हमने सिएरा लिओन में कार्यरत सभी बलों पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। सरकार लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही है और वह संयुक्त राष्ट्र तथा संबंधित सदस्य राष्ट्रों से सम्पर्क बनाये हुए है।

मैं यहां एक प्रसंग पढ़ना आवश्यक समझता हूं जो कि बर्नार्ड मियेट, अवर महासचिव द्वारा 15 मई, 2000 को सुरक्षा परिषद को दी गई एक रिपोर्ट में किया गया है। मैं उस प्रसंग को पढ़ना आवश्यक समझता हूं जिसका उन्होंने हमारे सैनिकों के बारे में उल्लेख किया है। मुझे इसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा परन्तु मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में जानना जरूरी है। मैं सुरक्षा परिषद में दिए गए वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूं। वह कहते हैं:

"मैं सबसे पहले केन्याई तथा भारतीय सैनिकों जो कि अग्रिम पंक्ति में थे और जिन्होंने सबसे ज्यादा कीमत चुकायी, के परम साहस तथा गौरव पर बल देना चाहता हूं।"

तत्पश्चात उन्होंने कुछ अन्य ब्यौरे भी दिए और वे कहते हैं:

"मैं जोर देकर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय और केन्याई सेनाएं मकेनी, मगबुराका तथा कैलाहन में अपने हथियार संभाले रहे और वे अंत तक लड़ने के लिए कृतसंकल्प थे।"

अंत में महोदय:

"मैं जनरल जेतली जो कि वहां सेना के कमाण्डेंट है, की विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमानी, व्यावसायिकता, दृढ़ निश्चय और इच्छा की प्रशंसा करना चाहता हूं और मैं सार्वजनिक रूप से सम्मान करना चाहता हूं। मैंने उन सभी के साहस और दृढ़ निश्चय की भी समान रूप से प्रशंसा की है जो तूफान में दिन और रात सम्मान से खड़े रहे।"

महोदय, यह अनुवाद है और मूल रूप से फ्रेंच में किया गया था। मुझे विश्वास है कि इससे माननीय सदस्यों की जिज्ञासा शांत हो गई होगी।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले दिनों अकाल की भीषणतम स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के सभी सांसद इस सदन में लगातार राजस्थान के अकाल की स्थिति को लेकर चिन्तित रहे हैं। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्र सरकार से सहायता मांगी गई तो केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से राजस्थान के अकाल और राहत कोष में सहायता देने में कतई कमी नहीं रखी, जिसका पूरा हिसाब-किताब पूरे सदन को पता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जितनी सहायता मांगी थी, केन्द्र सरकार द्वारा उससे भी ज्यादा सहायता दी गई। जिस समय नवम्बर में अकाल का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय राजस्थान की सरकार के पास 162 करोड़

[श्री श्रीचन्द कृपलानी]

रुपया आपदा कोष का पड़ा था, उसके बाद 103 करोड़ रुपये की सहायता प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई, 20 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कोष से दिया गया। उन विभिन्न योजनाओं के विभिन्न मदों से 1700 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिए गए और अकाल राहत के कार्य राजस्थान में प्रारम्भ हुए। आज राजस्थान में यह स्थिति है कि पूरे का पूरा अकाल राहत के कार्यों का राजनीतिकरण कर दिया गया है। वहां जितने भी अकाल राहत के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शह पर किये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जहां वास्तव में यह स्थिति नहीं है। ...*(व्यवधान)* वहां अकाल राहत कार्य में जिन मजदूरों को लगाया जा रहा है, वहां एक-एक मजदूर से पूछा जा रहा है कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर उसने बीजेपी को वोट दिया हुआ है तो उसे मजदूरी नहीं दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें राजनीति न लायें। ...*(व्यवधान)* आप इसमें राजनीति ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री लगातार एक ही बात कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी राज्य मामलों पर सभा में चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: वे कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, वह हमारी मदद नहीं कर रही। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जिस तरह वहां रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, वहां लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वहां लाखों जानवर मर चुके हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा कहना है कि इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: असेम्बली का मैटर यहां डिस्कस नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, 1983 के दंगों के बारे में भारत सरकार द्वारा नानावती कमीशन का गठन किया गया, उसके बारे में मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने वर्षों की समाज की इस मांग को मानते हुए इसका गठन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरा इसमें छोटा सा निवेदन है कि इसके पहले चार कमीशन या कमेटी बैठ चुकी हैं-मरवाह कमेटी, मिश्रा कमीशन, जैन-बनर्जी कमेटी और कपूर मित्तल कमेटी। ...*(व्यवधान)* इन सब कमेटियों के सामने एफिडेविट, डाकुमेंट्स आए और कुछ गवाहियां भी आई। इस कमीशन का 13 साल बाद गठन हुआ है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि इस कमीशन के दायरे में उस समय के जो दस्तावेज हैं, इन चारों कमीशन या कमेटियों के जो एफिडेविट या डाकुमेंट्स हैं, उन्हें इस कमीशन के सामने लाया जाए और इस दायरे में लाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवाही दी और वे मर चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नानावती कमेटी के सामने पुराने डाकुमेंट्स, एफिडेविट कमीशन में लाए जाएं, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री बी.के. पार्थसारथी (हिन्दुपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

अनंतपुर जिले के लोग कर्नाटक सरकार द्वारा गांव परागोडू के समीप चित्रावथी नदी के आर-पार जलाशय के निर्माण पर उत्तेजित है। यदि इस बांध का कर्नाटक सरकार द्वारा निर्माण किया जाता है तो इससे कुछ जिलों जैसे अनंतपुर और कुडापा के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनंतपुर में पहले ही सूखे की स्थिति बनी हुई है। सिंचाई की संभावनाओं को प्रभावित करने के अलावा कर्नाटक सरकार द्वारा गांव परागोडू के समीप प्रस्तावित निर्माण पीने की पानी की आवश्यकता को बुरी तरह प्रभावित करेगा और अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी के चारों ओर के गांवों में पुनः भराव जाएगा। यह बांध तब के मद्रास और मैसूर राज्यों के मध्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुए 1892 के समझौते के अनुसार जल के उपयोग से लोगों को वंचित करेगा।

मैं भारत सरकार से अनंतपुर जिले के प्रभावित लोगों को बचाने के लिए चित्रावती नदी के आर पार प्रस्तावित जलाशय के निर्माण को रोकने का आदेश पारित करने की अपील करता हूं।

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर): मैं अपने आपको हिन्दुपुर के माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ जोड़ना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कल सुरंग विस्फोट में जम्मू एवं कश्मीर के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री गुलाम हसन भट्ट की निर्मम हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी। उनके साथ जो अंगरक्षक थे, जो ड्राइवर था और जो वायरलेस ऑपरेटर था उनकी भी हत्या विस्फोट में हो गयी। अध्यक्ष महोदय, हिजबुल मुजाहिदीन ने स्वीकार किया है कि यह विस्फोट उन्होंने किया था। श्री गुलाम हसन भट्ट साहब का नाम उनकी हिट लिस्ट में बहुत पहले से था। उन्होंने उससे आगे भी कहा है कि उनकी हिट-लिस्ट में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला भी हैं। पिछले चार सालों में अधिकांश लोग नेशनल कांफ्रेंस के और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के इन उग्रवादियों के शिकार हुए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। आज हमारा खुफिया तंत्र चाहे प्रदेश का हो या देश का, इतना घटिया हो गया है कि वह किसी की भी जिंदगी को बचाने में असफल है। भविष्य में भी उग्रवादियों द्वारा और लोगों की हत्या किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह है कि वह इस विस्फोट में हुई हत्याओं पर अपना वक्तव्य दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री शिवराज सिंह चौहान, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और शंकर प्रसाद जायसवाल ने भी इसी विषय पर सूचनाएं दी हैं। वे भी अपने को श्री रामजीलाल सुमन के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं भी अपने को माननीय सदस्य के साथ जोड़ रहा हूं। मुझे भी एक शब्द कहने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी नाम लिए हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं भी माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जुड़ रहा हूं। जब माननीय गृह मंत्री जी आज यहां उपस्थित थे तो मैं उनसे एक वक्तव्य की अपेक्षा कर रहा था। परन्तु उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़): अध्यक्ष महोदय, उधमसिंह नगर के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सरकार जो बिल ला रही है, जिसमें वह उसे इंक्लूड करना चाहती है। अध्यक्ष जी, उससे पंजाबियों, बंगालियों और देश के दूसरे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे बुजुर्गों ने तराई के इलाके को फर्टाइल बनाया है और देश की मुख्यधारा में लाकर वहां अनाज का भंडार बढ़ाया है।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर दूलो, यह बात जब बिल आये तभी बोलना, अभी नहीं।

श्री शमशेर सिंह दूलो : यह बहुत गंभीर मामला है। पंजाबियों और बंगालियों को जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। सरकार बिल लाना चाहती है। माननीय जार्ज साहब की एक कमेटी बनी हुई है। कोई मीटिंग नहीं हुई, लोगों को सुना नहीं गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बिल अभी तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, आप इस पर कैसे बोल रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह दूलो : वहां के करीब 508 ग्राम प्रधानों ने दिल्ली में धरना दिया है। *...(व्यवधान)* उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* लाखों फैमिलीज उजड़ने जा रही हैं। सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। *...(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सरकार इस पर स्टेटमैंट दे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार किए जाने के समय आप ये सब बातें कह सकते हैं परन्तु अभी नहीं।

अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलबीर सिंह (जालन्धर): सूचना मैंने दी है। कृपया मुझे कुछ देर बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को सभा में अब तक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। आप उस पर कैसे बोल सकते हैं?

श्री बलबीर सिंह : विधेयक को सभा में कल पुरःस्थापित किया जाना है। कल इस सत्र का अंतिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को कल उठा सकते हैं, किंतु आज नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया नहीं है। इस मामले को उठाने का यह उचित तरीका नहीं है। अब, श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री बलबीर सिंह : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दी है। परंतु विधेयक को अब तक सभा में पुरःस्थापित नहीं किया गया है। कृपया इस बात को समझिए कि आप इस मामले को अभी नहीं, बल्कि विधेयक पर विचार करने के समय ही उठा सकते हैं। अभी इस मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती के भाषण के अलावा अन्य किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह विचार करने का चरण नहीं है, तथापि मैंने उन माननीय सदस्य को अनुमति दी है। कृपया इस बात को समझिए।

श्री बलबीर सिंह : यही बात मैं आपको बताना चाहता था। यह मेरे नाम पर है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय इस मामले को नहीं उठा सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, हाल ही में, रेलवे बोर्ड ने पूरे देश में ऐसे विक्रेताओं की लाइसेंस फीस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा की है, जो रेलवे प्लेटफार्मों पर अपना सामान बेचते हैं और इस बारे में विक्रेताओं की आय का आकलन भी नहीं किया गया है। इसके विपरीत, मेसर्स व्हीलर एवं कंपनी कोई लाइसेंस फीस अदा किए बिना ही भारत के सभी रेलवे प्लेटफार्मों पर पुस्तकें बेच रहे हैं और इस प्रकार अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरी मांग है कि रेल मंत्रालय को उन गरीब विक्रेताओं, जो पूरे देश में रेलवे प्लेटफार्मों पर अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं, की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाइसेंस फीस को वापस लेना और रद्द करना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, यह मामला 15.5.2000 को उठाया जा चुका है। कृपया इसे समझिए। आप पुनः वही मामला उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.37 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.37 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पर आगे चर्चा करेगी। श्री सुबोध मोहिते।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, जो इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी बिल, 1999 यहां लाया गया है, मैं उसका बहुत

जोरदार स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और खास तौर पर मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर और अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। मैं अपना भाषण दो बिंदुओं पर केन्द्रित रखूंगा। हर आदमी का हर फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। मैं भी इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी में एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन बिल के सेलिएन्ट फीचर्स की अगर ओवर ऑल स्टडी की जाए तो सही मायने में मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पिछले दो साल से इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी के प्रति सरकार के पॉजिटिव रिस्पान्स को देख रहा हूं। भविष्य में देश को किससे लाभ है, इसे मंत्री जी ने रियलाइज किया है। जब हम इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी एक समुद्र है। मंत्री जी ने उस दिन बिल मूव करते हुए बोला था। यह संचार का चौथा प्रकार है। जब हम इसे समुद्र कह रहे हैं, तो दूरसंचार, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-कॉमर्स और ई-मेल आदि ये कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। जो बिल लाया गया है, मैंने उसकी स्टडी की है। हालांकि उसके लिए समय कम मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा बिल है और मैं इसका समर्थन करता हूं। यह एक विषमरुप वाला विधेयक है। क्योंकि जब हम इतना बड़ा बिल ला रहे हैं तो इसकी थोरो स्टडी होनी चाहिए। इसमें मुख्यत: दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ई-कामर्स है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हस्ताक्षरों को प्राधिकृत कर रहे हैं। दूसरा भाग साइबर कानून और अपराध से संबंधित है। मेरा निवेदन है कि जो बिल है, यह सारे बिन्दुओं को कवर करता है लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला भाग ई-कॉमर्स है। यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरा भाग साइबर कानून और अपराध है। मेरे विचार से यह एक समांग विधेयक होगा। जब हम बिल पर बात कर रहे हैं तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा यह सोचना भी जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन मैं समझता हूं कि कार्यान्वयन के दो भाग हैं। पहला भाग साक्षरता है और दूसरा भाग शिक्षा है। लिट्रेसी का मतलब यह है कि मैं भी कंप्यूटर जानता हूं, पेण्टियम-III कंप्यूटर लोक सभा ने मुझे दिया है, मैं गेम खेलना जानता हूं, इंटरनैट जानता हूं, ई-कॉमर्स जानता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐजुकेटेड हूं। मैं पुरी तरह से ऑपरेशनल मैनेजर नहीं हूं। मैं सिर्फ लिट्रेट हूं। दूसरा पार्ट है ऐजुकेशन। हम ऐजुकेशन जिसको बोलते हैं उसमें सही में आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्ले कर सके, सही मायने में उससे आउटपुट निकाल सके। उस व्यक्ति को एक शिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। वह व्यक्ति वास्तव में इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया का प्रबंधक होता है तथा दूसरा व्यक्ति साक्षर व्यक्ति कहलाता है। मैं साक्षरता और शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। उचित आदर सहित मैं कहना चाहूंगा क्योंकि एम.पीज़. यहां बैठे हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं शिक्षित हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50 प्रतिशत लोग यहां पर इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से ऐजुकेटेड नहीं होंगे। हम जब इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे है तो दूसरा भाग शिक्षा के बारे में है। हमें सबसे पहले ऐजुकेट होना पड़ेगा। मैं कनाडा का एक उदाहरण दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर एम.पी. हर फील्ड में ऐक्सपर्ट हो, हम भी ऐक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे सीनियर्स में भी 50 प्रतिशत ऐक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन कनाडा में हर एम.पी. को ऐजुकेट करने के लिए एक इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का पीएच.डी. स्टूडेण्ट साथ रहता है और एक दिन में एक घंटा एम.पी. के साथ रहता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की स्टडी भी हमें दी जाए ताकि हम भी इनफ़ार्मेशन टैक्नोलॉजी से ऐजुकेट हो सकें, कंप्यूटर से नहीं। जब साइबर लॉज से हम शिक्षित हो रहे हैं तो एक छोटा सा सुझाव है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक धारा है। मैं इस मामले की आलोचना नहीं कर रहा हूं। यहां पर लिखा गया है पेज 22 में "उप पुलिस अधीक्षक के रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी" होगा। अगर देखा जाए कि ग्राउंड रियेलिटी क्या है तो साइबर लॉज एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने की बात आप करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में दो से ज्यादा डी.एस.पी. लैवल के आदमी होते हैं। इतने हाइयर लैवल के आदमियों को साइबर लॉज इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन से ओवरबर्डन्ड हैं। वह इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के माध्यम से लॉ कंट्रोल करेगा, क्राइम कंट्रोल करेगा या ऐडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा? इसलिए जो लिबर्टी दी गई है उसके बारे में जानकारी है या नहीं उस बारे में सोचा जाए। आज जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि साइबर लॉज के हिसाब से कंप्यूटर पर क्राइम होते हैं तो मेरे हिसाब से 50 प्रतिशत से ज्यादा डी.एस.पी. लिटरेट नहीं हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए मंत्री जी को प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस विभाग एक संवेदनशील विभाग है। हमें पता है कि एक ऐप्लीकेशन पर एफ.आई.आर. लॉज करने में कितना समय लगता है। इसलिए मेरा कहना है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पुलिस विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रारंभिक योजना क्या है। मेरा विचार है कि एक अलग योजना होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आई.पी.एस.-आई.टी.।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: सर, मुंशी जी कह रहे हैं कि आई.पी.एस. को आई.टी. के साथ लिंक करो। यहां पर हम साइबर लॉच के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए और राज्यों एवं केन्द्र के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। सर, जो भारतीय कंडीशन हैं और जो यहां की लिटरेसी और इंटैलीजेंस है, उसके ऊपर भी ज्यादा जोर देने की जरूरत है। हम नियमों का अनुमोदन कर रहे हैं तथा इलैक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हस्ताक्षरों को मान्यता दे रहे हैं। इस संबंध में जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है वह मैंने पढ़ा है, लेकिन वह पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें टाइटल तो दिया है, लेकिन जो छोटी-छोटी इन्फर्मेशन है वह कैसे आपरेट की जाएगी, उसकी इम्पलीमेंटेशन किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब अपना जवाब दें, तो इस बारे में विस्तार से बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में चार संशोधन दिए गए हैं। उनमें पहला संशोधन इंडियन पीनल कोड, दूसरा बैंक से संबंधित, तीसरा एवीडेंस एक्ट के बारे में है और चौथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बारे में है। मैं यहां एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे कोई आदमी अपना इन्कम टैक्स ई-मेल के द्वारा देना चाहता है, तो इनकम टैक्स कमिश्नर या अन्य डिपार्टमेंट उसको ऐक्सैप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंटों के बारे में तो आप अमेंडमेंट लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे मंशा पूर्ण नहीं होगी। आपको इसमें और अमेंडमेंट लाने पड़ सकते हैं।

मैं महाजन साहब को पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इस विधेयक के संबंध में बोलते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। वे एक युवा और अत्यधिक सक्रिय मंत्री हैं। उनसे मैं हर दम कुछ न कुछ सीखता रहा हूं और सीखता रहूंगा। यह तारीफ के काबिल बात है कि उन्होंने छः महीने पहले संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और इतने कम समय में उन्होंने इन्फर्मेशन टैक्नौलोजी के बारे में पूरी स्टडी कर के पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। वे एक ऐसे मंत्री हैं जो राजनीतिक दूरदर्शिता रखते हैं। मैं वस्ताव में इस बात की सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर एक मुद्दा उठा था। उस पर काफी बहस हुई। आज के पेपर में भी उस बारे में दिया हुआ है। उस बारे में सीनियर मैम्बर्स ने भी बोला है कि इस बिल को पास करने में इतनी हेस्ट क्यों की जा रही है। इसे जल्दबाजी में पास करना ठीक नहीं है। एक्चुअली जो इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी का सैक्टर है, वह टाइम से रिलेटेड है। इसको काबिज करने में पूरा वर्ल्ड लगा है। इस क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। दो वर्ष पूर्व हमारे पास पेंटियन-वन था, पिछले वर्ष पेंटियम-टू आया और इस वर्ष पेंटियम-थ्री आ गया। जो इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी है वह बहुत तेजी से चेंज हो रही है। उसमें बहुत जल्दी डवलपमेंट हो रहा है। प्रौद्योगिकी का निश्चित जीवन-काल होता है। इस क्षेत्र में जो देश टाइम पर काम करेगा वही सफल होगा। इस बिल का जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। निगेटिव क्रिटिसिज्म से देश का नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, इतना कह कर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इन्फर्मेशन टैक्नौलीजी का अभी तक कोई मां-बाप नहीं था, लेकिन अब इस बिल के पास होने से उसे सही तौर पर मां-बाप मिल गए हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्लोगन बनाया है। मेरे विचार से साइबर स्पेस पर अब प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष जी, सूचना प्रौद्योगिकी से आज विश्वभर में परिवर्तन आ रहा है। स्वाभाविक है कि हमारे देश को भी समय की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने कदम विश्व के बढ़ते कदमों के साथ जोड़ने होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे संस्कृतियां, वे समाज, जो समय के परिवर्तन के साथ अपना तादात्म्य नहीं जोड़ पाते, वे विनष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मानवता के इतिहास में विकास के तीन महत्वपूर्ण चरण आये हैं। यूं तो बहुत सारे मोड़, परिवर्तन आये हैं लेकिन सबसे पहले जब विकास हुआ तो मनुष्य ने एक बहुत बड़ी पहल की थी। तब वह अपने मनो-उद्गारों को, मनोभावना को, सम्प्रेषण करने की क्षमता को विकसित कर पाया था। दूसरे चरण का विकास तब हुआ जब उसने लिपि का आविष्कार किया, जब वह अपनी चीजों को लेखबद्ध करने लगा। अपने अभिलेखों को विकसित करने और संकलित करने की क्षमता के कारण वह अपने ज्ञान का भंडारण कर सका, अगली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर जा सका।

तीसरे बड़े विकास के चरण पर आज हम खड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का क्रान्तिकारी विकास विश्वव्यापी स्तर पर, सारे देश में हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह चाहेंगे कि हमारा देश विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और समय की आवश्यकताओं

की पूर्ति कर सके। इसके लिए जरूरी था कि इन सबका नियमन किया जाये। इन सब नियमनों के लिए, इसके अंदर जो प्रावधान किये हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जैसा हमारे साथी ने कहा कि हमारा विरोध इसकी विषयवस्तु से नहीं है। इसके पीछे जो उद्देश्य हैं, उससे भी हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारी आपत्ति केवल इस बात से थी कि इसमें इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संव्यवहार होने वाला है, उसको प्रभावित करने वाला है। इसलिए आप इस पर जल्दबाजी न करके गंभीरता से विचार-विमर्श करें। हम यहां संसद में बैठे हैं। मैं अपने साथी की बात से सहमत हूं कि यहां हम में से काफी लोग सूचना प्रौद्योगिकी को समझ ही नहीं पाये हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी यह हो जाता है कि इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है या जिनके पास इस क्षेत्र का अनुभव है, क्योंकि आज भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व सूचना प्रौद्योगिकी के शैशव काल से गुजर रहा है, आज फ्रांस के अंदर जी-8 देशों का एक सम्मेलन हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न होने वाले अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाये, उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाये, इस प्रश्न पर विकसित देशों में भी पूर्ण एकरूपता नहीं बन पाई है। आज भी उनमें बहस जारी है। इसलिए हमारा कहना था कि हम सब बहुत ठंडे दिमाग से इस पर विचार-विमर्श करें, सोचें। इसके जो भी परिणाम हो सकते हैं, इम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं, उन पर हर एंगल से विचार करने के बाद हम कोई सुविचारित नीति, कार्यक्रम का प्रावधान ले आयें।

यहां कल इस पर जो बहस हुई, उसमें जाना व्यर्थ है। उसके जवाब में मंत्री जी ने और जेटली जी ने कहा कि हमें इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि अगर हम इस सत्र में चूक गये तो हम एक साल पीछे चले जायेंगे। पिछली बार आप 13 महीने सरकार में मौजूद रहे। इस बार भी आपको सरकार में मौजूद रहते हुए 8 महीने हो गये हैं। इस तरह 13 और 8 महीने मिलाकर 21 महीने हो गये। इन 21 महीनों तक आपको कोई जल्दबाजी नहीं हुई। इस सत्र को आरंभ हुए भी तीन महीने से ऊपर हो गये, इस सत्र के आरंभ में भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं हुई, बल्कि अंतिम दो दिनों में इतनी जल्दबाजी हुई कि अवकाश के दिन आप हमें संशोधन की कापी सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी भी हम स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाये। हमारे पास इतना भी समय नहीं था। महाजन जी, हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात तक सीमित थी, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसमें बहुत सारे नियम हैं जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधनियम, बैंकर्स साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आदि सबके प्रावधानों का विचारण करना भी आवश्यक है। जिससे कि पूरे बिल का परस्पर तादातम्य बैठ सके। अब मैं दो-तीन-चार चीजों की तरफ विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल यहां जेटली जी ने, मंत्री महोदय ने एक स्पष्टीकरण दिया, धारा 79 के बारे में, इस धारा 79 में आपने यह प्रावधान किया कि डिप्टी एस.पी. के रैंक का कोई अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर छापा मार सकता है। यह उदाहरण दिया गया कि कई और अधिनियमों में, कानूनों में भी ऐसे प्रावधान हैं, इसलिए इसमें रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रखिये, लेकिन एक बात आप सुन लें, आज की तारीख में यह रिकार्ड में रहेगा, इसको आप नोट कर लें, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। मैं मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जो डकैती प्रभावित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में इस बात के लिए एक कानून लाया गया कि डकैती प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को और अधिकार सौंपे जायें, जिससे कि वह डकैती पर प्रभावी नियंत्रण कर सके। उस समय उसमें भी पुलिस के लिए ऐसे ड्रेकोनियम प्रावधान कर दिये गये थे और तब हमने इस पर आपत्ति की, लेकिन हमारी अपनी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी और कहा कि नहीं, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन इसके एक वर्ष के अन्दर-अन्दर जो उसका प्रभाव, जो उसका परिणाम हुआ, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ, भीषण दुरुपयोग हुआ, पुलिस के द्वारा इसे धंधा बना लिया गया, उस सब को देखते हुए अंत में वह सारा अधिनियम, सारे प्रावधान सरकार को वापस लेने पड़े थे। मैं आज भी कह रहा हूं,....* यह स्थिति न आये, इससे अच्छा है कि हम उससे पहले विचार कर लें। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, आप जो कह रहे थे, मैं इस बात की गम्भीरता को भी समझता हूं कि कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, आप वेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय में जाइये, तीन दिन में, आप फिर वारंट लेकर आइये, तब पहुंचिये। मैं समझ सकता हूं कि जहां ऐसी इमरजेंसी आ जाये, जहां ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो जाये, वहां इस अधिकार का उपयोग हो, लेकिन इस अधिकार के उपयोग को कहीं न कहीं सीमित करना होगा, क्योंकि साइबर कैफे जगह-जगह खुलने लगे हैं, गांव-गांव में आजकल कम्प्यूटर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जो बच्चों को लड़के-लड़कियों को शिक्षण देते हैं, वहां पर कोई भी अधिकारी घुसना शुरू कर देगा। आप हिन्दुस्तान को दिल्ली की दृष्टि से मत देखिये, हिन्दुस्तान केवल दिल्ली नहीं है। हिन्दुस्तान गांव है, हिन्दुस्तान छोटे-मोटे कस्बे हैं, वहां पर जो स्थिति पुलिस की है, उसको देखते हुए आपको विचार करना होगा कि ऐसा न हो कि यह अधिनियम कल को हमारे गले की हड्डी बन जाये। मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, आलोचना मात्र की दृष्टि से मैं यह

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

बात नहीं कहना चाहता। आप किसी भी कानून को देख लीजिए, आपने और ज्यादा इन्फोर्स कर दिया, क्या कर दिया, धारा 83 में आपने यह प्रावधान कर दिया कि इस धारा 89 के तहत अगर कोई कार्रवाई की जाये तो उसे सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई मानकर उस व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी कार्रवाई करे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यह बड़ा अजीब हाल है, यानि अगर कोई डीवाई. एस.पी. जबरदस्ती घुसकर हमारे यहां से हमारा कम्प्यूटर और हमको पकड़ ले जाये, बिना किसी कारण ले जाये तो भी हम उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे अधिनियम पर आप विचार करें और इसके उन प्रावधानों को निकाल दें।

तीसरी तरफ धारा 55 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। केन्द्रीय सरकार में आपने अध्याय दस में इसके अपील अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया है, धारा 55 में आपने क्या किया कि अगर यह जो अधिकरण का गठन है, अगर यह दोषपूर्ण भी सिद्ध हो जाये, तो उसके बाद भी इस अधिकरण के द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं, जो भी आदेश पारित किये गये हैं, वे कभी अमान्य नहीं होंगे, वे गैरकानूनी नहीं होंगे। जब उसका गठन ही दोषपूर्ण सिद्ध हो जायेगा तो उसके द्वारा लिये गये निर्णय, उसके द्वारा की गई कार्रवाई कैसे अमान्य नहीं होगी, इस बात पर भी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, देख लीजिए। ऐसा न हो कि कल को इसमें मुश्किल पड़ जाये।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): यूनानिमसली पास किये हैं, आपके मैम्बर भी इसमें मौजूद थे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं इस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि समय वैसे भी सीमित है, अध्यक्ष जी, थोड़ी देर में मुझे बैठने के लिए कह देंगे। अगर हमने पहले गलती की थी तो क्या हम उस गलती को दोहराते चले जायें? सदस्य के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस सदन के, राष्ट्र के सामने वे सारे तथ्य रखूं, सदन इस पर विचार कर ले। करना है तो करे, नहीं करना है तो जो सब का होगा, वही मेरा होगा। इसमें आगे एक दो चीजों पर मैं और ध्यान दिला दूं। मैं धारा 66 के लिए आपका स्वागत करता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रावधान किया। अश्लील किस्म की बहुत सारी चीजें, जिनका आजकल इस इलैक्ट्रानिक इंटरनेट पर प्रचलन हो रहा है, वह हमारे देश की संस्कृति, हमारी पीढ़ी, दोनों के लिए खतरनाक है, उसके विरुद्ध अगर आप और भी सख्त प्रावधान करना चाहें तो किये जाने चाहिएं, मैं उसका समर्थक हूं। धारा 74 में फिर एक व्यावहारिक कठिनाई है। धारा 74 की भावना ठीक है, आज विदेशों में भी अगर कोई ऐसा काम करता है, जिसकी वजह से हमारे यहां इंटरनेट प्रभावित होते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान आपने रखा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे देशों से हमारी एक्सट्रीडीशन ट्रीटी नहीं है, अगर उनमें से किसी देश में ऐसी कोई कार्रवाई होती है, तो हमारे कानून के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए यह कानून कैसे लागू हो पायेगा, हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे, कैसे प्रभावी कार्रवाई होगी, इस बात के लिए भी विचार कर लीजिए, उसके लिए क्या प्रावधान करना जरूरी है। मैं आपका ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं आखिरी चीज की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। यह उचित है। लेकिन इसमें शासकीय और अशासकीय सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा और उनकी अर्हताएं क्या होंगी, इसका उल्लेख नहीं है। क्या आप सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए लाना चाहेंगे, इसको भी स्पष्ट करें। इससे यह और ज्यादा व्यापक बन जाएगा। कुल मिलाकर यह कानून वक्त की जरूरत थी इसलिए इसका स्वागत करना भी उचित है। यह कानून बने और प्रभावी तरीके से देश में लागू हो, यह सुनिश्चित करना किसी एक पक्ष का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर खुले दिमाग से हम विचार करें। अगर हमें लगे कि इसमें कोई परिवर्तन करना जरूरी है, संशोधन करना जरूरी है तो खुले मन से उसको स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि अगर एक बार कानून बन जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, हो सकता है, संशोधन होते रहते हैं, समय के साथ-साथ नए-नए अनुभव होते रहते हैं। उन शर्तों जिनका मैंने उल्लेख किया है तथा जो मुद्दे उठाए हैं, उनके अध्यधीन मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इसका स्वागत करूंगा और सदन से भी अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने जिन शब्दों .... का प्रयोग किया है, वे असंसदीय हैं और उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वही मुझे करना पड़ेगा। उसको आप एक्सपंज कर दीजिए। उसके लिए मुझे खेद है। साथ ही मैं यह

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

भी कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को जो कम्प्यूटर दिए गए हैं, वे देख लें, क्योंकि वे पेंटियम थ्री की जगह पेंटियम टू दिए गए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): मैं सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व मालूम है कि इससे न सिर्फ भारत बल्कि विश्व को कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी ही ऐसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है जो विश्व और भारत में घटी है। भारत वास्तव में विकास के अग्रिम चरण की ओर बढ़ रहा है।

मैं स्वयं को उन बातों तक ही सीमित रखूंगा जो कही गई हैं तथा जो आपत्तियां विपक्ष ने उठायी हैं। विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से एक आपत्ति इस मामले में इतनी शीघ्रता दिखाने तथा हमारे द्वारा विधेयक को जल्दी पारित कराने के बारे में है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक हम इस सूचना प्रौद्योगिकी को नियंत्रित और नियमित नहीं करेंगे, इससे संबंधित अपराध बढ़ते ही जाएंगे। एक माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि इस पर पेरिस में भी चर्चा की जा रही है। हमें इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि भारत में ऐसे अधिकतर अपराध न सिर्फ साइबर कैफे के माध्यम से फैल रहे हैं बल्कि विश्वविद्यालयों और उन लोगों, जो स्वतंत्र पत्रकारिता में हैं, के माध्यम से भी फैलते जा रहे हैं। ये अपराध इंटरनेट पर पंजीकृत लोगों, जो हमारे जैसे हैं, के माध्यम से नहीं किए जा रहे हैं। यह हमारे माध्यम से नहीं हो रहा है। परंतु ये अपराध साइबर कैफे के माध्यम से हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इंटरनेट सेवा प्रदायक को भी जिम्मेदार बनाया जाना है। अन्यथा, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसके निर्धारण की व्यवस्था वास्तव में विधेयक में की गई है।

महोदय, इस संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं। यह एक तथ्य है कि बैंक में इंटरनेट के माध्यम से घुसपैठ की जा रही है तथा आप वास्तव में यह नहीं मालूम कर सकते कि यह घुसपैठ कहां से की जा रही है। चीन में बैठकर कोई व्यक्ति अमेरिका की बैंक प्रणाली में घुसपैठ कर सकता है और कोई खाता संख्या दे सकता है जिसे उसने फाइल से चुराया होता है तथा उस रकम का अंतरण कर सकता है। जिस समय तक आपको यह पता चलता है कि यह कहां से हो रहा है, हजारों मिलियन डॉलर अन्यत्र जा चुका होता है। अब, इस प्रकार की घटना घट सकती है और यह साइबर अपराध है। तब भी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस विधेयक को लाने की क्या जल्दी है।

महोदय, समाचारपत्रों में भी यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रणाली में किसी हैकर ने घुसपैठ की थी और हम कह रहे हैं कि इस बारे में कोई जल्दी नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि अग्नि मिसाइल के आंकड़े के साथ भी छेड़-छाड़ की गई थी? अब मुझे नहीं मालूम है कि कितनी और क्या जानकारी गुप्त रूप से ली गई थी। क्या वह आई.एस.आई. था अथवा कोई अन्य, जिसने उसमें छेड़-छाड़ की? अब, वे ऐसा कर रहे हैं और विपक्षी दलों के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई जल्दी नहीं है।

अब, यदि आपने विधेयक में किसी बात को छोड़ दिया है और यदि कोई कमी रह गई है, तो हम वस्तुतः अन्य छः या आठ महीनों के समय में संशोधन ला सकते हैं। अतः, माननीय सदस्यगण, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में जल्दी है। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं।

यह एक वास्तविकता है कि श्री समीर भाटिया, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, ने कई बिलियन रुपये कमाए। अनेक लोग हैं जो इस कार्य में शामिल हो रहे हैं। परंतु हम जिस बात को लेकर वास्तव में चिंतित हैं, वह यह है कि इस प्रौद्योगिकी उद्योग में धूर्त और बनावटी लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए, हमने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक तैयार किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह अच्छा कार्य किया है।

यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जो सिर्फ भारत में ही लाया गया है, ऐसा विधेयक विश्व भर में लाया गया है और इसका अध्ययन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति इन साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपना दिमाग लगा रहा है। अतएव, हम यह विधेयक लेकर आए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का काफी तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए हमें इसमें संशोधन लाने की भी जरूरत पड़ेगी। अतः इस विधेयक को लाने की जल्दी है और मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया।

जैसा कि मेरे मित्र, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने, कहा है, न तो श्री प्रमोद महाजन और न ही श्री जेटली को यह समझना चाहिए कि हम इस विधेयक के विरुद्ध हैं।

हमारे स्वर्गवासी नेता श्री राजीव गांधी ने देश का पहली बार आह्वान किया: ''हमें प्रौद्योगिकी और अधिकाधिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के साथ नई सहस्त्राब्दि में जाना है।''

सरकार यह विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक में श्री प्रमोद महाजन ने बहुत ही स्पष्ट रूप में यह स्वीकार किया है कि उन्हें इस विधेयक को तैयार करने में इसका 55 बार गहन अध्ययन करना पड़ा था। इससे पता चलता है कि सरकार ने पूरी सावधानी बरती है कि इस विधेयक का सही ढंग से प्रारुप तैयार किया जाए। संसदीय लोकतंत्र में, 542 सदस्यों को कम से कम इस पर चर्चा करने और पारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आप जल्दी में हैं, यह आपकी गलती नहीं है - और हम सभी दोषी हैं, क्योंकि इस सभा का अधिकांश समय खराब किया गया है। हम समझते हैं कि आप इसे उपयुक्त समय पर नहीं ला सके। यदि आप इस विधेयक को कुछ दिन पहले लाते तो बेहतर बात होती। यह संदेश राष्ट्र में नहीं जाना चाहिए कि यह विवादास्पद विधेयक है। यह विवादास्पद विधेयक नहीं है। किन्तु, कतिपय खंड इस विधेयक में रखे गए हैं। खुद आपने खंड 73क और 73ख को स्वीकार नहीं किया है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

इस संबंध में ये मुद्दे और कुछ अन्य बातें बहुत ही अच्छी हैं। यह एक अच्छी बात है। मैं अपने अच्छे मित्र श्री जेटली से पूछना चाहूंगा कि वह नामी वकील कौन है - हम कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, वह दिल्लीवासी हैं और उनका अनुभव अपने मुवक्किलों के माध्यम से पूरे देश भर का है - क्या उन्होंने लगभग पन्द्रह दिन पहले अखबार में पढ़ा है कि एक सुरक्षाकर्मी ने कश्मीर में क्या किया? मकान की तलाशी लेने के नाम पर वह एक घर में घुसा और एक औरत से बलात्कार किया। नि:संदेह, सरकार ने कार्यवाही की है। कानूनी रूप से उसे अशांत क्षेत्र में तलाशी लेने और जब्ती करने का पूरा अधिकार है। मैंने स्वयं गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से अपने जिले के एक पुलिस अधीक्षक की शिकायत की है, जो ऐसी हरकतें कर रहा है, जो उसे शोभा नहीं देती हैं। जैसा कि एक सदस्य ने ठीक ही कहा है कि रैंक का योग्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है उन्हें एक सिपाही से उप-पुलिस-अधीक्षक के रूप में पदोन्नति मिली हो किन्तु क्या वह नियमों की व्याख्या करने की स्थिति में है और इस तर्क के आधार पर कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, वह उसके साथ न्याय कर सकता है? नहीं, वहां कुछ न कुछ नियंत्रण तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वे इस विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं, किन्तु मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस पर नजर रखें। यदि यहां इन सब चीजों का दुरूपयोग होता है, तो हमें जरूर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। श्री जेटली ने पुनः कहा है कि सहमति से लिए गए निर्णय पर बहस नहीं होती है। जी नहीं लेकिन यहां एक पीड़ित व्यक्ति है। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंध निदेशक हूं। संसद सदस्य होने के नाते, मैं अपने व्यापार से बाहर हो गया हूं। मेरे भाई ने मुझे मेरे व्यापार और मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय को कल मुझसे सहानुभूति थी। उन्होंने कहा: ''शायद आप नाराज हैं, नाराज न हों।'' मैं संसद को और इन अधिवक्ता को, जिन्होंने यह मुकदमा बहुत अच्छी तरह लड़ा, यह बताने का प्रयत्न करता रहा हूं। मैंने उन्हें बताया कि यदि उन्होंने पहले बोला होता, तो कुछ और बात होती। किन्तु याद रखें कि जो मुकदमा मैंने डेढ़ वर्ष के बाद जीता, इसके मामले में, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश सूचना दी थी, जोकि न्यायोचित नहीं है। मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे यद्यपि मैं अधिवक्ता नहीं हूं। बाद में मुझे परिपाटी से हटकर व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश से मिलना पड़ा था, और मैंने न्याय प्राप्त किया। यह मामला छः घंटे के भीतर निपट गया था। यदि आप न्यायाधीश से मिलते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहेगा कि यह मामला बनता है। अब चूंकि वह मणिपुर, त्रिपुरा, यहां-वहां जा रहे हैं - इसलिए उनके पास समय नहीं है। ये सब बातें यहां हो रही हैं।

अन्य बात जो मंत्री जी ने कही है वह यह है कि यदि कोई आपराधिक मामला है, तो आपराधिक न्यायालय इसका फैसला नहीं करेगा। यह मामला उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाएगा। यह सत्य नहीं है। आज एक मुंसिफ देश में यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश को रोक सकता है कि इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूं। मैं 3 करोड़ रुपये की संपत्ति गंवा चुका हूं। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपकी कानूनी समझ आपकी दिल्ली आधारित किताबी ज्ञान और अनुभव पर आधारित है, किन्तु मैं एक दूरस्थ क्षेत्र से आया हूं। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, आपने मणिपुर से आई एक लड़की को जरूर देखा होगा। उसने पिछली लोक सभा में मणिपुर का प्रतिनिधित्व किया और आपकी सरकार का समर्थन किया। उसकी बहनों में से एक नदी से पानी लेने गई थी, जहां फौजियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और एक दिन वह सभा में बोल रही थी और चीख रही थी। वह यहां वापिस नहीं आई। उसे न केवल

जनता ने पराजित किया, बल्कि उन्होंने, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। जो बात मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और हम चाहते है कि यह पारित हो। कुछ वृद्ध लोग जल्दी में थे और सरकार गिर गई। अब यह युवा व्यक्ति जल्दी में है। कृपया कोई गलती न करें। हाल ही में यह अपना आपा खो रहे हैं। उन्हें शांति रखनी चाहिए। उन्होंने देखा है कि हमारे अध्यक्ष महोदय कैसे शांति के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्हें अध्यक्ष महोदय का अनुसरण करना चाहिए। वह कई बार अपना आपा क्यों खो देते हैं? आपा खो देने जैसी कोई बात नहीं है। आज उन्होंने एक मंत्री को उत्तर न देने को कहा है और पन्द्रह मिनट के भीतर मंत्री को दिलासा दी और कहा, "अब आप उत्तर दे सकते हैं।" इसीलिए हमें लोकतंत्र में जीना पड़ता है।

यहां लेने और देने की भावना होनी चाहिए। यहां कई बार प्यार और कई बार नफरत हो सकती है। आप 'लव बग' के बारे में बता रहे थे। यह मेरे कम्प्यूटर में नहीं आया है। मैं देखना चाहता हूं कि यह 'लव बग' क्या है। मैं इसे नहीं चाहता। मुझे कोई ख्याल नहीं है। मैं इसे नहीं चाहता। मेरे कम्प्यूटर का उपयोग मेरी बेटी कर रही है। इस विधेयक में आप कई बातें लाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन इसे भी स्पष्ट करते हुए उत्तर देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : धन्यवाद महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कुछ ही मिनट और लूंगा।

मैं कह रहा हूं कि हम पूरी तरह आप के साथ हैं। हम चाहते हैं कि यह विधेयक पारित किया जाये। यही बातें मैंने आपके सामने कही हैं। आप उन्हें अपने रिकार्ड में रखे। यदि बाद में आप महसूस करें कि इसे बदले जाने की आवश्यकता है, तो कृपया आप इस सभा में आएं। हम पुन: यहां होंगे। हम चाहते हैं कि यह सीमित न हो। यह आपके लिए उपयोगी हो। कुछ मित्रों ने इस संबंध में ठीक ही कहा है।

जब मैं जुलूस से वापिस आया तो इस कागज को मैंने अपनी मेज पर देखा। इसे जरूर किसी भा.ज.पा. समर्थक का होना चाहिए। मेरे यह पूछने पर कि इसे कौन दे गया तो मुझे बताया गया कि किसी औरत ने दिया है। मुझे बताया गया कि चूंकि यह समझा गया है कि मैं बोलूंगा अत: मुझे इसे पढ़ना चाहिए। मैंने इसको पूरा पढ़ा है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): औरतें ही क्यों?

श्री संतोष मोहन देव : आपने ही यह दिया है। मैं नहीं जानता कि किसी औरत ने मुझे क्यों दिया है *...(व्यवधान)* मैं इस सभा के लिए इसे पढ़ना चाहता हूं। माननीय मंत्री श्री जेटली कल कह रहे थे कि यदि हमें एक दिन का विलम्ब हुआ है तो हो सकता है हम कुछ खो चुके हों। कभी-कभी आप ठीक कहते हैं। मैं यह खबर पढ़ रहा हूं:

> "साइबर अपराध पर समूह आठ (जी-8) का सम्मेलन सोमवार को यहां (अर्थात् पेरिस में) फ्रांस के नेताओं की चेतावनियों के साथ शुरू हुआ कि यह लड़ाई इन्टरनेट उद्योग द्वारा अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, बल्कि यहां सरकारों और पुलिस बलों की सहायता की आवश्यकता होगी। संवेदनशील तंत्रिका को छुते हुए फ्रांस के प्रधान मंत्री लामनल जास्पिन और आंतरिक मंत्री जीन पीयरर चेवनमेंट ने घोषणा की कि तोड़फोड़ की कार्यवाही और इंटरनेट पर अपराध से केवल स्व-विनियमन से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग इस उद्योग में होड़ कर रहे हैं। अपराध के लिए नए तरीके विकसित हो रहे हैं, कई बार इसके तकनीकी रूप और विश्व भर में फैले जाल में इसमें सहायता मिलती है। "जास्पिन ने सम्मेलन में एक संदेश देते हुए कहा", उन्होंने विश्व स्तर पर इस संबंध में प्रेरणा और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता के बारे में जोर दिया। प्रत्येक देश के सरकारी प्राधिकारियों का यह प्रथम दायित्व है।"

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी, जिनकी बदौलत आज मैं यहां हूं इस विधेयक को आज पारित करने के लिए आपको स्वर्ग से आशीर्वाद देंगे। यह उनका सपना था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। यह जो सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक लाया गया है, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से मंत्री जी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह कहना बिलकुल गलत है कि हमारा देश सूचना प्रौद्योगिकी मामले में एक महाशक्ति बन कर उभरा है, इस विधेयक को लाकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

महोदय, अभी भारतवर्ष की 99 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कम्प्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती है। हमारे गांवों में जो शिक्षा दी जा रही है, वहां तो अभी ठीक से क ख ग पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है, न कहीं भवन है और न ही पढ़ाने के लिए कोई

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

अध्यापक है। हमारे यहां पांच-पांच, छः-छः किलोमीटर तक कोई स्कूल एवं कालेज नहीं हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम पहले शिक्षा की दृष्टि से लोगों को कम्प्यूटर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर सरकार हर कालेज में कम्प्यूटर से साफ्टवेयर, इंटरनेट के बारे में जानकारी पर ज्यादा जोर देती तो बहुत ही अच्छा रहता। इतना जल्दी इस विधेयक को लाने से सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को अगले सत्र तक के लिए रोक दिया जाए, इस पर गहन चर्चा की जाए। इस विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि इससे आम जनता को कोई लाभ होने वाला है। इसमें यह है कि कानून है कि अगर कोई अश्लील प्रदर्शन हो या कोई दुरुपयोग हो रहा हो तो उसमें डिप्टी एस.पी. लेवल का अधिकारी हस्तक्षेप करेगा और वह बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। मेरा यह कहना है कि जितने भी कानून हैं, उन कानूनों का हर तरह से उल्लंघन हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। इस विधेयक को लाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है।

मेरा सुझाव है कि इसमें जल्दबाजी न की जाये। अभी तो हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे देश की आबादी कितनी है, सरकार के पास पूरी तरह से वह भी लिखी नहीं है, गांव के बच्चों की आबादी का कोई रिकार्ड नहीं है। मेरे ख्याल से डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर हमारी आबादी हो चुकी है। हम इस विधेयक को जल्दबाजी में न लाएं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। पक्ष और विपक्ष को लोगों को कुछ टाइम इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए दे और जनता को भी इस मामले में कुछ जानकारी हो जाये और इस पर चर्चा करके फिर यह विधेयक लाया जाये, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूचना प्रौद्योगिकी बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज विश्व स्तर पर इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह विधेयक बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है। इस मिनिस्टरी का गठन ही अक्तूबर 1999 में हुआ है। यह ठीक है कि हमारा आज जो कार्य हो रहा है, लेनदेन और कार्य-व्यवहार हो रहा है, उसे तकनीकी के माध्यम से किया जाये और दुनिया के विकसित देशों और विकसित तकनीकी के समानांतर स्तर पर हम खड़े हों। लेकिन यह विषय बहुत ही गूढ़ है, तकनीकी है। जो विधेयक पेश किया गया है इसमें मुख्य रूप से दो हिस्सों पर चर्चा की गयी है। कुछ चीजें जो वाणिज्य से संबंध रखती हैं जैसे साफ्टवेयर, हार्डवेयर, खरीद और बिक्री तथा दूसरी तरफ तकनीकी के माध्यम से जो सर्विस प्रदान की जायेगी, जैसे सेल-परचेज या ऑफिस में कम्प्यूटर काम करेगा। लेकिन हमारे देश की आम जनता अभी निरक्षर है। प्रौढ़-शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बावजूद भी यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी ए.बी.सी.डी. तक नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग डिजिटल भाषा को समझने में असफल होंगे। मैं समझता हूं कि यह जो जल्दबाजी की गयी है यह विश्वव्यापार संगठन के तहत जो समझौते किये गये हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में तथा टैक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी के आधार पर यह बिल सरकार ला रही है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं कि साइबर कैफे और वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन किया जाये, उसको भी नकार दिया गया है। इसलिए माननीय सदस्यों का जो अनुरोध है कि इसमें विचार के लिए समय दिया जाये, यह बहुत ही उचित है और हमारी भी यह मांग है कि यह गूढ़ मामला है, तथा इसमें तमाम एक्ट समाहित हैं। जैसे इसमें इंडियन एवीडेंस एक्ट, इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट और बैंकर्स बुक्स से एवीडेंस एक्ट है।

यही नहीं जो चार एक्ट दर्ज किए गए हैं, मैं समझता हूं कि जितनी भी व्यवहार प्रक्रिया इस देश में चल रही है, इससे सभी प्रभावित होंगे क्योंकि कम्प्यूटर हर विषय में प्रवेश करेगा, चाहे चकबंदी हो, कोर्ट कचहरी हो, आफिस हो और बैंक हो। यहां तक हम संसदीय प्रक्रिया में भी देख रहे हैं कि गणना पर्ची के माध्यम से करने में जो समय लगता था, इससे वह बहुत तेज गति से होगा लेकिन आम जनता को इससे अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे केवल उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा होगा जो हमारे देश में इंटरनेट से विदेश में कारोबार करते हैं। इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर निर्यात करने पर शुल्क नहीं लगेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का आधार तैयार किया गया है। यहां श्रम शक्ति बहुत सस्ती है। विदेशी लोग और विदेशी कम्पनियां यहां उत्पादन करके और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अन्य देशों को निर्यात करके, लाभ कमा कर, अपने देश में ले जायेंगे। इससे हमारे देश का कोई भला नहीं होगा। इसलिए इस पर सोचने-समझने का अवसर सदन को, देश के नागरिकों को और पत्रकारों को मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.के. दल की ओर से मैं इस सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, यहां वेबसाइट में 'हैकिंग', 'हट मेल' भेजने आदि को कई घटनाएं हुई हैं। यह परेशान करने वाली बात है और यह बहुत अधिक चिन्ता का कारण है। यह विधेयक 'हैकरों' और 'हेट

मेल' भेजने वालों को सजा दिलाने में कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के हाथ मजबूत करेगा। सांख्यवाहिनी परियोजना के कार्यान्वयन के साथ हम उच्च गति 'डेटा नेटवर्क' तैयार करने की आशा करते हैं। इसलिए, यह उचित है कि हम इस विधेयक को शीघ्र पारित करें।

महोदय, मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़े से ही देश हैं, जिन्होंने 'साइबर' कानून बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले इलेक्ट्रानिक कामर्स पर आदर्श कानून को अपनाया था। इस सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक के पारित होने के साथ हम इन संभ्रान्त देशों के क्लब में शामिल होंगे, जिन्होंने साइबर कानून पारित किया है।

इस समय, ई-कामर्स में इलेक्ट्रानिक कार्यों और उससे जुड़े मामलों के लिए कानूनी मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह विधेयक डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है तथा प्रमाणन प्राधिकारियों द्वारा ई-हस्ताक्षरों को सत्यापित करने और अन्य इलेक्ट्रोनिक कार्यों को मान्यता देना ई-कामर्स की एक बड़ी आवश्यकता है।

यह विधेयक, जैसा मैंने पहले बताया है ई-कामर्स को बढ़ावा देते हुए उन लोगों को सजा देने का प्रावधान करता है, जो यह वायरस फैलाते हैं महोदय, ई-मेल ''आई लव यू'' के कारण बहुत घाटा हुआ है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह घाटा हजारों करोड़ रुपये में रहा है। वर्तमान में, इस तरह के गलत कार्य को रोकने के लिए फिलीपीन्स में कोई कानून नहीं है। इस प्रस्तावित विधेयक का खंड 65क इन सभी तरह के गलत कार्यों से निपटने के लिए है यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो इससे उन सभी लोगों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री वेत्रिसेलवन, क्या आपका यह पहला भाषण है?

श्री वी. वेत्रिसेलवन: जी हाँ, महोदय।

इस विधेयक में किसी के कम्प्यूटर स्रोत ''कोड'' से किसी व्यक्ति द्वारा छेड़-छाड़ किये जाने पर तीन वर्ष की सजा और दो लाख रुपए तक के दंड का प्रावधान है, और अश्लील जानकारी अग्रेशित करने पर 5 वर्षों की सजा और पांच लाख रुपए के दंड का प्रस्ताव है। यह इस विधेयक की अच्छी बात है।

इस विधेयक में कम्प्यूटर से संबंधित अपराधों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड देने के लिए साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने की बात है।

महोदय, अभियुक्त को मुआवजे का दावा करने के लिए सिविल न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी विधेयक की एक अच्छी विशेषता है।

महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूँ। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि समिति द्वारा सुझाये गये अधिकांश संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक के विवादित खंड 79 को हटाने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि यह विधेयक ऐसे समय पर आया है जब भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस समय देश में लगभग चार बिलियन डालर के साफ्टवेयर का निर्यात हो रहा है और हम चाहते हैं कि वर्ष 2008 तक यह निर्यात बढ़कर 50 बिलियन डालर हो जाये। ऐसा विधान हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी सहायता करेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री सेलवन, आप कुछ माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए भी छोड़ दें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि विधेयक में एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस का प्रावधान है। विधेयक की रूपरेखा को विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया गया है। इलैक्ट्रानिक कामर्स के विकसित होने से पहले इलैक्ट्रानिक गवर्नेंस आवश्यक है। यह अध्याय सरकारी विभागों को आवेदन पत्र और रिकार्ड इलैक्ट्रानिक रूप में स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। इस विधेयक से हमारे समाज में कागज की आवश्यकता अत्यधिक कम हो जाएगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस। वह अंतिम वक्ता हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे किसी भी चर्चा में हमेशा अंत में बोलने का अवसर मिला है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मुझे आशा है कि मैं अंतिम वक्ता नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं केवल एक-दो बातों का ही उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूँ। वस्तुत:, हमें विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर मीडिया व्यापार क्षेत्र के साथ-साथ देश की सरकार को भी अधिक स्वीकार्य होगा। यद्यपि इस विधेयक को काफी सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, तथापि यह उन सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रख सका है जो सामान्यतया ई-कामर्स और ई-गवर्नेंस के उद्देश्य से कम्प्यूटरों का उपयोग करते समय लोगों के सामने आते हैं।

महोदय, अध्याय दो के संबंध में जिसमें 'डिजिटल हस्ताक्षर' की अवधारणा को परिभाषित किये जाने के साथ-साथ 'डिजिटल हस्ताक्षर' के प्रभाव को भी बताया गया है, मुझे लगता है कि हमें इस परिभाषा के क्षेत्र का और आगे विस्तार करना होगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर गणितीय संक्षिप्त संदेश का एक एन्क्रिप्टेड रूप है। एन्क्रिप्ट किया हुआ यह गणितीय संक्षिप्त संदेश आविष्कारक द्वारा ''पब्लिक की'' और ''प्राइवेट की'' द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि ''पब्लिक की'' उपलब्ध कराई जाती है और उपयोग की जाती है तब हमें लेखक, आविष्कारक की पहचान मिलती है; यही अंतर्विष्ट सामग्री की प्रामाणिकता है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि यद्यपि आविष्कारक की प्रमाणिकता, आविष्कारक की पहचान स्पष्ट है, तथापि जब संदेश को डी-इन्क्रप्ट किया जाता है जो कि गणितीय रूप से उपलब्ध है, इसे बोलचाल की भाषा में उपलब्ध कराना होगा। इस सीमा तक यह अध्याय दो में नहीं दिया गया है जहां इस पहलू पर विचार किया गया है। अध्याय दो के लिए एक बेहतर परिभाषा और बेहतर व्याख्या दिये जाने की आवश्यकता है जहां डिजिटल हस्ताक्षर भी इस अवधारणा का प्रतिपादन किया जा रहा है।

आविष्कारक की पहचान के संबंध में इसकी परिभाषा और व्याख्या काफी अच्छी है। संदेश के सत्य होने की भी इस प्रकार पुष्टि करनी होगी। इसलिए टुकड़ों में बंटे (हैश) परिणाम जो हैश फंक्शन को करने के बाद मूल संदेश देता है, की अध्याय-दो में और अधिक व्याख्या की जायेगी।

एन्क्रिप्शन के संबंध में यह महसूस किया जाता है कि विधेयक में क्रेडिट कार्ड विनिमय जैसे निजी वित्तीय विनिमय के संबंध में गारंटी की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्रेडिट कार्ड का नंबर हैकिंग के लिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह किसी प्रकार की हैकिंग के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इस संबंध में और अधिक विस्तृत मार्गनिदेश आवश्यक हैं। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि क्या इस संबंध में नियम और अधिक व्याख्या करेंगे और इनका क्षेत्र व्यापक होगा।

एक अन्य मुद्दा यह है कि सरकार अधिक स्ट्रांग एन्क्रिप्शन के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में स्पष्ट मार्गनिदेश नहीं हैं। सामान्य 40 बिट के एन्क्रिप्शन के लिए और अधिक मार्गनिदेशों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य कठोर और (भारी चीजों) के लिए अधिनियम में और अधिक मार्गनिदेश दिये जाने की आवश्यकता है।

स्थायी समिति की बैठक में इस विधेयक पर चर्चा की गई थी। समिति ने बहुत से सुझाव दिये थे और उन पर चर्चा भी की गई थी। नि:संदेह, उनमें से एक-दो सुझाव स्वीकार नहीं किये गये थे। यदि यह विधेयक इस चरण में आगे जांच करने के लिए भेजा जाता है तो इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा हम संसद द्वारा किये गये इस नवीनतम प्रयास के साथ न्याय कर पायेंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सारे सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 21वीं सदी के इस पहले विधेयक का स्वागत किया और उसे समर्थन दिया। यह सच है कि मुझ पर थोड़ा आरोप लगा कि मैंने इसमें जल्दबाजी की। मैं इस आरोप से इनकार भी नहीं करता, हो सकता है लोक सभा में अगर आपकी कृपा से यह पारित हो जाए तो यह मेरा पहला विधेयक है और पहले विधेयक के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी उसके माता-पिता में होना स्वाभाविक है। इसलिए अगर थोड़ी सी जल्दबाजी हुई हो तो वह इस परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, यह मेरी प्रार्थना है। कभी-कभी जब हम जल्दबाजी शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन होता है। अगर सरकार वक्त पर विधेयक न लाये तो कहा जाता है कि आपने देर कर दी, क्या आप सो रहे थे। अगर थोड़ा वक्त से पहले विधेयक लायें तो कहा जाता है कि आपको इतनी जल्दी भी क्या थी। इसलिए जल्दी थी या नहीं थी, अभी मैं सोच रहा था कि आईंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया और वह विद्यार्थियों को समझाने लगा कि रिलेटिविटी क्या होती है, टाइम-स्पेस क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। दस-बीस बार समझाने के बाद भी बच्चों ने कहा कि यह हमारी समझ में नहीं आया, किसी उदाहरण के

द्वारा समझाइये। अब आईस्टाइन ने कहा कि रिलेटिविटी उसे कहते हैं जैसे कि तुम अपनी प्रियतमा की प्रतीक्षा कर रहे हो, अगर तुम्हारी प्रियतमा दो मिनट देरी से आये तो तुम कहते कि कितनी देर लगा दी और वह दो घंटे बैठने के बाद वापिस जाने को निकलती है तो आप कहते हो कि अभी-अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, अब इतनी देर लगाई और इतनी जल्दी जा रही हो। यह जो आईस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत है, उसमें मैं अटक गया हूं।

इसलिए मैंने कहा कि इसका कारण किसी को जल्दबाजी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कोई सदन पर या देश पर कानून थोपना नहीं था और संतोष जी ने ठीक कहा कि यह ऐसा कानून हम बना रहे हैं जो 21वीं सदी का कानून है और पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि हम झगड़-झगड़ कर यह कानून बना रहे हैं और विवाद के बाद बना रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि यह अच्छा संदेश था इसलिए आज एक अच्छा संदेश हम भेज रहे हैं कि यह कानून हम सब मिलकर पारित कर रहे हैं। यह इस कानून का आखिरी शब्द नहीं है। इसमें कमियां दिखाई देंगी तो इसमें और आगे सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरी असली समस्या यह है कि मैं न तो तकनीकीविद् हूँ और न ही वकील। लगभग आधे विधान प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं और आधे कानून की बात करते हैं। मैं इनमें से किसी का भी विशेषज्ञ नहीं हूँ। इसलिए कल जब शिवराज जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया और वह हमेशा जैसे करते आए हैं, उस हिसाब से उन्होंने इस चर्चा का स्तर बहुत ही ऊंचा रखा। कभी कभी तो मुझे लगा कि बाद में बोलने वाले लोगों को उसको स्पर्श करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मुझे तो पता ही नहीं चला कि इन सारी कानूनी बातों का जवाब मैं क्या दूं, इसलिए ऐसे वक्त साधारण क्लाईंट जो करता है, मैंने भी सोचा कि हिन्दुस्तान का सबसे बेहतरीन वकील अगर हमारे साथ है और बिना फीस लिये हुए वह मेरी वकालत करने को तैयार है तो मैंने अरुण जेटली जी को प्रार्थना की कि वह आएँ और वह इन बातों का जवाब दें क्योंकि मैं जवाब देने की जगह गलतियां ज्यादा करूंगा और जजमेंट मेरे खिलाफ जाएगा। अरुण जी ने सारे विषयों को स्पर्श किया है, मैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। लगता यह है कि वे संभवत: कल अंतिम वक्ता थे और जिस तरह से उन्होंने तक वितर्क किया, मेरे विचार से आज मेरे जजों अथवा जूरी की जो बदली हुई राय है, वह यह दर्शाती है कि वह हम सभी को आश्वस्त करने में काफी सफल हुये हैं।

[हिन्दी]

कि इसमें कोई भारी गलती नहीं रही है। छोटी-मोटी हो सकती है, लेकिन नहीं रही है। इसमें केवल दो-तीन छोटी चीजें हैं जिनकी पुनरुक्ति मैं करना चाहूंगा।

एक तो समाचार-पत्रों में सबसे बड़ा विवाद यह आया कि हम इसमें 73 और 73बी क्लॉज ला रहे हैं जिसमें हम वैबसाइट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं या साइबर कैफे में पुलिस को हर चीज लिखने की मजबूरी कर रहे हैं। असल बात तो यह है कि यह हमारे बिल में था ही नहीं। अगर आप मूल बिल को पढ़ें तो।

[अनुवाद]

खंड 73(क) और 73(ख) जिनके संबंध में काफी कुछ कहा गया था और मीडिया पर आलोचना भी हुई थी, इस मूल विधेयक के कभी भी अंग नहीं थे। अब, स्थायी समिति का यह सुझाव था और हम सब संसद में समझदार लोग हैं और स्थायी समिति के संबंध में भी यही स्थिति है। उन्होंने 36 सुझाव दिये जिनमें से हमने 34 सुझाव स्वीकार किये। इसका आशय यह है कि लगभग 90 प्रतिशत सुझाव स्वीकार किये गये थे। इस तरह उन्होंने एक बढ़िया काम किया।

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली): लेकिन अन्य स्थायी समितियों के संबंध में भी ऐसा नहीं हो सकता।

श्री प्रमोद महाजन: देखें, आगे क्या होता है। मैं इस संबंध में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि जहां तक विधान का संबंध है मैं दूसरा विधेयक दे रहा हूँ जिसे लोक सभा में पारित किया गया था। सेमी कंडक्टर ले आउट डिजाइन बिल में मैंने स्थायी समिति द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह सही नहीं है कि हम स्थायी समितियों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी एक-दो मामलों को छोड़कर, जहां सरकार के विचार भिन्न हों, स्थायी समितियों द्वारा विधान संबंधी दिए गए अधिकांश सुझावों को आदर देना चाहिए और जहां कहीं भी सरकार सहमत हो, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। आप यह आशा नहीं कर सकते कि इसे पूर्णत: स्वीकार किया जायेगा। तब स्थायी समितियों में कानूनों का निर्धारण किया जायेगा न कि ससंद में। अत: थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है।

मैं कह रहा था कि यह मेरे विधेयक का अंश नहीं था जिसके लिए मेरी आलोचना की जा रही है।

[श्री प्रमोद महाजन]

स्थायी समिति इसे लायी थी। उन्हें इसे लाने का अधिकार है। उन्होंने इसका अध्ययन किया है और इसे उपयुक्त समझा। इसलिए वे इस विधेयक को लाये। अब इसका क्या हुआ? मंगलवार को हमारी केबिनेट की बैठक थी जिसमें खंड 73(क) और 73(ख) को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने अपना विचार बदल लिया क्योंकि उन्होंने रविवार सुबह के समाचार पत्रों में आलोचना पढ़ी थी। मुझे वह बात वास्तव में समझ नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को जब हम माननीय राष्ट्रपति जी के पास संशोधनों के लिए उनकी स्वीकृति लेने गये तो खंड 73(क) और 73(ख) उसमें नहीं थे। इसलिए बिना किसी कारण के खलबली मच गई क्योंकि प्रेस वालों ने सोचा कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह यहां बैठे मेरे कई मित्रों ने यह सोचा कि हम कुछ ऐसी बात स्वीकार कर रहे हैं जो काफी कठोर है जिसे हमने केबिनेट में कभी स्वीकार नहीं किया। इसे संसद में कभी परिचालित नहीं किया गया था। हम संशोधन वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने ये कभी आपको परिचालित ही नहीं किये। और हमने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह पहला मुद्दा है जिसे मैं पूर्णतः स्पष्ट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अब खंड 79 के बारे में, सर, मैं यहां पुलिस का पक्ष लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। पुलिस के भुक्तभोगी जितने सामने की बैंचों पर बैठने वाले हैं, उनसे ज्यादा हम हैं। वे 45-47 साल सत्ता में रहे। उन्हें पुलिस सलाम करती थी और हमें लाठी मारती थी। यह बात भी सही है कि कानून में जहां भी पुलिस को अधिकार मिले हैं, उनका उसने दुरुपयोग ही ज्यादा किया है और खास तौर से साइबर क्राइम का पुलिस दुरुपयोग करे, तो मैं उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिस बहुत अच्छी है, वह कुछ नहीं करेगी, बल्कि मैं तो उससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो दो बातें इसमें कही हैं, वे शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि आपको रिपोर्ट देर से मिली है, लेकिन मैंने वह पूरी रिपोर्ट पढ़ी है।

[अनुवाद]

संपूर्ण पुलिस बल को कम्प्यूटर की जानकारी दी जायेगी। वे केवल उप-पुलिस अधीक्षकों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि निचले स्तर के कर्मचारियों की भी बात कर रहे थे. जब मैं यह कहूँ कि पुलिस स्टेशन में इलैक्ट्रानिक शिकायत की जा सकेगी लेकिन जब तक कि कांस्टेबल शिकायत का समाधान न कर सके यह संभव नहीं है कि आपने इस तरफ से शिकायत की और दूसरी ओर से कोई आपकी शिकायत प्राप्त करे।

[हिन्दी]

जैसे मैं पुलिस स्टेशन को लिखूं कि मेरी यह कंपलेंट है और यदि कांस्टेबल अनपढ़ है, वह मेरी शिकायत को पढ़ ही नहीं पाए, तो उसका क्या फायदा। उसको कम्प्यूटर का ज्ञान ही नहीं है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि पुलिस में ही एक विशेष कार्य बल होना चाहिए जिसे यह पता हो कि वह अपराध किस प्रकार का है। अभी पुलिस क्या करती है कम्प्यूटर में कुछ पता चला, तो वह फ्लॉपी निकाल लेती है और फ्लॉपी में छेद कर के रस्सी बांध कर थाने में लटका देती है। जैसे कहीं से कोई कागज जब्त करती है, तो उसमें छेद कर के रस्सी बांधकर लटका देती है, बूंदक या लाठी जो भी चीज वह जब्त करती है, उसको सबूत के बतौर पेश करने के लिए वह ऐसा ही करती है और जब कोर्ट में प्रस्तुत करने का समय आता है, तो उसे वह कोर्ट में पेश करती है, लेकिन फ्लॉपी में जैसे ही छेद किया, उसमें से सब गायब हो जाता है, लेकिन यह बात पुलिस को नहीं पता। इसलिए हमने इसमें लिखा है कि पुलिस ट्रेंड होगी। इसके साथ-साथ हमारी एक परेशानी और भी है।

[अनुवाद]

अपराध तो अपराध ही है। अपराध से निपटने के लिए यदि हम सभी यह सोचें कि हमें पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट के बिना छापा मारने का अधिकार नहीं देना चाहिए तो आप मेरा यह प्रौद्योगिकी विधेयक क्यों ला रहे हैं जो पहली बार पुरःस्थापित किया गया है? पुलसि को आधे दर्जन कानूनों में यह अधिकार दिया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): आप कृपया खंड 79 उप-खण्ड (2) देखें जहां आपने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वह हैड कांस्टेबल होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को हैंड कांस्टेबल के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा खण्ड 79 उप-खण्ड (2) में दिया गया है।

[हिन्दी]

सर, मैं यह कह रहा था कि किसी जगह अपराधी होने की संभावना देखते हुए पुलिस बिना अनुमति के वहां जाए, यदि यह, सदन को गलत लगता है, सारे देश को गलत लगता है, तो अगले

सत्र में हम सब मिल कर सी.आर.पी.सी. से लेकर इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी तक जिस-जिस बिल में भी यह प्रावधान है, उस प्रावधान को हटा दें। तब तो मैं समझ सकता हूं कि वह ठीक होगा। सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि वह ठीक नहीं होगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं और जोर देकर कह रहा हूं कि इसे हटा लें, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। केवल इतना राईडर लगायें कि जहां आकस्मिकता आ जाये, ऐसी स्थिति में पुलिस को यह अधिकार हो कि बिना वारंट के सर्च लेकर गिरफ्तार कर ले लेकिन जहां आकिस्मकता न हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: आपसे मैं शत प्रतिशत सहमत हूं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसी संभावना न हो तो पुलिस को जाना नहीं चाहिए। मैं पुलिस का पक्ष लेना नहीं चाहता वैसे मैं उन पर अन्याय भी नहीं करना चाहता। आज भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चाहे तो रोज सुबह हम सबके घर में रेड कर सकते हैं परन्तु नहीं करते। कभी-कभी गलत रेड होती है वह जितना सच है उतना ही यह भी कि वे कानून का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फेरा में डी.एस.पी. किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर जा सकता है। वह रोज उठकर 100 इंडस्ट्रियलिस्ट के घर नहीं जा सकता। जब गया तब गलत है। अगर वह गलत करे तो उसको सजा होनी चाहिए लेकिन हम यह अधिकार अगर इसमें से निकाल लें तो हमारे लिए बहुत अड़चन हो जायेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का उसे अधिकार हो। अगर चोरी का सामान पकड़ने के संबंध में क्राइम हो तो कांस्टेबिल जा सकता है और अगर कम्प्यूटर में कोई अपराध करे तो कोई भी नहीं जायेगा क्योंकि यह बड़े लोगों की इंडस्ट्री है। ऐसा तय नहीं होगा। अगर हमको कानून बनाना है कि अपराध के अंदर जाना ही नहीं है।

[अनुवाद]

गरीब नागरिकों के लिए सीआरपीसी है परन्तु 'साइबर-सेवी' लोगों के लिए कानून नहीं है।

[हिन्दी]

वहां कोई सीजर करेगा ही नहीं। यहां जाने की बात है, पुलिस गलती करेगी, वह करे ऐसी अपेक्षा नहीं है लेकिन जाने के बाद कोई क्राइम करेगा, उसको डरने की बात है। जो साईबर का अच्छा काम कर रहा है, उसको इतनी चिन्ता क्यों हो रही है। पूरी इंडस्ट्री चिन्ता में है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मिसयूज होने का डर है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: मैं इससे सहमत हूँ। मैं कह सकता था कि पश्चिम बंगाल सरकार सीआरपीसी में संशोधन क्यों नहीं करती और इस अधिकार को वापस क्यों नहीं लेती?

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल: टाडा, फेरा के बारे में चर्चा बहुत दफा हुई कि कैसे इसका मिसयूज हुआ। अभी संतोष मोहन देव जी ने बताया कि उनके ऊपर कैसे मिसयूज हुआ।

श्री प्रमोद महाजन: वह अलग बात है। टाडा का और उसका मिसयूज हुआ, यह संतोष जी नहीं कहेंगे क्योंकि जब मीसा का दुरुपयोग हुआ तब मैं 18 महीने आपके साथ जेल में था इसलिए मिसयूज का जितना अनुभव आपको है, उतना ही मुझे भी है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): वे जेल में थे, यह आपको किसने कहा। सी.पी.एम. लीडर जिंदगी में कभी जेल नहीं गये। ...*(व्यवधान)* यह तो सुनना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल: उनका इतिहास बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): 42 सालों से हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : 1942 में ब्रिटिश सरकार की दलाली इन लोगों ने की थी। ...*(व्यवधान)* यह आजादी सच्ची नहीं है, यह इन्होंने स्लोगन दिया। ...*(व्यवधान)* इनके पास क्या सिखाने लायक होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: मैं अब खण्ड 79 की चर्चा कर रहा हूं।

यह एक साधारण खण्ड है। यदि मैं कोई गलती करता हूं तो मेरी गलती ठीक करने के लिए इस ओर श्री अरुण जेटली हैं और वहां से श्री शिवराज वी. पाटील हैं। मैंने यहां कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए डी एस पी स्तर का अधिकारी जाएगा। मान लीजिए कि यदि इस सभा ने कहा कि हम खण्ड 79 का लोप करना चाहते हैं तो इससे इसके समाधान की बजाय समस्याएं अधिक उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि तब 'साइबर' अपराधों पर सी.आर.पी.सी. लागू होगा और आज यदि मैं डी.एस.पी. भेजना चाहता हूं तो कल कांस्टेबल जाएगा। इसलिए, खण्ड 79 को वापस लेने और इसे सिपाही के स्तर तक नीचे ले जाने में हमारी कोई समझदारी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि सी आर पी सी में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए मुझे लगता है कि इसके बाद भी हाउस इसको डिलीट करना चाहे तो यह हाऊस की मर्जी है।

श्री रूपचन्द पाल: कल जब मैं बोल रहा था तो माननीय मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था और धारा 165 के बारे में गलत विचार व्यक्त किया था। धारा 165 तलाशी वारंट से संबंधित है और गिरफ्तारी से नहीं। अब वे खण्ड 79 की धारा 165 के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है तो मुझे स्पष्ट करने दें। वे कृपया धारा 41 भी पढ़ लें। यदि वे दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होगा गिरफ्तारी तथा तलाशी वारंट।

श्री रूपचन्द पाल: तब फिर धारा 41 है; धारा 52(2) है; और धारा 165 है।

श्री अरुण जेटली: धारा 41 गिरफ्तारी से संबंधित है और धारा 165 तलाशी वारंट से संबंधित है। अब यह प्रावधान दोनों से संबंधित है।

श्री रूपचन्द पाल: परन्तु जब उन्होंने हस्तक्षेप किया था तो उन्होंने धारा 165 की खण्ड 79 से बराबरी की थी। वे सभा को गुमराह कर रहे थे। इसमें गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: इस कानून में अंतिम दृष्टि से एक छोटा सा मुद्दा है। किसी ने कहा कि क्या यह परिपूर्ण कानून है। मैंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई ड्राफ्टिंग नहीं बनी जो परिपूर्ण कानून का रूप ले। हर ड्राफ्टिंग में कभी न कभी सुधार करने की आवश्यकता होती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से ईमानदारी से यह पूरा प्रयास हुआ है कि जितना सम्भव हो, यह परिपूर्ण कानून बने। अगर आगे कहीं कभी इसमें कमजोरी दिखाई दे और हम चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। रूप चंद पाल जी ने एक खास संशोधन दिया है और ठीक कहा है। यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के सामने भी आया था। यह क्लाज 78 के संबंध में है। उन्होंने कहा कि जो कापीराइट वाला एक्ट है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

> "नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 51 के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए जिम्मेदार होगा।"

[हिन्दी]

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो क्लाज 78 है, वह इसके स्कोप में भी नहीं आता, क्योंकि क्लाज 78 क्लेरिफिकेशन है, क्लाज 78 की, जो पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई क्लाज है, उसका क्लेरिफिकेशन इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कम्प्यूटर का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन उसका पता इंटरनैट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है तो उस व्यक्ति के अपराध की सजा इंटरनैट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देनी चाहिए।

इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महानगर टेलीफोन निगम लि. हम सबको टेलीफोन देता है। एक आदमी टेलीफोन उठाकर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करके अपराध करता है, जिसका महानगर टेलीफोन निगम लि. को पता नहीं है।

[अनुवाद]

एम टी एन एल एक सर्विस प्रोवाइडर है और आप सर्विस प्रोवाइडर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम सर्विस प्रोवाइडर से यह नहीं पूछ सकते कि वह ऐसी सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं जिसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं और अपराध करते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता।

यदि मेरे पास ऐसा कानून होगा तो कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने हेतु आगे नहीं आएगा। यदि हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा ...*(व्यवधान)* कृपया एक मिनट के लिए धैर्य रखें। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ।

अब, म्यूजिक एसोसिएशन के लोगों ने पूछा है कि यदि कोई उनके म्यूजिक कैसेट प्रयोग करता है तो इस स्थिति में क्या होगा यह प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम उल्लंघन को रोकेगा। इस विधेयक के अंतर्गत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इसके लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। कापीराइट अधिनियम विद्यमान है और हमने कापीराइट अधिनियम को रद्द नहीं किया है। यदि कोई कम्प्यूटर का दुरुपयोग कर रहा है और किसी अन्य की कापीराइट का प्रयोग कर रहा है तो कानून में इसका उपचार है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह स्थिति नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना उत्तर पूर्ण करने दें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आल इंडिया म्यूजिक एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैंने यह बात पूरी नहीं की है। कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करे।

पहली बात यह है कि यदि मैं यह सुझाव इस विधेयक में सम्मिलित करता हूं तो यह कानून अधिक बर्बर हो जाएगा। यदि कोई कापीराइट अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर रहा है, किसी और के सीडी कैसेट का उपयोग कर रहा है और यदि मैं इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सजा देता हूं तो मैं इसे और अधिक बर्बर बना दूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके साथ ही मैंने आपकी आलोचना पर भी ध्यान दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक हमने सभा में प्रस्तुत किया है वह मूल रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर्स एविडेंस एक्ट, आर बी आई एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। हमने सामान्य खण्डों को इससे बाहर रखा है क्योंकि उनमें कभी भी संशोधन नहीं किया गया। हमने सी आर पी सी को भी हाथ नहीं लगाया है क्योंकि हम वैसी ही व्यवस्था यहां कर रहे हैं। जहां तक फोर्थ जेनरेशन कम्यूनिकेशन का प्रश्न है, हम कानून बनाने के मार्ग तक जा रहे हैं। परन्तु यही अन्त नहीं है। अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर हमें डिजीटल अपराध में कापीराइट अधिनियम लाना होगा और हमें सीमा शुल्क अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, बिक्रीकर अधिनियम इत्यादि में संशोधन करना होगा।

एक व्यापक विधेयक बनाने के नाम पर मैं ऐसा विधेयक नहीं ला सकता जिसमें चौथी पीढ़ी के सभी पक्षों को शामिल किया गया है। इसलिए आपकी आलोचना पर अच्छी तरह ध्यान दिया गया है। जो उपचार माननीय सदस्य द्वारा सुझाया गया है उसे स्थायी समिति द्वारा भी अस्वीकृत किया जा चुका है। म्यूजिक कम्पनियों का अभ्यावेदन स्थायी समिति के पास भेजा गया था और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

अंत में मैं दो-तीन छोटे मुद्दे संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का थोड़ा दुख है।

[अनुवाद]

मुझे यह कहते हुए खेद है कि अपराध से निपटने के अपने जोश में हम इस विधेयक की मूल विशेषताओं को भूल गये। किसी ने भी ई-गवर्नेंस पर चर्चा नहीं की और किसी ने भी 'ई-कॉमर्स' पर चर्चा नहीं की।

[हिन्दी]

मैं इसमें ज्यादा लम्बा नहीं कहूंगा। इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी सरकार से लोग क्या चाहते हैं, दल चाहे कोई भी हो, लोग चाहते हैं कि सरकार ईमानदार हो और जल्दी-जल्दी फैसले करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर पूर्ण करने दें, उसके पश्चात् आप अपने स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मैं केवल दो छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूँ। यद्यपि श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाया गया प्रश्न इस विधेयक की परिधि में नहीं आता है फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने का अर्थ पुरानी अर्थव्यवस्था की समाप्ति नहीं है। यदि हम 'ई कॉमर्स' का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें बिजली, अच्छी सड़कें, हवाई अड्डे, दूरसंचार, इंजीनियरिंग इत्यादि की भी व्यवस्था करनी होगी। सूचना

[श्री प्रमोद महाजन]

प्रौद्योगिकी के लिए व्यापक समर्थन आधार की आवश्यकता होगी। परन्तु यह मुद्दा इस समय उठाना उचित नहीं है। किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि विश्व औसत में हमारा इंटरनेट सम्पर्क केवल 0.1 प्रतिशत है। टेलीफोन में 2.6 प्रतिशत और टेलीविजन में 30 प्रतिशत है। परन्तु अब से दो या तीन वर्षों में जब टेलीविजन, टेलीफोन और कम्प्यूटर एक तार से जुड़ जाएंगे तो भेदन दर 35 प्रतिशत हो जाएगी। यह प्रतिशत स्वीडन तथा अमरीका से बहुत कम हो सकती है। परन्तु एक अरब में से 35 प्रतिशत 35 करोड़ बनती है जो कि अमरीका की सम्पूर्ण जनसंख्या से भी अधिक है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): न्यूजपेपर पब्लिकेशन के बारे में भी विचार होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* गरीबी हटाओ के बारे में भी विचार होना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: इस पर विचार होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं रामदास आठवले द्वारा उठाये गये प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमने उस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इस देश में डिजीटल उपकरण सबसे बड़े और सबसे अधिक हैं।

आज, यद्यपि हमारा कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में हमारा वर्चस्व होने की सम्भावना है परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी कुछ शहरों अथवा कुछ राज्यों तक ही सीमित है। हमारा उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी को जन साधारण तक ले जाना है। हमें सूचना प्रौद्योगिकी को दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाना होगा। हमें सूचना प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी भाषा से भारतीय भाषाओं में ले जाना होगा। हमें सूचना प्रौद्योगिकी को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शासन के क्षेत्र में ले जाना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि अब से 10 वर्षों में हम न केवल सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी होंगे—मेरे लिए यह प्राथमिक मुद्दा नहीं है कि क्या हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी होंगे या नहीं—अपितु हम इस देश की एक अरब आबादी की बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। यह उस दिशा में एक बहुत छोटा कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन सं. 36 पेश कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं प्रस्ताव* करता हूं कि:

"कि विधेयक पर 18 अगस्त, 2000 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा विचार किये जाने के प्रस्ताव पर पेश किए गए संशोधन सं. 36 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि इलैक्ट्रानिक आधार सामग्री के व्यतिहार द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा जिन्हें सामान्यतया 'इलैक्ट्रानिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइल बनाने को सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककारी बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा में अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा।

खंड 2–परिभाषाएँ

अध्यक्ष महोदय: खंड 2 में सरकारी संशोधन हैं। किए गए संशोधन:

पृष्ठ 3,-

"पंक्ति 36-37 में, "कम्प्यूटर स्मृति" के स्थान पर "कम्प्यूटर स्मृति माइक्रोफिल्म, कम्प्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश" प्रतिस्थापित किया जाए;" (3)

पृष्ठ 3,-

"पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए-

'(दक)' "इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र" से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है;" (4)

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 38 में, "इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप" **के स्थान पर** "इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (5)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 1 में, "ध्वनि" **के स्थान पर** "ध्वनि वाणी" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (6)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 2 में, "आंकड़ा संचय" **के स्थान पर** "आंकड़ा संचय या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर उत्पादित माइक्रोफिश" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (7)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 26 में "अनधिकार प्रवेश" **के स्थान पर** "अप्राधिकृत प्रवेश" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (8)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 7, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 8 : इलेक्ट्रॉनिक गजट में नियम, विनियम आदि का प्रकाशन

अध्यक्ष महोदय: खंड 8 में सरकारी संशोधन हैं। किए गए संशोधन:

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 26 में, "इलेक्ट्रानिक प्ररूप में राजपत्र" **के स्थान पर** "राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (9)

पृष्ठ 6,-

पंक्ति 28 से 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**,-

"परन्तु जहां राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री प्रकाशित की जाती है, वहाँ प्रकाशन की तारीख, उस राजपत्र की तारीख समझी जाएगी, जो प्रथमतः किसी प्ररूप में प्रकाशित हुआ था।" (10)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 11, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 12: प्राप्ति की अभिस्वीकृति

अध्यक्ष महोदय: खंड 12 में एक सरकारी संशोधन है। किया गया संशोधन:

पृष्ठ 7,-

पंक्ति 14 और 15 में, "प्रेषिती से इस बात पर सहमत नहीं हुआ है कि अभिस्वीकृति", **के स्थान पर** "प्रेषिती से इस बात पर सहमत नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति" **प्रतिस्थापित किया जाए**। (11)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 16, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17: नियंत्रक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 9,-

पंक्ति 10-12 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**,-

[अध्यक्ष महोदय]

"(3क)" नियंत्रक, उपनियंत्रकों और सहायक नियंत्रकों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

"(4) नियंत्रक के कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और इनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर हो सकेंगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे"; (12)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18—नियंत्रक के कृत्य

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 9, पंक्ति 15 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,-

"(कख) प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की लोक कुंजियों को प्रमाणित करना"; (13)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 22, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23—अनुज्ञप्ति का नवीकरण

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 10,-

पंक्ति 30-34 **का लोप करें।** (14)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 24 और 25 विधेयक में जोड़ दिए गए

मुख्य 26—अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 11,-

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित, अंत:स्थापित किया जाए,-

"परन्तु यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना से युक्त डाटा संचय ऐसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो दिन-रात सुलभ होगी;

परन्तु यह और कि यदि नियंत्रक, आवश्यक समझे तो वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया में, जिसे वह उपयुक्त समझे, डाटा संचय की अन्तर्वस्तु को प्रचारित कर सकेगा"; (15)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 से 32, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 33—अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 12,-

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए,**

"(2) जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अपर्यपण करने में असफल रहेगा वहां वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जो छ: मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।" (16)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 33, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 41, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 42—प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 15,–

पंक्ति 12 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए,**

"तो हस्ताक्षरकर्ता इसकी संसूचना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में अविलम्ब देगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता उस समय तक दायी होगी जब तक कि उसने प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को सूचित न कर दिया हो कि प्राइवेट कुंजी जोखिम में पड़ गई है"। (17)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 43—कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि से नुकसान पहुंचाने के प्रशस्ति

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 15,–

पंक्ति 35 में, "दस लाख" **के स्थान पर** "एक करोड़" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (18)

(प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 45—अवशिष्ट शास्ति

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 31 में, "प्रतिकर" **के स्थान पर** "प्रतिकर या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति" **प्रतिस्थापित किया जाए;** (19)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 46—न्याय निर्णय करने की शक्ति

किये गये संशोधन:

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 39-40 में, "जिसे वह ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा" **के स्थान पर** "अधिरोपण कर सकेगा या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे" **प्रतिस्थापित किया जाए;** (20)

पृष्ठ 16,–

पंक्ति 41-42 **के स्थान पर** निम्नलिखित रखें,–

"(3) कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसा अनुभव या ऐसा विधिक या न्यायिक अनुभव न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।" (21)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 51—पदावधि

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 17,–

पंक्ति 28-29 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**,–

"51. किसी साइबर अपील अधिकरण की पीठासीन अधिकारी उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पदधारण करेगा।"। (22)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 51, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 52 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 57—साइबर अपील अधिकरण को अपील

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 21-22 में, "न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **के स्थान पर** "नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (23)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 26 में, "न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **के स्थान पर** "नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (24)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 36 में, "न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **के स्थान पर** "नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा" **प्रतिस्थापित किया जाए**; (25)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 58 से 65 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री प्रमोद महाजन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 26 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 की सरकारी संशोधन संख्या 26 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 65क

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 20,–

कम्प्यूटर प्रणालियों की हैकिंग

पंक्ति 19 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**,–

"65क. (1) जो कोई जनता या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने के आशय से या यह

जानते हुए कि उससे सदोष हानि या नुकसान कारित होने की संभावना है, कम्प्यूटर संसाधन में रखी गई किसी सूचना को नष्ट करेगा या मिटाएगा या परिवर्तित करेगा अथवा उसके मूल्य या उपयुक्तता में ह्रास करेगा या उसे किसी साधन द्वारा हानिकारक रूप से प्रभावित करेगा, वह हैकिंग करता है।

(2) जो कोई हैकिंग करेगा वह तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।'' (26)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 65क विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 65क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 66—इलेक्ट्रानिक प्ररूप में अश्लील सूचना प्रकाशित करना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 24 में, ''दो वर्ष'' **के स्थान पर** ''पांच वर्ष'' **प्रतिस्थापित किया जाए**; (27)

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 24-25 में, ''पच्चीस हजार रुपए'' **के स्थान पर** ''एक लाख रुपए'' **प्रतिस्थापित किया जाए**; (28)

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 26 **के स्थान पर निम्नलिखित रखें,-**

''दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक''। (29)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 66, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 67 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 78—नेटवर्क सेवा प्रदाताओं का कतिपय मामलों में दायी न होना

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, क्या आप संशोधन सं. 38 पेश कर रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 22,-

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए:** -

''78(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई नेटवर्क सेवा प्रदाता प्रतिलिप्य अधिनियम, 1957 की धारा 51 के अधीन किए गए किसी भी अपराध के लिए दायी होगा।'' (38)

परंतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि कॉपीराइट एक्ट में उचित संशोधन किया जाएगा, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा श्री रूपचन्द पाल द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 78 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 79—प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्ति

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 22, पंक्ति 24,-

''बिना'' **के स्थान पर**

[श्री रूपचंद पाल]

"समुचित तथा विधिमान्य के साथ" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (39)

पृष्ठ 22,-

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाए**-

"(1क) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की दशा में संबंधित पुलिस अधिकारी को देश की विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा।" (40)

मैं दो संशोधन इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन और नामी वकील श्री अरुण जेटली द्वारा किए हस्तक्षेप से मैं आश्वस्त नहीं हुआ हूं, क्योंकि बिना वारंट के गिरफ्तारियां *...(व्यवधान)* हमें फेरा और टाडा का अनुभव है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, आप पहले ही चर्चा में भाग ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल: मेरा संशोधन है, "बिना" शब्द के स्थान पर, "समुचित तथा विधिमान्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल: मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 और 40 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, संशोधन संख्या 40 का क्या हुआ? मैंने उस संशोधन पर नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय: आपने संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत किए थे। अब आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 79 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 79 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 80 से 85 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 86—नियम बनाने की केन्द्र सरकार की शक्ति

किए गए संशोधन

पृष्ठ 23, पंक्ति 30 में, "राजपत्र" **के स्थान पर** "राजपत्र और इलेक्ट्रानिक राजपत्र" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (30)

पृष्ठ 23, पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाए**-

"(क) धारा 17 के अधीन नियंत्रक, उपनियंत्रकों और सहायक नियंत्रकों की अर्हताएं, अनुभव और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें"। (31)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 86, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 87 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 88—विनियम बनाने की नियंत्रक को शक्ति

किए गए संशोधनः

पृष्ठ 25, पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाए:**

"(छ) वह रीति जिसमें ग्राहक धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी को प्राइवेट कुंजी के जोखिम में पड़ जाने की सूचना देगा।" (32)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 88, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 88, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 89 से 93 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

तीसरी अनुसूची

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 32

पंक्ति 10-11 में, "अथवा इलेक्ट्रो-चुम्बकीय भण्डारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप" **के स्थान पर** "अथवा इलेक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भण्डारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप **प्रतिस्थापित किया जाए।** (33)

पृष्ठ 32, पंक्ति 25 और 26 में,

"किसी इलेक्ट्रो-चुम्बकीय आंकड़ा भंडारण युक्ति में भण्डारण आंकड़ों के मुद्रित पृष्ठ हों।" **के स्थान पर** "किसी फ्लापी, डिस्क, टेप या किसी अन्य इलेक्ट्रो-चुम्बकीय द्वारा भण्डारण युक्ति में भंडारित डाटा के मुद्रित पृष्ठ हों" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (34)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड एक–संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, लागू होना

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 2, पंक्ति 6

"1999" **के स्थान पर**

"2000" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 2, पंक्ति 3

"पचासवें वर्ष" **के स्थान पर**

"इक्यावनवें वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

(श्री प्रमोद महाजन)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधत रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.28 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रमोद महाजन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.29 बजे

संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री प्रमोद महाजन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के उधना और भुसावल के बीच रेललाइन का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मान सिंह पटेल (मांडवी): अध्यक्ष महोदय, उधना भुसावल रेल लाइन एकहरी लाइन है और इस लाइन में काफी यातायात हो

सकता है। यह लाइन आदिवासी और अति पिछड़े इलाके में है। इस इलाके के लोगों की जमीन कई परियोजनाओं में चली गई है जिसके कारण इन लोगों को अपनी रोजी-रोटी के लिए सूरत और बारडोली जाना पड़ता है किन्तु सुबह और शाम को इस इलाके में कोई रेल सेवा नहीं है जिसके कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यातायात के अन्य साधन नहीं हैं।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उधना और भुसावल के बीच एकहरी लाइन को दोहरी लाइन किया जाये और इस मार्ग पर ई.एम.यू. रेल सेवा तुरन्त दी जाये। जब तक यह व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक अस्थायी रूप से कोई रेल सेवा तत्काल चलाई जाये।

(दो) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लालकार्ड का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट और मल्कानगिरी जिलों में तथ्यान्वेषी दल भेजे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर): महोदय, नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें नवरंगपुर, कोरापुट तथा मलकनगिरि जिले शामिल हैं, उड़ीसा के के.बी.के. जिलों का एक भाग है। इस क्षेत्र में जनजातीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है। वे अत्यधिक गरीब लोग हैं। भारत सरकार उन जिलों को चावल दे रही है ताकि वे जनजातीय लोगों सहित गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों के बीच चावल का वितरण कर सकें। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक कार्डधारक परिवार को 2 रुपये तथा 4 रुपये प्रति माह की दर से 20 किलोग्राम चावल प्राप्त होगा। परंतु, सर्वेक्षण इस तरीके से किया गया है कि उसमें धनी और प्रभावशाली लोग शामिल हैं तथा हजारों गरीब और जरूरतमंद आदिवासियों को भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे गरीबी रेखा से नीचे के चावल संबंधी लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा जा रहा है। इस कारण से उनके समक्ष भूख से मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

यदि ग्रामीण गरीब लोगों को तुरंत चावल की आपूर्ति नहीं की गई, तो कुपोषण के कारण उनकी मौत हो जाएगी।

अतः, संघ सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र नवरंगपुर, कोरापुट और मलकनगिरि जिलों में तथ्यान्वेशी शिष्टमंडल भेजे तथा राज्य सरकार को पुनः एक उचित सर्वेक्षण करने की सलाह दे और संबंधित लोगों को आवश्यक चावल उपलब्ध कराए जाने हेतु तत्काल प्रभावी व्यवस्था करे।

(तीन) मुम्बई में कंजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, कांजूर मार्ग, मुंबई स्थित साल्ट विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की भूमि पर 2,500 से अधिक झुग्गी-झोपड़ी वाले बस गए हैं। लोग वहां 25-30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। उन्हें पानी, सफाई, विद्युत आदि जैसी नागरिक सुविधाएं देने की समस्याएं अब भी विद्यमान हैं। इन सब मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किए जाने से संबंधित निर्णय मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप लिये जाने की आवश्यकता है। मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा करे।

(चार) नई दिल्ली-मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस को वापी में रोकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वी. पटेल (दमन और दीव): महोदय, मैं चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, बुलसर (गुजरात) तथा डहाणु (महाराष्ट्र) की जनता की यात्रा सुविधा के लिए न्यायसम्मत कार्यवाही की मांग करने हेतु यह मामला उठा रहा हूं। नई दिल्ली-मुम्बई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 2951/2952) बड़ौदा और मुम्बई के बीच वस्तुतः बिना किसी ठहराव के लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन को वापी में ठहराया जाना चाहिए, जिसे सुपर स्टेशन 'ए' ग्रेड के रूप में घोषित किया गया है तथा जो मुम्बई सेंट्रल और बड़ौदा के बीच लगभग आधी दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त, ट्रेन को वापी पर ठहराए जाने की व्यवस्था, राजधानी एक्सप्रेस के उस हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां से यह गुजरती है, में कम से कम एक ठहराव की व्यवस्था संबंधी सरकार की नीति के अनुरूप होगी। इससे चार निर्वाचन क्षेत्रों विशेषकर दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा क्योंकि वापी दमन और सिलवासा दोनों के नजदीक है। इसके अलावा, कोई भी रेल लाइन दमन और सिलवासा से होकर नहीं गुजरती है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह वापी पर इस राजधानी एक्सप्रेस को ठहराए जाने की व्यवस्था करे ताकि लोगों को इस कारण से हो रही समस्याएं दूर की जा सकें।

(पांच) उड़ीसा में गोपालपुर और मध्य प्रदेश में रायपुर के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, यह मांग है कि गोपालपुर पोर्ट से रायपुर तक के मार्ग को उसके महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए कि यह भिलाई इस्पात शहर को गोपालपुर पोर्ट के साथ जोड़ता है। इसके फलस्वरूप खनिज की बहुतायत वाले विशाल भीतरी प्रदेश तथा गरीबी झेल रही जनसंख्या का विकास गतिविधियों से संबंध जुड़ जायेगा। यह राजमार्ग पिछड़े क्षेत्रों जैसे के.बी.के. जिलों में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए अवसंरचना को मजबूत करने की हमारी सरकार की नीति का भी एक भाग होगा।

राज्य सरकार द्वारा भी निर्माण विभाग के दिनांक 12.6.98 के पत्र सं. 14058 के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। मार्ग के संबंध में थोड़ा संशोधन किया जाना है। पहले, यह मार्ग रामपुर से अमत-बेलगांव तक जाता था, परन्तु जब बरगढ़-बोरिगुमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है, तो यदि मार्ग बेलगांव तक ले जाया जाए, तो इससे अतिछादन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अत:, मेरा सुझाव है कि मार्ग को भवानीपटना-खरियार-खरियार रोड-महासमुंद तक ले जाया जाए तथा महासमुंद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 से जोड़ दिया जाए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले का अध्ययन करे।

(छ:) भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और अन्य आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के पेंशन भोगियों के समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं तथा अन्य आश्रित समुचित चिकित्सा सुविधाओं के बिना अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अन्य विभागों के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं दी जा रही है। चूंकि उनकी हकदारी में अत्यधिक कमी कर दी गई है, अत: वे उचित आंतरिक चिकित्सा का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जब उनमें से किसी को किडनी खराब होने, ह्रदय अथवा कैंसर आदि की बीमारी होती है तो उसे अपने इलाज के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सेना अस्पतालों में उनके इन रोगों का इलाज करने से इंकार कर दिया जाता है।

दूसरी ओर, केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों तथा रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रमुख अस्पतालों में आवश्यक इलाज की सुविधा मिलती है और जब उनका इलाज निजी अस्पतालों में किया जाता है, तो भी उन्हें इलाज की रकम का भुगतान किया जाता है।

सैन्य बलों को अत्यधिक कठिन क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है, जहां उनमें से कुछ को स्थानिक बीमारियां हो जाती हैं। इस संबंध में आश्चर्यजनक और खेदजनक बात यह है कि उन्हें जब ऐसे समय अर्थात् सेवानिवृत्ति के बाद इलाज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तब उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है।

इन समर्पित कार्मिकों को न्याय दिये जाने के लिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन्हें वही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे जो केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सेवारत सैन्य बलों को दी जा रही हैं। सेना अस्पतालों में निधि आवंटन बढ़ाया जाए ताकि भूतपूर्व सैनिकों की तरफ उचित ध्यान दिया जा सके। उन्हें प्रमुख अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जानी चाहिए तथा सेना अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जाए।

उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मैं मांग करता हूं कि वीर नि:शक्त सैनिकों, उनके परिवारों और आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की जाए।

(सात) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उद्योग के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुंटूर): महोदय, तम्बाकू उद्योग भारत सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में 7,000 करोड़ रुपए का योगदान करता है और निर्यात के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है तथा इस प्रकार हमारे देश में राजस्व में लगातार सबसे अधिक योगदान कर रहा है। यह एक सच्चाई है कि न तो घरेलू और न ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई खरीदार हैं इसलिए यह भारत सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाये रखने के लिए आंध्र प्रदेश के तम्बाकू कृषकों के बचाव के लिए आगे आए।

किसानों की 1999-2000 की उपज का संचित भण्डार 150 मिलियन किलोग्राम है। इसमें से घरेलू उत्पादकों तथा निर्यातकों ने तम्बाकू बोर्ड से 103 मिलियन किलोग्राम की मांग की है। व्यापारियों द्वारा अभी तक न बेची गई और रोक कर रखी गई 1998-99 की अतिरिक्त फसल लगभग 50 मिलियन किलोग्राम है और 6 मिलियन किलोग्राम एस टी सी तथा तम्बाकू उत्पादक सोसायटी के पास है। उपर्युक्त कारणों की वजह से किसान 2000-2001 के मौसम हेतु फसल अवकाश की घोषणा स्वीकार करने के इच्छुक हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों को फसल अवकाश की सफलता हेतु वैकल्पिक फसलों की योजना बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू कृषकों को हर प्रकार का संभव प्रोत्साहन देना चाहिए।

उत्पाद शुल्क राजस्व के उद्देश्य से तथा एक सांविधिक निगम के रूप में कार्य करने हेतु भारत सरकार द्वारा तुरंत एक मूल्य स्थिरीकरण निगम की स्थापना की जानी चाहिए। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों तथा मुख्य मंत्री के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त तथा वाणिज्य मंत्रियों को एक प्रतिवेदन दिया है।

मैं, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान संकट का समाधान करने तथा फसल को नियंत्रित करने, जैसा कि तम्बाकू उद्योग ने प्रस्ताव किया है, के लिए एस टी सी तथा तम्बाकू बोर्ड को सख्त आदेश दें। मेरा यह भी अनुरोध है कि कथित संचित भंडार को विदेशी राष्ट्रों, जिनसे वस्तु-विनिमय सौदे अथवा उधार प्रणाली के द्वारा भण्डार खरीदने हेतु सम्पर्क किया जा सके को निर्यात करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(आठ) नीलांचल एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से होकर प्रतिदिन चलाए जाने और उसे वहां पर रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र 47 मछलीशहर, उत्तर प्रदेश जो दो जनपद, जौनपुर के तीन विधान सभा तथा प्रतापनगर के दो विधान सभा क्षेत्र से गठित है, इन पांच विधान सभा क्षेत्रों में रहने वाले अनुमानित 15 लाख जनता के लिए मात्र एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मुंगरा बादशाहपुर है। मुंगरा बादशाहपुर की आबादी 1 लाख के लगभग है जो किसी जनपद मुख्यालय से अधिक है। यह मछलीशहर का सबसे बड़ा बाजार है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र सतरिया भी मुंगरा बादशाहपुर है जहां सैकड़ों उद्योग हैं।

यहां हजारों यात्री प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष से आते जाते हैं किन्तु नीलांचल एक्सप्रेस मुंगरा बादशाहपुर में रुकती नहीं है। मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर में आता है किन्तु जौनपुर इस लाइन पर नहीं है। अतः जौनपुर तथा मछलीशहर की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल लाइन का अभाव है। एक ही लाइन है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्र मुंगरा बादशाहपुर हो करके प्रतिदिन नीलांचल चलाई जाए एवं मुंगरा बादशाहपुर में नीलांचल का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

(नौ) महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं को दूर किये जाने की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाणा औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है जिसके कारण इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। यहां पर छोटे-छोटे व्यावसायिक अपना व्यवसाय भारत सरकार की प्रधान मंत्री रोजगार योजना की सहायता से चलाते हैं। बैंकों द्वारा अधिक से अधिक व्यावसायिकों को ऋण उपलब्ध कराने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अतः सरकार से मैं विनती करता हूं कि बुलढाणा जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास शीघ्र गति से करने के लिए इस क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकों को आदेश दे कि ऋण सहायता देने में सरलता लाएं और अधिक से अधिक युवकों को ऋण सहायता दिलाई जाए।

(दस) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू किये जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बान्दा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों और विशेष रूप से बांदा और चित्रकूट जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 में कई करोड़ रुपयों की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। अकेले जिला ग्राम विकास अभिकरण चित्रकूट को करीब दो करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। यह धनराशि भारत सरकार के शासनादेश सं. बी-24025/24/99-आर./ई.-1/37, दिनांक 8.9.99 के द्वारा पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु दो किश्तों में अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु 68 लाख 63 हजार रुपए नए कार्यों के लिए स्वीकृत कर दिए गए। उसके कुछ महीनों बाद पुनः 3 लाख रुपए की धनराशि उपरोक्त कार्यों के लिए स्वीकृत कर दी।

[श्री राम सजीवन]

आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र सं. आर.-2/500 वि.का. ग्रामीण रोजगार दिनांक 7.2.2000 के क्रम में सुनिश्चित रोजगार योजना की नवीन गाइड लाइन्स के पैरा 4.7 के अनुसार कार्यों की स्वीकृति (वार्षिक कार्य योजना) स्थानीय सांसद की सलाह पर दी जाएगी, परन्तु कार्यों की स्वीकृति देने में सांसदों से कोई सलाह नहीं ली गई।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार और सदन का ध्यान आकर्पित करके तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

(ग्यारह) तमिलनाडु के दक्षिणी-पूर्वी तट पर भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल* (तिरुपत्तूर): महोदय, कई तटीय गांवों, विशेषरूप से तमिलनाडु के तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, नेलाई तथा कन्याकुमारी जिलों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। तमिलनाडु के इन गांवों में रहने वाले लोग जिनका प्राचीन काल से यह परम्परागत व्यवसाय रहा है, अब बंगाल की खाड़ी में विशेषरूप से पार्क स्ट्रेट्स तथा मन्नार की खाड़ी के समीप अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। शास्त्री-सिरिमाओ समझौते के परिणामस्वरूप कच्छातिवु नामक एक छोटा द्वीप (जो सुतुपति राजवंश के भारतीय राजसी राजाओं के अधिकार क्षेत्र के अधीन था) श्रीलंका को सौंपा गया था। अब यह समझा जाता है कि वहाँ श्रीलंका नौसेना ने अपने शिविर लगा लिए हैं और तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों पर बिना किसी कारण के गोली चलाती है। अभी तक 500 से अधिक भारतीय मछुआरे मारे जा चुके हैं। श्रीलंका के नौसैनिक भारतीय मछुआरों की नावों को जब्त कर लेते हैं। वे मछली पकड़ने के जालों को बर्बाद करके तथा पकड़े गए माल को लूट कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह मत्स्य उद्योग को बहुत प्रभावित करता है।

कभी-कभी वे हमारे भारतीय मछुआरों को कैदी बना लेते हैं और उन्हें जेलों में डालने के लिए श्रीलंका की धरती पर ले जाते हैं। अत: इन मछुआरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि भारतीय मछुआरों, जिन्हें अपना मछली पकड़ने का व्यवसाय जारी रखने का स्वाभाविक अधिकार है, के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थायी समाधान खोजने के लिए इस मामले पर श्रीलंका के अधिकारियों के साथ बात करें। वे शताब्दियों से उस क्षेत्र से संबंधित हैं जो अब बिल्कुल भारतीय आर्थिक क्षेत्र है और इसलिए भारत सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

*मूल रूप से तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

(बारह) हरियाणा में सिरसा और डबवाली नगर में उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): हरियाणा राज्य के सिरसा नगर के बीचोंबीच से नेशनल हाइवे नं. 10 को पार करती हुई रेल लाइन बनी हुई है जिस पर रेलगाड़ी के आने पर, सड़क पर बना रेलवे फाटक सुरक्षा के लिए बंद करना पड़ता है। परिणामस्वरूप शहर में यातायात जाम हो जाता है और शहर का जन-जीवन ही मानो ठहर सा जाता है। ठीक इसी प्रकार की हालत मेरे संसदीय क्षेत्र के दूसरे शहर डबवाली की है। वहां भी शहर के अंदर रेल लाइन है। गाड़ी आने पर यातायात बन्द करने से नगर का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

अत: मेरा आग्रह है कि उक्त शहरों में फ्लाई ओवर पुलों का निर्माण कराया जाए। इसके अतिरिक्त निकटस्थ मट्टू मण्डी और मट्टू गांव के बीच रेल लाइन गुजरती है। यह मट्टू गांव का मुख्य यातायात मार्ग मट्टू गांव के लिए सरकारी कालेज के सामने से है क्योंकि अधिकतर गांव की जमीन इसी ओर रेल लाइन के पार है परन्तु यहां कोई रेल लाइन पर फाटक नहीं। अत: हमेशा ही सुरक्षा का संकट बना रहता है।

अत: मेरा आग्रह है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पूर्व ही यहां रेल फाटक बना दिया जाये ताकि अनहोनी की आशंका समाप्त हो।

अपराह्न 4.51 बजे

डाक और दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 18 पर चर्चा करेंगे। श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम योजना के अनुच्छेद 21 के अनुसार डाक तथा दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 21.2.83 को 1980 केसी.ए. संदर्भ सं. 9(क) में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है, क्योंकि अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दोनों विभागों पर 1999 तक लगभग 2250 करोड़ रुपये का कुल व्यय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समकक्ष कर्मचारियों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् योजना के अनुच्छेद 21 के अनुसार डाक तथा दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 21.2.83 को 1980 के सी.ए. संदर्भ सं. 9(क) में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है, क्योंकि अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दोनों विभागों पर 1999 तक लगभग 2250 करोड़ रुपये का कुल व्यय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समकक्ष कर्मचारियों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।"

अध्यक्ष महोदय: एक घंटे का समय आवंटित है। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है। नियम 177 कहता है:

"यदि ऐसे संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि संकल्प प्रस्तुत किया जाये तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

अब, हमने संकल्प प्रस्तुत किये जाने से एक दिन पूर्व संशोधन प्रस्तुत कर दिया है परन्तु महोदय आपने हमारे संशोधन की अनुमति नहीं दी। नियम के अंतर्गत यदि संकल्प एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो सदस्यों को संकल्प पर अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। महोदय, आपका क्या निर्णय है?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैंने भी यह दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कृपया नियम 344(2) देखें जिसमें कहा गया है:

"ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत थे।"

मेरा विचार है कि यह आपकी बात का प्रत्युत्तर है।

श्री बसुदेव आचार्य: नही, महोदय। जब तक इसे परिचालित नहीं किया जाता और जब तक सदस्य यह नहीं जाने कि इसका नकारात्मक प्रभाव होगा तब तक इस खण्ड को रखने का क्या उद्देश्य है? सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का हक है। हमारा संशोधन पूरे संकल्प को नकारात्मक बनाने वाला नहीं है। इसका तो आंशिक असर है। फिर, इस संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और माध्यस्थम जहां कर्मचारी न्याय प्राप्त कर सकते हैं का क्या उपयोग है? सरकार माध्यस्थम के अधिनिर्णय को अस्वीकार कर रही है। यह सही नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं सोचता हूं कि नियम 344(2) के अनुसार नकारात्मक प्रभाव वाले संशोधनों की अनुमति नहीं दी जा सकती। सदस्य संकल्प के विरुद्ध मतदान करके अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम ऐसा करेंगे परन्तु हमें अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, जब आप मुझे बुलायेंगे तो मैं बोलूंगा, परन्तु मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करना है।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

महोदय, मेरे संशोधन को उचित रूप से परिचालित किया गया है। यह आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला आपका नाम वहां है।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, जब भी आप मुझे बुलायेंगे, मैं बोलूंगा, परन्तु प्रारम्भ में मुझे एक संशोधन प्रस्तुत करना है ताकि यह सभा के सामने आये। जब प्रस्ताव लाया जाता है, जब संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन जब मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूंगा और आप मेरा नाम पुकारेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। अब मेरा संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत है। यही प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं?

श्री जी.एम. बनातवाला: हाँ, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ जब भी आप बुलायेंगे मैं अपने संशोधन के बारे में बोलूंगा। परन्तु मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्तुत करता हूँ:

संकल्प में:

(एक) ''सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है'' के स्थान पर ''सरकार के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस करती है'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) ''क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दोनों विभागों पर 1999 तक लगभग 2250 करोड़ रुपए का कुल व्यय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समकक्ष कर्मचारियों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा।'' का लोप किया जाए। (1)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आप पहले ही अपना संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आपको भी मालूम होना चाहिए कि संशोधन क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यद्यपि मैं देश और सरकारी खजाने, दोनों के संबंध में वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार की चिन्ता की सराहना करता हूँ लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से हमारे देश में स्थापित प्रक्रिया और मानदण्डों का निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों के साथ-साथ सरकारी विभागों में ऐसी वित्तीय सहायता देने में पालन नहीं किया जाता है, जो देय हो और समझौते के कारण मिली हो। इसे पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया है। मुझे श्री राम विलास पासवान, जो एक प्रतिष्ठित मंत्री है, के लिए बहुत दुख है क्योंकि उन्हें इस संकल्प की अगुवाई करनी थी और वह अपने सम्पूर्ण जीवन में केवल इस बात के पक्षधर रहे हैं कि कर्मचारियों को उनकी देय राशि का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए तो भी यह विडंबना ही है कि उन्हें इस संकल्प को प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मैं उनके दिल की बात जानता हूँ कि वह इसे नहीं करना चाहते थे, किन्तु उन्हें सरकार के आर्थिक दबाव के आगे झुकना पड़ा है।

महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा। मैं केवल तीन मुद्दों पर बोलूंगा।

अपराह्न 4.59 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए)

यह मार्ग अपनाने से पहले और शाम के धुंधलके में इस संकल्प के साथ सभा में आने से पहले क्या आपको कोई अन्य संभावना लगी थी। यदि भले ही यह पूरी राशि न मिलें तो भी क्या आपने और कोई तरीका जैसे थोड़ा थोड़ा करके किश्त दर किश्त, कुछ वित्तीय सहायता देने की संभावना का पता लगाया जिसके कि कामगार और कर्मचारी पंचाट के माध्यम से पाने के हकदार हैं? क्या आपने इसका पता लगाया है? मंत्री जी ने संकल्प में कहा है कि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों में कार्यरत इसी प्रकार के कर्मचारियों पर इसका समान रूप से प्रभाव पड़ेगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह भारत सरकार की आधिकारिक नीति का संकेत देता है कि सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के संबंध में दिये गये पंचाट के बारे में जब भी विभिन्न तरह के मध्यस्थता और पंचाट के कारण ऐसी स्थिति होगी तो सरकार द्वारा इन्हें स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा? क्या उन्हें भी वंचित किया जाएगा?

सरकार आयोग के निर्णय जैसे चौथे और पांचवें वेतन आयोगों का पक्ष लेती है। एक अन्य वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जायेगा। हो सकता है यह पिछली अथवा उससे पूर्व की सरकारों की गलती के कारण हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अब क्या इस दृष्टिकोण को सरकार ने नियमित रूप से अपनाया है, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की प्रक्रिया के माध्यम से संगठन में कार्यस्थलों में भविष्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में क्या स्थिति होगी?

अपराह्न 5.00 बजे

क्या यह बेकार साबित होगा? क्या इसे पूरी तरह से गैर प्रभावी माध्यम माना जाएगा? क्या इससे कर्मचारियों का ऐसे तंत्र से विश्वास नहीं उठ जाएगा, मध्यस्थ पंचाट को भूल जाइए? आप विभाग, संगठन के साथ सौहार्द कैसे बनाए रखेंगे? अथवा अपनी सेवाओं का कैसे योगदान देंगे। जिनके बारे में आपने बजट भाषण के माध्यम से सभा में प्रतिबद्धता व्यक्त की थी?

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं। सरकार से इन प्रश्नों का उत्तर देने का अनुरोध करता हूँ और चाहे यह सभा आपकी संख्या और बहुमत से आज इसे अस्वीकार कर दे तो भी क्या आप इस बात पर आगे पुनर्विचार करेंगे कि विभाग द्वारा कोई उपाय अथवा व्यवस्था करके कर्मचारियों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जायेगी।

श्री सुरेश कुरुप: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्यस्थता पंचाट का असर कम करने के लिए सरकार एक संकल्प ला रही है। पंचाट का मूल सिद्धांत दोनों पक्षों के लिए बाध्य होना चाहिए। संयुक्त परामर्श तंत्र के साथ लम्बे विचार विमर्श और कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद इस मुद्दे को मध्यस्थता पंचाट को सौंपा गया और जब यह मध्यस्थता पंचाट आता है, तो वह सरकार के लिए सहायक नहीं होता है अथवा यह सरकार के विरुद्ध जाता है, अत: इसके असर को कम करने के लिए सरकार इस संकल्प को ला रही है।

यह डाक तथा तार और दूरसंचार कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही मांग है कि उनके काम के बोझ को कम किया जाए। वे इसके लिए पिछले कई वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं और जब एक ऐसा निर्णय आया है, एक मध्यस्थता पंचाट, जिस पर पहले ही दोनों पक्ष सहमत थे और पंचाट में कहा गया है कि कार्य के घंटे कम किये जाने चाहिएं, सरकार इस संकल्प के साथ आ रही है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया है। अब सरकार ऐसे किसी भी पंचाट को निरस्त कर सकती है, जिसे वह स्वीकार करने की इच्छुक नहीं हो। इसलिए मध्यस्थता पंचाट के मूल सिद्धांतों में यह कटौती कानून के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए, मुझे इस संकल्प पर आपत्ति है और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संकल्प को वापिस ले और मध्यस्थक द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो संकल्प लाये हैं, मैं इस संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित हूं कि राम विलास पासवान जी जैसे मंत्री जी एंटी-वर्किंग क्लॉस, काम करने वाले के खिलाफ यह रिजोल्यूशन लाये है। वह आदमी जो काम करता है, मेहनत करता है, सरकार की सेवा करता है, जनता का काम करता है, उसके खिलाफ रिजोल्यूशन लाये हैं। सरकार का कानून है, इस क्लॉज में लिखा है, इस क्लॉज में है तो रिजेक्ट कर दें लेकिन सदन इसका भागी क्यों बनेगा? सदन इसका पार्ट क्यों बनेगा? हम लोगों को उसमें शामिल करने के लिए यह रिजोल्यूशन क्यों लाये हैं? जो काम कर रहा है, उसे मजदूरी मिले, तनख़्वाह मिले और सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारा इन पर आरोप है कि ये एंटी-वर्किंग क्लास हैं, यह सरकार काम करने वाले के खिलाफ है जबकि काम करने वाले के पक्ष में होना चाहिए, उसका शोषण क्यों होगा? हमारा आरोप है कि ये पंचद्रोही हैं। यह जो बिल लाये हैं, कहते हैं कि अवार्ड बना। अवार्ड क्या कोई हमने बनाया? क्यों इसे अवार्ड बनाया? ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी एंड कम्पलसरी आर्बिट्रेशन का निर्णय है कि 2250 करोड़ रुपये का इस पर कुल व्यय होगा और कहते हैं कि उसके निर्णय को यह लोक सभा खारिज कर दे। लोक सभा पंचद्रोही वाला काम क्यों करे? इस काम को करने की कहां गुंजाइश है। पंच की स्थापना हम लोगों ने नहीं की है। जाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी एंड कम्पलसरी आर्बिट्रेशन ने जो निर्णय दिया है, उसको खारिज करने के लिए सदन से मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा नाजायज काम हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग इसमें इनका साथ नहीं देंगे। इनका दावा है कि 1999 तक 2250 करोड़ रुपया खर्च होगा और फिर 250 करोड़ रुपया हर साल खर्च होगा। इससे लगता है कि पंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया है और ये सदन से एक रिजोल्युशन पास करके वर्किंग क्लास का गला काटना चाहते हैं, हम लोगों से समर्थन चाहते हैं और सदन में संकल्प लेकर आए हैं। पहले हमने संकल्प को पढ़ा नहीं था, सोचा कि मंत्री जी ठीक ही लाए होंगे, देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, लेकिन ये तो वर्किंग क्लास का गला काटकर कह रहे हैं कि इससे देश की अर्थ व्यवस्था सुधर जाएगी। शोषण करने से देश की अर्थ व्यवस्था सुधर जाएगी, यह किस प्रकार की इकोनोमी है, समझ में नहीं आ रहा है। जिस देश में काम करने वाला आदमी पीड़ित रहेगा, उस देश की अर्थ व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): आप भी मंत्री रह चुके हैं। पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों को मानकर हम लोग आज तक लड़खड़ा रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंचम वित्त आयोग की सिफारिशें कोई केन्द्र में ही लागू नहीं हुई हैं, प्रदेशों में भी लागू हुई हैं। काम करने वाले लोगों का शोषण करके अर्थ व्यवस्था नहीं सुधर सकती है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : जितनी सिफारिशें की हैं, उससे ज्यादा ही दिया है, जिसकी वजह से हम आज तक लड़खड़ा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, यह बैठने का प्रश्न नहीं है। इसकी वजह से जीडीपी 58 प्रतिशत तक चला गया है। कम से कम इस बारे में तो सोचना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो आदमी काम करता है, मेहनत करता है, उसके खिलाफ में यह संकल्प है। मेहनत करने से अनाज पैदा होता है, मेहनत करने से कारखाना चलता है, मेहनत करने से कपड़ा बनता है, मेहतन करने से घर बनता है, केवल यहां बैठकर मंत्र पढ़ देने से देश का भला होने वाला है। देश का भला तब ही हो सकता है, जब हम इन काम करने वालों के हित में काम करें। मैं आश्चर्यचकित और दु:खी भी हूं कि सरकार संकल्प के द्वारा इस तरह का काम कर रही है। मेरे विचार से सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार गरीब आदमी के पक्ष में किसी एक काम को बताए कि उसने गरीब के पक्ष में काम किया है। सरकार ने पीडीएस में दाम बढ़ा दिए, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिए, चीनी के दाम बढ़ा दिए, सरकार एक के बाद एक गरीबों पर हमला कर रही है और दूसरी तरफ एक भी अरबपति या खरबपति के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। इस पर भी वे सदन में संकल्प लाए हैं और कह रहे हैं कि इसका समर्थन करें। पंच ने वर्किंग क्लास के पक्ष में फैसला दिया है। वर्किंग क्लास अगर काम नहीं करेगी, तो आपका एक भी टेलीफोन काम नहीं करेगा, सारा फोन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप उस निर्णय को लोक सभा से माध्यम से खारिज कर रहे हैं। इस तरह का काम करने के लिए हम सहभागी नहीं हैं। अगर सरकार इस तरह से अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने वाली है, तो इसको आप अपने आप ही रिजैक्ट कर दीजिए और हम भाषण करके छोड़ देंगे। ये गलत काम लोक सभा में ले आए कि लोक सभा पंच बनकर फैसला दे। कोई सरकार पंच द्रोही हो सकती है लेकिन यह सदन पंच द्रोही नहीं हो सकता और हम लोग एंटी वर्किंग क्लास के किसी निर्णय में सहभागी नहीं हैं। हम मेहनतकशों का शोषण करने वाले नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* आज से नहीं, बहुत पहले से हमारा इनका संघर्ष है - ''कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा।'' अगर कमाने वाले के खिलाफ पासवान जी का संकल्प आए और लोक सभा उसे मंजूर करे, ऐसा नहीं होने वाला है। डा. लौहिया जी का नारा था कि - ''कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा।'' हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं लेकिन इन्हें बराबर याद है। भाजपा के साथ गए हैं तो भी ये गरीब लोगों के बीच में यही भाषण करते हैं और गरीबों के लिए बोलते रहते हैं। इस सदन में जो यह प्रस्ताव लाए हैं, इससे गरीब आदमी को पता चलेगा कि पासवान जी ऐसा प्रस्ताव लाए हैं। अगर भाजपा वाले लाते तो हम समझते कि इन्हें गरीबों से क्या मतलब, ये गरीबों के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब पासवान जी लाए हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): पासवान जी गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए आप इसका समर्थन करिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इस बात का समर्थन करें कि पंच फैसला कमाने वाले के पक्ष में दे दिया। ...*(व्यवधान)* ढाई सौ करोड़ रुपए सालाना दीजिए - यही कहते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इस अर्थशास्त्र के हिसाब को भी हम मानने वाले नहीं हैं। गरीब का शोषण करने से अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती, कुव्यवस्था हो जाएगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए हम इस संकल्प का घोर प्रतिवाद करते हैं। इन्होंने अपने भाषण में गरीबों के पक्ष में और वर्किंग क्लास के पक्ष में क्या-क्या नहीं कहा है। जब यह रेल मंत्री जी थे तो बराबर भाषण में कहते थे कि हमने एक मजदूर को बहाल कर दिया, उसका फायदा किया, लेकिन भाजपा के साथ जाकर इन्हें पता नहीं क्या हो गया। सब पुरानी बातें खत्म हो गई। हम लोगों ने जो डा. लौहिया जी का सिद्धान्त याद किया हुआ था कि कभी भी वर्किंग क्लास के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, उसका हम पक्ष लेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसे सहूलियत देंगे, लेकिन उसका शोषण हुआ है। उनका शोषण करके, धन जमा करने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, इसलिए हम इस संकल्प का घोर प्रतिवाद करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि अभी भी जब ये पुराना फार्मूला याद करेंगे तो इन्हें यह संकल्प वापस ले लेना चाहिए और वर्किंग क्लास के पक्ष में निर्णय होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद आज के बाद अचानक राज्य सरकारें कंगाल हो गई हैं। वे केन्द्र से भीख मांगती फिर रही हैं। पहले, कर्मचारियों के वार्षिक वेतन के रूप में लगभग 33,000

करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता था और पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद यह राशि बढ़कर दुगुने से भी अधिक अर्थात् 65,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गयी है। माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह शिकायत कर रहे थे कि यह सरकार उन कामगारों, गरीब लोगों के पक्ष में नहीं है, जो देश के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे अपने राज्य उड़ीसा में, एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर को 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है। यह सरकार द्वारा नियत की गई दर है। अब, यदि एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर को 25 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और उसे एक महीने में 30 दिन काम मिलता है जो उसे कभी नहीं मिलता - तो वास्तव में उसे केवल 750 रुपये की थोड़ी राशि ही मिलती हैं।

यही वह गरीब आदमी है, जिसके बारे में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बात कर रहे थे। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अथवा उड़ीसा सरकार के किस चपरासी को 750 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं? कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिसे अब 5,000 रुपये से कम मिलते हों। अब वह कहते हैं कि कर्मचारी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां कार्य के घंटों को कम करने की सिफारिश की गई है। पहले वह कुछ कार्य तो कर रहे थे और अब तो इस सिफारिश से उन्हें आप कम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वह कम कार्य करेगा और अधिक वेतन प्राप्त करेगा। यह कैसे संभव है?

इस वर्ष भारत सरकार का ब्याज भुगतान एक लाख और दो हजार करोड़ रुपये है। इस वर्ष हमारे पास विकास के लिए, अस्पताल, सड़कें, स्कूल आदि बनाने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 58,000 करोड़ रुपये रहे हैं। हम इनके लिए केवल 58,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं और इसका दुगुना राजस्व व्यय पर खर्च कर रहे हैं, जोकि स्वाभाविक रूप से अनुत्पादक है विशेषत: जैसे वेतन और अन्य मद।

इसके अतिरिक्त, अब हमें मध्यस्थकों द्वारा बताया जा रहा है कि आपको और 2,250 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। हम इसे लेकर क्या करें। यह एक अनुत्पादक व्यय है। इसलिए इसका भुगतान करना भारत सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार को किसी भी परिस्थितियों में मध्यस्थम बोर्ड द्वारा किए गए अनुरोध अथवा लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भारत सरकार दुधारू गाय नहीं है कि जब कभी कुछ निर्णय आएं, तो सरकार उसे दे दे।

अंत में, मैं माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा अभी प्रस्तुत किए गए संकल्प से सहमत हूं कि यह संभव नहीं है और इसे नहीं दिया जाना चाहिए। यह विश्व में अकेला देश है, जिसके बारे में अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती हैं, तो यहां सरकारी कर्मचारी, वेतन भोगी श्रेणी को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि मिलती है। किन्तु जब मूल्य घटते हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी कहते हैं: "आप हमारा वेतन कम कर दें?" मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत में किस अन्य श्रेणी के लोगों को मूल्य वृद्धि के विरुद्ध इस तरह का संरक्षण मिलता है। केवल सरकारी कर्मचारी ही हैं, जिन्हें यह सुविधा मिलती है। यदि पूरे देश में किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार अथवा लगभग पांच से छ: महीने की छुट्टियों के साथ उच्च वेतन मिलता है, तो वह केवल सरकारी कर्मचारी है। उन्हें और कितने अधिक विशेषाधिकार दिये जाने चाहिएं? इसलिए सरकार को बहुत सख्ताई बरतनी होगी और इस अनुरोध के आगे नहीं झुकना होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय राम विलास पासवान जी, देश में कितना टेलेंट है। मानसून सेशन में मंत्रिमंडल में परिवर्तन कीजिए और इतना टेलेंट है, उसको लाइए। देश में इकोनोमिक डिसीप्लेन आ जाएगा।

श्री खारबेल स्वाइं : पहले मिनिस्टर थे, अब नहीं हैं तो कष्ट तो होगा ही। मुझे उनके साथ सहानुभूति है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय सभापति महोदय, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के प्रचालन अधिकारियों के कार्य के घंटों संबंधी प्रश्न माध्यस्थम बोर्ड को भेजा गया था। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न वर्ष 1981 में माध्यस्थम बोर्ड को सी.ए. सन्दर्भ सं. 6 के तहत भेजा गया था तथा माध्यस्थम बोर्ड ने वर्ष 1983 में अपना पंचाट दिया था।

17 वर्ष तक सरकार पंचाट के बारे में सोयी रही तथा पंचाट और डाक तथा दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस 17 वर्ष की अवधि के दौरान, भिन्न-भिन्न सरकारें आयीं तथा चली गयीं और मैं यह कहता हूं कि ये सभी सरकारें, जो वर्ष 1983 से जब पंचाट दिया गया था, आज तक - वर्तमान सरकार और वर्तमान माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान - कर्मचारियों के प्रति निष्ठुर रवैया के लिए उत्तरदायी हैं। मैं केवल इस सरकार को दोष नहीं दूंगा क्योंकि पंचाट वर्ष 1983 में दिया गया था तथा 17 वर्ष बीत गए हैं। किन्तु तब भी, इस सरकार की संलिप्तता और इस सरकार का दोष अधिक है क्योंकि इसने पंचाट को पूरी तरह से नकार दिया है।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

महोदय, पहली बात तो यह है कि माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट पर कोई निर्णय लेने में सरकार द्वारा 17 वर्ष की इस इतनी अधिक देरी करने का हमें कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। हम अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनकी मांगों को कैसे ले रहे है? अभी विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचाट पर निर्णय लेने में 17 वर्ष का यह विलम्ब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की समग्र व्यवस्था का उपहास है। आप 17 वर्ष तक पंचाट को लिए बैठे रहे तथा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मुझे उर्दू में एक शेर याद आता है। उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने कहा है:

[हिन्दी]

''हमने माना कि तगाफुल न करेंगे लेकिन
खाक हो जायेंगे, हम तुमको खबर होने तक''

ہم نے مانا تغافل نہ کروگے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

आपने हमारे कर्मचारियों और उनकी मांगों के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट पर निर्णय लेने में 17 वर्ष ले लिए। यह पहला मुद्दा है जो मैंने उठाया है।

हमें आगे चलना चाहिए। आज, सरकार किस आधार पर इस पंचाट को निरस्त कर रही है? महोदय, हमें बताया जाता है कि इसे वित्तीय आधार पर, पंचाट की वित्तीय अंतर्ग्रस्तता के कारण निरस्त किया जा रहा है। महोदय, सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य से उल्लेख करने की मुझे अनुमति दी जाये। इसमें कहा गया है:

''इससे विकास व्यय से गैर-उत्पादन व्यय में दुर्लभ संसाधनों का अपवर्तन होगा तथा इस प्रकार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

यह कैसा तर्क है। जब कभी कर्मचारी कोई मांग करेंगे तो सदैव ऐसे तर्क हमारे सामने आयेंगे कि यदि हम आपको भुगतान करते हैं, हम यह कार्य अथवा वह कार्य नहीं कर सकेंगे। महोदय, आपके पास कोई कर्मचारी हो सकता है। क्या आप अपने कर्मचारी से यह कह सकते हैं कि देखो, मैं आपका शोषण करता रहूंगा; देखो, मैं आपको पूरा भुगतान नहीं करूंगा; देखो, मैं आपकों कम भुगतान करता रहूंगा; यह इसलिए, क्योंकि मुझे अपने लिए एक अच्छी कमीज सिलवानी है तथा मैं अपने दुर्लभ संसाधनों का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहता हूं। यह कितना हास्यास्पद तर्क होगा।

महोदय, यदि आप माध्यस्थम की रिपोर्ट देखें तो आप यह पायेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को विस्तारपूर्वक लिया है। मैं उनकी रिपोर्ट से उद्धरण नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। किन्तु उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया है तथा यह कहा है कि केवल यह कहने से कि लागत बढ़ जायेगी, कर्मचारियों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

माध्यस्थम बोर्ड ने कहा था कि डाक और दूरसंचार के प्रचालन कर्मचारियों के साथ न्याय करने में लागत सरकार के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगी। इसलिए, महोदय, आप हमारे कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते हैं। हमें रास्ता खोजना होगा और हमें इसका उचित प्रकार से हल निकालना होगा। हमें रास्ता खोजना होगा और यह देखना होगा कि हमारे कर्मचारियों को उचित न्याय मिले।

महोदय, इस बोर्ड ने अन्य विभागों के कर्मचारियों के संबंध में शर्तों के प्रभाव के प्रश्न पर भी विचार किया था। बोर्ड ने उचित प्रकार से विचार करने के बाद उन तर्कों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि कर्मचारियों के साथ न्याय करने में ये कारण सरकार के रास्ते में नहीं आ सकते हैं। सरकार किसी भी बहाने से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती है। यह हमारी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की व्यवस्था को हास्यास्पद बना देगा। महोदय तो क्या वेतन आयोग के संबंध में यही रवैया अपनाया जाएगा। हमें इसे बहुत हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। हमें इसके लिए तौर-तरीकों की खोज करनी होगी। यह एक चुनौती है, कर्मचारियों को साथ न्याय करते समय इस चुनौती का सामना करना होगा; हमें राष्ट्र की आवश्यकताओं को भी देखना होगा; और जो सरकार इस चुनौती का सामना नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों को सत्ता में आना चाहिए जो इस चुनौती का उचित प्रकार और प्रभावी रूप से सामना कर सकते हैं।

मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि कितनी बचत हो सकती है। यह समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन का प्रश्न है तथा कर्मचारियों के प्रति इस निष्ठुर रवैये और उनके शोषण करने की बजाए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उचित प्रबन्धन की जरूरत है। सरकार को एक माडल नियोक्ता बनना होगा जिसका प्रत्येक नियोक्ता अनुसरण करे। लागत के आधार पर ऊपरी तौर पर निरस्त करने से उनके रवैये का पता चलता है।

महोदय, मुझे यह भी कहना है कि सरकार ने 17 वर्षों के बाद पंचाट को अस्वीकार कर दिया है। अब वे सभा को इसमें शामिल करना चाहते हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उचित

प्रकार प्रबंध नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है, यह सभा संयुक्त परामर्शी तंत्र के निष्कर्ष के रूप में तथा माध्यस्थम बोर्ड के निष्कर्ष के रूप में पंचाट को अस्वीकार करने में संयुक्त रूप से एक पक्ष होगी जिससे यह समग्र व्यवस्था हास्यास्पद हो जाती है।

महोदय, हमें लागत के बारे में क्या बताया जा रहा है? हमें लागत के बारे में बताया जा रहा है कि लागत बढ़ेगी। यह कैसे बढ़ेगी? महोदय, 460 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया जाना है। हां, इसमें आपने 17 वर्ष का समय ले लिया और यह उन 17 वर्षों की लागत है, क्योंकि पंचाट 1 अप्रैल, 1983 को लागू किया गया था। आपने 17 वर्ष बिता दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि बकाया राशि 460 करोड़ रुपये हो गयी है। किन्तु इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब सरकार यह तर्क कैसे दे सकती है कि ''कृपया हमारी चूकों को क्षमा कर दें, कृपया हमारे निष्ठुर रवैये और पंचाट पर 17 वर्षों तक सोये रहने के लिए हमें क्षमा कर दें''? अब, परिणामस्वरूप बकाया 460 करोड़ रुपये तक हो गया है और राष्ट्र इस बोझ को सहने की स्थिति में नहीं है। महोदय, यह हास्यास्पद रवैया है, यह लापरवाही है, यह, मैं कहूंगा, आपराधिक कार्य है, यह कामकाजी वर्ग विरोधी रवैया है, जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

महोदय, हमें बताया गया है कि पंचाट का पूर्व वित्तीय अनुमान 18.65 करोड़ रुपये आंका गया था, यह अब बढ़कर 54 करोड़ रुपये हो गया है। किन्तु ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मासूम कर्मचारियों जिन का शोषण हो रहा है उन्हें क्यों सजा दी जा रही है? मैं विभिन्न विभागों के 'प्रशासनिक कर्मचारियों' से अलग 'परिचालन कर्मचारियों' के शब्दावली के अंतर्गत एक विशेष समूह के बारे में बात कर रहा हूं।

महोदय, मैं उन 'परिचालन कर्मचारियों' की दुर्दशा पर विचार नहीं करूंगा, क्योंकि वह माध्यस्थम बोर्ड के विचाराधीन है। सभी बातों पर विचार करने के बाद माध्यस्थम बोर्ड ने एक विशेष निर्णय लिया है।

महोदय, मैंने केवल इस आशा के साथ संशोधन दिया है कि श्री राम विलास पासवान, जिन्होंने हमेशा कामकाजी वर्ग के हित में आवाज उठाई है, इस मंत्रालय में हैं। हम उनसे संकल्प वापस लेने के लिए कहना चाहते हैं। मेरा संशोधन यह है कि निरस्त के लिए प्रस्ताव वापिस सरकार को भेजा जाए। सभा इसे स्वीकार करने के लिए इस पर विचार नहीं कर रही है। महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री और सरकार से इस पर शांति से विचार करने के लिए कहना चाहते हैं। उन नारों के प्रति ईमानदार बनें जो आपने पहले लगाए हैं, उस सिद्धांत के प्रति ईमानदार बनें जो आपने इस विशेष मंत्रालय में आने से पहले बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप इस संपूर्ण मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे।

महोदय, संयुक्त परामर्शदात्री समिति योजना में भी कहा गया है कि यह सभा यहां-वहां थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती है। सरकार ऐसे संशोधन पर विचार कर सकेगी। इतने निष्ठुर न बने और इस सभा से संपूर्ण पंचाट को बिल्कुल निरस्त करने के लिए न कहें।

महोदय, यदि निरस्त प्रस्ताव संबंधी संशोधन सरकार को वापिस भेजा जाता है, और इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं इस सभा से इस संकल्प का पूरी तरह विरोध करने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मुझे इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

महोदय, इस मामले को सभी दलों की सहमति से विवाचन के पास भेजा गया था। कार्यवाही के दौरान साक्ष्य लिया गया था, मामले का आकलन किया गया और विवाचक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। यह संकल्प विवाचन के प्रभावों को समाप्त करने के लिए बना है। अब सभा को विश्वास में लिया जा रहा है। अन्य सभी बातों के लिए सरकार सभा को विश्वास में नहीं लेती परन्तु कानून के शिकंजे से बचने के लिए सरकार सभा को विश्वास में लेने लगी है। अब, प्रश्न यह है कि क्या हम जन-प्रतिनिधि के रूप में ऐसे खराब प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकते हैं जिसका डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार का पहला और प्रमुख कर्त्तव्य विवाचक द्वारा पास किए गए अधिनिर्णय को निष्पादित करना है।

तब मध्यस्थम कानून का क्या प्रभाव है? मध्यस्थम कानून संसद द्वारा भी पारित किया जाता है। जब कोई सरकार मध्यस्थम अधिनियम के संबंध में पारित किए गए अधिनिर्णय के बारे में अपनी वचनबद्धता का सम्मान नहीं करती तो क्या उस सरकार को कानून के अनुसार कार्य करने वाली सरकार माना जाना चाहिए? यदि विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों के समान स्तर के कर्मचारियों को वही राशि मिलती है तो यह लगभग 2,250 करोड़ रुपए होगी। यह विवाद काफी वर्षों से चला आ रहा है। मेरे सहयोगी श्री बनातवाला ने बताया कि इस अधिनिर्णय के आंकड़े विवाचन का विषय है। इसलिए विवाचन के विषय को इतने वर्षों से घसीटा जा रहा है अब मंत्री जी अधिनिर्णय को निरस्त करने के लिए इस सभा की अनुमति लेने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। मैं नहीं समझता

[श्री पी.एच. पांडियन]

कि सभा का कोई भी सदस्य ऐसे गैर-कानूनी तथा मनमाने प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा। क्या निर्णय को रद्द किया जा सकता है। यह अधिनिर्णय एक न्यायिक निर्णय के समान है। चूंकि यह सरकार के लिए असुविधाजनक है इसलिए यह अधिनिर्णय को निरस्त करने के लिए इस संकल्प को लेकर आई है।

यदि सरकार व्यय को कम करना चाहती थी तो इसे कोई अन्य विवाचक नियुक्त करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि कुछ मामलों में पहले विवाचक द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने के पश्चात्, यदि वह अधिनिर्णय एक अथवा सभी दलों के लिए असुविधाजनक होता है तो वे दूसरा नाम सुझाते हैं और दूसरा विवाचक नियुक्त किया जाता है। यदि सरकार द्वारा उसके अनुरूप प्रस्ताव की चर्चा की जाती तो इससे डाक एवं तार विभाग के कर्मचारी संतुष्ट हो गए होते। परन्तु संभवत: सरकार ने इस पर अपना दिमाग नहीं लगाया। मैं मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। मैंने उन्हें देखा है और समाचार पत्रों में उनके चित्र देखें हैं। मैं नहीं जानता कि किसने इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। शायद उनके विभाग ने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। क्या सरकार विवाचक की नियुक्ति करते हुए संसद के पास आई थी। यह बताया गया था कि सभा को पहले ही विश्वास में लिया गया था। क्या मंत्री जी में विवाचक की नियुक्ति करते समय सभा को विश्वास में लिया था। सरकार एक राज्य-व्यवस्था है। मंत्री जी तत्कालीन सरकार के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए राज्य-व्यवस्था की अवधारणा के अनुसार सरकार को विवाचक द्वारा पारित अधिनिर्णय को मानना पड़ेगा।

अधिनिर्णय की मात्रा को कम करने के लिए अन्य दलों की सहमति प्राप्त की जा सकती थी। अन्य दलों को बताया जा सकता था कि सरकार उक्त खर्च उठा रही है और अन्य कर्मचारी भी दूसरी मांग कर रहे हैं। यदि केवल दल इससे सहमत हुआ था तो सभा इसमें बहुत सीमित भूमिका अदा कर सकती है। मेरा कहना है कि सभा इस संकल्प का अनुमोदन नहीं कर सकती और इस सभा को इस संकल्प का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। इसमें लगभग दो से तीन हजार करोड़ रुपए लगे हो सकते हैं परन्तु सरकार को इसका आदर करना होगा। क्या सरकार व्यय की अन्य मदों का आदर नहीं कर रही है? सरकार को इस संकल्प को लाने से पूर्व सोचना चाहिए था कि इसे कर्मचारियों से किए गए वादे का सम्मान करना पड़ेगा।

कर्मचारियों के पास अपनी बात रखने के लिए कोई लॉबी नहीं है। कर्मचारियों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। कर्मचारियों को सरकार का कोई समर्थन नहीं है। यद्यपि कर्मचारी संगणित है फिर भी उन्हें शासक सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। विदेशी कम्पनियों को सरकार का समर्थन प्राप्त है परन्तु स्थानीय कर्मचारियों को सरकार का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। विदेशी कम्पनियों को सत्ता पक्ष के माध्यम से केबिनेट में और सभा में समर्थन प्राप्त है। परन्तु डाक एवं तार विभाग के इन कर्मचारियों के लिए समर्थन की पूर्ण कमी है।

महोदय, मेरा कहना है कि यह सभा लोगों की संरक्षक है। यह सभा इन कर्मचारी वर्गों के अधिकारों और सुविधाओं की अभिरक्षक है।

सभापति महोदय, आप उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने देखा है कि आप उस समुदाय के लिए तर्क प्रस्तुत करते रहे हैं और लड़ते रहे हैं। मैंने देखा है कि आपने विनिवेश नीति पर हमला किया था। परन्तु यह संकल्प किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह अधिनिर्णय को रद्द करने हेतु है। किसी अधिनिर्णय को रद्द करने का प्रावधान कहां है? सभा के पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं। यह सही है कि सरकार के रुपए को बचाने के लिए सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए। परन्तु हम कर्मचारियों के खर्च पर सरकार का रुपया नहीं बचा सकते।

सभापति महोदय : श्री पी.एच. पांडियन कृपया अब समाप्त करें।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, आपकी भी उनके हितों की रक्षा करने में रुचि है। मेरी भी उनके हितों की रक्षा में रुचि है। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

मैं जाने ही वाला था परन्तु जब मैंने यह संकल्प देखा तो मैं रूक गया। यहां तक कि मेरी फ्लाईट भी छूट गई परन्तु मुझे परवाह नहीं। परन्तु जब मैंने देखा कि यह सभा प्रस्ताव को इस प्रकार अनुमोदित करने जा रही है, मैं रूक गया। यह सभा इस प्रकार प्रस्ताव को कैसे अनुमोदित कर सकती है? क्या आप इसे अनुमोदित करेंगे? कल, यह आपके साथ भी हो सकता है।

सभा के पास पर्याप्त शक्तियां हैं पूर्ण विशेषाधिकार शक्तियां और पूर्ण संवैधानिक शक्तियां हैं। यह सरकार द्वारा शक्तियों का असंवैधानिक प्रयोग है। इसलिए हमें सरकार द्वारा शक्तियों के असंवैधानिक प्रयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर श्रमिक वर्ग, शोषितों और गरीबों का समर्थन करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): यह लोक सभा है, सरकार की सभा नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन : हां यह लोक सभा जनप्रतिनिधियों की सभा ही है। यहां हरेक इस सभा का हिस्सा है। इसलिए मैं सभा से सिफारिश करता हूं, क्योंकि मैं भी सभा का हिस्सा हूं, कि इस सभा को सर्वसम्मति से प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिए ..*(व्यवधान)*

यदि आप इन कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकते तो आप त्यागपत्र देकर चले जाएं। आप हमें सत्ता दें और हम 250 करोड़ रुपए देंगे। हमें पता है कि कैसे इस धन को सृजित किया जाना चाहिये। मैं यह खुलेआम कहता हूं। हम विदेशी कम्पनियों से कहेंगे और वे भुगतान करेंगी। आप विदेशी कम्पनियों से पैसा लेकर इन लोगों को क्यों नहीं देते? आप हर चीज को कानूनी बना रहे हैं? ...*(व्यवधान)* प्रत्येक चीज को अब कानूनी बनाया जा रहा है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सांख्यवाहिनी भी भुगतान कर सकती है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : इसलिए कहीं ओर से पैसा हासिल करें और इन लोगों को भुगतान करें। एक को लूटकर दूसरे को दे। प्रस्ताव सभा द्वारा रद्द होने दो। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों और खासकर बनातवाला जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अमेंडेंट मूव कर के इस विषय पर रोशनी डालने का अवसर प्रदान किया।

सभापति जी, सर्वप्रथम, इस विधेयक पर यहां जो चर्चा की जा रही है, मैं उसका कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जैसा कि सदन को मालूम है, डाक-तार विभाग के आपरेटिव स्टाफ के कार्य की कमी के संबंध में एवार्ड आफ बोर्ड आफ आर्टिट्रेशन से संबंधित है। जितने माननीय सदस्यों ने यहां पिक्चर दिखाई, खासकर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने, उन्होंने ऐसी पिक्चर दिखाई है कि गवर्नमैंट बहुत ही एन्टी वर्कर्स है, ऐसी है, वैसी है। पैसा का एवार्ड हो, इसके बारे में हमें अफसोस है। यहां प्रियरंजन दासमुंशी जी, पांडियन जी और बनातवाला साहब बोल रहे थे कि एवार्ड में पैसे का कहीं जिक्र नहीं है इसलिए क्या एवार्ड दिया गया है? एवार्ड यह दिया गया है कि आपरेटिव स्टाफ के 48 घंटे प्रति सप्ताह को घटाकर 45 घंटे सप्ताह किया गया है। उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्टॉफ की संख्या का मापदण्ड 48 घंटे के आधार पर ही होगा। इसका मतलब यह है कि जो 45 घंटे काम करेगा, उसको 48 घंटे के अनुरूप काम करना पड़ेगा। अभी छोटी सी बात को लेकर सारी फिलोसफी की जा रही है कि कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जायेगा, नया जमाना आयेगा - ये समझते हैं कि सब जगह बिहार ही है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री और कोई नहीं मिला है, आप ही मिले हैं। जगमोहन जी लाते, तब पूछते। ...*(व्यवधान)* आप ही को क्यों चुन लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : इसलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी अमैंडेमैंट मूव नहीं की। किसी ने भी अमैंडमैंट मूव नहीं की। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी, जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी दृष्टि से कोई चीज छुपी नहीं रहती है। वे जानते थे कि इसमें कुछ मामला नहीं है इसलिए इसमें क्यों अमैंडमैंट मूव किया जाये। बनातवाला जी लर्नेड हैं, लॉयर हैं और वकील का काम दोनों पक्ष की वकालत करना होता है - सही काम की भी वकालत करना और गलत काम की भी वकालत करना। स्वाभाविक है कि वह वकालत कर रहे हैं लेकिन इस पर किसी भी पोलिटिकल पार्टी के मैम्बर्स ने अमैंडमैंट मूव नहीं किया। अगर आप इतने सीरियस थे तो क्यों नहीं मैम्बर्स को जमा करके रखा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं एडवोकेट नहीं हूं। दूसरों को बनने दें।

श्री राम विलास पासवान : आप एक एडवोकेट से बेहतर हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं एडवोकेट नहीं हूं। दूसरों को बनने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप एक एडवोकेट से बेहतर हैं। यदि एडवोकेट नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि आपको एडवोकेट होना चाहिए था। यह मामला पालिसी से संबंधित नहीं है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि पालिसी से यह मामला संबंधित है। आप जानते हैं कि फिफ्थ पे कमीशन के कारण, जब हम रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय साढ़े छः हजार करोड़ रुपये का

[श्री राम विलास पासवान]

फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा था और 13 हजार करोड़ रुपये पूरे का पूरा था। उस समय लग रहा था कि यह कैसे होगा लेकिन हमने उसे करवाया। आज भी किसी एम्पलाई का मामला आयेगा, हमारे पोस्टल डिपार्टमैंट के कर्मचारी की हड़ताल का मामला आया, ई.जी. कर्मचारी का मामला है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार के सामने फाइनेंशियल क्राइसेस है लेकिन मिनिस्टर होने के नाते, सरकार का अंग होने के नाते वर्किंग क्लास के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, उसे हम कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें फाइनेंस का मामला नहीं है बल्कि घंटों का मामला है। मैं बतलाना चाहूंगा कि इसमें दो विंग हैं - एक आपरेटिव विंग और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। इन दोनों विंगों के काम में, 1967 से पहले ही एक विंग में 40 घंटे का काम था और दूसरे में 48 घंटे का काम था। आपने पे कमीशन की बात उठाई, मैं कहना चाहता हूं कि जब सैकिंड पे कमीशन 1959 में बना था और थर्ड पे कमीशन 1969 में बना था, यह मामला स्टाफ फेडरेशन द्वारा थर्ड पे कमीशन में ले जाया गया था। उस समय किसकी सरकार थी। यह मामला 1983 से जुड़ा हुआ है, 1983 से यहां कितनी सरकारें आईं? आज यदि फाइनेंशियल बोझ 2250 करोड़ रुपये का पड़ रहा है जबकि उस समय यह 100 करोड़ रुपये का मामला था, उस समय की सरकार ने क्यों नहीं इसे आसानी से मान लिया। यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि टेलीकॉम डिपार्टमैंट इसे मान ले, पोस्टल डिपार्टमैंट इसको मान ले, और भी डिपार्टमैंट हैं। आज यदि हम पैंडोरा बॉक्स खोलेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या रेलवे या डिफेंस पर पड़ेगा या नहीं - इसलिए कि नैचर ऑफ वर्क एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक डिपार्टमैंट में बढ़ा दिया और वह बीमारी वहीं खत्म हो गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि थर्ड पे कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सप्ताह में तीन घंटे बढ़ाने की अनुशंसा की है लेकिन सरकार ने 1973 में उसे रिजैक्ट कर दिया। बाद में स्टाफ साइड ने पोस्ट एंड टैलीग्राफ की जे.सी.एम. ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन स्टाफ और आफिशियल साइड में कोई सहमति नहीं हुई। 28.3.1980 को दोनों तरफ से फाइनल डिसएग्रीमेंट रिकार्ड कर लिया गया। फिर 24.6.1980 को बोर्ड आफ आर्बिट्रेटर में गया। उसने 21.2.1983 को एवार्ड दिया। जैसा मैंने बताया उस समय एवार्ड में दो बातें थीं, एक तो थी आपरेटिव स्टाफ के 48 घंटे से 45 घंटे एक सप्ताह में किए जाएं, दूसरा यह था कि स्टाफ की संख्या का मापदंड 48 घंटे के आधार पर ही होगा। प्रोसिजर यह है कि सरकार या तो स्वीकार करे, अगर नहीं करती है या संशोधन करना चाहती है या रिजेक्ट करना चाहती है तो उसे संसद में एक वक्तव्य देना होगा और उसका कारण भी बताना होगा। इसी प्रोसिजर के तहत हम यहां आए हैं। यह कोई पहली बार नहीं आए हैं, 25.8.1984 में भी संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य की एक-एक प्रतिलिपि रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि सरकार इस एवार्ड को अस्वीकार करती है। 16 साल पहले प्रियरंजन दासमुंशी जी, आपकी सरकार ने यहां रखा था, यह कहने के लिए कि हम इसको अस्वीकार करते हैं।

यह मामला फोर्थ पे कमीशन में गया, लेकिन उस समय वह गठित हो चुका था। उसने आपरेटिव स्टाफ के वर्किंग ऑवर्स के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के काम के घंटे 40 से बढ़ा कर 42.5 घंटे कर दिए गए। डाक विभाग ने इसकी जांच की और केबिनेट नोट तैयार करके 1988 के शुरू में केबिनेट के समक्ष रखा। केबिनेट की मंजूरी के बाद 28 मार्च, 1988 को राज्य सभा में और 29 मार्च, 1988 को लोक सभा के पटल पर अस्वीकृति का एक विवरण रखा गया। उसके बाद 28.10.1992 और 13.4.1993 में सचिवों की समिति ने अतिरिक्त विभागीय बोझ के आधार पर अस्वीकृत करने की सिफारिश की। आप जानते हैं 1992 और 1993 में कौन-कौन से मंत्रालय थे, यहां मणि शंकर अय्यर जी बैठे हैं, वे उस समय की सरकार के वित्तीय सलाहकार थे। उसके बाद 4.1.1994 को केबिनेट के सचिवों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और को एवार्ड अस्वीकार कर दिया और डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल को निर्देश दिया कि इसकी समीक्षा की जाए और तय किया जाए कि एवार्ड के रिजेक्शन के लिए संसद में संकल्प लाना होगा या सदन के पटल पर वक्तव्य रखा जाएगा। 1986 में राष्ट्रीय दूर संचार कर्मचारी फैडरेशन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की कि एवार्ड को अविलम्ब कार्यान्वयन हेतु सरकार को आदेश दिया जाए, क्योंकि विलम्ब हो रहा है। फैडरेशन ने यह भी कहा था कि सरकार ने अस्वीकार करते समय सही प्रोसिजर फालो नहीं किया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि क्या प्रोसिजर होगा इसलिए उसको एटार्नी जनरल के पास भेज दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने इसको मान लिया और ए.जी. के पास भेज दिया। एटार्नी जनरल ने राय दी कि इस सम्बन्ध में संकल्प लाया जाए। इसलिए यह मेरी तरफ से नहीं है, यह एटार्नी जनरल की तरफ से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेनडेट दिया था, उसके आधार पर यह लाया जा रहा है। 7 मार्च, 2000 को यह मामला केबिनेट में गया और केबिनेट ने एवार्ड रिजेक्शन सम्बन्धी संकल्प लाने की अनुमति दी और उसी के तहत यह संकल्प लाया गया है। इसलिए यह मामला वित्तीय असर का नहीं है, दूसरे विभागों में क्या असर होने वाला है, इसका भी है।

कई माननीय सदस्यों ने वित्तीय पेमेंट की बात कही। मैंने कहा कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो

काम के घंटे से है। उसके बाद 17 साल पहले क्यों नहीं एवार्ड लागू हुआ, यह पूछा जाना चाहिए था।

इसमें कोई ऐसा पाइंट नहीं है जिसमें जाने की जरूरत हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार हमेशा इस मामले में चिंतित रही है। हमें इस बात पर गर्व है कि जिस सरकार में मंत्री हूं, उस मंत्रालय में दस लाख इम्प्लायज हैं। चाहे वे टेलीकॉम के हों, चाहे डाक कर्मचारी हों या ई.डी. कर्मचारी हों, उनकी चिंता का, हित का, जब मैं रेल मंत्री था तब भी ध्यान रखता था, अब भी ध्यान रख रहा हूं। जब भी वर्किंग क्लास का मामला आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। रघुवंश प्रसाद जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जिसके पास काम है, उसके पास इज्जत नहीं है। जो इज्जतदार माना जाता है, उसके पास काम नहीं है और जो ज्यादा काम करता है, उसको कम पैसा मिलता है। जो कम काम करता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है, यह व्यवस्था जो चलाई गई है, उस व्यवस्था को हमें और आपको सब लोगों को मिलकर तोड़ना है। जन्म भर की गलती को एक ही बार में साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जहां वर्किंग क्लॉस के इंटरेस्ट का मामला है, वर्किंग क्लॉस के इंटरेस्ट के लिए हमें और आपको मिलकर लगना है लेकिन वर्किंग क्लॉस के नाम पर इसमें कहा गया है कि 48 घंटे से घटाकर 45 घंटा करो और 48 घंटे के काम को 45 घंटे में पूरा करना है, क्या यह वर्किंग क्लॉस के पक्ष में जाता है? इसलिए कोई मुद्दा नहीं है और मैं चाहता हूं कि जो रिजोल्यूशन हमने मूव किया है, इस रिजेक्शन के रिजोल्यूशन को आप सभापति जी पास करवाने का काम करें, इसी में वर्किंग क्लॉस की भलाई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला : हां, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं एक स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संकल्प केवल कार्य समय में कमी लाने के लिए है और इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। परन्तु संकल्प में वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख है और संकल्प में 2250 करोड़ रुपए का आंकड़ा वित्तीय प्रभाव के रूप में उद्धृत है।

इसी प्रकार इस अधिनिर्णय के संबंध में 14 मार्च, 2000 को एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया था।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं और काफी समय ले चुके हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : परन्तु उन्होंने सभा को भ्रमित किया है ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): जिस कार्य समय का ये उल्लेख कर रहे हैं वह इससे संबंधित नहीं है। यह अलग चीज है। ये सभा को भ्रमित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : खैर, महोदय, मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं और मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव को वापस सरकार के पास भेजे।

सभापति महोदय : मैं अब श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् योजना के अनुच्छेद 21 के अनुसार डाक तथा दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 21.2.83 को 1980 के सी.ए. संदर्भ सं. 9(क) में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है, क्योंकि अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दोनों विभागों पर 1999 तक लगभग 2250 करोड़ रुपये का कुल व्यय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समकक्ष कर्मचारियों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।"

जो संशोधन के पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्यगण : 'हां'।

सभापति महोदय : जो संशोधन के विरुद्ध हैं वे 'विपक्ष में' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : "नहीं।"

सभापति महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: निर्णय ''नहीं'' वालों के पक्ष में हुआ।

सभापति महोदय : क्या आप मत विभाजन के लिए आग्रह कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि जैसा बनातवाला जी ने कहा, किसी चीज को 48 घंटे से घटाकर 45 घंटे में आप करेंगे तो फाइनेंशियल इम्पलीकेशन तो आएगा ही लेकिन मैंने कहा कि जो उसका जजमेंट था, अवार्ड था, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं था। यह बात सही है कि फाइनेंशियली उसका बोझ भी पड़ेगा, जो 2250 करोड़ रुपया है और 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष में से सौ करोड़ रुपया पोस्टल डिपार्टमेंट का होगा, 150 करोड़ रुपया टेलीकम्युनिकेशन विभाग का होगा। इसके अलावा 2250 करोड़ रुपये में से अलग-अलग आप देखेंगे कि 620 करोड़ रुपया डाक विभाग का और 1630 करोड़ रुपया दूर संचार विभाग का होगा। इसके इम्पलीकेशन तो होंगे लेकिन जैसा मैंने कहा कि अवार्ड घंटा के लिए है और इसलिए रघुवंश बाबू, यदि इतने बड़े हाउस को आप डिवीजन में ले जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी ताकत को किसी बड़े काम के लिए बचाकर रखिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए बचाकर रखिए। इन तीन घंटे के लिए प्रयोग मत करिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसे पास करा दें। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् योजना के पैरा 21 के अनुसार डाक तथा दूरसंचार विभाग के प्रचालन कार्यालयों के कार्य समय में कमी करने के संबंध में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 21.2.83 को 1980 के सी.ए. संदर्भ सं. 9(क) में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है, क्योंकि अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दोनों विभागों पर 1999 तक लगभग 2250 करोड़ रुपये का कुल व्यय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में समकक्ष कर्मचारियों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय : अब, हम मद सं. 19 पर विचार करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महापत्तन न्यास विधेयक पर आज चर्चा की जाए। परन्तु अन्य कार्यों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। अत: सभा का समय कृपया सायं सात बजे से अधिक न बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : इस विधेयक के पारित होने तक सभा का समय बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आठ अथवा नौ माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया सभा का समय सायं सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : सभा का समय सायं सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अपराह्न 6.01 बजे

महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।''

हम सभी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम इस देश की अर्थव्यवस्था को उस सीमा तक सुदृढ़ करना चाहते हैं, ताकि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा हो सके। हमारा यह देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में तभी खड़ा हो पाएगा, जब इस देश के हर व्यक्ति और हर व्यवस्था का आर्थिक योगदान होगा।

आज सदन में हम मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2000 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 में कुछ आवश्यक संशोधन करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के जो मेजर पोर्ट्स हैं, उनका इस देश की अर्थ व्यवस्था में अधिकतम योगदान हो सके। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारे देश में इस समय 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इन 12 मेजर पोर्ट्स में से 11 बोर्ड आफ ट्रस्टीज के द्वारा गवर्न होते हैं। कलकत्ता और हल्दिया - दोनों मेजर पोर्ट्स एक ही बोर्ड आफ ट्रस्टीज के द्वारा गवर्न होते हैं। तेरहवें केन्नोर पोर्ट्स का आपरेशन जुलाई-अगस्त, 2000 तक प्रारम्भ हो जाएगा। केननोर पोर्ट बन जाने के बाद हमारे देश में मेजर पोर्ट्स की संख्या 13 हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि 90 फीसदी कन्ट्रीब्यूशन सी-ट्रेड में इन मेजर पोर्ट्स का ही होता है।

सायं 6.03 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

और दस प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के 143 माइनर पोर्ट्स का होता है। इस सदन के माननीय सदस्य इस बात से भी परिचित होंगे कि हमारे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं, विशेष रूप से मेजर पोर्ट्स, उनमें ट्रैफिक कन्सिसटैंटली 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। मैं सदन को भी जानकारी देना चाहूंगा, सन् 1999-2000 में हमारे मेजर पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिग कैपेसिटी 240 मिलियन टन होने के बावजूद भी उन्होंने 271.3 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने का काम किया था। इसको देखते हुए, हम यह महसूस कर रहे हैं कि इन मेजर पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इस संबंध में एक वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उनका यह कहना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते मेजर पोर्ट्स में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 251 मिलियन टन से बढ़कर 424 मिलियन टन तक की जानी चाहिए। इस सीमा तक कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। केवल बजट एलोकेशन के द्वारा हम इस कैपेसिटी को अवेल कर लेंगे, एचीव कर लेंगे, यह कभी संभव नहीं है। हमारे मेजर पोर्ट्स की 424 मिलियन टन की केपेसिटी बन सके, इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि इतने करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार दो वर्षों के अंदर नहीं कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्राइवेट सैक्टर का पार्टिसिपेशन मेजर पोर्ट्स में बढ़े, इसी को ध्यान में रख कर मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अमेंडमेंट बिल लाने का काम हमारे डिपार्टमेंट ने किया है।

महोदय, मैं यह भी जानकारी में लाना चाहूंगा, एक रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि हम जहां अपनी केपेसिटी 424 मिलियन टन नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़ा लें तो इसके लिए एक दूरगामी योजना लगभग 12013 वर्षों की बनानी चाहिए। अगर हम 2012 तक की योजना बनाते हैं, उस आधार पर हमारे मेजर पोर्ट्स की कारगो हैंडलिंग केपेसिटी 850 मिलियन टन तक की बढ़नी चाहिए। यदि हम 12-13 वर्षों में अपने मेजर पोर्ट्स की कारगो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अनुमानतः आज की प्राइस पर 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अब इतने रुपए की व्यवस्था, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वह कर पाएगी, यह संभव नहीं है। हम इतना मान सकते हैं कि एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन, प्लान एलोकेशन सरकार द्वारा हो सकता है, लेकिन शेष धनराशि की व्यवस्था प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन के द्वारा ही संभव है, केपिटल मार्केट से ही वह व्यवस्था हो पाएगी, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है।

महोदय, प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अक्तूबर, 1996 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं। उसी गाइडलाइंस के परिणामस्वरूप हमने लगभग 13 प्राइवेट सैक्टर प्रोजेक्ट्स को एप्रूव भी किया था। हमारे कई ऐसे प्राइवेट सैक्टर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी विचाराधीन हैं और जल्दी एप्रूव भी होने वाले हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हम यह आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि इस अमेंडमेंट बिल में उन्हीं गाइडलाइंस को मोडीफाई करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को, ऑनर्स ऑफ फॉरेन पोर्ट, माइनर पोर्ट या किसी भी कम्पनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने की परमीशन दी जाए। जहां हमारे मेजर पोर्ट्स की क्षमता बढ़े, वहीं हमारे माइनर पोर्ट्स की भी क्षमता बढ़े, यह हम चाहते हैं। इसीलिए हम यह संशोधन कर रहे हैं कि प्राइवेट इनवेस्टर्स का मेजर पोर्ट्स में इनवेस्टमेंट करने के लिए विश्वास बढ़े और केवल प्राइवेट इनवेस्टर्स के पास पैसा होता है, वही इनवेस्ट नहीं करते हैं, वे बैंक से भी लोन लेते हैं। जहां प्राइवेट इनवेस्टर्स का विश्वास इनवेस्ट करने के प्रति बढ़े, वहीं पर बैंकों का भी विश्वास मेजर पोर्ट्स में इनवेस्ट करने वालों के प्रति बढ़े, इसलिए हम यह संशोधन करना चाहते हैं।

महोदय, हम यह संशोधन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मेजर पोर्ट्स में नई टैक्नोलॉजी को अट्रेक्ट कर सकें और इसलिए भी कर रहे हैं कि पोर्ट की मेनेजिरियल एक्सपर्टाइस को बढ़ा सकें। इसलिए भी संशोधन कर रहे हैं ताकि प्रौजेक्ट्स को शीघ्रातिशीघ्र इम्प्लीमेंट कर सकें, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीडाइट कर सकें। इसके साथ हमारा चौथा उद्देश्य यह है कि अधिकतम पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए माइनर पोर्ट्स की भागीदारी भी

[श्री राजनाथ सिंह]

सुनिश्चित कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के सैक्शन 42 के सब सैक्शन (1) में क्लाज एक जोड़ कर यह व्यवस्था की जा रही है कि रोड, रेलवे तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को भी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाओं की परिधि में ला दिया जाए। पोर्ट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई है। हम जो दूसरा संशोधन करना चाहते हैं, इसी पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट के सैक्शन 42 में सब सैक्शन 3(ए) जोड़ कर मेजर ट्रस्ट बोर्ड को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी भी कार्पोरेट बाडी अथवा किसी भी परसन के साथ ज्वाइंट वेंचर बना सके, ताकि बोर्ड द्वारा प्रफोर्म किए जाने वाले कार्य और सर्विसेज़ को अधिक बेहतर बनाया जा सके।

श्रीमन्, मैं यह भी इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जब कारपोरेट बॉडी की मैं चर्चा कर रहा हूं तो उसमें हमारे विदेशी पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स भी होंगे और कोई कंपनी भी आयेगी। इन दो संशोधनों के साथ-साथ हम और भी संशोधन करना चाहते हैं। उसी 63 के मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के सैक्शन 88 में, उसके सब सैक्शन 2 में क्लॉज बी और ई जोड़कर पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड को जाइंट वैंचर में इंवैस्ट करने के लिए हम अधिकृत करने जा रहे हैं। यह छोटे-छोटे कुछ संशोधन हमने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 में प्रस्तावित किये हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि जितनी भी हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, हम इनकी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ा सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले महत्वपूर्ण सैक्टर हैं। इनकी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए यह संशोधन लाकर, जैसा कि राज्य सभा में पारित हुआ है, चंद संशोधनों के साथ इस सदन के समक्ष आने की आवश्यकता हुई है। इतना कहते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को 16 सदस्यों वाली एक प्रवर समिति को ऐसे निर्देशों के साथ भेजा जाए कि वह लोक सभा के अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और उक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. श्री मणि शंकर अय्यर
2. श्री एस. बंगरप्पा
3. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
4. श्री रमेश चेन्नितला
5. श्रीमती रेणूका चौधरी
6. श्री के.पी. सिंह देव
7. श्री संतोष मोहन देव
8. श्री सी.के. जाफर शरीफ
9. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
10. श्री ए.सी. जोस
11. श्री राजेश पायलट
12. डा. देवेन्द्र प्रधान
13. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
14. श्री एस. जयपाल रेड्डी
15. श्री माधवराव सिंधिया
16. श्री प्रियरंजन दासमुंशी

(1)

सभापति महोदय, इस विधेयक के संबंध में अनेक स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। जबकि मैं माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार के इच्छे इरादों पर शक नहीं कर रहा हूं, किन्तु इसके साथ ही हमारे द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाए जाने और विरोध दर्ज किए जाने का कारण यह है कि हमें कतिपय मामलों में कड़ी आपत्तियां हैं। वे वस्तुत: राजनीतिक मामलों से संबंधित नहीं हैं। वे हमारे देश के राष्ट्रीय हितों से यथार्थत: जुड़ी हैं।

महोदय, समुद्री पत्तन, विमानपत्तन, रेलवे टर्मिनस तथा हमारी सीमाएं - ये चार अतिसंवेदनशील स्थान हैं और इतिहास से यह

साबित होता है। विभिन्न तंत्रों और इन अतिसंवेदनशील स्थानों का उपयोग करके अनेक अवसरों पर हमारे देश को अस्थिर करने के प्रयास किए गए हैं। माननीय गृह मंत्री इस बात से सहमत होंगे। मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, बल्कि इतिहास से यह सिद्ध हो जाता है जब हम विदेशियों के गुलाम हुए थे। समुद्र के रास्ते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर जीत हासिल करने का प्रयास किया। समुद्री पत्तन की प्रासंगिकता केवल व्यापार और वाणिज्य के लिए ही नहीं है। समुद्री पत्तन की प्रासंगिकता राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है और इतिहास ने बार-बार इसे साबित भी किया है। अतः, आप इसे केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण से ही न देखें। मैं वाणिज्य मंत्रालय से भी काफी जुड़ा हुआ था। मैं आयातकों और निर्यातकों के लिए इन पत्तनों का महत्व समझता हूं।

महोदय, भारत सशक्त हो रहा है। विश्व में भारत को सबसे ताकतवार और आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देशों में से एक माना जाता है। पोखरण-दो के बाद इसे सबसे शक्तिशाली देशों में तथा विकास के संबंध में सबसे ताकतवार देशों में माना जाता है। हम सब इस देश पर गर्व करते हैं। विभिन्न ताकतों द्वारा इस देश को बार-बार अस्थिर करने के प्रयास किए गए हैं जिसकी जानकारी आप सबको है।

अब, यदि आप 1963 का अधिनियम, 1996 के दिशानिर्देश, तत्कालीन मंत्री महोदय श्री थम्बी दुराई द्वारा लाए गए 1998 के प्रस्तावित संशोधन और अंततः अपने प्रस्ताव को देखें, तो आप पाएंगे कि यह प्रस्ताव बहुत ही अलग है जो अत्यधिक खतरनाक है।

मैं निजी पार्टियों के साथ आपके कार्य करने के तरीके के बारे में संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं। हम सब यह चाहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कलकत्ता पत्तन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि भारत सरकार द्वारा कलकत्ता पत्तन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो पूर्वी अंचल की अर्थव्यवस्था के पूर्ण माहौल में और बदलाव आ जाएगा तथा मैं इस संबंध में सरकार के विचार का समर्थन करता हूं। आपको इसे न केवल अवसंरचना के संदर्भ में ही देखना है बल्कि दूसरे अर्थों में भी देखना है। इस समय, गंगा और हुगली की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल भी तलकर्षण नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, इस संबंध में अनेक प्रस्ताव किए गए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि निधियों की कमी और कई अन्य बातों की वजह से सरकार आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। कृपया आप बोर्ड की शक्तियों के संबंध में खंड 42 को देखें। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में विचार करना चाहिए जो बोर्ड की शक्ति के अंतर्गत था। उसमें यह कहा गया है कि:

"बोर्ड को निम्नलिखित सेवाएं करने की शक्ति होगी, अर्थात्:-

(क) पत्तन में जलयानों और बोर्ड के या उसके कब्जाधीन घाटों, पोत-घाटों, घट्टियों या डॉकों के बीच यात्रियों और मालों की उतराई, पोत-परिवहन या पोतांतरण;

(ख) बोर्ड के परिसरों के भीतर लाए गए मालों का ग्रहण करना, हटाना, स्थानान्तरित करना, परिवहनित करना, भाण्डागारित करना या परिदत्त करना;

(ग) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, पत्तन या पत्तन के पहुंचमार्गों की सीमाओं के भीतर यात्रियों का रेल या अन्य साधनों से वहन करना;

(घ) पत्तन में जलयानों से निकाले जाने वाले........... मालों को ग्रहण करना, और परिदत्त करना, परिवहनित करना और बुक करना तथा प्रेषित करना;

(ङ) जलयानों को पाइलट करना, उनकी खिंचाई करना, मूरिंग करना, फिर से मूरिंग करना, हुक करना या परिमाप करना या जलयानों की बाबत कोई अन्य सेवाएं करना।"

सभी शक्तियां बोर्ड के पास ही नहीं हैं, बल्कि बोर्ड के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा जब भी जरूरी हो, तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि आप यह देखें कि आप स्वयं क्या प्रस्ताव कर रहे हैं, तो आप परिवर्तनों को देख पाएंगे। इसमें यह कहा गया है:

"उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपी गई सेवाओं और कृत्यों में से किसी का पालन करने के लिए किसी निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो तय पाई जाएं, कोई करार या अन्य ठहराव (भागीदारी, सह-उद्यम रूप में या किसी अन्य रीति में) कर सकेगा।"

क्या आप ऐसा नहीं मानते कि यह बिल्कुल अलग प्रस्ताव है? किसी अनुमति के बिना पत्तनों की सुरक्षा और सभी हिस्सों को हटा दिया जाता है तथा वे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। किस लिए? सरकार तीन कारणों से ऐसा प्रयत्न कर रही है। अब, वे तीन कारण क्या हैं? आपके पास 2012 तक के लिए 850 मिलियन टन ट्रैफिक का लक्ष्य है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का और अधिक विकास होगा उसके लिए आपको कितने संसाधनों की आवश्यकता है? आपको 40,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है। इस कार्य में 28,000 करोड़ रुपयों की कमी है। 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इस व्यवस्था से आपको अपना कार्य पूरा करने के लिए 28,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। भारत के 12 बड़े पत्तनों में सर्वाधिक कीमती वस्तु क्या है? इन पत्तनों में भूमि ही सर्वाधिक कीमती है। सबकी आंखे इस भूमि पर टिकी हुई हैं। आपने अपने आरंभिक भाषण में इस बारे में कुछ नहीं बताया कि आपको विचार से निवेश हेतु संसाधन प्राप्त करने के क्या जरिए हैं।

मैं कलकत्ता पत्तन के अपने थोड़े-बहुत अनुभव से आपको कुछ बातें बता सकता हूं। मेरे मित्र यहां नहीं हैं। पत्तन न्यास के भूतपूर्व चेयरमैन अब तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह पत्तन को आधुनिक बनाने की बजाय अपने किसी व्यक्ति को जहां तक हो सके, जल्दी से जल्दी भूमि बेचने के इच्छुक थे और मुझे उस पत्तन को बचाने और उस चेयरमैन को ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार के पास आकर गिड़गिड़ाना पड़ा। अन्यथा, संपूर्ण पत्तन अब तक लूट लिया गया होता।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है। क्या आपने पत्तन के कर्मचारियों और श्रमिकों से बात की थी? क्या आपने उन्हें विश्वास में लिया था? यह हमेशा याद रखिए कि यदि आप 2012 में अर्थव्यवस्था को किसी खास ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आपको श्रमिकों को विश्वास में लेना पड़ेगा। मैंने हमेशा देखा है कि जब कभी भी भारत में पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की सब कुछ ठप्प हो गया। जब वे कार्य के प्रति वचनबद्ध होते हैं, तो वे देश के लिए सभी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वे हड़ताल पर जाने का निर्णय लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

उड़ीसा के मेरे प्रिय सहयोगी, जो गोदी कामगार यूनियन के मजदूर नेता हैं, यहां बैठे हुये हैं। उन्हें यह याद होगा। मंत्री महोदय, क्या आपने कामगारों और मजदूर संघों को विश्वास में लिया था? ...*(व्यवधान)*। जहां तक प्रमुख पत्तनों का संबंध है, क्या आपने राज्य सरकारों को विश्वास में लिया था? क्या आपने इस देश के आसूचना ब्यूरो से परामर्श किया था? क्या आपने गृह मंत्रालय से परामर्श किया था? समुद्री पत्तनों की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ये सब प्रासंगिक हैं।

[हिन्दी]

सबके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। बोर्ड कुछ नहीं बोलेगा, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। जब इस देश में राबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कम्पनी लेकर आया था, उसी तरह से कहेंगे कि आ जाओ और साइन करो। क्या इसी तरह से पूरे देश के 12 मेजर पोर्टस का डिस्पोजल करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

आप राजस्व और धन प्राप्त करने के नाम पर इसे बेचना चाहते हैं। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है। मेरे विचार से विवाद उत्पन्न हुए हैं। आप बोर्ड की शक्तियों को समाप्त कर रहे हैं। प्रतिबंध हटा दिये गये थे। आप उन्हें फिर से ला रहे हैं। एक दिन आपकी सदाशयता गलत साबित हो सकती है।

राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत दौरे के बाद पश्चिम से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। वे आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। कृपया अगली पीढ़ी, जिन्हें इस देश में आकर रहना है, पर इस तरह का प्रभाव मत छोड़िए। देश चारों ओर से ऐसे तत्वों से घिरा है जो अपने-अपने हिसाब से इस गणतंत्र की नींव को ही उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसी दलगत भावना को ध्यान में रखे बिना यह संसद का नेतृत्व ही है जो इस प्रकार की बातों को घटित न होने देने के लिए काफी दृढ़ संकल्प है। लेकिन यदि वे यहां आकर अपनी गतिविधियां आरंभ कर देते हैं तो फिर क्या होगा?

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमरीका की एक कंपनी, जिसके हांगकांग, क्लीव द्वीपसमूह के साथ काफी अधिक संबंध थे और पेंटागोन तथा सीआईए के साथ क्लोज नेटवर्क था, ने देखा कि वे अनुसंधान कार्य हेतु सी आई ए के लिए कई बिलियन डालर निवेश और खर्च कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे कांडला पत्तन का कार्यभार, कलकत्ता पत्तन का कार्यभार, प्रमुख पत्तनों का कार्यभार संभालने तथा सबसे पहले व्यवसाय शुरु करने के लिए कंपनी शुरू कर सकते हैं। कोई भी उनके जहाज की जांच नहीं करेगा। वे अपना कार्य आरंभ कर लेंगे। सबसे पहले वे सरकार को खुश करेंगे और उसके बाद ये सभी कार्य करेंगे। पत्तनों पर सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर आपने क्या निरीक्षण एवं नियंत्रण व्यवस्था की हुई है?

इसलिए, मेरे विचार से, माननीय मंत्री जी को अपने विवेक से इसकी और जांच करनी चाहिए। निःसंदेह यह संशोधन एक छोटा सा संशोधन है लेकिन इसका प्रभाव काफी व्यापक है। इसकी जांच की जाये। यदि आप चाहें तो उपयुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा इसकी जांच करायी जानी चाहिए। उन्हें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और नौसेना की टिप्पणियां सुननी चाहिएं। मैं आपको यह सब गंभीरता के साथ और काफी प्रभावी ढंग से बता रहा हूँ। हम नहीं जानते कि दो महीने बाद या छः महीने बाद या एक

साल बाद त्रिणकोमली में क्या होगा। संसद में उस समय इस पर विचार किया जा सकता है। मैं आज श्रीलंका का मसला नहीं उठाऊंगा। लेकिन पत्तनों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उन प्रचालकों के हाथों में ये पत्तन दे दें तो मेरे विचार से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। इसलिए, मेरे विचार से इसकी गहराई से जांच किये जाने की आवश्यकता है। आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या ये पूरे अधिकार दिये जा सकते हैं और क्या इस प्रकार बोर्ड के अधिकार को कम किया जाये। मेरा यह निवेदन राष्ट्र के हित में है। आप पूरे मामले पर पुनः विचार कर सकते हैं। इसे राजनैतिक मुद्दा न बनायें। हम सब संसाधन जुटाने और निवेश करने के पक्षधर हैं। हम सब गैर-सरकारी भागीदारी के लिए तैयार हैं। आपको बस कुछ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए आप उन लोगों को लाना चाहते हैं। यदि आप उन लोगों को यहां लाते हैं, जो एक दिन इस देश पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? आप के पास कोई निरीक्षण एवं नियंत्रण व्यवस्था नहीं है। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में अथवा भूमि सीमा में समस्त विध्वंसकारी गतिविधियां चल रही हैं। समुद्री पत्तन की अभी भी सही ढंग से सुरक्षा की जाती है। इस उपाय के कारण वह भी कम हो जाएगी। ऐसी मुझे आशंका है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इस रूप में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। 1996 के मार्गनिदेशों में और अधिक कमी क्यों की गई है? यदि आप इसे और कम कर देंगे और इसका समर्थन नहीं करेंगे और यदि आप इस दिशा में जायेंगे तो मेरे विचार से, एक दिन आपको जनता के सामने पछताना पड़े कि आपने जो कुछ भी किया, वह सही नहीं था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ महत्वपूर्ण ढंग से संबद्ध है, के संदर्भ में इस संपूर्ण मामले पर पुनः विचार करें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी एक छोटा सा संशोधन लाये हैं लेकिन इसका हमारे निर्यात पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

हमारे देश में 12 प्रमुख पत्तन और 143 छोटे पत्तन हैं। यदि हम विगत को देखें तो हम यह पायेंगे कि हमारा आंतरिक और बाहरी, दोनों व्यापार तथा साथ ही हमारा आयात और निर्यात कारोबार भी काफी फला फूला है। भविष्य में हमें 850 मिलियन टन माल की ढुलाई के लिए 300 से 400 बर्थ की आवश्यकता होगी। जरा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नजर डालें। क्या उपलब्ध संसाधनों से पत्तनों का विकास करना संभव है? इसका उत्तर है 'नहीं'। तब क्या किया जाये? हम जहां हैं, वहीं रहें अथवा हमें पत्तनों का विकास करना चाहिए? यह संशोधन सही समय पर आया है।

यह कहा जाता है कि 2012 तक हम 850 मिलियन टन माल की ढुलाई करेंगे और उसके लिए हमें लगभग 300 से 400 बर्थ की आवश्यकता है। इसके लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। योजना निधियों और आंतरिक संसाधनों से लगभग 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जायेंगे। बाकी लगभग 28,000 करोड़ रुपये कहां से आयेंगे? उसके लिए हमें निजीकरण और उदारीकरण करना होगा। पत्तनों के विकास हेतु हमें धन की आवश्यकता है। अतः, महापत्तन न्यास अधिनियम में संशोधन किया जाये।

मेरे पूर्व वक्ता श्री प्रियरंजन दासमुंशी बता रहे थे कि हमें सावधानी बरतनी होगी। निश्चित रूप से हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी होगी। मैं धारा 3(क), जिसमें सावधानी बरती गई है, की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> "3(क) उप-धारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से .... कर सकेगा।"

बोर्ड को निर्णय लेना होगा। लेकिन बोर्ड केवल तभी निर्णय ले सकता है-

> "(3क) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपी गई सेवाओं और कृत्यों में से किसी का पालन करने के लिए किसी निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो तय पाई जाएं, कोई करार या अन्य ठहराव (भागीदारी, सह-उद्यम रूप में या किसी अन्य रीति में) कर सकेगा।"

मैं सभा का ध्यान कांडला पत्तन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उस समुद्रीतट पर 3-4 ऐसे छोटे पत्तन हैं जिनका विकास किया जा सकता है। इस समय, मुंद्रा के निकट अदानी पत्तन का विकास किया गया है और अब यहां से काफी व्यापार हो रहा है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। अब यह क्षेत्र काफी उन्नति कर रहा है और यहां बुनियादी विकास भी हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वे निजीकरण करें, तो उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाये। इसी तरह, जब भी निजीकरण किया जाये, उन्हें सामाजिक न्याय देने की बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जब कभी किसी गैर-सरकारी पत्तन का

[श्री पी.एस. गढ़वी]

विकास होता है तो उन्हें सामाजिक न्याय की तरफ ध्यान देना होगा। कांडला पत्तन सरकार के नियंत्रणाधीन एक महापत्तन है। यह पत्तन रेलवे लाइन के अवसंरचनात्मक विकास हेतु संयुक्त उद्यम के लिए आगे आया है। इस समय दिल्ली को बड़ी लाइन द्वारा कांडला पत्तन से नहीं जोड़ा गया है। इसका पूरा विकास नहीं हुआ है।

महोदय, समखियाली-पालनपुर सेक्शन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना होगा और रेलवे यह कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह कार्य करने के लिए कांडला पत्तन न्यास संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में आगे आया है। इसलिए, जब कभी भी कोई गैर-सरकारी कंपनी आती है तो अवसंरचनात्मक विकास की शर्त रखी जानी चाहिए।

चूंकि अब यह संशोधन लाया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1968, माल का बहुराष्ट्रीय परिवहन अधिनियम, 1993 आदि जैसे परस्पर संबंधित अधिनियमों में संशोधन पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। इन सभी अधिनियमों पर साथ-साथ संशोधन भी किया जाना चाहिए।

दूसरा राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड है। इसके कोई कार्यालय नहीं है और कोई नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के कार्यकरण पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जब कभी निजीकरण किया जाये, आंतरिक यात्री यातायात का ध्यान रखा जाये और इसे उचित महत्व दिया जाये। इस संशोधन के साथ छोटे पत्तनों का भी विकास किया जा सकता है। अत: मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूँ।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूँ, क्योंकि इस विधेयक के पारित होने से निजीकरण का सैलाब आ जाएगा, और सभी पत्तनों का बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण कर दिया जाएगा। पत्तन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है और पत्तन हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इस क्षेत्र में निजी अभिकरणों के प्रवेश से हमारी आत्मनिर्भरता बुरी तरह प्रभावित होगी और हम आत्मनिर्भर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

मैं अन्य कारण से भी इस विधेयक का विरोध करता हूँ, क्योंकि पत्तनों में निजी अभिकरणों के इक्विटी शेयर के संबंध में इस विधेयक में बाधा नहीं है और निजी निवेशकों के इक्विटी शेयर की किसी प्रतिशतता को बोर्ड द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इसलिए कामगारों और अधिकारियों के खून पसीने से बनी संपत्तियां और आस्तियां अब निजी अभिकरणों के लिए खुल जाएंगी। इसलिए पत्तन, जो बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण केन्द्र है, निजी आपरेटरों के लिए लाभ कमाने की खानें बन जायेंगी। बुनियादी ढांचागत आस्तियां जो वर्षों में बतायी गयी हैं, उन्हें निजी अभिकरणों को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि इस संशोधन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निजी पार्टियों को कितनी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी जाएगी। व्यावहारिक रूप में, इस संशोधन में पत्तन न्यास बोर्डों को घरेलू और विदेशी दोनों तरह की किसी भी एजेंसी के साथ समझौता करने की पूरी छूट दी गई है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का कारण भी बन सकता है। और केवल यही नहीं, इससे क्षेत्रीय असंतुलन और असमान विकास भी होगा।

महोदय, हमारे देश में दो तरह के पत्तन हैं-समुद्र तटवर्ती पत्तन और नदी तटवर्ती पत्तन। वे पत्तन जो समुद्र के तट पर स्थित हैं उन्हें सूखे और पश्च प्रदेश आदि के कुछ प्राकृतिक लाभ मिले हैं। किन्तु जो पत्तन नदी के तट पर विकसित किए गए हैं उनमें कुछ प्राकृतिक कठिनाइयां और असुविधाएं हैं।

हमारे देश में 12 मुख्य पत्तनों में से कलकत्ता और हल्दिया पत्तन नदियों के तट पर बना है। यह नदी तटवर्ती पत्तन है जो समुद्र से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसलिए वहां प्राकृतिक बाधाएं हैं। नदी तटवर्ती पत्तन को नदी के बांध के कटाव, ऊपरी भूमि से पानी के बहाव की कमी और बांधों पर वनों की कटाई के कारण गाद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाद अनिवार्यत: पैदा होगी।

जब सभी पत्तनों को निजी अभिकरणों के लिए खोल दिया जाएगा, तो निजी अधिकरण उन पत्तनों में भागीदारी के लिए लालायित होंगे, जहां वे अधिक लाभ कमायेंगे और जहां कम नुकसान होगा। जहां अधिक लाभ होगा वे वहां जायेंगे इसलिए क्या होगा? कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की नियति क्या होगी? हल्दिया पत्तन को गाद निकालने के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होती है। कलकत्ता पत्तन न्यास पहले ही गाद निकालने के लिए 1999-2000 के दौरान लगभग 477 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। किन्तु सरकार ने केवल 233 करोड़ रुपये ही दिए हैं। लगभग 243 करोड़ रुपये की शेष राशि नहीं दी गई है। 1994 में मंत्रिमंडल का निर्णय है कि गाद निकालने में खर्च की गई कुल राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि शिपिंग और नेवीगेशन संबंधी विषय भारत सरकार द्वारा देखे जाते हैं। संविधान के अनुसार, सरकार को नौवहन चैनल बनाए रखने और गाद निकालने का कार्य करना पड़ेगा। इसलिए

यह बहुत खतरनाक है। जब सभी पत्तनों को खोल दिया जाएगा तो ये निजी अभिकरणों के शिकारगाह बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कलकत्ता और हल्दिया पत्तन और अधिक संतुलित होगा और आर्थिक विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। पूर्वी क्षेत्र बहुत से कारणों से आर्थिक विकास में पहले ही पिछड़ा हुआ है। इस संशोधन से पूर्वी क्षेत्र में बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय मंत्री ने बताया है कि 2012 तक पत्तनों के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह राशि जुटाई जा सकती है। यहां पर्याप्त सम्भावना है। सभी मुख्य पत्तन लाभ कमा रहे हैं कोई भी मुख्य पत्तन घाटे में नहीं जा रहा है। मेरा विश्वास है कि सभी तरह का विकास—ढांचागत सुविधाएं और आस्तियां—जो कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों के खून-पसीने से बनी हैं, को बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, अर्थात इन मुख्य पत्तनों को निजी अभिकरणों के लिए खोल दिये जाने के बाद, शिपिंग चैनलों की देखभाल कौन करेगा? पत्तन न्यास बोर्ड का गठन क्या होगा? क्या पत्तन न्यास बोर्ड अपना नियंत्रण खो देगा? क्या निजी पार्टियां भी प्रबंधन में प्रवेश करेंगी? प्रबंधन का नियंत्रण निजी अभिकरणों के हाथों में चला जाएगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं पैदा होंगी, जिनकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। लगभग दो लाख कर्मचारी और कामगार मुख्य पत्तनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी नियति क्या होगी? जिन अधिकारों को उन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद पाया है और उनका लाभ उठा रहे हैं, उनकी रक्षा कैसे की जाएगी? इस संशोधन में इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

अपराह्न 6.40 बजे

(**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*)

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इक्विटी शेयरों में निजी पार्टियों की भागीदारी के संबंध में कोई सीमा नहीं है। निजी पार्टियां सभी पत्तन क्षेत्रों में कितनी भी राशि और प्रतिशत भागीदारी के साथ प्रवेश कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि सभी पत्तनों का पूरी तरह निजीकरण हो जाएगा अथवा सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक पूरे देश में सभी पत्तनों का निजीकरण करने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए तीन से चार घंटों में, विधेयक के पारित होने के बाद व्यावहारिक रूप से सभी पत्तनों का निजीकरण हो जाएगा। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

महोदय, इतिहास हमें क्या बताता है? नदी में और समुद्रतट पर लंगर डालने की सुविधाओं का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और हम 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे। यह केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। इसलिए बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश के पत्तनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगी और वे विभिन्न तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था तय करेंगी। इसलिए पत्तनों के निजीकरण का अर्थ हमारे देश की आस्तियों को निजी अभिकरणों को बेचना और उसके जरिये अपने देश की सुरक्षा को दांव पर लगाना है।

इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा। विकास के नाम पर हमें अपनी आस्तियों और संपत्ति को निजी अधिकरणों को नहीं देना चाहिए। मैं इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और माननीय मंत्री से एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ। वह अच्छे आदमी हैं। उनकी विभिन्न क्षेत्रों में गहरी जानकारी है, किन्तु मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस विषय में अपना दिमाग नहीं लगाया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर पुनर्विचार करने और विस्तारपूर्वक आगे चर्चा करने का अवसर देने का अनुरोध करता हूँ ताकि इस क्षेत्र से जुड़े सभी अभिकरणों जैसे कर्मचारियों, स्टाफ, इंजीनियरों, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि को हमारे भविष्य के विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में सम्मिलित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति जी, माननीय मंत्री जी जो मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट अमैंडमैंट बिल लाये हैं, वह पहले 1968 में पास हो चुका था। उसी में आप अमैंडमैंट करके लाये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। अब शायद 13 मेजर पोर्ट्स हो गये हैं जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया। इन 12 मेजर पोर्ट्स में से 11 मेजर पोर्ट्स के मैनेजमेंट का काम 1963 के तहत मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। हमारे देश में 143 माइनर पोर्ट्स और हैं। उनकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमैंट की ज्यूरिस्डक्शन में आती हैं। मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को जहाजों में बर्थ खाली नहीं मिलती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

करने के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आये हैं। 1999-2000 में हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी 240 मिलियन टन की थी. इसके होने के बावजूद हमारी सारी मैनेजमेंट फोर्स ने 271.3 मिलियन टन कारगो हैंडलिंग करने का काम अपने हाथ में लिया है। छोटा सा अमैडमैंट है जिसमें माननीय मंत्री जी वर्किंग ग्रुप को रिवाइज्ड करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 215 मिलियन टन है, उसको आप 424 मिलियन टन करना चाहते हैं। यह आपका अमैंडमेंट है। इसके साथ आपने कहा कि की प्राइवेट लोगों को भी काम दिया जायेगा और सरकार भी काम करेगी तो 40 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें 12 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था तो प्लान के फंड से कर दी जायेगी लेकिन बाकी जो फंड है, प्राइवेट सैक्टर में जो काम दिया जायेगा, उसके आधार पर यह व्यवस्था की जायेगी।

यह छोटा सा अमैंडमैंट है। मेरा निवेदन है कि हम जो व्यवस्था करते हैं, यदि ठीक प्रकार की व्यवस्था होगी तो जो लोग प्राईवेट पोर्ट चला रहे हैं और बैंकों से पैसा ले रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा, सारी व्यवस्था करने से पूर्व अन्य लोगों ने जो बातें कही हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा और बोर्ड इस संबंध में सक्षम होगा, बोर्ड का निर्णय फाईनल होगा। मंत्री जी जो अमैंडमैंट लाए हैं, मैं इसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। यह अमैंडमैंट निश्चित रूप से पास होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, मेजर पोर्ट ट्रस्ट अमैंडमैंट बिल जो यहां लाया गया है, इसकी मूल भावना से किसी का कोई विरोध नहीं है। देश का व्यापार विदेशों से बढ़ रहा है। इस व्यापार की बढ़ोत्तरी के साथ-साथ हमें इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने की जरूरत है ताकि हम अपने पोर्टस पर माल की ढुलाई से लेकर सारी क्रियाओं को सुविधापूर्वक सम्पन्न कर सकें और वे कहीं हमारे वाणिज्य के विकास में अवरोध न बनने पाएं। लेकिन मैं आपके प्रावधान का एक तुलनात्मक दृष्टांत देना चाहता हूं, आप विचार करके देखिए। मेरे मकान की खिड़कियां या दरवाजे कुछ पुराने या कमजोर पड़ गए तो क्या मैं शहर के किसी भी आदमी को यह अधिकार दे दूं कि जो भी आदमी मेरे मकान के दरवाजे, खिड़की या जंगले ठीक कर देगा, उन दरवाजे, खिड़की या जंगलों पर उसका अधिकार हो जाएगा, वह पैसा लगा कर हमारे दरवाजे, खिड़की ठीक कर दे। आप कल्पना कीजिए फिर मेरे मकान की सुरक्षा का क्या होगा? क्या इसके बाद भी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं एक सुरक्षित भवन में रह रहा हूं? मैं बहुत विनम्रता के साथ मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं और यह बात ठीक है कि हमें व्यापार में वृद्धि चाहिए, देश की आर्थिक प्रगति चाहिए, हमें ट्रेड और कामर्स को और अधिक विकसित करना है-ये सब हमारी जरूरतें हैं लेकिन किस कीमत पर। क्या देश की सुरक्षा की कीमत पर, हमारी स्वतंत्रता की कीमत पर हम यह सब कुछ करना चाहेंगे? यह बात किसी से छिपी नहीं है।

आज बहुत से देश ऐसे हैं, बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं, शक्तियां हैं जो हमारे विकास से बहुत प्रसन्न नहीं हैं, हमारे बढ़ते महत्व से बहुत प्रसन्न नहीं हैं। हमारी धारणा और उनकी धारणा एक जैसी नहीं है। हमारी नीतियां और उनकी सोच में बहुत बड़ा अंतर है और वे चाहते हैं कि कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरह उनको हिन्दुस्तान के भीतर झांकने का मौका मिल सके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और यह बात स्पष्ट है कि कुछ एजेंसियां, आपने जितना पैसा यहां इकट्ठा करने की बात कही, 40 हजार करोड़ रुपया इस विकास के ऊपर लगना है जिसमें से शासन अपने बजट के माध्यम से 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने में सक्षम मानता है और 28 हजार करोड़ रुपये उसे प्राईवेट सोर्सेस से लेना है। अगर आप संशोधन देखें—किसी संस्था या व्यक्ति—ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हिन्दुस्तान के पोर्टस में 28 हजार करोड़ रुपये लगाने की स्थिति में होगा। व्यक्ति तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां व्यक्ति का प्रावधान करने का क्या औचित्य है, क्या उपयोगिता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं एक बहुत बड़े संज्ञान से जुड़ा होगा और यह हमारे हित में नहीं होगा कि हम ऐसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में अपने देश के द्वार सौंप दें, अपनी सुरक्षा दूसरे के हाथ में सौंप दें।

यह छिपी हुई बात नहीं है। आज हमारी सुरक्षा के जितने उपकरण हैं, हथियार हैं, गोली-बारूद है, ये सब हम विदेशों से मंगाते हैं। ये सब समुद्र के रास्ते से हमारे यहां आते हैं। क्या उन पोर्ट्स के ऊपर जहां पर हमारे ये शस्त्र गोली-बारूद विदेशों से आते हैं, हम यह चाहेंगे कि वहां पर कोई विदेशी आदमी आकर बैठ जाये? आप देखें कि जो प्रावधान किये गये हैं, ऐसी कौन सी संक्रिया है, क्रिया है, हर क्रिया-कलाप का अधिकार हमने इसके माध्यम से उनको देने का तय कर दिया, बोर्ड तय करेगा, सारे क्रिया-कलाप वे करेंगे, हमारे भीतर की चड्डी बनियान तक का उनको पता होगा, यह बहुत खतरनाक बात होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हम सारे लोग सारी पार्टीलाइन को छोड़कर, राजनैतिक मतभेद छोड़कर हम विचार करें, कहीं ऐसा न हो कि विकास की इस आवश्यकता को देखते हुए जो ट्रेड और कामर्स की है, हम उस महत्वपूर्ण हिस्से को भूल जायें, जो हमारे

देश की सुरक्षा और हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह आशय किसी भी दल का नहीं होगा और पूरे सदन के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बाहर का इन्वेस्टमेंट इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए आये, वह लगे, ठीक है। हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन आप इसमें कृपा करके इतना प्रावधान रखें, यह प्रावधान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, इसलिए कि हमारी सुरक्षा कहीं खतरे में न पड़ने पाये, ऐसी व्यवस्था इस सब के अन्दर रखें कि जिससे हमारी सुरक्षा प्रभावित न होने पाये, हमारे गुप्त भेद बाहर न जाने पायें। यह देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा न बनने पाये, इस बात को ध्यान में रखें, इतना प्रावधान अगर आप इसमें रख सकें तो इसके बाद हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसे प्रावधान अगर नहीं रखे जाते हैं तो हम इस पर घोर आपत्ति करेंगे।

इतना ही मुझे कहना है।

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदय, महापत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम की चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री ने इस संशोधन को लाने के लिए अपनी अच्छी मंशा प्रकट की है। मैं मानता हूँ कि मंशा सही है। पूरे देश में पिछले पांच वर्षों से हमारे पत्तन अपनी क्षमता खत्म कर चुके हैं। यद्यपि क्षमता का उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मापदंड 85 प्रतिशत तक है, हमने लगभग सभी पत्तनों में सौ प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया है। उसके लिए हमें उसका विस्तार करने की आवश्यकता है।

मैं एक बात समझने में असफल हूँ और अपने को समझा नहीं पा रहा हूँ और मैं विद्यमान धारा 3 के स्थान पर 3क के अंत:स्थापन की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसके व्यापक परिणाम होंगे। शायद, पत्तनों और गोदियों में अपने तीन दशकों के अनुभव के साथ मैं कहता हूँ कि इससे बड़े पत्तन छोटे पत्तनों में बदल जायेंगे। इससे सुरक्षा के बजाए असुरक्षा बढ़ेगी। यह इस उपधारा के अंत:स्थापन के कारण होगा। ''किसी अन्य तरीके, किसी अन्य व्यक्ति से....'' शब्दों को जोड़ने के आशय के साथ इस खंड के अंत:स्थापन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी ही अस्पष्ट बात एक खंड में सम्मिलित की गई है। जब कोई व्यक्ति संयुक्त उद्यम और भागीदारी के उद्देश्य को समझ सकता है, तो यह स्वागत योग्य है। उसके बिना हम स्वागत नहीं कर सकते।

मैं जानता हूँ महोदय, महापत्तन न्यास अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के बावजूद कुछ लोगों ने कोशिश की और पत्तनों की भूमि अपने अलग-अलग नाम से हथिया ली। उदाहरण के तौर पर, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति पत्तन न्यास के साथ कोई समझौता करता है और आस्तियां हस्तांतरित करने को कहे, तो उसे सैंकड़ों एकड़ भूमि मिलेगी। वह बैंक जाकर पैसे लेकर और देश छोड़ कर चला जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटेंगे? पारादीप और कुछ अन्य पत्तनों पर विद्यमान कानून के बावजूद—मैं जानता हूँ और माननीय मंत्री जी पता लगा सकते हैं—कुछ लोग इस तरह की सेवाएं सृजित करने के लिए जो कभी नहीं होती, कंपनी के इस तरह की नाम वाली कम्पनी की कुछ भू-सम्पदा जो बहुमूल्य है, हथियाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन इन सबके पीछे इरादा यही था कि भूमि बेच दी जाये और उससे प्राप्त धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जाये।

इसके अतिरिक्त, ''कोई अन्य व्यक्ति अथवा किसी भी रूप में'' वाक्य का अर्थ भी मालूम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस खंड की ओर आकर्षित करता हूँ कि ''कोई अन्य व्यक्ति'' कुछ भी कर सकता है अथवा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम में यह दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ सुरक्षा प्राप्त है क्योंकि विद्यमान धारा से केन्द्र सरकार को शक्तियाँ मिली हैं और इसने कुछ राज्यों में ऐसे मामलों में अनुमति भी दी है। ये प्रावधान कभी भी केन्द्र सरकार के आशानुरूप नहीं रहे जिससे वह ऐसे मामलों में भूसंपत्ति के उदाहरणों पर कार्यवाही कर सके।

जब यह संशोधन तैयार किया गया था तब माननीय मंत्री जी वहां उपस्थित नहीं थे और इसे इस इरादे से तैयार किया गया है कि इन्नोर पत्तन, जो अभी निर्माणाधीन है, का स्वामित्व व्यक्तिगत नाम पर होगा। ''कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में'' शब्दों को इसी उद्देश्य से अंत:स्थापित किया गया है। मुझे यहीं तक जानकारी है और मुझे अभी भी आशंका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जांच करने का अनुरोध करता हूँ कि क्या इस विशेष प्रावधान ''कोई अन्य व्यक्ति अथवा किसी भी रूप में'' को इस संशोधन से हटाया जा सकता है अथवा नहीं क्योंकि यह महापत्तन अधिनियम में नहीं है और फिर छोटे पत्तनों को महापत्तनों में बदल दिया जायेगा जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी ढंग से कारोबार को बढ़ा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से इस मामले पर पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अब केवल तीन सदस्य रह गये हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि हम उनके भाषण समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत है तो हम उनका भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ा सकते हैं। अब केवल तीन सदस्यों को बोलना है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): हम केवल सायं सात बजे तक सभा का समय बढ़ाने पर सहमत हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब केवल तीन सदस्यों को बोलना है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): इस पर कल विचार किया जाना चाहिए। इसे कल तक जारी रखा जा सकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कल दूसरे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विचार किया जाना है और कल सत्र का अंतिम दिन है। यदि सभा का समय और 20 मिनट बढ़ा दिया जाये, यदि सभा सहमत है तो हम 7.30 बजे तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम सायं 7.00 बजे तक समय बढ़ाने पर सहमत हुये थे। 20 मिनट में हम अपनी बात समाप्त नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर): अगर 20 मिनट में पारित हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कल तक जाएगा। इसलिए यह सही रहेगा कि इसके पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

सायं 7.00 बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक आया है, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को यह जानकारी दी कि इस पर कारगो से सामान की बढ़ोत्तरी हो गई, उसे बढ़ाने की जरूरत है और यह ठीक है कि पोर्ट से पुराने जमाने से दुनिया के मुल्कों से आवागमन और सामान का आयात-निर्यात होता रहा और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा भारी रोल है। पुराने जमाने में कुछ नहीं था, उन्हीं दिनों से पोर्ट से सामान का आना जाना और लोगों का भी आना जाना यातायात का काम होता था। अभी 12-13 जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट हैं, यह कहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब केवल तीन वक्ता रह गये हैं। यदि सभा सहमत है, तो हम समय बढ़ा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: रघुवंश प्रसाद जी का भाषण समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद कल कर लिया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बाद केवल दो वक्ता रह जायेंगे। यदि वे पांच-पांच मिनट बोलें तो हम यह चर्चा समाप्त कर सकते हैं। मंत्री जी दस मिनट ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या केवल दो वक्ता ही रह गये हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बाद केवल दो वक्ता रह जायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए सभी संसद सदस्यों को सभा में उपस्थित होना चाहिए क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश कर जायेंगी और हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। लेकिन कल इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना है।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यदि बोलने के लिए केवल दो सदस्य ही रह गये हैं और वे पांच-पांच मिनट लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि उससे ज्यादा सदस्य रह गये हैं और वे सभी

चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो हम समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: केवल दो वक्ता ही रह गये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां: इस पर कल विचार किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल इस सत्र का अंतिम दिन है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां: यह भी काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हेतु दो महत्वपूर्ण विषय हैं। इसके अलावा विधायी कार्य भी है। इसलिए विधेयक पारित किये जाने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पोर्ट का अर्थव्यवस्था में बड़ा भारी रोल है। हमने मुम्बई, कोचीन और फिर विशाखापट्टनम बंदरगाहों में जाकर देखा और वहां के मजदूरों और काम करने वाले लोगों से भी भेंट हुई है। वे बड़े चिंतित हैं कि माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि कारगो की क्षमता बढ़ानी है और सरकार के पास पूंजी कम है तो इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाये। प्राइवेट वाले पूंजी लगाते हैं तो जहां पहले से बंदरगाह नहीं हैं, तो नयी जगह पर उन्हें कहिए कि बंदरगाह बना दें और जहां पहले से सारा इंफ्रॉस्ट्रक्चर है, बंदरगाह हर जगह, समुद्र किनारे नहीं बना सकते। बंदरगाह के लिए प्रकृति प्रदत्त कुछ खोह होनी चाहिए जिसमें जहाजों की आधी-तूफान में उलट-पुलट न हो। पहले से जो हमारे पोर्ट हैं, पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसी को देना चाहते हैं और वह लाभ में चल रहा है। अगर घाटे में चल रहा हो तो प्राइवेट वाले को दे दिया जाये, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लाभ में चल रहा है, प्रकृति प्रदत्त चीज है, उसमें कहते हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं।

प्राइवेटवाला अपनी पूंजी लगाए, लेकिन नहीं, वह तो बैंक से लोन लेकर लगाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अगर बैंक से लोन लेकर पूंजी लगानी है, तो सरकार खुद इस काम को क्यों नहीं करती है। इससे सरकार की जो हर काम को प्राइवेट लोगों को देने की नीति है, उससे देश को खतरा हो सकता है। माननीय सदस्यों ने भी राय जाहिर की है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा होगा। नि:सन्देह हमको भी सन्देह हो जाता है कि प्राइवेटाइज करने से आयात-निर्यात के काम में देश की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। इसलिए सरकार को पूर्ण आश्वस्त करना चाहिए कि देश की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं, जो पोर्ट घाटे में चल रहा है, उसी को प्राइवेट लोगों को देना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके लाभ वाला दे रहे हैं। इसके साथ ही वहां जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार जब प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा, तो वहां पहले से जो काम करने वाले लोग हैं, वे निराश हो जायेंगे। मैं तो कहूंगा कि उनको नई जगह पर जाना चाहिए, इतना बड़ा समुद्र है, कहीं पर भी नया पोर्ट बना सकते हैं। इसमें भी जो मेजर पोर्ट है, वह देने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमारे देश में 143 माइनर पोर्ट भी हैं।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हल्दिया से एक पानी का जहाज गंगा नदी से होते हुए, बिहार तक लाने का प्रस्ताव था और फिर वहां से कोसी नदी होते हुए नेपाल तक ले जाने का विचार था। हम नहीं जानते हैं, वह प्रस्ताव कहां दब गया। दुनिया में समुद्र के किनारे बसे हुए जो देश हैं वे बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन हम लोग इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गंगा हमारे बिहार राज्य में बीचों बीच बहती है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि वे इस प्रस्ताव पर जरूर विचार करें। इसमें दो राय नहीं है, पोर्ट देश के लिए बहुत उपयोगी हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर होता है। इसके विकास के इन्तजाम के लिए सरकार को कमर कस कर आना चाहिए, लेकिन इस गड़बड़ी की जड़ में डब्ल्यूटीओ है, उसके चलते पोर्ट्स को प्राइवेट लोगों को देने की बात हो रही है कि सारा फायदा विदेश वाले पूंजीपतियों को दिया जाए। इससे हमको सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर लगती है। अगर सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर होगी, तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक से देश का हित होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर नहीं पड़ना चाहिए और देश की सुरक्षा सुरक्षित रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला जी। आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस संपूर्ण प्रश्न को सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर दूं।

खैर, सभापति महोदय, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे पत्तनों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि वे बढ़ते हुए यातायात को संचालित करने में सक्षम हो सकें। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत हम इस बात से प्रसन्न हैं। महापत्तनों का पूरी तरह विकास हो चुका है या होने को है, इसलिए स्थिति में सुधार लाने और यातायात का संचालन करने के लिए छोटे पत्तन भी आये हैं।

सायं 7.10 बजे

(**डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** *पीठासीन हुये*)

लेकिन अब उनका इस प्रयोजनार्थ विकास करना होगा। नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। ये सभी तथ्य विवाद रहित हैं। सरकार ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चिंता व्यक्त की है। सरकार ने पत्तनों के विकास और हमारे पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के प्रति जो चिंता व्यक्त की है, उसकी हम सराहना करते हैं। सरकार का इसके प्रति चिंतित होना प्रशंसनीय है और हम यह देखकर खुश हैं कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण मामले के संबंध में चिंतित है।

यह कहा गया है कि इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी और सरकार कहती है कि योजना धनराशि और योजना के आंतरिक स्रोतों से केवल 12,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध होंगे। अब इस अंतर को निजी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जायेगा।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात जिस पर यहां विचार किया जाना है। यह है कि अवसंरचना और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका के प्रति हमारी सभी इच्छाओं के बावजूद हमारी आशायें पूरी नहीं हुई हैं। पत्तनों के भी मामले में, मेरे विचार से अक्तूबर, 1996 में मार्गनिदेश निर्धारित किये गये थे जिनमें पत्तनों पर सुविधाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया था। लेकिन तब, मुझे इस बात पर संदेह है कि इसकी प्रतिक्रिया इतनी अच्छी हुई होगी कि हम इस संबंध में आशावादी हो सकें। अत: मैं महसूस करता हूं कि पत्तनों के विकास में मुख्य भार सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाना होगा।

अब, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की इस अन्धी दौड़ में, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। अब, हम गोदियों और पत्तनों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी गोदियाँ, पत्तन और हवाई पत्तन बहुत संवेदनशील स्थान हैं। यह राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा साथ ही महत्वपूर्ण सुरक्षा का प्रश्न भी है। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें निजीकरण की इस अंधी दौड़ में सावधानी बरतनी होगी।

अत: मेरे विचार से सबसे पहले, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक मार्गनिर्देश तैयार किये जाने चाहिएं। मैं जानता हूँ कि सरकार ने कुछ मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिन्हें मैं सही समय पर प्रस्तुत करूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि इन मार्गनिर्देशों को अधिनियम के माध्यम से नियत किया जाना चाहिए जिससे ये कानून का भाग बन सकें ताकि इन मार्गनिर्देशों को सभा पटल पर रखा जा सके और सभा भी इन मार्गनिर्देशों पर चर्चा कर सके। इन मार्गनिर्देशों को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के ध्यान में भी लाया जा सकता है। सभा को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में मार्गनिर्देशों पर विचार करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उस इक्युटि पद्धति के संबंध में विधेयक में कोई भी संकेत नहीं है, जिसकी संयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग और इस प्रकार के मामले में निजी क्षेत्र के लिए अनुमति होगी।

इसलिए, महोदय पहली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वह यह है कि केवल मार्गनिर्देश ही सरकार की चिन्ता का विषय नहीं हो सकता है। इन्हें अधिनियम के माध्यम से नियत किया जाना चाहिए तथा इन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय हित के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर हम विचार कर सकें, इसके बाद सुरक्षा का विचार करें तथा इक्युटि पद्धति पर बाद में बात की जा सकती है। महोदय, विदेशी निगमित निकायों के साथ भागीदारी, संयुक्त उद्यम और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। हमारे पत्तन न्यासों को इक्युटि के बड़े भाग अपने पास रखकर

प्रभावी रूप से नियंत्रण करना चाहिए। अत: महोदय, आज हम सरकार को इक्युटि की पद्धति, जैसी कि वह उचित समझे, अपनाने के लिए खुली छूट नहीं दे सकते हैं। सभा को विश्वास में लेना होगा तथा एक वर्ष में इस मामलों का उचित प्रकार से हल निकालना होगा।

महोदय, जैसाकि आज विधेयक की स्थिति है, शायद सौ प्रतिशत एफडीआई की भी परिकल्पना की जा सकती है। किन्तु तब जिनीकरण के लिए इस अंधी दौड़ का हमारे राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह भी कहूँगा कि व्यवस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य बातों का हमारे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए, इसे भी मार्गनिर्देशों का एक भाग बनाया जाना चाहिए जिसे अधिनियम के माध्यम से नियत किया जाना चाहिए तथा जिसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि कर्मचारियों के हितों की हमारी सरकार द्वारा बार-बार अनदेखी की जा रही है। उदाहरण के लिए, आज मार्डर्न फूड इंडस्ट्रीज है। उनके पास हजारों करोड़ रुपये की सम्पदा है। विस्तार में जाने का समय नहीं है। किन्तु समग्र यूनिट को 105 करोड़ रुपये में बेच दिया गया है तथा बाद में, मार्डर्न फूड इंडस्ट्रीज को 30 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था। तब, वहां पर कर्मचारियों का क्या हुआ? उन्हें कार्यभार संभालने वाले निगम की मनमर्जी पर छोड़ दिया गया। यही मामले हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। हमारे यहां ग्रामीण सड़क निर्माण निगम है। इस निगम को सरकार को बन्द करना होगा। तब कर्मचारियों का क्या होगा? उन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है। वे अब बेसहारा हो गये हैं। इसलिए कर्मचारियों के हितों की ओर भी ध्यान देना होगा। इसका कारण यह है कि इस सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों को अनदेखी किया जा रहा है इसलिए मेरे विचार से यह उचित होगा कि संशोधन लाया जाये तथा मार्गनिर्देश उपलब्ध कराये जाये और कर्मचारियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा जैसाकि मैंने कहा था कि ये मार्गनिर्देश कानून का एक भाग होने चाहिए तथा इन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

अत: महोदय, अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि हम निजीकरण, वैश्वीकरण और प्रत्येक बात के लिए इस अंधी दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं। महत्वपूर्ण हितों पर ध्यान देना होगा तथा यहां सावधानी बरतनी आवश्यक है।

***श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): मैं इस कदन का स्वागत करता हूँ जिसमें हमारे बड़े पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण का विचार किया गया है। किन्तु अतिरिक्त पत्तन क्षमता सृजित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये जुटाने के रूप में आय वास्तव में इन पत्तनों के न्यासी बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों की, किसी निजी पार्टी या तो पूर्णतया या आंशिक रूप से, अदला-बदली करने की योजना बना रहे हैं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। इसमें केवल यह कहा गया है कि इस विधेयक में न्यासी बोर्ड और विदेशी पत्तनों, छोटे पत्तनों या किसी कम्पनी के स्वामियों के बीच संयुक्त उद्यम लगाने की स्वीकृति हेतु उपरोक्त मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। सबसे पहला मूल अधिनियम की धारा 88 का प्रस्तावित संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है तथा दूसरी बात, खण्ड 3(क), जो केन्द्र सरकार को कोई करार अथवा अन्य करार करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे यह करार इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को सौंपी गयी सेवाओं और कार्यों के निष्पादन हेतु किसी निगमित निकाय अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी, संयुक्त उद्यम या किसी अन्य तरीके से किया गया हो, इस विधेयक की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध जाता है। ऐसी स्थिति में, हम इस विधेयक के पीछे छिपे वास्तविक प्रयोजन पर संदेह करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसाकि मेरे अनेक मित्रों ने बताया है, जब आप ऐसी व्यापक चर्चा वाले एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो आपको श्रमिकों के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सामान्य कल्याण नीतियों को ध्यान में रखते हुए इसे व्यापक रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण न होने पर इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग होगा। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि कामगारों से संबंधित खण्ड में राष्ट्र के व्यापक हित में सुरक्षा तथा अन्य हितों को, ऐसे किसी विधेयक में सम्मिलित करना होगा, जिसमें हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निजी पार्टियों के प्रवेश का प्रस्ताव किया गया हो।

आज, हमारे पास अपने बड़े पत्तनों के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं हैं। मैं कोचीन पत्तन, जो केरल में है, का उदाहरण देता हूँ। कोचीन में वल्लारपदन में एक परियोजना प्रारम्भ की गयी थी जिसमें विशाल कार्गों की व्यवस्था करने की क्षमता के साथ सुपर कोन्टेनर टर्मिनल का विचार किया गया था। किन्तु, 12 वर्षों के बाद भी, यह परियोजना सही मायने में स्वप्न बन कर रह गयी। हम इसे साकार नहीं कर सके। हम इसमें निजी भागीदारी को भी आकर्षित नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि परिवहन संबंधी स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में, जहां तक इस परियोजना का संबंध है, तत्काल कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

*मूल मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

[श्री पी.सी. थामस]

अपने पत्तनों के विकास पर चर्चा करते हुए, एक और प्रमुख बात, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, वह इस देश में इन बड़े पत्तनों और बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के विकास के बारे में है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस क्षेत्र की ओर भी ध्यान देंगे। हमारे यहां ऐसे कई बड़े राजमार्ग हैं। पूर्वी क्षेत्र में, हमारे यहां पहले से ही गोल्डन क्वाड्रीलेटरल एक्सप्रेस हाईवे परियोजना है जिसमें कलकत्ता-विशाखापत्तनम और चैन्नई जैसे बड़े पत्तनों को जोड़ने का प्रस्ताव है। किन्तु पश्चिमी तट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। कन्याकुमारी से मुम्बई को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे की मांग उचित है तथा महत्वपूर्ण भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे हाईवे का निर्माण करने के बारे में कुछ आश्वासन दिया था, जो अन्ततः मुम्बई, गोवा, कोचीन और मंगलौर जैसे बड़े पत्तन शहरों को लाभ प्रदान करेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इन सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ। मैं मंत्री महोदय को बधाई देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। किन्तु इसके साथ-साथ मैं यह चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि किसी करार या व्यवस्था के जरिये निजी पार्टियों के प्रवेश की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव देश की सुरक्षा और हितों को खतरे में डाल रहा है तथा मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस खण्ड को वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2000 पर इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने सुझाव दिये, मैं उनका आभारी हूं तथा उनसे लाभान्वित हुआ हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री दासमुंशी अभी यहां होते तो मैं उनकी शंकाओं का समाधान कर प्रसन्नता अनुभव करता लेकिन वे अभी यहां अनुपस्थित हैं। फिर भी मैं उनकी शंकाओं का यहां समाधान करना चाहूंगा। उन्होंने नेशनल सिक्यूरिटी पर चिन्ता व्यक्त की है। हम तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस क्षमता को बढ़ाने से कैसे नेशनल सिक्यूरिटी को खतरा पैदा हो गया और कहां उसकी चिन्ता पैदा हो गई। अब उन्होंने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जबकि मैंने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जहां मेजर पोर्ट्स बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा गवर्न होते हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन या उनके कंट्रोल में कहीं भी प्राइवेट पार्टीज अथवा प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह कैसे होगा कि कहीं मैनेजमेंट में आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, यदि हमें कनटेनर सैल बनाना है या हमें बर्थ बनाना है या जहां पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिये अन्य प्रकार की सुविधायें आवश्यक होती हैं तो उसके लिये कई ऐसे तरीके हैं। इनमें एक स्पेशल परपज़ व्हीकल सिस्टम है जिसके माध्यम से प्राइवेट सैक्टर में पार्टिसिपेशन इन क्षेत्रों में ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पार्टिसिपेशन कराने जा रहे हैं। यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पार्टिसिपेशन होता तो निश्चित रूप से यह हमारे लिये चिन्ता का विषय होता। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेशनल सिक्यूरिटी को लेकर उन्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री दासमुंशी ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि हुगली में सिल्टेशन बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्य श्री सामन्तराय ने भी यही चिंता व्यक्त की है लेकिन मैं उन्हें इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि ड्रेजिंग का काम चल रहा है और सिल्टेशन के कारण शिप्स या वैसल्स का आना रुक जाये, ऐसी स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे। ड्रेजिंग का काम धन के संकट के कारण रुक जाये, यह स्थिति भी हम पैदा नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, श्री दासमुंशी ने एक और चिन्ता की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है कि हमने सैक्शन-42 में कुछ ऐसा जोड़ दिया है जिससे सिक्यूरिटी का खतरा पैदा हो गया है। हमने सैक्शन 42 में ऐसा कुछ नहीं जोड़ा जिससे नेशनल सिक्यूरिटी को कोई खतरा पैदा हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भू-मंडलीकरण या उदारीकरण के युग में यदि कोई बाहर से फंड इनवैस्ट करता है और यदि हम उसे रोक देंगे तो हम अपने देश का भला कैसे कर पायेंगे? यह स्वाभाविक है कि यदि हमें कहीं से भी पूंजी मिलती है तो देश के हित को ध्यान में रखते हुए हम उस पूंजी का निवेश करेंगे। अपने देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ायेंगे, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी तो स्वाभाविक रूप से इस समाज का सबसे नीचे का व्यक्ति, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ सबसे गरीब व्यक्ति है, उसे निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। यदि हम भूमंडलीकरण और उदारीकरण से बिल्कुल अलग-थलग रहकर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जहां हम भारत को

विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उसे हम कभी भी विश्व की आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और लिबरेलाइजेशन के नाम पर भारत की आर्थिक स्वायत्तता, भारत की इकोनोमिक आटोनोमी पर हमारी सरकार किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगी। मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अलग-थलग रखकर नहीं चल सकते हैं। भारत को भी हमें विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर चलना पड़ेगा और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम जो भी कदम मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे प्रिय मित्र श्री लक्ष्मण जी सेठ ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया है। यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम प्राइवेट सैक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, हमने प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कही है। जहां तक सिक्युरिटी कन्सर्न का सवाल है, मान लीजिए यदि किसी भी मामले में कहीं पर कोई शेयर किसी को देने का मामला पैदा हुआ तो हम निश्चित रूप से यह सावधानी बरतेंगे कि हमारे पास वह क्षमता रहे कि जब कभी भी ऐसा कोई प्रोपोजल आये, जो भारत के हितों पर चोट पहुंचाने वाला हो अथवा पोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला हो तो निश्चित रूप से हम अपनी क्षमता ऐसी बनाकर रखेंगे, ताकि हम उस प्रोपोजल को वहीं स्टाल कर सकें, वहीं पर रोक सकें, यह क्षमता हम बनाकर रखेंगे।

सभापति महोदय, यहां सिल्टेशन की चर्चा हुई है, ड्रेजिंग की चर्चा हुई है। लेकिन सिल्टेशन और ड्रेजिंग के कारण हम कोई भी शिप अथवा किसी भी वैसल के ट्रंसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। श्री लक्ष्मण जी सेठ ने प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन पर आपत्ति व्यक्त की है, सचमुच उस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है, चूंकि वैस्ट बंगाल में उन्हीं की सरकार है और कुल्पी पोर्ट को प्राइवेट पोर्ट के रूप में डेवलप करने के लिए वैस्ट बंगाल की सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट के ऊपर बराबर प्रैशर बिल्ड अप कर रही है। एक तरफ आपकी सरकार यह काम कर रही है और आप संसद में आकर इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन का विरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम विद्यमान पत्तनों का निजीकरण नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह : मैं नहीं समझता कि यह कोई बहाना हो सकता है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): वे अत्यधिक स्वार्थी हैं। वे अपने राज्य में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण लाना चाहते हैं। परंतु वे देश की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): ऐसा आपसी हित के कारण किया जा सकता है। इसे एकतरफा नहीं होना चाहिए।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : यह भी एकतरफा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): प्राइवेट पार्टिसिपेशन आमंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है और यहां साम्यवादी मित्र ऐसा कह रहे हैं, यह कैसी विडम्बना है।

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भले ही हम पोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने किसी पोर्ट की किसी असैट को नहीं बेचेंगे, किसी के हवाले नहीं करेंगे, यानी हम अपने पोर्ट्स की स्वायत्तता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। मैं पूरी तरह से इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, रघुवंश बाबू बहुत अच्छे वक्ता हैं। सचमुच जब वह बोलते हैं तो मुझे बहुत ही अनुकूल संवेदना होती है। उन्होंने यह कहा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन में जो पार्टी बैंक से लोन लेगी, वह बैंक से कितना लोन लेगी और कितना इनवैस्ट कर पायेगी, उन्होंने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह पार्टी बैंक से लोन लेगी, जिसने पोर्ट में इनवैस्ट करना है तो बैंक को अदायगी भी उस पार्टी को करनी होगी, इसकी चिंता मेजर पोर्ट क्यों करें। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इस बात की चिन्ता क्यों करे। जो बैंकों से लोन लेगा इनवैस्ट करने के लिए, वह खुद उसका रीपेमेंट करेगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि डब्ल्यू.टी.ओ. बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारे मित्र सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी यहां बैठे हैं। वे डब्लू.टी.ओ. के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा और अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास सदन को दिलाना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन के सामने किसी भी सूरत में हमारी सरकार घुटने नहीं टेक

[श्री राजनाथ सिंह]

सकती और मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि सिएटल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉनफ्रेन्स हुई थी। भारत के सीमित हस्तक्षेप से वह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया और उसी डब्लू.टी.ओ. के चेयरमैन माइक बुर्क को भारत आना पड़ा था और भारत के बारे में स्वीकार करना पड़ा था कि विश्व की तीसरी दुनिया का कोई नेता है, यदि कोई नेतृत्व कर सकता है तो भारत के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसलिए रघुवंश जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में डब्लू.टी.ओ. के सामने घुटने नहीं टेक सकती।

आपने इनलैण्ड वाटर वेज़ के बारे में पूछा है, गंगा जी में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेन्जर ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा की है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस विषय में हमारा मंत्रालय पूरी तरह से गंभीर है और समुचित दिशा निर्देश हमने इस संबंध में दे दिये हैं कि चाहे जैसे भी हो, 1 अक्तूबर, 2000 से इलाहाबाद से कलकत्ता तक इनलैण्ड वॉटर वेज़ नम्बर 1, यानी गंगा नदी में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम प्रारंभ हो जाना चाहिए और हमारा मंत्रालय इस कार्य में जुटा हुआ है।

हमारे सम्मानित सदस्य गढ़वी जी ने जो कुछ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हम बढ़ा रहे हैं, उसका स्वागत किया है, लेकिन सोशल जस्टिस के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। वर्कर्स के हितों को किसी भी सूरत में चोट नहीं आनी चाहिए, इस संबंध में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय में हमारी सरकार विश्वास करती है। इसलिए सामाजिक न्याय से इस मुद्दे पर कहीं पर भी हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। वर्कर्स के हितों पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं आने दी जाएगी। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जितनी भी मेजर पोर्ट्स एंड डॉक इंप्लॉइज़ फैडरेशन्स हैं, उनके प्रतिनिधियों को मैंने आश्वस्त किया है कि हर तीन महीने में एक बार मैं उनके साथ बैठूंगा और बोर्ड के डैवलपमेंट और मजदूरों के हितों के बारे में उनसे चर्चा करूंगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी ने अभी चर्चा में कहा कि सुरक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन रखेंगे। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस बिल को लाने से पहले क्या सुरक्षा की जो एजेन्सियां हैं, इन्टेलिजेन्स एजेन्सियां हैं, इंडियन नेवी है, क्या इन लोगों से संपर्क करके, चर्चा करके, विश्वास में लेकर प्रावधान किये गये? दूसरी बात यह है कि पोर्ट्स का मैनेजमैंट कौन करेगा और पार्टिसिपेशन से आपका क्या तात्पर्य है? क्या वह केवल पूंजी लगाएंगे, उसके मैनेजमैंट में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी? इतनी बात स्पष्ट कर दें।

श्री राजनाथ सिंह : कोई भी सरकार यदि बिल लेकर किसी भी सदन में जाती है तो निश्चित रूप से उस बिल का जो प्रारूप होता है, उसका अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा होता है और कैबिनेट के समक्ष जब कभी कोई प्रस्ताव जाता है तो उसके पहले सभी मंत्रालयों को सर्कुलेट किया जाता है। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष जाने से पहले गृह मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय को सर्कुलेट हुआ था। मैंने जान-बूझकर केवल दो विभागों की चर्चा की क्योंकि सिक्यूरिटी के बारे में माननीय सदस्य को थोड़ी चिन्ता है।

दूसरी बात यह पूछी कि संचालन कौन करेगा। इस समय हमारे जो 12 मेजर पोर्ट हैं, उनका मैनेजमेंट, ऐडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल सब कुछ इसी मेजर पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट के माध्यम से होता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज हर मेजर पोर्ट में हैं। उन्हीं के द्वारा सारा मैनेजमेंट और सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा, वह व्यवस्था अभी तो है, लेकिन इस संशोधन के बाद भी क्या यही व्यवस्था विद्यमान रहेगी, कहीं प्राइवेट लोगों के हाथों में तो इसका व्यवस्थापन नहीं चला जाएगा?

श्री राजनाथ सिंह: प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं जाएगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: इस बात की क्या गारंटी है? क्या कोई ऐसे सेफगार्ड आपने इसमें रखे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जो इसमें संशोधन किया है उसमें यह है कि "किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे निबंधों और शर्तों पर, जो तय पाई जाएं, कोई करार या अन्य ठहराव कर सकेगा" अर्थात् ठहराव में जैसी शर्तें पाई जाएं। उसमें मैनेजमेंट भी उनके हाथ में जा सकता है। यह हमारी चिन्ता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय मंत्री महोदय ने प्रबंधन के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, माननीय सांसद चतुर्वेदी जी के सामने मैं एक ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे उनकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। इस समय हमारा सबसे मॉडर्न पोर्ट जो माना जाता है वह जवाहर लाल नेहरू मॉडर्न पोर्ट ट्रस्ट है। वहां पर आस्ट्रेलिया की एक कंपनी पी. एंड ओ. ने 800 करोड़ रुपए इनवैस्ट करके कंटेनर टर्मिनल को डिवेलप किया है, लेकिन उस ट्रस्ट में पी. एंड ओ. फर्म का या उस आर्गेनाइजेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इन्वैस्टर को इन्वैस्ट करने की इजाजत केवल इस शर्त पर दी जाती है कि उसको उसका रिटर्न मिलेगा। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठः कलकत्ता हल्दिया पत्तन नदी तटीय पत्तन हैं। शिपिंग चैनलों के गाद निकालने की आवश्यकता होती है। 1994 में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा गाद निकालने के कार्य हेतु होने वाले व्यय की अदायगी करेगी। कलकत्ता पत्तन न्यास ने 1999-2000 की अवधि के दौरान 476 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने केवल 233 करोड़ रुपये ही दिए हैं। शिपिंग चैनल का रख-रखाव और उसमें सुधार कैसे किया जाएगा? अतः, मैं मांग करता हूं कि शेष राशि अर्थात् 243 करोड़ रुपये कलकत्ता पत्तन न्यास को शिपिंग चैनल में सुधार लाने के लिए दिए जाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पत्तनों का निजीकरण कब किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि शिपिंग चैनल का रख-रखाव कैसे किया जाएगा क्योंकि कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन, जो नदीतटीय पत्तन हैं, में प्राकृतिक रुकावटें हैं। निजी पार्टी की भागीदारी से समुद्री पत्तन का विकास होगा तथा नदी तटीय पत्तन का विकास नहीं हो पाएगा और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास कार्य में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य श्री लक्ष्मण सेठ ने जिस बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि धन के अभाव में शिप्स का या किसी भी वैसल का मूमेंट रुकने नहीं देंगे, लेकिन एक चीज जो इन्होंने ध्यान में लाई है उसके लिए मैं विभाग के लोगों से बात करूंगा कि वहां की क्या स्थिति है क्योंकि इस समय उसकी सीधी जानकारी दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी के एक बिन्दु पर और स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि किसी परसन के साथ भी आप जाइंट वैंचर बना सकते हैं। यह परसन, एक लीगल परसन है। इसका आशय एक लीगल एंटिटी से लिया जाना चाहिए। जब मैंने 28 हजार करोड़ या 20 हजार करोड़ रुपए इन्वैस्ट करने की बात कही है, तो ऐसा नहीं है कि केवल जाइंट वैंचर से ही सब कुछ आ जाएगा। जाइंट वैंचर बनने के बाद भी प्राइवेट सैक्टर का पार्टीसिपेशन हो सकता है। इसके बाहर से भी हो सकता है। केवल एक पोर्ट में ही 28 हजार करोड़ रुपए इन्वैस्ट करने हों, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया जो कंटेनर टर्मिनल हम डवलप कर रहे हैं, उसमें 800 करोड़ रुपए पी. एंड ओ. ने इन्वैस्ट किया है और वहां पर वह कंटेनर टर्मिनल बन कर तैयार भी हुआ है।

सभापति जी, मैं माननीय विद्वान सदस्य श्री बनातवाला जी के कुछ बिन्दुओं पर जरूर अपने विचार रखना चाहूंगा। जैसा उन्होंने कहा है हमारे मेजर पोर्ट्स सैचुरेशन पाइंट पर पहुंच गए हैं, यह बात सही है। इसीलिए हम मेजर पोर्ट एक्ट में संशोधन कर रहे हैं ताकि इन मेजर पोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने पहले कहा यह संशोधन हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इसके द्वारा हम केवल मेजर पोर्ट की ही क्षमता नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि जिन माइनर पोर्ट्स के साथ हमारा जाइंट वैंचर बनेगा, हम उन जाइंट वैंचर की क्षमता को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमने इसमें संशोधन किया है।

सभापति महोदय, बनातवाला जी ने बार-बार मैड रश आफ प्राइवेटाइजेशन की बात कही है। मैं बताना चाहता हूं कि यह मैड रश आफ प्राइवेटाइजेशन नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की यह वैल थॉट एंड वैल कंसीडर्ड एप्रोच है। पोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए यह किया गया है।

[श्री राजनाथ सिंह]

श्री सामंत जी ने नवर पोर्ट के बारे में एक बात कही है। मैं बतलाना चाहूंगा कि नवर पोर्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट पर गवर्न नहीं होता है। अंतिम सदस्य श्री थामस ने मलायलम में अपनी विचार व्यक्त किया है। मैं मिस्टर थामस को अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं किं उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इस संबंध में मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि राष्ट्रीय हितों पर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं आने देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई भी संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। कोचीन पोर्ट पर जो कन्टेनर टर्मिनल बन रहा है, वह काम जल्दी पूरा होगा। अगर कोचीन पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए वहां पर कन्टेनर टर्मिनल और बर्थ बनाने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से वह करेंगे।

मैं सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि राज्य सभा द्वारा संशोधित विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसे कृपा पारित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा विचारार्थ प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में है, वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य: "हाँ"।

सभापति महोदय: जो सदस्य इसके विरोध में हैं, वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य: "नहीं"।

सभापति महोदय: मेरे विचार में निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम मत-विभाजन के लिए आग्रह कर रहे हैं। जब हम मत-विभाजन की मांग कर रहे हैं, तो आपको इसे स्वीकार करना होगा।

सभापति महोदय: अतः, क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां। हम इस विधेयक के प्रति अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया आपस में बात मत कीजिए। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसा कि दिख ही रहा है मेरी कुर्सी के दोनों और "प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब" जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी बजने के तुरंत बाद दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा:

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक "लाल" बटन, और

(2) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:

'पक्ष में' - हरा रंग

'विपक्ष में' - लाल रंग

'भाग नहीं लिया'-पीला बटन

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब "बुझ" न जाएं।

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

6. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपने डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

सभापति महोदय: मैं देख रहा हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। अतः मत विभाजन को स्थगित किया जाता है। गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित की जाती है।

यह सभा कल 17 मई, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 मई, 2000/27 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/7/37/2000 (एम०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।